त्रयोदश माला, खंड 8, अंक 1

सोमवार, 24 जुलाई, 2000
2 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 24 जुलाई, 2000/2 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची . .	(i) - (xvi)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xvii)-(xviii)
मंत्रिपरिषद	(xix)-(xxiv)
राष्ट्रगान	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	14-50
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	50-316

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों के वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस० (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलदाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए०पी० (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुराई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई० (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंगले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा० (श्रीमती) अनिता (करोल बाग)

आल्वा, श्रीमती मार्गेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा० सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जाज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए०एफ० गुलाम (बारपेटा)

ए

ए० नरेन्द्र, श्री (मेडक)

ऐटकिन्सन, श्री डैन्जिल, बी० (नामनिर्दिष्ट)

एम० मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी०डी० (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊदीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के० (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा० बल्लभभाई (राजकोट)

कन्नेप्पन, श्री एम० (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के०के० (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी०आर० (शिलांग)

कुप्पुसांमी, श्री सी० (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री पी०आर० (तिरूचिरापल्ली)

कुमारासामी, श्री पी० (पलानी)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमारिया, डा० रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन०एन० (पालघाट)

कृष्णन्, डा० सी० (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के० बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के०ई० (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए० (श्रीपेरूम्बुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी०आर० (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद (महाराष्ट्र))

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी०एस० (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गबली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी०एस० (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो० चमन लाल (उधमपुर)

गुप्त श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

मेहलोल, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी० (कासरगौड़)

गोहेन श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी० पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर (उ०प्र०)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर (हि०प्र०)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया (उ०प्र०)

चिन्नासामी, श्री एम० (करूर)

चोखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सेना राम (बाडमेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर (पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए०बी०ए० गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पद्मसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहन लालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्रीमती निशा (सारकांठा)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (धोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा० एम० (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा० मन्दा (नगर कुरनूल)

जनगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा० सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा० ए०डी०के० (तिरूचेंदूर)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी०के० (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा० मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणासी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जॉर्ज, श्री के० फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर०एल० (विकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी०जे० (पोरबंदर)

जीगाजोनागी, श्री रमेश सी० (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा० मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए०सी० (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी० (वडोदरा)

ठाकुर, डा० सी०पी० (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा० राम चन्द्र (वीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरूनावकरसू, श्री (पुडुंक्कोट्टई)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा० रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी०सी० (मुवतुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाल्हाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी०टी०वी० (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम० (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री विक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरूक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योडार)
नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)
नायक, श्री ए० वेंकटेश (रायचूर)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)
पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)
पटेल, डा० अशोक (फतेहपुर)
पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)
पटेल, श्री दहयाभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)
पटेल, श्री दिनशा (कैरा)
पटेल, श्री दीपक (आनंद)
पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)
पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)
पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)
परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)
पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस० (तंजावूर)
पवार, श्री शरद (बारामती)
पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)
पांजा, डा० रंजीत कुमार (बारासाट)
पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
पांडियन, श्री पी०एच० (तिरूनेलवेली)
पाटसाणी, डा० प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)
पाटिल, श्री अमरसिंह बसंतराव (बेलगाम)
पाटिल, श्री आर०एस० (बागलकोट)
पाटिल, श्री अन्नासाहेब एम०के० (इरन्दोल)
पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड़)
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)
पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)
पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)
पाटील, श्री शिवराज वी० (लातूर)
पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)
पार्थसारथी, श्री बी०के० (हिन्दुपुर)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पासवान, डा० संजय (नवादा)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)
पासी, श्री सुरेश (चायल)
पुंगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)
पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
पोन्नुस्वामी, श्री ई० (चिदंबरम्)
प्रधान, डा० देवेन्द्र (देवगढ़)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
प्रमाणिक, प्रो० आर०आर० (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री जितेन्द्र (शाहजहांपुर)
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रेमाजम, प्रो० ए०के० (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)
फारूक, श्री एम०ओ०एच० (पांडिचेरी)
फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस० (शिमोगा)
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)
बघेल, प्रो० एस०पी० सिंह (जलेसर)
बघदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
बनातवाला, श्री जी०एम० (पोन्नानी)
बन्शीवाल, श्री श्याम लाल (टोक)
बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)
बब्बर, श्री राज (आगरा)
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)
बराड़, श्री जे०एस० (फरीदकोट)
बर्मन, श्री रबेन (बलूरघाट)
बलिराम, डा० (लालगंज)
बसवनागौड, श्री कोलूर (बेल्लारी)
बसव राज, श्री जी०एस० (तुमकुर)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बालयोगी, श्री जी०एम०सी० (अमालापुरम)
बालू, श्री टी०आर० (मद्रास दक्षिण)
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)
विश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)
बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)
बेगम नूर बानो (रामपुर)
बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)
बैदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)
बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)
बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)
बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
ब्रह्मनैया, श्री ए० (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो० दुखा (लोहरदगा)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भडाना, अवतार सिंह (मेरठ)
भाटिया, श्री आर०एल० (अमृतसर)
भार्गव, गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)
मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)
मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)
मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)
मलेयसामी, श्री के० (रामनाथपुरम)
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी० (दावणगेरे)
मल्होत्रा, डा० विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महंत, डा० चरणदास (जांजगीर)
महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)
महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)
महरिया, श्री सुभाष (सीकर)
महाजन, श्री वाई०जी० (जलगांव)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)
मांझी, श्री रामजी (गया)
माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)
मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)
मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)
माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)
माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)
मायावती, कुमारी (अकबरपुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)
मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्री एस०बी० (कृष्णनगर)
मुण्डा, श्री कडिया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)
मुनि लाल, श्री (सासाराम)
मुनियप्पा, श्री के०एच० (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)
मुरूगेसन, श्री एस० (तेनकासी)
मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)
मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)
मूर्ति, श्री ए०के० (चेंगलपट्टू)
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम०वी०वी०एस० (विशाखापत्तनम)
मेहता, श्रीमती जयवंती (मुंबई दक्षिण)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलबेरिया)
मोहन, श्री पी० (मदुरै)
मोहले श्री पुन्ना लाल (विलासपुर)
मोहिते श्री सुबोध (रामटेक)
मोह्येल, श्री अशोक ना० (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नोज)
यादव, डा० (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)
यादव, डा० जसवंतसिंह (अलवर)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)
यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)
यादव, श्री रमाकान्त (आज़मगढ़)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)
येरननायडू, श्री के० (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला असम)
रमण, डा० (राजनांदगांव)
रमैया, डा० बी०बी० (एलूरू)
रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)
राजवंशी, श्री माधव (मंगलदाई)
राजा, श्री ए० (पैरम्बलूर)
राजूखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्दन, श्री पी० (विवलोन)
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव श्री (पुर्णिया)
राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राणा, श्री राजू (भावनगर)
राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिकिल)
राधाकृष्णन, श्री सी०पी० (कोयम्बटूर)
राधाकृष्णन्, श्री पोन (नागरकोइल)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
रामशकल, श्री (रावर्टसगंज)
रामुलू, श्री एच०जी० (कोप्पल)
रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
राय, श्री सुबोध (भागलपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण (राजामुन्दरी)
राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)
राव, श्री डी०वी०जी० शंकर (पार्वतीपुरम)
राव, श्री वाई०वी० (गुंटूर)
राव, श्री सी०एच० विद्यासागर (करीमनगर)
राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)
रावत, प्रो० रासासिंह (अजमेर)
रावत, श्री प्रदीप (पुणे)
रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)
राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)
रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)
रेड्डी, श्री ए०पी० जितेन्द्र (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री एन० जनार्दन (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री एन०आर०के० (चितूर)
रेड्डी, श्री एस० जयपाल (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री गुथा० सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)
रेड्डी, श्री जी० गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री बी०वी०एन० (नांदयाल)
रेड्डी, श्री वाई०एस० विवेकानन्द (कुडप्पा)
रेनू, कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन० (टिंडिवनाम)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)
लेपचा, श्री एस०पी० (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)
वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)
वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)
वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)
वसावा, श्री मनसुखभाई डी० (भरूच)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाडियार, श्री एस०डी०एन०आर० (मैसूर)
विजयन, श्री ए०के०एस० (नागापट्टिनम)
विजया कुमारी, श्रीमती डी०एम० (भद्राचलम)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वुक्कला, डा० राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)
वेकटस्वरलु, प्रो० उम्मारेड्डी (तेनाली)
वेंकटस्वामी, डा० एन० (तिरूपति)
वेंकटेस्वरलु, श्री बी० (वारंगल)
वेणुगोपाल, डा० एस० (आदिलाबाद)
वेणुगोपाल, श्री डी० (तिरूपत्तूर)
वेन्निसेलवन, श्री वी० (कृष्णागिरि)
वैको, श्री (शिवकाशी)
व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)
शर्मा, श्री विष्णु दत्त (जम्मू)
शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)
शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम (शिमला)
शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)
शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गड़वाल)
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)
शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)
शिवकुमार, श्री वी०एस० (तिरूअनन्तपुरम)
शुक्ल, श्री श्यामा चरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई (बदायूं)
श्रीकांतप्पा, श्री डी०सी०(चिकमंगलूर)
श्रीनिवासन, श्री सी० (डिंडीगुल)
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन०टी० (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)
संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)
संगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)
संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)
सईद, श्री पी०एम० (लक्षद्वीप)
सईदुज्जमा, श्री (मुज्जफर नगर)
सनदी, प्रो० आई०जी० (धारवाड़ दक्षिण)
सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)
सरडगी, श्री इकबाल (अहमद (गुलबर्गा)
सरकार, डा० विक्रम (पंसकुरा)
सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)
सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)
सरोजा, डा० वी० (रासीपुरम)
सांगतम, श्री के०ए० (नागालैंड)
सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)
साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)
साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर)
साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)
सिंह, कुंवर अखिलेश [महाराजगंज (उ०प्र०)]
सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)
सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)
सिंह, डा० रामलखन (बागपत)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिंधी)
सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरूखाबाद)
सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)
सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)
सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)
सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)
सिंह, श्री टी०एच० थाओबा (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)
सिंह, श्री प्रभुनाथ [महाराजगंज (बिहार)]
सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)
सिंह, श्री बहादुर (बयाना)
सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)
सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)
सिंह, श्री राजो (बेगूसराय)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)
सिंह, श्री रामजीवन [बलिया (बिहार)]
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री रामानन्द (सतना)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)
सिंह, श्री साहिब (बाहरी दिल्ली)
सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)
सिंह, श्रीमती श्यामा [औरंगाबाद (बिहार)]
सिंह, सरदार बूटा (जालौर)
सिंह, डा० रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
सिकदर, श्री तपन (दमदम)
सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)
सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)
सिंह देव, श्री के०पी० (ढेंकानाल)
सी० सुगुणा कुमारी, डा० (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई०एम० (शिवगंगा)
सुधीरन, श्री वी०एम० (अलेप्पी)
सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिमी)
सुब्बा, श्री एम०के० (तेजपुर)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)
सेनगुप्ता, डा० नीतिश (कोन्टाई)
सेल्वागनपति, श्री टी०एम० (सेलम)
सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)
सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह (गोधरा)
स्वाई, श्री खारबेल (बालासोर)
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)
हमीद, श्री अब्बदुल (फूबरी)
हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)
हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज़ (किशनगंज)
हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी०एम०सी० बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी०एम० सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी०एच० पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के० येरननायडू

महासचिव

गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधान मंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/ विभागों के प्रभारी, जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है अर्थात : 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन 2. योजना 3. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, 4. परमाणु ऊर्जा, 5. अंतरिक्ष
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनन्त कुमार	पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री टी०आर० बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
सुखदेव सिंह ढिंडसा	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री जगमोहन	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
डा० सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री मनोहर जोशी	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
डा० मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री पी०आर० कुमारमंगलम	विद्युत मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	कृषि मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राम विलास पासवान	संचार मंत्री
श्री सुन्दर लाल पटवा	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री काशी राम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री शांता कुमार	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेशी मंत्री
श्री राजनाथ सिंह	जल-भूतल परिवहन मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
डा० सी०पी० ठाकुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री शरद यादव	नागर विमानन मंत्री
श्री अर्जुन सेठी	जल संसाधन मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री अरुण जेटली	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एम० कंन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री
श्री एन०टी० षणमुगम	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीराम चौहान	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो० चमन लाल गुप्त	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा० वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी० धनजंय कुमार	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंगारू लक्ष्मण	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बाबू लाल मरांडी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनिलाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजित कुमार पांजा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा० देवेन्द्र प्रधान	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई० पोन्नुस्वामी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ए० राजा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ० राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा० रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सी०एच० विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरुण शौरी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री टी०एच० चाओबा सिंह	कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो० रीता वर्मा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुकमदेव नारायण यादव	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 24 जुलाई, 2000/2 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्र गान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती कुमुदिनी पटनायक (आस्का)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम माननीय सहयोगी श्री राजेश पायलट और तीन पूर्व सहयोगियों का निधन सम्बन्धी उल्लेख करने से पूर्व सीरिया अरब गणराज्य के राष्ट्रपति हाफेज – अल-असद के दुखद निधन का उल्लेख करेंगे।

यह सभा 10 जून, 2000 को सीरिया अरब गणराज्य के राष्ट्रपति हाफेज – अल-असद के निधन पर अपनी गहन संवेदन व्यक्त करती है।

राष्ट्रपति असद अरब जगत में एक महान हस्ती थे। उन्होंने तीन दशक से भी अधिक अवधि तक सीरिया का नेतृत्व किया और वे अपने देश को विकास, स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर लाये। उन्हें इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए उनके अग्रक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल के दौरान भारत सीरिया द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे और मित्रतापूर्ण थे। भारत के लोग राष्ट्रपति असद को सदैव अत्यधिक सम्मान के साथ देखेंगे और उनके निधन को एक पुराने मित्र की अपूरणीय क्षति के रूप में लेंगे। हम राष्ट्रपति हाफेज अल-असद के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

यह सभा सीरिया अबर गणराज्य की सरकार और वहां के लोगों तथा स्वर्गीय राष्ट्रपति के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

श्री राजेश पायलट वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और वे राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे पहले वह 1980 से 1989 और 1991 से 1999 के दौरान सातवीं, आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। 1999 से 2000 के दौरान श्री पायलट रक्षा सम्बन्धी संसदीय समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य थे।

श्री पायलट ने 1985 से 1989 और 1991 से 1996 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विभिन्न पदों पर उल्लेखनीय कार्य किया।

वह एक कृषक परिवार से सम्बन्धित थे और उन्होंने पन्द्रह वर्षों तक भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में सेवा की।

श्री पायलट एक विख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, एक कुशल प्रशासक तथा योग्य सांसद थे। उन्होंने किसानों, भूतपूर्व सैनिकों तथा समाज के उपेक्षित वर्गों की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। विपक्ष के नेता के नाते भी उन्होंने आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए मर्यादा बनाए रखी। वह आम जनता के नेता थे जो सदैव ही निर्भीक होकर किसी का पक्ष लिए बगैर बोलते थे। श्री राजेश पायलट की अटूट निष्ठा अनुकरणीय है। वह सदन के ऐसे सदस्य थे जो कि नियमित रूप से चल और अचल सम्पत्तियों से संबंधित अपनी वार्षिक विवरणी लोक सभा सचिवालय में जमा कराते थे जबकि उनके लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं था। अक्तूबर- नवम्बर 1999 के दौरान उड़ीसा में आये भयंकर तूफान के समय उन्होंने उड़ीसा में तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास हेतु संसद- सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में से 10 लाख रुपए का योगदान करने का प्रस्ताव किया जिसका पूरे सदन ने समर्थन किया। श्री पायलट की इस भावना से अन्ततः संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को शासित करने वाले सरकारी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि देश के किसी भी भाग में भीषण प्राकृतिक आपदा की दशा में संसद सदस्य अपनी संसद-सदस्य क्षेत्र विकास निधि में से राहत उपायों के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से अनधिक का अंशदान करने की सिफारिश कर सकेंगे।

मुझे 1999 की एक घटना याद आती है, जो श्री पायलट की अनुकरणीय निष्ठा को दर्शाती है। बारहवीं लोक सभा के दौरान 8 मार्च, 1999 को प्रश्न काल के तुरन्त बाद कुछ सदस्यों ने उस मंत्री से वक्तव्य देने की मांग की जिन्होंने केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दिया था। श्री पायलट ने भी यह मानते हुए वक्तव्य की मांग की कि यह मद पहले किसी दिन की कार्य सूची में सम्मिलित थी। बाद में जब उन्हें बताया गया कि यह मद कार्य सूची में सम्मिलित नहीं की गई थी तो उन्होंने सभा में अपनी टिप्पणी वापस ली और अपने भूल-सुधार के लिए अपना दस दिन का भत्ता छोड़ दिया और 500 रुपए का एक चैक लोक सभा सचिवालय कर्मचारी कल्याण निधि में जमा करने के लिए भेज दिया।

श्री पायलट एक विद्वान थे और उन्होंने "फ्लाइट टू पार्लियामेंट" तथा "इन दि पब्लिक" नामक दो पुस्तकें लिखीं।

श्री पायलट पक्के राष्ट्रवादी थे और वह अपने जीवन को भी खतरे में डालकर पृथकतावादी तथा समाज में हिंसा फैलाने वाले तत्वों

के खिलाफ लड़ते रहे। भारत के सार्वजनिक जीवन में वह अति सक्रिय और ओजस्वी व्यक्तियों में से एक थे। उनका अभाव संसद में तथा समूचे राष्ट्र में सदा महसूस किया जाएगा।

श्री राजेश पायलट के अकस्मात और असामयिक निधन से राष्ट्र गहरे शोक में डूब गया है। एक कर्मठ और यथार्थ परक दृष्टिकोण वाले उदीयमान राजनीतिक जीवन का अंत उस समय हो गया जब वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए और जयपुर राजस्थान में 11 जून, 2000 को 55 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया।

श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह मणिपुर के आंतरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1952 से 1957 तक पहली लोक सभा के सदस्य रहे।

एक विख्यात सामाजिक और राजनीतिक, कार्यकर्त्ता, श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह 1946 में मणिपुर राज्य गउन समिति के सदस्य चुने गये थे। 1950 के दौरान वह मणिपुर राज्य परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी मनोनीत किये गये थे लेकिन मुख्य आयुक्त से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में वह राज्य में विभिन्न संगठनों से विभिन्न हैसियत से जुड़े रहे।

वह एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने मणिपुर राज्य के भूगोल के बारे में पहली पुस्तक 'जिओग्राफ़ि ऑफ दि मणिपुर स्टेट' लिखी और मणिपुरी भाषा में अनेकों कवितायें लिखीं।

श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह का निधन 8 मई, 2000 को इम्फाल में 88 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री दलबीर सिंह 1980 से 1989 और 1991 से 1996 के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः सातवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व, श्री सिंह 1972 से 1977 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी थे। एक योग्य प्रशासक के रूप में श्री दलबीर सिंह ने सितम्बर, 1985 से दिसम्बर, 1989 तक शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में तथा जून, 1991 से जनवरी 1993 तक वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 1982-83 के दौरान वह अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक और वकील, श्री दलबीर सिंह एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किए।

श्री दलबीर सिंह का निधन 2 जून, 2000 को बीना, मध्य प्रदेश में 56 वर्ष की आयु में हुआ।

श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला 1977 से 1979 और 1984 से 1989 तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी और आठवीं लोक सभा की सदस्या रहीं।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, श्रीमती अब्दुल्ला ने बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए अथक रूप से कार्य किया। 1946 के दौरान वह श्रीनगर में शांति समितियां गठित करने में अग्रणी रहीं।

श्रीमती अब्दुल्ला को 1947 से 1951 तक जम्मू-कश्मीर रेडक्रोस सोसायटी की प्रथम प्रेसीडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने 1975 में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की समिति की चेयरमैन, 1976 में अखिल भारतीय परिवार कल्याण संघ की राज्य सभा की प्रेसीडेंट और 1977 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की राज्य शाखा की प्रेसीडेंट के रूप में भी कार्य किया।

श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला का निधन 11 जुलाई, 2000 को श्रीनगर में 83 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त करती है।

जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं, देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण हुई त्रासदी में अनेक लोगों की जानें गई हैं। काफी लोग बेघर हो गये और सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ है।

एक अन्य दुर्घटना में 55 लोग मारे गये जब कलकत्ता-पटना-लखनऊ-दिल्ली जाने वाले एलायंस एयर बोईंग सी०डी०-7412 विमान 16 जुलाई, 2000 को सुबह साढ़े सात बजे पटना के नजदीक चित्तकोरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हम इन त्रासदियों में मारे गये लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा इन सब के दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ सीरिया के राष्ट्रति श्री हाफेज-अल-असद, हमारे साथी श्री राजेश पॉयलट, श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह, श्री दलबीर सिंह और श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला के प्रति श्रद्धांजलि सरकार की ओर से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की ओर से, अपने दल और व्यक्तिगत रूप से अर्पित करता हूं।

मुझे स्मरण आता है कि जब पिछले सत्र में मेरे ही मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हुई थी जिसे विपक्ष की ओर से श्री राजेश पायलट ने आरम्भ किया था। मैंने चर्चा का उत्तर देते हुये कहा था कि चाहे तीखी आलोचना थी लेकिन उनका एक-एक वाक्य, उनका एक-एक सुझाव रचनात्मक था। 1980 से लेकर, जब राजेश जी लोकसभा में निर्वाचित होकर आये, मैं उन दिनों राज्यसभा में था और समितियों में उनके संपर्क में आया। 1985 से लेकर जब वे मंत्रिमंडल में और सरकार में सदस्य बने, तब से प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके सम्पर्क में

आता रहा। मैंने लगातार पाया कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति निष्ठा रखकर और जिस प्रकार से देश सेवा करनी चाहिये, जनता से सम्पर्क करके उनकी कठिनाइयों को हल करते हुये और साथ-साथ एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण लेकर कमजोर वर्ग की सहायता करना उनकी एक-एक बात से टपकता था।

मृत्यु हमेशा कष्टदायक होती है। लेकिन जैसी अकाल मृत्यु राजेश जी की हुई, वह वास्तव में बहुत तकलीफ देती है। खासकर जिन लोगों की आयु अधिक हो गई, 70 वर्ष या उससे भी ऊपर हो गई है और जब किसी छोटे भाई की मृत्यु होती है जिसकी उम्र अभी 50-55 वर्ष है तो लगता है कि नियति कुछ अन्याय करती है और इस प्रकार का अन्याय राजेश जी के साथ हुआ जिससे स्वाभाविक रूप से सबको कष्ट हुआ, सबके दुख हुआ। वह एक दिन पहले ही अपने कुछ साथियों के साथ किसी और विषय को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में मेरे कार्यालय आये थे और वहां मेरी उनसे बात हुई थी और जब अगले दिन मुझे सूचना मिली, समाचार मिला कि बांदीकुई के पास एक कार दुर्घटना में उनका देहान्त हो गया तो सहसा विश्वास नहीं होता था। आज उनके अचानक देहावसान पर हम शोक मना रहे हैं और हमें लगता है कि भारत की राजनीति में एक उदीयमान नेता, एक उदीयमान कार्यकर्ता हमसे छिन गया। संसद का एक मजबूत स्तम्भ गिर गया। वह लोक सभा के लिए छः बार निर्वाचित हुए और अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने सबके साथ जिस प्रकार का स्नेह और मित्रता का सम्बन्ध जोड़ा और जैसा अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि वह अपनी बात को बेबाक रूप से और बिना हिचक के, जो सच लगता था, वह सच कहने की उनकी क्षमता थी, इस बात की चिन्ता किये बिना कि चाहे कोई उसके कारण नाराज हो या दुखी हो, यह जो उनकी प्रकृत्ति थी, उसके कारण वे अपने दल के, अपने बाकी सहयोगियों के और विपक्ष के, जो उनके साथ सहमत नहीं भी थे, उन सभी के वह आदर के पात्र बन गये। उनके प्रति हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करें, यह बहुत उपयुक्त है।

अभी-अभी मेरे मित्र श्री राजनाथ सिंह जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने बहुत बार इस बात की मांग की थी कि लालसौट जो राजस्थान का एक गांव है और उनके संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था, वह चाहते थे कि वहां एक पुल बने और उसकी मांग करते रहते थे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि राजस्थान के मुख्य मंत्री से वहां नेशनल हाईवे और पुल बनाने का प्रस्ताव मंगाकर उन्होंने सैंक्शन भी करा दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

बाकी जो प्रथम लोक सभा के सांसद श्री लैस राम जोगेश्वर सिंह जी थे, उनसे मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं हुआ था। लेकिन श्री दलबीर सिंह जी और बेगम अब्दुल्ला से मेरा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क हुआ था। अभी-अभी जब बेगम अब्दुल्ला का देहान्त हुआ तो हम लोग वहां गये थे। मैं मानता हूं कि किस प्रकार वहां की जनता में उनके प्रति आदर-भाव था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में या जोड़े रखने में उन्होंने किस तरह बहुत बड़ा योगदान किया। उनके प्रति भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, सीरिया के राष्ट्रपति हाफेज-अल-असद के निधन के पश्चात् इतिहास में एक नया मोड़ आ गया है।

राष्ट्रपति असद एक प्रबल राष्ट्रवादी और अरब हितों के प्रबल समर्थक थे। वे गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अग्रणी नेताओं में से थे, वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। जितने वर्षों तक उन्होंने सीरिया का नेतृत्व किया उस दौरान उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया।

कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से मैं राष्ट्रपति अल-असद के परिवार और सीरिया गणराज्य की जनता के प्रति अपनी शोक, संवेदना व्यक्त करती हूं।

एक कार दुर्घटना में श्री राजेश पायलट के असामयिक और दुखद निधन से हम सबको सदमा पंहुचा है, न केवल कांग्रेस पार्टी अपितु उनके समर्थकों और प्रशंसकों तथा इस सभा ने जिसका उन्होंने छह बार प्रतिनिधित्व किया है, एक गतिशील और समर्पित नेता खो दिया है। गरीबों, किसानों, श्रमिकों और पिछड़े वर्गों के प्रति उनकी गहन चिंता और उनके सरल व निष्कपट आचरण से उन्होंने देश की जनता के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। श्री राजेश पायलट के निधन से हमने एक महान, ओजस्वी और होनहार नेता खो दिया है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं परन्तु उनकी स्मृति और उनके कार्य सदैव अमर रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः श्री राजेश पायलट की विधवा श्रीमती रमा पायलट और उनके बच्चों तथा उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती हूं।

महोदय, बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला इस सभा की प्रमुख सदस्या रही है। आज हमारे बीच उनका पौत्र शेख अब्दुल्ला द्वारा स्थापित नेशनल कांफ्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शेख साहिब के परिवार की तीन पीढ़ियों ने इस संसद में चर्चा को समृद्ध किया है। बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला ने अपने लोगों के सामाजिक उत्थान और उनके अधिकारों के लिए निरन्तर संघर्ष किया। इन सबसे बढ़कर उन्हें अपने मानवीय दृष्टिकोण, दया भावना और दूरदर्शिता के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन से एक युग का अन्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से मैं डा० फारूख अब्दुल्ला, उनके परिवार और जम्मू-कश्मीर की जनता के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती हूं।

मैं स्व० लैसराम जोगेश्वर सिंह और स्व० दलबीर सिंह के परिवारों के प्रति भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती हूं।

महोदय, हाल ही में कुछ त्रासद दुर्घटनाएं हुई हैं, एक ऐसी ही दुर्घटना मुम्बई में, उसके बाद पटना में विमान दुर्घटना और पूर्वोत्तर तथा बिहार के अनेक भागों में बाढ़ की स्थिति के कारण हमारे देश के अनेक लोगों की मौत हुई है। अतः मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी की ओर से तथा अपनी ओर से मैं स्वयं को आपके द्वारा गृह मंत्री

जी तथा विपक्ष की नेता द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सहबद्ध करता हूं। इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है कि श्री राजेश पायलट हमारे बीच नहीं रहे। जब मुझे यह दुखद समाचार मिला मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक स्नेही, उदार हृदय और आम लोगों के प्रति सेवा भावना रखने वाला नेता अब इस सभा में नहीं रहे हैं।

वे यहां इस सभा में हमारे पास में ही बैठते थे, मुझे याद है कि अनेक अवसरों पर वे इस देश की दशा, आम लोगों व किसानों की दशा, जिसे मैं दूर्दशा कहूंगा, के बारे में अपने विचार व्यक्त करते थे। उनके स्नेही व्यवहार से सभी परिचित थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने अनेक समस्याओं का सामना किया। अपने प्रयासों, गुणों और समर्पण भावना के कारण उन्होंने न केवल मंत्री के रूप में अपितु संसद-सदस्य के रूप में लोगों के दिलों में स्थान बना लिया था। निःसंदेह वे जन नेता थे। ऐसी स्थिति से सामजस्य करना बहुत कठिन है जहां पर यह सभा और यह देश उनकी समर्पित सेवा के लाभ से वंचित रहे। मैं उनके असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करता हूं। उनके निधन से रिक्त हुए स्थान को भर पाना अत्यधिक कठिन होगा। यह न केवल कांग्रेस पार्टी अपितु देश व इस संसद की भी क्षति है मैं उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करता हूं और अपनी पार्टी की ओर से तथा अपनी ओर से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।

मैं सीरिया के राष्ट्रपति असद की स्मृति में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे इस देश के मित्र थे और अरब हितों के प्रति जागरूक नेता थे। हम सीरिया की सरकार और जनता की प्रगति व विकास की कामना करते हैं और हम सीरिया की मैत्रीभाव रखने वाली जनता और सरकार के प्रति शोक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे इस सभा में श्री दलबीर, सिंह और बेगम अब्दुल्ला का सहयोगी रहने का सौभाग्य मिला है। उन दोनों ने लोकतंत्र के विकास और इस सभा के कार्यकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। मैं उन दोनों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और इस सभा में उनके बारे में व्यक्त विचारों के साथ स्वयं को सहबद्ध करता हूं। मैं श्री जोगेश्वर सिंह के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

मैं उन शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके सदस्य हवाई दुर्घटना और बाढ़ जैसी आपदाओं में काल के ग्रास बने हैं हम केवल यही कामना कर सकते हैं कि भविष्य में हमें ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। अपनी पार्टी और अपनी ओर से मैं आप से अनुरोध करता हूं। कि आप शोक संतप्त परिवारों तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाएं।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं, तेलुगु देशम संसदीय पार्टी की ओर से बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

श्री राजेश पायलट के निधन से देश ने एक योग्य प्रशासक व महान सांसद खो दिया है। मैं स्वयं को इस संबंध में मुझसे पूर्व सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त विचारों के साथ संबद्ध करता हूं।

विधान सभा सदस्य के रूप में मुझे श्री राजेश पायलट से मिलने का मौका तब मिला था जब वे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की एक बड़ी रैली में भाग लेने विशाखापत्तनम आए थे। वहां पर मैं मंच पर उनके साथ था। कमजोर वर्गों और दलित लोगों के प्रति उनकी समर्पण भावना से हर कोई अवगत है। उन्होंने हमेशा ही कमजोर वर्गों के उत्थान की वकालत की।

1996 से श्री राजेश पायलट के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जब हम दोनों 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य थे। सभा में उनका व्यवहार इतना शालीन था कि हर युवा सांसद को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कभी भी सीमा पार नहीं की। उन्होंने कभी भी नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया। वे ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ी, उन्होंने इस सभा में अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए।

अपने संसदीय दल और अपनी ओर से मैं श्री राजेश पायलट के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।

मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा के तीन अन्य पूर्व सदस्यों अर्थात् श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह, श्री दलबीर सिंह और श्रीमती जहां अब्दुल्ला के निधन पर व्यक्त शोक संवेदना से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो शोक प्रस्ताव आपकी ओर से पेश किया गया और गृह मंत्री जी द्वारा अपनी भावनायें व्यक्त की गई हैं, उससे मैं अपने आपको और अपने दल को संबद्ध करता हूं। इसके साथ आप सीरिया के राष्ट्रपति के निधन पर भी हमारी संवेदना सीरिया की जनता तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेश पायलट जी का जीवन आरम्भ से जैसा रहा, उसके बारे में मैं भली भांति परिचित हूं। वे साधारण किसान के घर में जन्मे और फिर सेना में भर्ती हुए। उन्होंने बचपन से ही देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किया। सेना के बाद वे राजनीति में आये। राजनीति में आने से पहले सरसावा एयरपोर्ट पर हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उनके एक संबंधी भी हमारे साथ थे। उस समय उन्होंने अपनी यह इच्छा जाहिर की थी कि वे राजनीति में आना चाहते हैं। फिर उन्होंने सेना से निकलकर देश की सेवा का, जन सेवा का संकल्प लिया। वे छः बार लगातार लोक सभा के मैम्बर रहे। इसके साथ-साथ उनके जीवन की एक विशेषता यह थी कि वे अपने गांव, गरीब किसानों को कभी नहीं भूले। ऐसे कई अवसर हमारे सामने आये, जब किसानों से संबंधित दूध की महंगाई का सवाल इस लोक सभा में उठाया गया तब हम दोनों खड़े हो गये थे। उस समय उन्होंने कहा कि अगर किसानों की कोई चीज महंगी होती है तो सबको तकलीफ होती है। इस विषय पर सारा सदन गंभीर हो गया और हम दोनों के सवाल पर किसी ने भी असहमति व्यक्त नहीं की। यह एक ऐसा उदाहरण इस देश और सदन के सामने है जो इस बात का प्रतीक था कि

वह गरीबों के लिए, किसानों के लिए कितना समर्पित थे। अफसोस इस बात का है कि उनका भविष्य राजनीति में बहुत आगे बढ़ने वाला था।

चाहे अपने दल का सवाल हो या दूसरे दल का सवाल हो, जैसे वह महसूस करते थे, समझते थे, सोचते थे, वह अपनी बात रखने में चूकते नहीं थे। वे स्पष्टवादी थे। हमारे उनके साथ निजी तौर पर बहुत अच्छे संबंध थे। कई मौकों पर किसानों के बारे में हमारी खुलकर बात हुआ करती थी। यहां पर जब वह बैठते थे तो उन पर हम जरूर टिप्पणी करते थे। कभी-कभी जब भोजनावकाश होता था तो वह हमें पकड़कर ले जाते थे और लम्बी बहस छेड़ा करते थे। कभी हम खुद उन्हें छेड़ते थे, लेकिन वे कभी बुरा नहीं मानते थे। वह एक साहसी नेता थे और उन्होंने अपनी ईमानदारी, कर्मठता और संघर्ष के कारण देश के नेताओं में अपना एक स्थान बना लिया था। वह एक प्रतिभावान नेता थे, योग्य भी थे। वह लोक सभा के अंदर जो सवाल उठाते थे, उसे मजबूती से उठाते थे। आज हमें अफसोस है कि हमारे बीच से एक योग्य नेता उठ गया है। जैसे अभी सोमनाथ बाबू ने कहा, यह केवल कांग्रेस की क्षति ही नहीं बल्कि देश की क्षति थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। हम अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार, संबंधी और हमदर्द सभी के लिए आप हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह से मेरा परिचय नहीं था, जानकारी नहीं थी। उनके परिवार के प्रति भी आप हमारी श्रद्धांजलि और संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री दलबीर सिंह से दो-एक बार हमारी मुलाकात एक यात्रा में हुई थी। उन्होंने भी इस सदन के अंदर अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश की सेवा की है। उन्होंने देश की समस्याओं के लिए जो भी विचार रखे, उनकी सेवाएं भी देश और सदन के लिए रही हैं। हम उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला ऐसे संघर्ष में अपने परिवार में रही जिसे सारा देश जानता है। लेकिन जब उनके पति शेख अब्दुल्ला कुछ कश्मीर के सवाल को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उस समय उनका बहुत योगदान था, भूमिका थी और अपने पति को आगे बढ़ाने और प्रेरणा देने में भी वे आगे थीं। आज उनके पुत्र डा० फारूख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री हैं और अपने परिवार और कश्मीर की जनता की समस्याओं को लेकर किसी न किसी रूप में सवाल उठाते रहे हैं।

उन्होंने अपना एक योग्य पुत्र छोड़ा है। फारुख अब्दुल्ला ने भी उनसे प्रेरणा ली है। मैं बेगम अब्दुल्ला के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : अध्यक्ष जी, आपने, गृह मंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने, अन्य नेताओं ने जो संवेदना प्रकट की है, मैं अपने को उससे जोड़ता हूं।

इन व्यक्तियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपने देश की, अपने समाज की सेवा की है। राजेश पायलट एक उदीयमान नेता थे। उनकी मौत से देश ने बहुत कुछ खोया है मैं इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति मानता हूं। राजेश पायलट जी की स्मृति को प्रणाम। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, सीरिया के राष्ट्रपति श्री असद, श्री राजेश पायलट, श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह, श्री दलबीर सिंह, श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला के निधन पर मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

जहां तक श्री राजेश पायलट के निधन का सवाल है, उनका निधन अकस्मात, एक्सीडेंट से हुआ है। उससे आज उनका परिवार ही दुखी नहीं है, बल्कि इस सदन के सभी सदस्य भी दुखी हैं। श्री राजेश पायलट के जीवन संघर्ष के बारे में मुझे इस बात का अहसास है कि जब से वे राजनीति में आये, राजनीति में आने के बाद उन्होंने दलित और पिछड़ों के साथ-साथ किसानों के लिए भी काफी संघर्ष किया था। इसके साथ-साथ वे अपनी पार्टी में बहुत ही स्पष्टवादी और निर्भीक किस्म के नेता थे। जब उन्हें अपनी पार्टी की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर, मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के हित में हर प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला किया। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने हर प्रकार की कोशिश की थी।

उनके निधन पर मैं पुन: अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से दुख प्रकट करते हुए यह दुआ करती हूं कि कुदरत उनके परिवार को सुख और शान्ति प्रदान करे।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से और अपनी ओर से मैं श्री राजेश पायलट के शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

महोदय विगत नौ माह के दौरान मेरी उनके साथ घनिष्ठ मित्रता हुई और नौ माह की इस अवधि के दौरान मैंने पाया कि वे सरल और शालीन व्यक्ति हैं।

वे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे जब कभी भी वे मुझसे बात करते थे तो वे कहा करते थे कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए और राजनीति में व्यक्ति को अपने रूख पर कायम रहना चाहिए तथा प्रशासक के शब्द कोश में भय शब्द नहीं होना चाहिए, उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जब वे आन्तरिक सुरक्षा मंत्री थे तो उन्होंने देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्यवाही की। उनका निधन इस सभा और कांग्रेस पार्टी की क्षति है, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का आज भारत के युवाओं को अनुकरण करना चाहिए। वे इस देश की आम जनता की आकांक्षाओं को जानते थे। उन्होंने आम लोगों की सेवा की। दो माह पूर्व जब मैं उनके घर पर

उनसे मुलाकात करने गया था तो उनके लॉन में कुर्सियां लगी थी और वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। उनकी शिकायतों का प्राप्त किया। जब मैंने पूछा कि क्या निर्वाचन क्षेत्र की जनता के साथ दिल्ली में इस प्रकार व्यवहार किया जाता है तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें इस तरह रखा जाता है और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। अत: वे राजनीति में सरल व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात यह है उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय था। जहां तक इस सभा में उनके व्यवहार का संबंध है वे एक उदीयमान सितारे थे। अत: उनका निधन लोक सभा की क्षति है। महोदय मैं शेरे जम्मू-कश्मीर शेख अब्दुल्ला की पत्नी श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला के निधन पर यहां व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को संबंद्ध करता हूं। मैं सीरिया के राष्ट्रपति मि० हाफेज-अल-असद के निधन पर भी दुख व्यक्त करता हूं। वे हमारे देश के मित्र थे। अपनी और हमारी पार्टी की ओर से मैं पहली लोक सभा के सदस्य श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह, और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री दलबीर सिंह के निधन पर यहां व्यक्त विचारों के साथ स्वयं को संबंद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, आपने सदन के सामने सीरिया के राष्ट्रपति असद, हमारे साथी राजेश पायलट, श्री जोगेश्वर सिंह, श्री दलबीर सिंह और बेगम अब्दुल्ला के प्रति, जो शोक संदेश रखा है, जिसका समर्थन देश के गृह मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता ने किया, उसमें मैं और मेरा दल भी शामिल हैं। अरब विश्व में, चार दशक से सीरिया की जनता की सेवा करने का मौका असद साहब को मिला। पहले स्टेट कॉज़ के लिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया। एक समय ऐसा आया कि संघर्ष की राजनीति छोड़ कर विकास की राजनीति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता को देख कर उन्होंने अपनी विचारधारा को बदलने की तैयारी की। इसी कारण हम उस क्षेत्र में आज जो कुछ शांति देख रहे हैं, उसमें उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा था।

वह भारत के मित्र थे और जब जब भारत के सामने समस्या पैदा हुई, तब उन्होंने भारत को सहयोग देने की नीति, अपनी भूमि का बड़ी अच्छी तरह से निभाई। दलबीर सिंह जी, बेगम अब्दुल्ला और राजेश पायलट जी इन तीनों सहयोगियों के साथ काम करने का मौका मुझे इसी सदन में मिला था। दलबीर सिंह जी एक आदिवासी नेता थे। वह मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत सरकार में काम करने का उनको मौका मिला था। उनका ध्यान हमेशा समाज के जो निर्बल वर्ग हैं, उनकी समस्या को हल करने की ओर रहता था। राजेश जी इस सदन के जुझारू और कार्य-प्रवृत सदस्य थे। इस पर विश्वास ही नहीं होता कि आज राजेश जी इस सदन में नहीं हैं, इस विश्व में नहीं हैं। हमेशा सदन में आकर, चाहे लोगों की समस्या हो, कहीं अन्याय हुआ हो, कहीं किसानों की समस्या हो या एक्स-सर्विसमैन का सवाल हो, कुछ न कुछ अपने विचार रखने में वह हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने 14-15 साल देश के हवाई दल में रहकर देश की सेवा की। कठिन समय पर भी देश की सेवा की और जब उन्हें लगा कि आज समाज में जाकर समाज की सेवा करने की आवश्यकता है तब उन्होंने हवाई दल से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया। भारत सरकार में उनको काम करने का मौका मिला था और दो बार आर्थिक मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ी थी जिस पर उसमें पहले कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दूर संचार भी विकास का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, इस पर उनका भरोसा था और इस देश में दूर-संचार के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उसकी शुरूआत राजेश जी ने की थी। गांव-गांव में टेलीफोन पहुंचाने के लिए उनका बड़ा ध्यान था और कम्युनिकेशन की सुविधा पूरे देश में सभी गांवों में जानी चाहिए, इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। उनके ऊपर सर्फेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। मुझे याद है, वह मुम्बई में बार-बार आते थे और वहां के पोर्ट के मैनेजमेंट को कैसे सुधार सकते हैं, इस पर भी ध्यान देते थे। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे देश का आर्थिक नुकसान कितना हो सकता है, इस पर वह हमेशा विचार करते थे। वहां की परिस्थिति कैसे दुरुस्त हो सकती है, इसकी तरफ वह बहुत ध्यान देते थे और साथ-साथ लाखों मजदूर लोग जो पोर्ट में काम करते थे, उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी उन्होंने ट्रेड यूनियन को हमेशा सहयोग दिया था। कई क्षेत्र में काम करने का उनका एक लगाव था। गांवों के लोगों और किसानों के बारे में किसान की परिस्थिति कैसे दुरुस्त हो सकती है और इस देश के जब तक 70 प्रतिशत लोग विकास के रास्ते पर नहीं आ सकते, देश आगे नहीं जा सकता, यह उनकी विचाराधारा थी इसलिए खाद की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कोई जन समस्या हो, किसान नीति की समस्या हो, वह इस पर हमेशा अपने विचार सदन के सामने रखते थे, सदन के बाहर रखते थे और जरूरत पड़ी तो संघर्ष करने की तैयारी रखते थे। वह नौजवान थे, उत्साही थे, पूरे देश में घूमते थे और हर स्टेट की समस्या पर कुछ न कुछ ध्यान देते थे और सभी स्टेट्स में उनके साथ सहयोग देने वाले लोगों की टीम तैयार करने में वह कामयाब हुए थे। पिछले कई महीनों से उनके मन में बार-बार एक बात आती थी कि राजनीति में भी परिवर्तन होना चाहिए तथा इस देश में विकास पर आधारित राजनीति फैलाने की आवश्यकता है।

डैवलपमेंट ओरिएन्टेड पोलिटिक्स पर उनका पूरा ध्यान था। कई बार उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत करने का मुझे मौका मिला। अपने क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में विकास को किस तरह से गति दे सकते हैं, इस पर वह हमेशा विचार करते थे। उनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल था, मगर उज्ज्वल भविष्य को देखने का मौका हम लोगों को नहीं मिला। विधाता ने बड़े ही खतरनाक तरीके से उनके ऊपर आघात किया। इस आघात में उनके परिवार के साथ-साथ उनके दल, इस देश में उनको सहयोग देने वाले लोग और हमारे जैसे उनके सहयोगी, सभी पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ।

राजेश जी और बाकी साथियों के बारे में आपने जो विचार रखे हैं, उनसे हम पूरी तरह सहमत हैं। उनके परिवारों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति मिलने की प्रार्थना करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (नैशाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने और सदन के नेता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी ने तथा विपक्ष के नेता और अन्य दलों के नेताओं ने दिवंगत श्री राजेश पायलट, श्री दलबीर सिंह, बेगम अब्दुल्ला और अम्य आत्माओं के प्रति जो शोक उदगार व्यक्त किए हैं, हम सभी और यह सदन उसके साथ हैं।

सदन दुखी है, फिर भी सदन शोक व्यक्त करते हुए संतोष व्यक्त करता है, यह जानते हुए कि मृत्यु सत्य है, हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन कब, कौन और कहां कैसे जाएगा, यह कोई नहीं जानता। एक कवि ने कहा है – मरो, परन्तु ऐसे मरो की याद करें सभी। राजेश पायलट जी कांग्रेस पार्टी और देश के होनहार, जानकार और जोरदार नेता थे। मैं नहीं समझता हूं कि उनकी जगह की पूर्ति हो सकती है। जब दाहिनी तरफ इस बैंच या उस बैंच पर वह बैठते थे, तो चाहे किसानों का सवाल हो, कश्मीर का सवाल हो या अन्य सवाल हो, सभी पर उनकी पकड़ थी। एक अपूर्णीय क्षति हो गई है। उनका चेहरा, उनकी बोली, उनका रहन-सहन, उनकी आत्मीयता – हम सभी लोग याद करते हैं। चन्द्रशेखर जी और राजेश पायलट इस सदन से उठकर जब सैन्ट्रल हाल में बैठते थे, तो देश की समस्याओं, किसानों के सवाल या गरीबों के सवाल पर सदन में किस तरह से कार्यवाही हो, इस पर विचार करते थे, वह दृश्य हम लोगों की आंखों के सामने हमेशा आता है। मैं नहीं समझता हूं, सदन में आने वाले समय में कश्मीर की स्वायत्तता से संबंधित जो सवाल आने वाला है, किसानों के सवाल को, गरीब आदमी के सवाल को कोई उठाएगा। वह व्यक्ति हमारे बीच से चला गया है।

साथ ही साथ अन्य दिवंगत नेताओं के प्रति भी आपने विचार व्यक्त किए हैं। उत्कृष्ट समाज सेवी बेगम अब्दुल्ला, दलबीर सिंह जी और अन्य नेताओं के आपने नाम लिए हैं, इसके साथ 17 तारीख को बिहार में पुराने हवाई जहाज से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके बारे भी मैं कहना चाहता हूं। राजेश पायलट जी तो कार दुर्घटना में चले गए, लेकिन हवाई जहाज की दुर्घटना में 56-57 लोग चल बसे। पटना के लोग इससे ज्यादा दुखी हुए। एक बात यह भी सत्य है – जाको राखे साईया, मार सके न कोय। इस दुर्घटना में 6-7 लोग घालय हुए और एक बाल-बाल बचा। ये पुरानी चीजें हम लोगों को सच्चाई से अवगत कराती हैं। आपने दिवंगत दलबीर सिंह जी, बेगम अब्दुल्ला और राजेश पायलट जी के प्रति जो शोक उदगार व्यक्त किए हैं, हम सभी उसके साथ हैं।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन सभी शोक संतप्त परिवारों को सदन की ओर से संवेदना भेज दी जाए ताकि उनके परिवार के लोग इस तरह की आफत और विपत्ति से मुकाबला कर सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड

*1. **श्री रामदास आठवले :***
श्री विजय गोयल :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक किन-किन व्यक्तियों से पूछताछ की गई है;

(ग) यह जांच कब तक पूरी होने और उसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) भविष्य में ऐसे कांडों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या बदनाम हो गए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग आरोपों से बरी होने तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेलने दिये जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ग) से (च) इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी भी चल रही है तथा इस संबंध में रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है। हालांकि जांच कार्य पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र देने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, इसके निष्कर्षों के आधार पर, कदाचारों की पुनरावृत्ति को रोकने तथा कदाचार के मामलों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बी०सी०सी०आई० को भी क्रिकेट के खेल में कदाचार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक स्थिर आचार-संहिता तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि अभी तक 157 व्यक्तियों जिनमें विद्यमान एवं भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, बी०सी० सी०आई० के अधिकारी तथा गवाह सम्मिलित हैं, से पूछताछ की गई है। इस स्थिति में विशेष नामों को जाहिर नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे जांच कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवा विभाग का निगमीकरण

*2. **डा० जसवंत सिंह यादव :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दूरसंचार विभाग के निगमीकरण की क्रियाविधि तैयार करने एवं पेशन तथा वेतन संबंधी मुद्दों सहित सभी लम्बित मुद्दों को हल करने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दल अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा;

(घ) इस तरह का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस निर्णय के क्रियान्वयन से सरकार पर कितना वित्तीय पड़ेगा;

(च) इन ढांचागत परिवर्तनों से टेलीफोन प्रयोक्ताओं को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(छ) क्या कुछ कर्मचारी यूनियनों ने इस निर्णय का विरोध किया है और 28 जून, 2000 को हड़ताल की थी;

(ज) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) मौजूदा कर्मचारियों को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत कैसे समायोजित किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) सरकार ने दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण को सुगम बनाने तथा वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे बकाया मामलों को सुलझाने के लिए 7 जुलाई, 2000 को संचार मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का गठन किया है ताकि डी०टी०एस० को निगम बनाने के निर्णय को समय पर कार्यान्वित करने में कोई रूकावट न हो इस दल का गठन इस प्रकार है :–

(i) **श्री राम विलास पासवान,**
संचार मंत्री

(ii) **डॉ० सत्य नारायण जटिया**
श्रम मंत्री

(iii) **डॉ० मुरली मनोहर जोशी,**
मानव संसाधन विकास मंत्री,
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री,
एवं महासागर विकास मंत्री

(iv) **श्री मुरासोली मारन,**
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री

(v) **श्री यशवंत सिन्हा,**
वित्त मंत्री

(vi) **श्रीमती वसुंधरा राजे,**
लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में; परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री।

दल को, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि 1 अक्तूबर, 2000 को निगम बनाने की घोषित तारीख को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त, 2000 तक यह कार्य पूरा होने की संभावना है। पेंशन और वेतन जैसे मुद्दों के संबंध में वित्तीय प्रभाव का पता बकाया मामलों पर निर्णय लेने के बाद ही चल पाएगा। निगमीकरण के प्रस्तावित संरचनात्मक बदलाव द्वारा टेलीफोन उपभोक्ताओं को सेवा की गुणवत्ता में सुधार का लाभ मिलेगा। ऐसा, निगमित निकाय को अन्य बातों के साथ-साथ और अधिक स्वायत्तता देकर तथा सभी सेवा प्रदाताओं को प्रचालन के समान अवसर देकर एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करके ही संभव हो सकेगा।

(छ) और (ज) जी हां, तथापि एक छोटे ग्रुप को छोड़कर शेष यूनियनों ने यह आश्वासन मिलने के बाद कि निगम बनने से पहले उनकी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से दूर कर दिया जाएगा, अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली/आस्थगित कर दी।

(झ) कार्य की आवश्यकताओं एवं कार्यभार के आधार पर स्टाफ का आबंटन किया जाएगा।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स से विनिवेश

*3. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री इन्नान मोल्लाह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने घाटे में चल रही एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के निजीकरण को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी बाधाओं को पार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों विमान कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण निजी निवेशकों का चयन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का दोनों विमान कंपनियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (छ) सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया के माध्यम से एअर इंडिया में भारत सरकार की इक्विटी को 40% तक कम करते हुए उपयोगी भागीदार को 40% की इक्विटी, कर्मचारियों को 10% तक तथा शेष शेयर मार्किट पर वित्तीय संस्थाओं को और/अथवा बिक्री द्वारा सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है। विदेशी होल्डिंग के साथ एक संयुक्त उद्यम होने की स्थिति में, एअर इंडिया में विदेशी होल्डिंग सीमित हो और जो कुल इक्विटी का अधिकतम 26% हो।

जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स की 51% इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है जिसमें से 26% इक्विटी किसी उपयोगी भागीदार को दी जाएगी। जबकि शेष 25% इक्विटी कर्मचारियों, वित्तीय संस्थाओं तथा पब्लिक को ऑफर की जाएगी।

अभी तक दोनों एयरलाइनों के लिए किसी उपयोगी भागीदारी का चयन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का विनिवेश प्रत्याशित है जिसके परिणामस्वरूप विमान सेवाओं, दक्षता तथा वित्तीय निष्पादन में सुधार के साथ-साथ सरकार को भी अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय आय प्राप्त होने की आशा है।

विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान एयरलाइनों के कर्मचारियों के न्यायोचित हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि का उपयोग न किया जाना

*4. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या आवंटित धनराशि को खर्च करने में ढिलाई बरतने के कारण बजट प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित राशि में कटौती करनी पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) व्यय क्षमता और बजटीय आवंटनों में अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) निधियों का इस्तेमाल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बड़ी सावधानीपूर्वक किया जाता है और उस प्रयोजन के लिए किया जाता है जिस के लिए उनका अनुमोदन किया गया है। 1997-98 से 1999-2000 के दौरान मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में निधियों के आबंटनों और वास्तविक व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान योजना व्यय में कुछ कमी रही है। योजनावधि के शुरू के भाग में व्यय करने में कुछ समय लगा क्योंकि नई परियोजनाओं जो विदेशों द्वारा वित्तपोषित हैं, के कार्यान्वयन की रीतियों को अंतिम रूप दिया जाना था। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम और राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में खरीद अधिकरणों तथा औषध आपूर्ति आदेशों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यक्रमों के देर से शुरू किए जाने सहित विभिन्न कारणों से परिकल्पित खरीद शुरू नहीं की जा सकी। तब से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग खरीद अभिकरण नियुक्त किए गए हैं। समय के बीतने के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों की नियमित और गहन मानीटरिंग के फलस्वरूप व्यय के रूझान में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

विवरण

1997-98 से 1999-2000 के दौरान मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में आवंटन और व्यय योजना

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	1997-98			1998-99			1999-2000		
		आवंटन	संशोधित अनुमान	व्यय	आवंटन	संशोधित अनुमान	व्यय	आवंटन	संशोधित अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	200.00	190.00	143.14	297.00	227.00	163.35	250.00	205.00	175.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	75.00	79.00	79.56	79.00	79.00	78.03	85.00	82.00*	81.95
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	90.00	80.00	31.31	125.00	72.00	68.88	105.00	95.00	87.56
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	70.00	70.00	58.06	75.00	75.00	72.85	85.00	84.00	83.54
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	100.00	124.50	120.82	111.00	111.00	99.36	140.00	140.00	130.97
6.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	20.00	25.75	19.87	30.00	30.00	29.53	35.00	40.75	40.74

[अनुवाद]

पत्तनों का निजीकरण

*5. **श्री राजैया मल्याला :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पत्तन क्षेत्र का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न प्रमुख मजदूर यूनियनों से पत्तन क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पत्तन क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यों में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति दी गई है :–

(i) पत्तनों की वर्तमान परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना।

(ii) अतिरिक्त परिसम्पत्तियों का निर्माण/सृजन जैसे :–

(क) कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन।

(ख) बल्क, ब्रेक बल्क, बहुउद्देश्यीय और विशिष्ट कार्गो बर्थों का निर्माण और प्रचालन।

(ग) वेयर हाउसिंग, कंटेनर फ्रैट स्टेशन, भंडारण सुविधाएं और टैंक फार्म।

(घ) क्रेनेज/हैंडलिंग उपकरण।

(ङ) आबद्ध विद्युत संयत्रों की स्थापना।

(च) निर्जल गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाएं।

(iii) निजी क्षेत्र के पत्तन हैंडलिंग के लिए उपकरण और फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।

(iv) मार्गदर्शन (पायलटिज)

(v) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

(ग) और (घ) मजदूर संगठन महापत्तनों में सुविधाओं के निजीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन कर रहे हैं। पत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से संबंधित दिशा निर्देशों में पत्तन श्रमिकों के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना

*6. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री सुरेश पासी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये अस्पताल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) इससे कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आयुर्वेद के अस्पताल स्थापित करती है। इस समय राज्य सरकारों ने 1965 और स्थानीय निकायों ने 82 आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित किए हुए हैं।

केन्द्रीय सरकार समग्र जरूरत, संसाधनों की उपलब्धता और आम जनता को होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना करती है। जयपुर में पहले ही एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया गया है जिससे 180 पलंगों वाला

अस्पताल संबद्ध है। आयुर्वेद का विकास और प्रचार करने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य संभावनाएं इस समय विचार करने की अवस्था में हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा खामियां

*7. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन माह के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा खामियों के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तनों के सुरक्षा कार्मिकों सहित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) जी, हां। सुरक्षा चूकों के चार मामले अर्थात गुवाहाटी हवाई अड्डे तथा कलकत्ता हवाई अड्डे पर जेट एयरवेज के यात्रियों के रजिस्टर्ड बैगेज से कारतूस/पिस्तौल के बरामद होने, एलायंस एयर की ऐश ट्रे से बारूद पाये जाने तथा पुणे हवाई अड्डे की एयरसाइड की ओर से एक व्यक्ति के प्रवेश की जानकारी सरकार को मिली है। संबंधित एयरलाइनों/राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों को इस प्रकार की चूकों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा ऐसी घटनाओं के दुबारा न होने देने के लिए सुरक्षा कड़ी करने की सलाह दी गई है।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा-व्यवस्था और कड़ी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) चरणबद्ध रूप से प्रचालन हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) कार्मिकों की तैनाती।

(ii) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच-पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच जहां कहीं आवश्यक है, आरंभ कर दी गई है।

(iii) हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(iv) कभी-कभार उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(vi) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना।

(vii) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जाना।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य

*8. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए निर्माण कार्यों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) केरल में कालीकट बाई पास की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत योजनागत कार्यों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए कुल 6462 करोड़ रु० आबंटित किए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और यह बजट गत आबंटन पर निर्भर करती है जो विगत में अपर्याप्त रहा है। अत: शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार हेतु विशेष मरम्मत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्य के लिए 1999-2000 में 575.16 करोड़ रु० आबंटित किए गए। सन् 2000-2001 में 900 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है।

(ङ) कालीकट बाइपास की लम्बाई 28.124 कि०मी० है। इस बाइपास का निर्माण चार चरणों में करने का प्रस्ताव है।

(i) **चरण-I** : 30.19 करोड़ रु० की लागत से 7.254 कि०मी० की लम्बाई दिसम्बर, 99 में पूरी कर ली गई है। कालीकट बाइपास के चै० 23/800 में 11.19 करोड़ रु० की लागत से अराप्जा पुल का निर्माण चल रहा है।

(ii) **चरण-II, III एवं IV** : भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। बाइपास के चरण II, III एवं IV का निर्माण व्यवहार्यता के आधार पर बी०ओ०टी० स्कीम के तहत शुरू करने का प्रस्ताव है। इन तीन चरणों के लिए तकनीकी साध्यता अध्ययन को 14.3.2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वीकृत कार्यों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1997-98 में स्वीकृत कार्य		1998-99 में स्वीकृत कार्य		1999-2000 में स्वीकृत कार्य		जोड़	
		सं०	धनराशि	सं०	धनराशि	सं०	धनराशि	सं०	धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	41	55.36	43	58.29	16	21.13	100	134.78
2.	अरुणाचल प्रदेश*	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	41	56.25	14	5.23	13	25.24	68	86.72
4.	बिहार	43	53.26	29	31.51	26	55.20	98	139.97
5.	चंडीगढ़	02	0.51	01	0.42	—	—	03	0.93
6.	दिल्ली	02	17.36	02	10.97	01	7.33	05	35.66
7.	गोवा	18	22.03	07	9.13	11	15.09	36	46.25
	गुजरात	38	112.52	23	71.74	08	15.27	69	199.53
9.	हरियाणा	17	37.63	10	22.83	11	17.02	38	77.49
10.	हिमाचल प्रदेश	15	16.90	14	17.23	20	10.66	49	44.79
11.	जम्मू एवं कश्मीर	02	0.50	02	0.55	—	—	04	1.05
12.	कर्नाटक	17	14.89	54	41.71	38	37.87	109	94.47
13.	केरल	29	45.70	29	16.14	30	105.47	88	167.31
14.	मध्य प्रदेश	42	26.36	22	28.94	28	17.05	92	72.23
15.	महाराष्ट्र	84	76.30	96	72.48	78	66.19	258	214.97
16.	मणिपुर	41	9.82	14	3.70	26	32.43	81	45.95
17.	मेघालय	27	24.92	14	3.91	45	27.60	86	56.43
18.	मिजोरम	—	—	—	—	10	7.61	10	7.61
19.	नागालैंड	04	1.13	07	9.38	15	17.17	26	27.68
20.	उड़ीसा	45	218.50	38	48.49	40	24.23	123	291.32
21.	पांडिचेरी	01	1.54	03	0.60	01	1.48	05	3.62
22.	पंजाब	26	37.52	10	5.56	05	19.97	41	63.05
23.	राजस्थान	40	40.58	45	52.27	05	4.17	90	97.02
24.	तमिलनाडु	22	33.35	52	73.32	46	62.04	120	168.71
25.	उत्तर प्रदेश	32	56.53	52	207.56	69	94.70	153	358.59
26.	पश्चिम बंगाल	38	38.00	14	114.00	11	15.35	63	167.35
	जोड़	667	997.47	595	905.96	553	700.37	1814	2603.48

नोट : उपर्युक्त के अलावा लगभग 3416 करोड़ रु० की लागत के 36 कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं।

* डी०बी०ओ०आर० द्वारा शुरू किए गए और निष्पादित कार्य।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रक्त नीति

*9. **श्री राजो सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस नीति की आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त नीति के बारे में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का विचार किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को रक्त की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (छ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4 जनवरी, 1996 को भारत सरकार और राज्य सरकारों को निदेश दिया कि वे समग्र रक्ताधान सेवाओं में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाएं। उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करने हेतु तत्काल उपाय करने के अतिरिक्त देश में रक्ताधान सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक निदेश और दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एक प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति भी तैयार की गई है। इस नीति से उस कार्य ढांचे के रूप में कार्य करने की आशा है जिस पर प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आधारित होने की अपेक्षा है।

प्रारूप राष्ट्रीय उक्त नीति, जो इस समय सरकार के विचाराधीन है, रक्त निरापदता के क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायियों, सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के रक्त बैंकरों, शिक्षाविदों और रक्त के उपभोक्ताओं के साथ गहन और सर्वांगीण परामर्श की प्रक्रिया के बाद तैयार की गई थी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों सहित विभिन्न लोगों से रचनात्मक सुझाव और सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। मई, 1996 में राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद का गठन होने के बाद राष्ट्रीय रक्त नीति को तैयार करने का कार्य इस परिषद द्वारा शुरू किया गया था और अंतिम प्रारूप सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद नवम्बर, 1999 में तैयार किया गया था।

राष्ट्रीय रक्त नीति की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

- निरापद और पर्याप्त मात्रा में रक्त, रक्त संघटक और रक्त उत्पाद प्रदान करने की सरकार की वचनबद्धता को दृढ़तापूर्वक दोहराना।
- सारे देश में रक्ताधान सेवाओं को विकसित करने और उन्हें पुन: संगठित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करना।
- रक्ताधान सेवाओं के प्रचालन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करना और एक अद्यतन तरीके से इन सेवाओं का कार्यकरण सुनिश्चित करना।
- निरापद रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दाता सूचना, शिक्षा, अभिप्रेरणा, दाता प्राप्त करना और उन्हें बनाए रखने के लिए गहन जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- रक्त और रक्त उत्पादों के उपयुक्त नैदानिक इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- मानव संसाधन विकास के जरिए जनशक्ति को सुदृढ़ करना।
- आधान चिकित्सा और संबद्ध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- रक्ताधान सेवाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त विनियामक और विधायी उपाय करना और रक्त बैंकों में मुनाफाखोरी को समाप्त करने के लिए उपाय करना।

स्वैच्छिक रक्त दान कार्यक्रम के जरिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी और सामाचार पत्रों के जरिए प्रचार अभियान, एक से दूसरे में सम्प्रेषण के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करना, हर वर्ष पहली अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाना; चिकित्सकों (क्लिनिशियनों) के बीच रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक रक्तदानों का समर्थन करने के उद्देश्य से जनता को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करना।

रक्त और रक्त उत्पादों से संबंधित उपबंधों को शामिल करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के एक व्यापक संशोधन हेतु कार्रवाई की गई थी। रक्ताधान से संचारित होने वाले संक्रमणों के लिए रक्त की अनिवार्य जांच करना, व्यावसायिक रक्तदान पर प्रतिबंध लगाना और रक्त बैंकों का अनिवार्य लाइसेंसीकरण कुछ महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय थे जो रक्त निरापदता सुनिश्चित करने के लिए किए गए।

भारत सरकार ने 1992 से 1999 के बीच राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-I के दौरान सरकारी और स्वैच्छिक क्षेत्र में 815 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण भी किया है। यह आधुनिकीकरण, रक्त

बैंक के कार्मिकों को उपकरण, प्रशिक्षण और वेतन प्रदान करने के रूप में था। चरण-I में 40 संघटक पृथक्करण इकाइयां भी स्थापित की गई थीं। कार्यक्रम के चरण-II के दौरान देश में रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 40 संघटक पृथक्करण इकाइयां, 20 बड़े रक्त बैंक और जिला स्तर के 80 नए रक्त बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक मुख्य पहल के रूप में देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में 10 अत्याधुनिक आदर्श (मॉडल) रक्त बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव भी है। ये मॉडल रक्त बैंक शेष क्षेत्र के लिए प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में कार्य करेंगे और यह देश में रक्ताधान सेवाओं के अन्ततोगत्वा केन्द्रीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

[अनुवाद]

हेपीटाइटिस 'बी' टीकाकरण कार्यक्रम

*10. **श्री किरीट सोमैया** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में हेपीटाइटिस 'बी' टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना योजना आयोग मंजूरी हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग से इस संबंध में अब तक क्या उत्तर मिला है;

(ग) क्या उक्त टीके के मंहगे होने के कारण गरीब लोग उसे खरीदने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में हेपीटाइटिस 'बी' टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल करने के लिए संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) आम आदमी को यह टीका उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्तमान में चुनिंदा जिलों और शहरों में हैपेटाइटिस बी शुरू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना तैयार कर रहा है। इसे संबंधित मंत्रालयों और सरकार के अभिकरणों से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) जी, हां। हैपेटाइटिस बी वैक्सीन अपेक्षाकृत महंगी वैक्सीन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) इस समय व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में छह निवार्य रोगों अर्थात् शैशवकाल का क्षयरोग, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा और पोलियो के निवारण के लिए वैक्सीनें शामिल हैं। हैपेटाइटिस बी वैक्सीन का शामिल करना संभव न हो पाने का एक कारण इसकी अधिक लागत है। प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन से होने वाले अनुभव एक बड़े पैमाने पर हैपेटाइटिस बी टीके को शुरू करने के प्रश्न पर विचार करने के पहलुओं में से एक पहलू होगा।

आयोडीन रहित नमक पर लगी रोक हटाना

*11. **श्री रामजीवन सिंह** :
श्री के० येरननायडू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयोडीन रहित नमक के उत्पादन और विपणन पर लगी रोक हटा ली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रोक किस तारीख से हटाई गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आयोडीन रहित नमक का उपयोग करने से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या मनुष्य के लिए आयोडीन की आवश्यकता की दृष्टि से कई चिकित्सा विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सरकार से उक्त रोक पुन: लगाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) सामान्य नमक का सीधे मानव उपभोग के लिए बिक्री को छोड़कर, उसके उत्पाद और विपणन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में 27.5.1998 से किए गए संशोधन के अनुसार केवल आयोडीकृत नमक को सीधे मानव उपभोग के लिए बेचा जा सकता है। इस प्रतिबंध को वापस लेने के लिए जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु 10.5.2000 को प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है।

सामान्य नमक के उपयोग से मनुष्य के स्वास्थ्य को पाजिटिव नुकसान नहीं होता है। तथापि, सामान्य नमक के आयोडीकरण से आयोडीन की कमी से होने वाले विभिन्न विकारों, जो कि देश में व्यापक रूप से मौजूद हैं, को प्रभावी ढंग से रोकने में सहायता मिलती है।

मनुष्य के सीधे उपयोग के लिए नमक के अनिवार्य आयोडीकरण की प्रस्तावित वापसी का समर्थन और विरोध, दोनों के बारे में जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने के लिए आयोडीकृत नमक के उपयोग को अनिवार्य बनाने अथवा स्वेच्छा से इसे अपनाने के लिए कार्यनीति बनाने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इन सभी अभ्यावेदनों की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

गुटका के उपयोग से कैंसर

*12. **डॉ० सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2000 के 'नवभारत टाइम्स' में 'रोजाना गुटका खाने वालों को कभी भी कैंसर हो सकता है' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुटका के उपभोग से देश में कैंसर का खतरा बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को 'गुटका' के उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों और डाक्टरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठकुर) : (क) से (ङ) जी, हां। अनुसंधान संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य से निष्कर्ष निकला है कि गुटके के उपभोग से ओरल सब-मुकस फिब्रोसिस (ओ०एस०एफ०) और मुख का कैंसर होता है। भारत में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि मुख कैंसर होने का खतरा तम्बाकू का इस्तेमाल न करने वालों की तुलना में तम्बाकू का सेवन करने वालों में 3 से 10 गुणा अधिक होता है।

सरकार को प्रस्तावित रोक के पक्ष में और उसके विरुद्ध विभिन्न लोगों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। अन्य सुझावों में उपभोक्ता जागरूकता के लिए जन प्रचार के साधनों के माध्यम से इन उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल हैं। चबाने वाले तम्बाकू/गुटका पान मसाले के उपयोग को निरुत्साहित करने के लिए स्कूलों/कालेजों में वीडियो-शो समेत विज्ञापनों, व्याख्यानों, प्रदर्शनियों और होर्डिंगों के माध्यम से जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु राज्यों/संघ क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सुग्राहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य के लिए गुटके और पान मसाले की हानिकारक प्रकृति के बारे में सांविधिक चेतावनी देने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में लेबल संबंधी आवश्यक उपबंध बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का विकास

*13. **श्री एम०थी०थी०एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के विभिन्न विमानपत्तनों के उन्नयन/विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विमानपत्तन पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उन्नयन किये जाने वाले विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विमानपत्तन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न विमानपत्तनों के उन्नयन/विकास हेतु जारी धनराशि के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आवंटित राशि और इन परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे विवरण I और II में दिए गए है।

(ग) उन्नयन किए जा रहे विमानपत्तनों और इन विमानपत्तनों के लिए नियत की गई राशि के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, परियोजना की कार्य-प्रगति पर निकट से निगरानी की जाती है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निर्माण कार्य संबंधी असंतोषजनक क्वालिटी तथा देरी के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान बजटीय सहायता
(जारी की गई धन राशि के ब्यौरे)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवर की गई परियोजनाएं	दूरस्थ क्षेत्र में परियोजनाएं*	जोड़
1997-98	10.00	0.00	10.00
1998-99	19.92	5.08	25.00
1999-2000	7.24	17.76	25.00
जोड़	37.16	22.84	60.00

*इसमें कारगिल, लेह, श्रीनगर, जम्मू पोर्टब्लेयर और अमृतसर के लिए परियोजनाएं सहित, शामिल हैं

विवरण-II

बजटीय सहायता योजनाओं पर पूंजी व्यय के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

ब्यौरे	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
क. एन०ई०सी० अनुमोदित योजनाएं			
टर्मिनल काम्पलैक्स का विस्तार, अगरतला		3.53	4.00
विमानपत्तन के चारों प्रचालनात्मक दीवार का निर्माण, अगरतला		0.76	
टर्मिनल भवन के परिवर्धन का विस्तार, डिब्रुगढ़	0.02		0.10
नए टर्मिनल भवन का निर्माण, दीमापुर	2.68		
चारदीवारी का निर्माण, दीमापुर		0.07	
टर्मिनल भवन का परिवर्धन और विस्तार, गुवाहाटी	2.39	1.73	1.95
प्रचालनात्मक क्षेत्र के बाहर ए०ए०आई० भूमि को लेने के लिए चारदीवारी निर्माण	0.20		
एप्रन का विस्तार, गुवाहाटी	1.81	0.34	
टर्मिनल भवन का परिवर्धन और विस्तार, इम्फाल	3.04	7.54	4.43
तकनीकी ब्लॉक का निर्माण, इम्फाल		0.54	
नाहरी सड़क निर्माण, इम्फाल		0.03	0.62
डी०वी०ओ०आर० सब स्टेशन का इलेक्ट्रीकल वर्क, इम्फाल		0.39	
डी०वी०ओ०आर० भवन का निर्माण, इम्फाल		0.69	
तकनीकी ब्लॉक का निर्माण, इम्फाल			1.57
नये टर्मिनल भवन का निर्माण, लीलाबाड़ी	2.00	4.51	
धावनपथ और पेवमेंट का विस्तार, लीलाबाड़ी	1.15	4.00	3.07
प्रचालनात्मक दीवार का निर्माण, लीलाबाड़ी			0.08
टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन, सिल्चर	2.43	0.03	2.87
सी०ए०टी० काम्पलैक्स और नए एप्रेन का निर्माण, तेजपुर	6.88	4.50	2.87
जोड़ :	22.60	28.66	20.94
ख. प्रधान मंत्री की अगुवाई के अंतर्गत शामिल की गई योजनाएं			
टैक्सी ट्रैक को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा तथा एप्रन का विस्तार, अगरतला	1.29	1.80	0.62
12000 फुट तक धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि प्राप्त करना, गुवाहाटी		2.46	
12000 फुट तक धावनपथ का विस्तार, गुवाहाटी			2.68
विमानपत्तन का विकास, शिलांग (बाड़ापानी)			0.02
जोड़	1.29	4.26	3.32

1	2	3	4
ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र पर टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश की गई योजनाएं			
एप्रन और टैक्सी पथ का सुदृढ़ीकरण और शोल्डर की व्यवस्था, जोरहाट			0.01
एप्रन और टैक्सी पथ का सुदृढ़ीकरण और शोल्डर की व्यवस्था, सिल्चर		0.08	
जोड़	0.00	0.08	0.01
घ. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई योजनाएं			
स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण, गुवाहाटी	0.40	0.08	0.65
प्रचालनात्मक क्षेत्र के बाहर भा०वि०प्रा० भूमि के चारों ओर प्रचालनात्मक दीवार का निर्माण, गुवाहाटी		0.02	
आवासीय क्षेत्र के चारों ओर कंपाउंड भूमि का निर्माण, गुवाहाटी			0.21
वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र का विस्तार और परिवर्धन, इम्फाल			0.39
आवासीय क्वाटरों के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण, सिल्चर			0.17
तूरीयल विमानपत्तन, ऐजवाल का सुधार और नवीनीकरण		0.42	
एन०ई०आर० पर ओवल के तरीके से ऊपरी टैंक का निर्माण, विविध		0.64	
जोड़	0.40	1.12	1.42
कुल जोड़ (क + ख + ग + घ)	24.29	34.12	25.69

(करोड़ रुपयों में)

ब्यौरे	विमानपत्तन	1997-98	1998-99	1999-2000
ख. अन्य दूरस्थ क्षेत्र				
टर्मिनल भवन का परिवर्धन और विस्तार, धावनपथ का विस्तार	अमृतसर			0.80
भूमि और प्रतिपूर्ति, धावनपथ का विस्तार	जम्मू	1.84		0.83
होस्टल का निर्माण	जम्मू		0.07	0.19
डॉप्लर वेरी अति ऊच्चावृत्ति/टर्मिनल भवन का निर्माण	जम्मू		0.09	0.28
विमानपत्तन का विकास	कारगिल	2.24		7.96
एप्रन का निर्माण	लेह		0.02	
आवासीय क्वाटरों का निर्माण	लेह			0.03
होस्टल ब्लाक में केन्द्रीय ताप	लेह			0.11
टर्मिनल भवन काम्पलैक्स का विकास	पोर्टब्लेयर	3.48	5.08	9.01
टर्मिनल भवन का विस्तार	श्रीनगर		0.57	0.27
ठण्डा/ताप क्षमता को बढ़ाना	श्रीनगर			0.36
पब्लिक एड्रेस कस्टम आदि को बदलना	श्रीनगर			0.10
स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण	श्रीनगर	0.10	-	
जोड़		7.66	5.83	19.94

विवरण-III

उन्नयन किए जा रहे विमानपत्तनों के ब्यौरे और इनके लिए नियत की गई राशि

क्र० सं०	विमानपत्तन का नाम	बजट व्यवस्था 2000-2001 (करोड़ रुपए में)
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	
1.	अगरतला	12.43
2.	तेजपुर	0.11
3.	डिब्रुगढ़	2.30
4.	दीमापुर	2.36
5.	गुवाहाटी	16.44
6.	इम्फाल	5.66
7.	लीलाबाड़ी	5.00
	जोरहाट	0.75
9.	सिल्चर	2.85
10.	शिलांग	0.20
	दूरस्थ क्षेत्र	
11.	जम्मू	3.66
12.	श्रीनगर	1.05
13.	लेह	2.00
14.	कारगिल	4.00
15.	अमृतसर	3.00
16.	पोर्ट ब्लेयर	5.04

"लवणयुक्त तटक्षेत्र के वन"

*14. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट के लवणयुक्त तट क्षेत्र के वनों को नष्ट कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लवणयुक्त क्षेत्र के वनों के घटने से जलवायु, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1997-98 के प्रारम्भ होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी तट पर नए लवणयुक्त क्षेत्र वाले वन लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) यद्यपि, स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1997 में पूर्वी तट में लवणयुक्त वनों में मामूली वृद्धि बताई गई है फिर भी अवैध कब्जों, जलकृषि, कृषि गतिविधियों, अनियंत्रित चराई और जलावन की लकड़ी के लिए वृक्षों की कटाई के कारण इन क्षेत्रों में लगातार जैवीय दबाव बना हुआ है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने जलवायु, पर्यावरण एवं आपदा के संबंध में लवणयुक्त वनों के क्षीण होने के प्रभावों पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है।

(ङ) मंत्रालय, कच्छ वनस्पतियां एवं प्रवाल-भित्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए 1986 से एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में पूर्वी तट पर अवक्रमित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण, वनीकरण एवं पुन: वनस्पति उगाना शामिल है। कच्छ वनस्पतियों का विकास मंत्रालय के अभिनिर्धारित प्रतिबल (ग्रस्ट) क्षेत्रों में से एक है जिसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।

"वायु प्रदूषण"

*15. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की जांच के लिए कोई अध्ययन प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या ऐसे प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के परिणामों के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से होने वाले श्वसन रोगों की जांच करने के लिए एक महामारी विज्ञान विषयक अध्ययन का प्रायोजन किया है। यह अध्ययन वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया था, जिससे यह संकेत मिला कि कम प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सांस की बीमारियां अधिक होती हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, दिल्ली के यातायात चौराहों के निकट वायुमंडल में सीसे के परिवेशी स्तरों में 60% से भी अधिक कमी आई और दिल्ली में गैसीय प्रदूषकों के परिवेशी स्तरों में भी काफी कमी देखी

गई है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं।

(1) सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है। जिसमें प्रदूषण नियंत्रण और निवारण पहलुओं दोनों पर अधिक बल दिया गया है।

(2) राष्ट्रीय परिवेशी गुणता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत मानीटरन केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली की परिवेशी वायु गुणता को मॉनीटर किया जाता है।

(3) औद्योगिक इकाइयों के लए परिवेशी वायु गुणता मानक और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और तापीय विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जनों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है, और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(5) पूरे देश में अब सीसारहित पैट्रोल/डीजल में सल्फर के अंश को भी कम किया गया है।

(6) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1999 के तहत चलित वाहनों के लिए ठोस उत्सर्जन मानक तथा नए वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं, अधिक सख्त उत्सर्जन दिशानिर्देशों को भी अधिसूचित किया गया है।

(7) सी०एन०जी० किटों को लगाए जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

कुपोषण के शिकार बच्चे

*16. **श्री पी० कुमारासामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर में कुपोषण के शिकार कुल बच्चों में से चालीस प्रतिशत बच्चे अकेले भारत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) विश्व बैंक की रिपोर्ट 'वेस्टिंग अवे – दी क्राइसिस इन इंडिया' के अनुसार भारत में विश्व के कुपोषित बच्चों के 40 प्रतिशत बच्चे हैं। कुपोषण की समस्या पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई। यह नीति कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण करने और लोगों के पोषण में सुधार करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का समर्थन करती है। राष्ट्रीय पोषण नीति में अल्पकालिक प्रत्यक्ष उपाय और दीर्घकालिक अप्रत्यक्ष उपाय हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति के प्रावधानों के अमल के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करने के लिए पोषण पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। पोषण के संवर्धन के लिए 14 विभागों और मंत्रालयों की भूमिकाओं की पहचान की गई है।

बच्चों की आबादी समेत जनसंख्या की पोषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि; आय पैदा करने की योजनाओं के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती लागतों पर अनिवार्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना; जागरूकता बढ़ाने और एकमात्र स्तनपान तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों में उपयुक्त पूरक खाने-पीने की आदतें डालने सहित भरण (फीडिंग) की आदतों में आचरण-परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा शामिल है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना समेत पूरक आहार कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आयोडीन की विशिष्ट सूक्ष्म पोषक कमी के निवारण हेतु कार्यक्रम और विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता तथा लौह और फॉलिक अम्ल की कमी के कारण पोषणिक रक्ताल्पता को रोकने के रोगनिरोधक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। सूक्ष्म-पोषक कुपोषण की रोकथाम करने की एक प्रायोगिक परियोजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

"मरूस्थलीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यक्रम"

*17. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मरूस्थलीकरण और सूखे से संबंधित मुद्दों से निपटने तथा इनके नियंत्रण के लिए निवारक उपाय तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट एवं सांस्थानिक मामलों के समाधान के लिए एक संचालन समिति और कार्यदल गठित किए गए हैं जिनसे कार्यक्रम के निष्पादन के लिए निश्चित समय का भी पता लगेगा।

[हिन्दी]

युवा कार्यक्रमों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए निधियां

*18. **श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन :**
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से युवा कार्यक्रमों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां उपलब्ध कराई गईं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटित कुल निधियों में से प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय केन्द्रीय रूप से प्रायोजित दो योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय सेवा योजना तथा खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना कार्यान्वित करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के मामले में, केन्द्र सरकार जम्मू व कश्मीर तथा विधान सभा विहीन संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को 7:5 के अनुपात में अनुदान जारी करती है। परवर्ती मामले में, सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के नामांकन के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के मामले में, विशेष श्रेणी के राज्यों (कुल संख्या 10-7 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्य) को छोड़ कर राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को 50:50 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों को 75:25 के अनुपात में सहायता दी जाती है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, राज्य-वार, वर्ष-वार और योजना-वार उपलब्ध कराए गए अनुदानों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) चूंकि अनुदान राज्य सरकारों को जारी किए जाते हैं, अत: उनके लेखों की सम्बद्ध महालेखाकार के कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है जैसे ही इन लेखों की लेखापरीक्षा कर ली जाती है, राज्य सरकारों से सामान्यत: उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाते हैं। तथापि, निधियां जारी करने तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बीच कभी-कभी समय-अंतराल होता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,49,89,333	1,49,89,333	1,54,00,000	1,25,12,500
2.	असम	23,10,000	शून्य	शून्य	शून्य
3.	अरुणचल प्रदेश	1,60,417	1,60,417	1,66,833	1,25,125
4.	बिहार	55,56,833	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गुजरात	83,41,666	83,41,667	89,83,333	72,66,875
6.	गोवा	7,70,000	7,70,000	8,47,000	6,73,750
7.	हरियाणा	57,75,000	57,75,000	62,88,333	51,97,500
8.	हिमाचल प्रदेश	33,36,666	शून्य	36,31,833	28,87,500
9.	जम्मू व कश्मीर	15,40,000	15,40,000	15,40,000	16,50,000
10.	कर्नाटक	1,02,66,666	1,54,00,000	1,66,83,333	1,34,75,000
11.	केरल	89,63,333	89,83,000	102,46,667	8,18,249
12.	मध्य प्रदेश	1,05,23,333	1,15,50,000	1,15,50,000	86,62,500
13.	मणिपुर	6,54,500	9,11,167	9,62,500	7,70,000
14.	महाराष्ट्र	2,25,86,667	2,25,86,667	2,38,70,000	1,92,50,000

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	8,98,333	8,98,333	शून्य	7,70,000
16.	नागालैण्ड	2,56,667	2,56,667	2,82,333	2,88,750
17.	मिजोरम	19,25,000	19,25,000	20,53,333	16,35,750
18.	उड़ीसा	1,05,87,500	1,05,87,500	1,11,65,000	86,62,500
19.	पंजाब	1,09,08,333	1,41,16,667	1,41,16,667	1,05,87,500
20.	राजस्थान	89,83,333	1,05,87,500	1,12,29,167	91,43,750
21.	सिक्किम	3,85,000	3,85,000	शून्य	3,17,625
22.	तमिलनाडु	1,92,60,667	1,92,60,667	2,11,75,000	1,63,62,500
23.	त्रिपुरा	12,83,333	12,83,333	14,11,667	11,55,000
24.	उत्तर प्रदेश	1,54,00,000	1,79,66,667	1,92,50,000	1,55,34,750
25.	पश्चिम बंगाल	38,50,000	38,50,000	57,75,000	शून्य
26.	अण्डमान व निकोबार	55,000	55,000	1,32,000	99,000
27.	चण्डीगढ़	13,20,000	13,20,000	13,20,000	10,72,500
28.	दिल्ली	59,03,333	शून्य	शून्य	शून्य
29.	पाण्डिचेरी	7,40,833	शून्य	8,34,167	5,81,300
30.	लक्षद्वीप	66,000	66,000	74,800	56,100
31.	दादर व नगर हवेली	88,000	88,000	88,000	66,000
32.	दमन व दीव	1,32,000	1,32,000	1,45,200	1,08,900

विवरण-II

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	45,00,000	—	—	—
2.	अरुणचल प्रदेश	शून्य	15,00,000	—	—
3.	असम	33,00,000	2,00,000	2,50,875	1,75,500
4.	बिहार	शून्य	23,79,000	—	—
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	—
6.	गुजरात	7,12,000	10,80,000	67,04,800	—
7.	हरियाणा	51,94,500	9,30,600	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	95,05,275	29,74,820	10,00,000	—

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू व कश्मीर	38,90,000	शून्य	88,775	–
10.	कर्नाटक	73,24,850	21,39,350	83,15,850	45,00,000
11.	केरल	40,99,170	2,04,300	6,39,518	20,83,000
12.	मध्य प्रदेश	21,60,000	5,00,000	41,47,000	–
13.	महाराष्ट्र	15,80,000	26,00,000	44,04,800	–
14.	मणिपुर	10,00,000	शून्य	17,00,000	–
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	–	–
16.	मिजोरम	शून्य	21,54,900	–	–
17.	नागालैण्ड	30,00,000	70,00,000	1,10,00,000	–
18.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	–	–
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	2,24,72,000	–
20.	राजस्थान	8,21,200	5,21,800	5,59,150	–
21.	सिक्किम	8,10,000	शून्य	27,606	–
22.	तमिलनाडु	25,52,400	60,650	20,93,915	–
23.	त्रिपुरा	1,23,67,500	शून्य	76,95,500	–
24.	उत्तर प्रदेश	21,50,000	15,00,000	–	50,000
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	1,46,000	–	–
26.	दिल्ली	शून्य	8,11,000	16,00,000	–
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चण्डीगढ़	17,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दमन व दीव	2,82,000	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

*19. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों से राज्यों में सड़क ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और सामग्री सहायता के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए राज्यों का आबंटन बढ़ा दिया गया है। वास्तविक आबंटन राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के लिए किए गए कुल बजटीय प्रावधान पर निर्भर करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह पिछले और चालू वर्ष के दौरान आबंटन में हुई वास्तविक राज्यवार वृद्धि दर्शाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन (लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2949.83	4500.00	5045.00	9100.00
2.	असम	1821.00	2600.00	4186.83	5800.00
3.	बिहार	1900.00	3405.31	6000.00	8800.00
4.	चंडीगढ़	30.00	82.00	100.00	150.00
5.	दिल्ली	800.00	1400.00	700.00	1200.00
6.	गोवा	900.00	1100.00	1700.02	2300.00
7.	गुजरात	3675.00	5346.96	7307.17	8810.00
8.	हरियाणा	1100.00	2613.50	4200.00	5800.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	2500.00	4000.00	4700.00
10.	जम्मू व कश्मीर	150.00	100.00	100.00	150.00
11.	कर्नाटक	2900.00	3500.00	4600.08	7800.00
12.	केरल	3600.00	6744.46	10468.12	10500.00
13.	मध्य प्रदेश	1700.00	2200.00	3226.75	10000.00
14.	महाराष्ट्र	2900.00	4811.63	10354.31	11800.00
15.	मणिपुर	700.00	700.00	1010.75	1600.00
16.	मेघालय	920.00	1000.00	1730.28	2000.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	300.00	1200.00
18.	नागालैण्ड	100.00	200.00	800.00	1150.00
19.	उड़ीसा	2600.00	4000.00	3850.00	7000.00
20.	पांडिचेरी	70.00	100.81	319.48	200.00
21.	पंजाब	1300.00	2500.65	1819.56	4800.00
22.	राजस्थान	2550.00	3450.00	4550.30	11000.00
23.	तमिलनाडु	2500.00	3624.75	6500.00	10200.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	50.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	4608.00	7078.14	9155.35	13684.00
26.	पश्चिम बंगाल	5375.00	7150.94	5138.02	8800.00
27.	जोगीघोपा पुल	1244.00	0.00	0.00	0.00
28.	मंत्रालय	0.17	3.86	20.00	3000.00
	उप जोड़	55124.00	79213.01	108462.00	151544.00

1	2	3	4	5	6
29.	बी०आर०डी०बी०	7031.00	8500.00	11230.00	13592.00
30.	एन०एच०ए०आई०	29000.00	10100.00	119200.00	201000.00
31.	ई०ए०पी०	68830.00	54938.00	94624.00	
	कुल जोड़	159985	152751.01	333516.00	

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए निधियों का आबंटन

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	1999-2000 (एस०आर०पी०)	*2000-2001
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3898.00	4568.40	3440.26	3457.00	3030.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	असम	1162.55	2815.51	3420.00	2000.00	2631.48
	बिहार	3410.77	3336.97	5807.64	6100.00	3633.70
5.	चंडीगढ़	71.00	48.04	91.5000	50.00	41.00
6.	दिल्ली	330.20	210.00	139.840	0.00	82.00
7.	गोवा	450.39	617.08	826.690	600.00	328.53
8.	गुजरात	3758.96	3296.94	2318.170	1502.00	1950.00
9.	हरियाणा	772.34	1239.42	1611.700	400.00	1410.00
10.	हिमाचल प्रदेश	2034.32	2256.01	2326.240	400.00	1127.26
11.	जम्मू व कश्मीर	87.40	129.65	302.260	0.00	274.12
12.	कर्नाटक	3002.90	3111.75	3921.040	4524.00	2897.67
13.	केरल	2268.11	2090.63	4059.000	1250.00	1319.03
14.	मध्य प्रदेश	3313.78	3945.04	5573.14	1000.00	5715.46
15.	महाराष्ट्र	5157.68	4957.67	4654.63	3994.00	3515.00
16.	मणिपुर	277.03	365.59	876.08	0.00	724.49
17.	मेघालय	584.54	625.80	905.89	400.00	698.59
18.	मिजोरम	0.00	0.00	380.00	400.00	570.22
19.	नागालैण्ड	37.11	382.90	501.63	423.00	261.25
20.	उड़ीसा	2522.00	2761.15	3622.24	2016.00	2926.99
21.	पांडिचेरी	29.96	64.18	105.00	164.00	70.00
22.	पंजाब	1357.75	1538.81	1235.80	400.00	1690.00

1	2	3	4	5	6	7
23.	राजस्थान	3841.71	3718.19	3320.00	4500.00	4307.25
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	2981.37	3740.00	5479.66	8000.00	3388.79
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	24.00	0.00	60.00
27.	उत्तर प्रदेश	4949.19	6128.44	6105.49	4074.00	4649.82
28.	पश्चिम बंगाल	3264.94	2757.83	3700.00	2560.00	2109.00
29.	एन०एच०ए०आई०	375.00	274.00	4000.00	0.00	9136.00
30.	बी०आर०डी०बी०	0.00	0.00	0.000	93.72	2387.00
31.	अन्य संस्थान	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	49750.00	54980.00	68758.00	48307.72	60935.45

*चालू वर्ष के लिए नियत

अस्पतालों के अपशिष्टों का पुनः प्रयोग

*20 **डॉ० अशोक पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न केवल इस्तेमाल की गई सुइयों और सीरिंजों को पुनः प्रयोग में लाया जा रहा है बल्कि अस्पतालों में इस्तेाल की गई रूई का प्रयोग गलीचे, तकिये और दरियां बनाने में किया जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पतालों के अपशिष्टों के इस प्रकार पुनः प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कोई कड़े कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठाकुर) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जानकारी में ऐसी कोई घटना नही आई है। तथापि, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में इंजेक्शन की सुइयों, सिरिंजों और प्रयोग की गई रूई तथा अन्य संक्रामक अपशिष्टों का निपटान जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संभाल) नियम, 1998 के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संभाल) नियम, 1998 में निर्धारित नियमों का पूरी-पूरी तरह से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया स्थापित करने का अनुरोध किया है कि डिस्पोजेबल वस्तुओं (आइटमों) का निपटान करने से पहले उन्हें अलग किया जाए और उन्हें समुचित रूप से नष्ट किया जाए ताकि वे प्रयोग के योग्य न रहें।

पश्चिमी देशों में आयुर्वेद की औषधियों को मान्यता

1. **श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेद की औषधियों को पश्चिमी देशों में अब तक आशानुसार मान्यता प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पारंपरिक आयुर्वेद औषधि प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने और इसका पश्चिमी देशों में प्रचार करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के साथ उनकी भारत यात्रा के दौरान कोई बातचीत हुई थी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में हाल में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई अमरीका की यात्रा के दौरान मिली सफलता, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना और उनका विकास करना

2. **श्री बाई० एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री उनसे मई, 2000 में मिले थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने 300 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और उनका विकास करने का आग्रह किया था,

(ग) 195 किलोमीटर लंबे "हैदराबाद बाईपास एक्सप्रेस वे" के लिये मांगी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या उनके मंत्रालय से विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिये पर्याप्त कार्यादेश सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया था, और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश ने 95.29 करोड़ रु० की लागत पर सड़कों को चौड़ा करने और उनमें सुधार करने से संबंधित कार्य संस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

(ग) 195 कि०मी० हैदराबाद बाइपास एक्सप्रेसमार्ग के निर्माण के लिए 400 करोड़ रु० की सहायता मांगी गई है।

(घ) और (ड.) जी, हां। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम के लिए पर्याप्त कार्य आदेश सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया कि (i) नामांकन आधार पर क्रयादेश देने के लिए एस०सी०आई०, डी०सी०आई० इत्यादि को अनुदेश जारी किए जाएं (ii) समरूप देयताओं को पुन: शुरू किया जाए। (iii) वेतन और मजदूरी के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएं और (iv) पोत मालिकों को आकर्षित करने के लिए मूल्य-निर्धारण फार्मूले में संशोधन किया जाए।

संशोधित जहाजनिर्माण मूल्य-निर्धारण नीति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू और निर्यात क्रयादेशों के लिए जहाजनिर्माण सब्सिडी की परिकल्पना की गई है, 14.8.97 से पहले से ही प्रचालन में है। नीति में अगला संशोधन करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है ताकि शिपयार्डों को अधिक जहाजनिर्माण क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता मिल सके। तथापि, सरकार एच०एस०एल० सहित सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को क्रयादेश प्राप्त करने के मामले में सहायता कर रही है। इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न पत्तनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए नामांकन आधार पर अथवा निविदा आधार पर, जैसा भी संबंधित बोर्ड निर्णय ले, सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को क्रयादेश देने की व्यवहार्यता पर विचार करें। इससे एच०एस०एल० को अपनी आर्डर बुक स्थिति सुधारने में मदद मिली है। इस समय, एच०एस०एल० की ओर से अपने कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के लिए सरकार से गैर-योजनागत सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा

3. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सुन्दरबन नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। हल्दिया से रायमोंगोल नदी (191 कि०मी०) तक सुन्दरबन जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों का अल्प उपयोग

4. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश विमानपत्तनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमानपत्तन की यात्री आवागमन और माल लाने-ले जाने की क्षमता क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक विमानपत्तन की वास्तविक यात्री और माल क्षमता क्या है; और

(घ) इन विमानपत्तनों के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने वाले हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यात्री/कार्गो हैंडलिंग क्षमता और हैंडल किये गए यात्री/कार्गो यातायात को हैंडल करने वाले ऐसे प्रमुख विमानपत्तनों पर जो अधिकतम यात्रियों की संख्या/कार्गो यातायात को हैंडल करते हैं की वास्तविक संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण I और विवरण II में हैं।

(घ) विमानपत्तनों का उपयोग विमान यातायात की वृद्धि पर निर्भर होगा जो अधिकांशत: देश में आर्थिक विकास की संभाव्यता पर आधारित होता है। तथापि,अधिक उदार द्विपक्षीय सामाजिक व्यवस्था के अधीन अन्तरराष्ट्रीय मार्गों पर अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था और संयोजिक उड़ानों में सुधार लाने के लिए छोटे विमानों के प्रचालन को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए गए हैं जिससे विमानपत्तनों की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित की जाएगी।

विवरण-I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन में यात्रियों की हैंडलिंग क्षमता और हैंडल किये गये यात्रियों की संख्या

क्र० सं०	विमानपत्तन	यात्री हैंडलिंग क्षमता (लाख में)	निम्न वर्षों के दौरान हैंडल किये गये वास्तविक यात्री यातायात (लाख में)		
			1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	मुम्बई	114.50	110.11	110.19	115.59
2.	दिल्ली	106.00	78.20	78.83	83.14
3.	चेन्नई	48.50	35.00	35.24	36.47
4.	कलकत्ता	42.20	25.13	25.21	25.99
5.	त्रिवेन्द्रम	11.60	11.45	11.38	10.34
6.	बैंगलोर	33.00	19.07	19.97	21.56
7.	हैदराबाद	30.00	12.47	13.52	14.10
8.	अहमदाबाद	7.00	7.93	7.72	8.19
9.	गोवा	10.41	6.91	7.09	7.59
10.	कालीकट	8.52	5.00	5.06	5.30
11.	गुवाहाटी	3.32	3.87	3.71	4.09
12.	कोयम्बतूर	5.00	2.26	2.24	2.31
13.	वाराणसी	2.50	2.41	2.22	1.97
14.	मंगलौर	3.00	2.23	2.18	2.13
15.	पुणे	3.00	2.79	3.14	3.44
16.	नागपुर	7.00	2.21	2.21	1.95
17.	वडोदरा	3.59	2.20	2.24	1.77
18.	जयपुर	5.00	2.30	2.32	2.67
19.	श्रीनगर	4.00	2.10	1.95	2.44
20.	लखनऊ	7.50	1.96	2.11	2.83
21.	जम्मू	3.00	2.37	2.43	2.65
22.	अगरतला	3.00	1.77	1.86	1.87
23.	उदयपुर	1.50	1.36	1.26	1.50
24.	त्रिची	1.80	0.77	0.81	0.80
25.	पटना	3.76	1.34	1.28	1.70
26.	इन्दौर	2.00	1.47	1.46	1.50
27.	भुवनेश्वर	5.00	1.31	1.37	1.36
28.	इम्फाल	1.50	1.91	0.93	1.10
29.	औरंगाबाद	2.00	0.91	0.93	0.98
30.	बागडोगरा	2.00	1.00	1.06	1.23
31.	मदुरई	1.00	0.63	0.84	0.83
32.	विशाखापट्टनम	2.00	0.98	1.09	1.27
33.	सिल्चर	2.00	0.72	0.74	0.73
34.	राजकोट	2.25	0.73	1.00	1.10
35.	डिब्रुगढ़	1.50	0.66	0.64	0.67
36.	भावनगर	2.00	0.60	0.57	0.56
37.	खजुराहो	3.00	0.70	0.66	0.67
38.	लेह	2.00	0.70	0.90	0.98
39.	पोर्ट ब्लेयर	2.00	0.64	0.73	1.08
40.	रांची	2.50	0.55	लागू नहीं	0.49
41.	भोपाल	2.00	0.68	0.71	0.69
42.	जोधपुर	4.00	0.54	लागू नहीं	0.44
43.	भुज	1.00	0.43	0.56	0.59
44.	आगरा	1.20	0.56	0.45	0.44

विवरण-II

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन में कारगो हैंडलिंग क्षमता और हैंडल किये गये कारगो की क्षमता

क्र० सं०	विमानपत्तन	कारगो हैंडलिंग क्षमता (टनों में)	निम्न वर्षों के दौरान हैंडल किये गये वास्तविक कार्गो यातायात (टनों में)		
			1997-98	1998-99	1999-2000
1.	मुम्बई	322000	253610	243580	276660
2.	दिल्ली	245000	202570	198430	219130
3.	चैन्नई	138000	74830	74140	99580
4.	कलकत्ता	26000	47380	49060	53660

राष्ट्रीय राजमार्ग-208 का निर्माण

5. **श्री पी० राजेन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 208 के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के क्विलॉन उप-मार्ग के निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है तथा इसका निर्माण कार्य पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-208 पर 137.00 लाख रु० की लागत के चार प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 309.00 लाख रु० की लागत के दो प्राक्कलन भी स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) क्विलॉन बाइपास का निर्माण 4 चरणों में करने का प्रस्ताव है। चरण-I पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। रेल उपरि पुल (आर०ओ०बी०) को छोड़कर चरण-II पूरा हो गया है। आर०ओ०बी० का शीघ्र निर्माण करने के लिए रेलवे के साथ कार्रवाई की जा रही है। इस बाइपास के चरण-III और चरण-IV का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण स्कीम के अंतर्गत शुरू किया जाना है जो परियोजना की अर्थ क्षमता पर निर्भर करता है और अर्थ क्षमता के संबंध में परामर्शदाता द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। परमर्शदाता द्वारा अगस्त, 2000 के अंत तक रिपोर्ट पेश कर दिए जाने की उम्मीद है।

तपेदिक के मामलों में बढ़ोत्तरी

6. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक चिंताजनक रूप से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने व्यक्ति तपेदिक से ग्रस्त पाए गए और इसके कारण कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और केन्द्र सरकार ने इस बीमारी के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो अन्तिम सर्वेक्षण कब कराया गया था और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या निकले;

(ङ) क्या तपेदिक के कारण विश्व में होने वाली कुल मौतों में से 30 प्रतिशत भारत में होती हैं और इस संबंध में विश्व में भारत की क्या स्थिति है; और

(च) यदि हां, तो इस बीमारी का उन्मूलन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। पिछले अनेक वर्षों में इस कार्यक्रम के अधीन देश में सूचित किए गए क्षयरोगियों का रूझान कुल मिला कर स्थिर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम में सूचित किए गए क्षयरोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पिछला सर्वेक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1957-58 के दौरान किया था। इस सर्वेक्षण में जीवाणु विज्ञानी तौर पर पाजिटिव रोगियों की 4/1000 और विकिरण विज्ञानी तौर पर संदिग्ध रोगियों की 11/1000 की व्याप्तता दर सूचित की गई थी।

(ङ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मौतें सूचित नहीं की गई थीं। अनुमान है कि भारत में क्षयरोगियों में मृत्यु दर लगभग 25 प्रतिशत है। तथापि, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले क्षेत्रों में मृत्यु दर घट कर 5 प्रतिशत से कम हो गई है।

(च) क्षयरोग को नियंत्रित करने के लिए 2002 तक 500 मिलियन जनसंख्या को कवर करने हेतु संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में 80 प्रतिशत की सफलता दर सुनिश्चित की जाती है। स्पूटम पाजिटिव रोगियों, जो समुदाय में संक्रमण का मुख्य स्रोत हैं, की पहचान करने और उन्हें रोग मुक्त करने पर भी बल दिया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (राज्यवार रोगी पहचान)

राज्य का नाम	कुल रोगी 1997-98	कुल रोगी 1998-99	स्पूटम पाजिटिव रोगी* 1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	74137	78457	24892
अरुणाचल प्रदेश	3601	5746	400
असम	18625	19847	209
बिहार	11133	27707	1255
गोवा	2810	2748	278
गुजरात	104635	125584	34911

1	2	3	4
हरियाणा	37668	33384	2327
हिमाचल प्रदेश	5347	5768	512
जम्मू व कश्मीर	26993	18266	533
कर्नाटक	78893	68149	20202
केरल	18711	13608	0
मध्य प्रदेश	77045	78390	23683
महाराष्ट्र	202299	195246	60222
मणिपुर	3469	2620	1012
मेघालय	3060	2786	476
मिजोरम	1332	1390	282
नागालैण्ड	1626	2380	643
उड़ीसा	24912	21550	4906
पंजाब	42121	39520	8706
राजस्थान	46071	52072	20178
सिक्किम	1661	2104	417
तमिलनाडु	114165	116195	25756
त्रिपुरा	2601	3340	981
उत्तर प्रदेश	289431	262739	65596
पश्चिम बंगाल	66018	62428	4006
पांडिचेरी	711	3868	88
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1819	720	23
चंडीगढ़	506	1801	187
दादरा व नगर हवेली	—	265	41
दिल्ली	43313		19264
लक्षद्वीप	145		
दमन व द्वीव	3417		1303
कुल	1309675	1248672	323289

* संक्रमण के फैलाव को और अधिक प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित करने हेतु स्मूटम पाजिटिव रोगियों की सूचना देने की पद्धति पुनः स्थापित कर दी गई है।

त्रिवेन्द्रम से शारजाह तक के लिये इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान

7. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम से मालदीव होते हुए शारजाह तक के लिए इंडियन एयरलाइन्स की एक नई उड़ान सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

युवा कार्यक्रम और खेलों का विकास

8. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान युवा कार्यक्रम और खेलों के लिए क्या लक्ष्य और प्रावधान निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और विशेषरूप से राजस्थान में नेहरू युवा केन्द्रों को सुदृढ़ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान में युवा कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रमों और खेलों के संवर्धन एवं विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करता है। तथापि, सभी योजनाओं में वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए, जिन कतिपय योजनाओं के वास्ते वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान युवा कार्यक्रमों और खेलों के संबंध में कुल वित्तीय आबंटन 826.09 करोड रुपये है, जैसा कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ख) और (ग) नेहरू युवा केन्द्रों के लिए कार्यक्रम निधियों में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त, सामान्यतः देश में और विशेष रूप से राजस्थान में इन केन्द्रों को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित की गई सभी योजनाओं के अंतर्गत, युवा कार्यक्रमों और खेलों के क्षेत्र में राजस्थान में तथा साथ ही साथ देश के बाकी हिस्सों में गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

विवरण

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य (नौवीं योजना)

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य
क	**युवा कार्यक्रम**		
1.	राष्ट्रीय सेवा योजना	स्वयंसेवकों की संख्या शिविरों की संख्या	18,00,000 15,000
2.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन तथा आई०डी०ए० आर०ए० (सूचना विकास तथा संसाधन एजेंसियां)	कार्यक्रमों की संख्या	18,820
3.	युवा कल्याण गतिविधियों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	युवाओं की संख्या	30,000
4.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना	स्वयंसेवकों की संख्या	19,000
5.	राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम	बैठकों की संख्या युवा आदान - प्रदान कार्यक्रमों की संख्या	18 12
6.	युवा क्लबों को सहायता	युवा क्लबों की संख्या	5,000
7.	युवाओं का प्रशिक्षण	युवाओं की संख्या	7,500
8.	पिछड़ी जनजातियों के बीच युवा गतिविधियों के संवर्धन हेतु विशेष योजना	युवाओं की संख्या	30,000
ख	**खेल**		
1.	सिंथेटिक परतों की आपूर्ति और स्थापना हेतु अनुदान	प्रत्येक वर्ष सतहों की संख्या	4-5 (हॉकी और एथलेटिक)
2.	खेल छात्रवृत्ति	प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति की संख्या (अधिकतम)	राज्य स्तर 2500 राष्ट्रीय स्तर 800 कालेज/विश्वविद्यालय स्तर 400 वरिष्ठ महिलाएं 20 डिप्लोमा कर रही महिलाएं 10 पी०एच०डी० कर रही महिलाएं 5
3.	राष्ट्रीय शारीरिक उपयुक्तता कार्यक्रम	स्कूलों की संख्या	सभी माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को कवर करना जिनमें शारीरिक शिक्षा अध्यापक की सुविधा है।

[अनुवाद]

नए मेडिकल बोर्डों का सृजन

9. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नए मेडिकल बोर्डों के सृजन के बारे में दिनांक 7 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1403 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सकों द्वारा बलात्कार पीड़ितों की जांच

10. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सकों द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार पीड़ितों की जांच कब तक नहीं की जाती है जब तक ये मामले उन्हें पुलिस द्वारा नहीं भेजे जाएं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों में चिकित्सकों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ऐसे मामलों में चिकित्सकों के रवैए के प्रति अपनी सख्त नाराजगी व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुलिस द्वारा मामले भेजे बगैर बलात्कार पीड़ितों की जांच करने के लिए चिकित्सकों को अनुदेश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर रखने हेतु सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कालेज खोलना

11. **श्री भाल चन्द्र यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान कर रही है। इन उपबन्धों के अन्तर्गत सार्वजनिक और प्राइवेट सैक्टर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

डाक और दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

12. **श्री जयभद्र सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार सुविधाओं में विस्तार करने हेतु तैयार किए गए उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 9वीं पंचवर्षी योजना के पहले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों तथा योजना के शेष दो वर्षों में खोलने के लिए प्रस्तावित डाकघरों का ब्यौरा तथा दूरसंचार सेवा विभाग की नौवीं योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नौवी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में वास्तविक रूप से खोले गए डाकघरों के संबंध में तथा दूरसंचार सेवा विभाग की जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए लक्ष्य

वर्ष	शाखा डाकघरों की संख्या	पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या
1997-98	500	शून्य
1998-99	598	200
1999-2000	500	500
2000-2001	500	1000
2001-2002	500	1000

(ख) दूरसंचार सेवा विभाग की नौवी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित पर विचार किया गया है :–

(i) 31.3.2002 तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित समूचे देश में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना, जिसमें निजी क्षेत्र सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ii) 31.3.2002 तक सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराना, जिसमें निजी क्षेत्र सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(iii) वर्ष 2000 तक सभी एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा मुहैया कराना।

(iv) सभी एक्सचेंजों को भरोसेमंद मीडिया प्रदान करना।

विवरण-II

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए डाकघर तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र

वर्ष	शाखा डाकघरों की संख्या	पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या
1997-98	401	1
1998-99	598	224
1999-2000	385	486

(ख) (i) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण क्षेत्रों 25.18 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन मुहैया कराए गए।

(ii) 30.6.2000 तक 3.76 लाख गांवों में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराई गई। शेष गांवों को यह सुविधा नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्तरोत्तर रूप से मुहैया करा दी जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र सरकार के प्रयासों की सहायता कर रहे हैं।

(iii) कुल 27730 एक्सचेंजों में से 24211 एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा पहले ही मुहैया करा दी गई है।

(iv) 17244 एक्सचेंजों में भरोसेमंद मीडिया पहले ही उपलब्ध है। शेष एक्सचेंजों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भरोसेमंद मीडिया उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उड़ीसा में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम

13. **श्री अनादि साहू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्युदर (0-4)वर्ष) राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या रहा;

(ग) ऐसे संकट से निपटने के लिए क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) उड़ीसा में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) नमूना पंजीकरण पद्धति के आकलनों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा तथा भारत की शिशु मृत्यु दर और बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर नीचे दी गई है :-

वर्ष	शिशु मृत्यु दर		बाल मृत्यु दर	
	उड़ीसा	भारत	उड़ीसा	भारत
1996	96	72	32	24
1997	96	71	31	24
1998	98	72	28	23

(ग) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, वैक्सीन निवार्य छह रोगों का प्रतिरक्षण, तीव्र श्वसनीय संक्रमणों एवं अतिसार रोगों का प्रबंधन, अनिवार्य नवजात परिचर्या और पोषणिक रक्ताल्पता एवं विटामिन "ए" का रोगनिरोधन किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में सूचित कवरेज की प्रतिशतता इस प्रकार है :-

बी०सी०जी०	–	104.5
डी०पी०टी०-3	–	92.9
ओ०पी०वी०-3	–	93.1
खसरा	–	84.9
टी०टी० (पी०डब्ल्यू०) (आंकड़े अनन्तिम)	–	78.6

[हिन्दी]

बॉक्साइट का अवैध उत्खनन

14. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में बॉक्साइट उत्खनन के लिए स्वीकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और उनके पट्टा धारक अवैध खनन में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य वन संपदा नष्ट हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह दिंडसा) : (क) से (ग) स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश राज्य सहित देश के अन्य राज्यों से खनन पट्टा धारकों द्वारा खनन कार्य जारी रखने की घटनाएं, समय-समय पर केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं। खनिज रियायत नियमावली (एम०सी०आर०), 1960 के नियम 24क के अधीन, यदि खनन पट्टा

धारक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नवीकरण के लिए आवेदन करता है तो वह, खनन पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद और खनन पट्टा आवेदन के नवीकरण पर, राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित होने तक खनन कार्य जारी रख सकता है।

खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के सतना जिले में ऐसे 11 बाक्साइट खनन पट्टा धारक खनन कार्य कर रहे हैं जिनकी खनन पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है।

अवैध खनन को रोकना राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। अवैध खनन आदि को रोकने के लिए नियम बनाने हेतु और राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के उद्देश्य से, खान और खनिज (विकास तथा विनियम) (एम०एम०डी०आर०) अधिनियम, 1957 को, हाल ही में, संशोधित किया गया है।

हृदय वाहिका रोग के लिये दवा

15. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हृदय वाहिका रोग के इलाज के लिये ''स्ट्रेप्टो फाइनेक्स'' नामक दवा तैयार करने में कोई सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दवा को कब तक तैयार करके खुले बाजार में उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) हृदय वाहिका रोग के उपचार के लिए ''स्ट्रेपटो फिनेक्स'' जैसे किसी फार्मूलेशन की उपलब्ध होने की जानकारी नहीं है। तथापि गम्भीर मायोकार्डियल इनफर्कशन (हार्ट अटैक) और सदृश समस्याओं के लिए ब्लड क्लाट लाइजिंग एजेन्ट, स्ट्रेपटोकिनेज का उपयोग किया जाता है। देश में यह खुले रूप से उपलब्ध है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए दवाइयां

16. **श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत डी०जी०एच०एस० द्वारा मेडिकल स्टोर डिपो के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और डिपोवार खरीदी गई दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी दवाओं की जरूरत थी और कितनी खरीदी गई;

(ग) क्या आवश्यकता से अधिक मात्रा में दवाओं की खरीद की गई;

(घ) क्या प्रयोग से पूर्व ही इन दवाइयों की उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी थी;

(ङ) यदि हां, तो इन दवाइयों का उपयोग समय के भीतर न करने के क्या कारण हैं और कितने मूल्यों की दवाइयों की खरीद की गई;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच की है;

(छ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे, और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोई दवाई नहीं खरीदी गई क्योंकि अपेक्षित समग्र दवाइयों की आपूर्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नि:शुल्क की गई।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

अधिक मूल्य पर सूक्ष्मदर्शी यंत्रों (माइक्रोस्कोप) की खरीद

17. **श्री रामजी मांझी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने वर्ष 1995 के दौरान निविदा के माध्यम से दी गयी दर से अधिक दरों पर सूक्ष्मदर्शी यंत्रों (माइक्रोस्कोप) की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनमें कुल कितनी धनराशि संलिप्त है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन खरीदों पर बिना कोई रोक-टोक और कोई जिम्मेदारी निर्धारित किए अनेक अनियमितताएं चल रही हैं;

(च) यदि हां, तो क्रय समिति के सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसी अनियमितताएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 1996 में निम्नतम बोली लगाने वाले से क्षय रोग प्रभाग हेतु 160 बायानोकूलर माइक्रोस्कोप खरीदे थे। इस मामले में कोई जांच नहीं की गई। तथापि 1995 96

में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एच०एस०सी०सी० के माध्यम से खरीदे गए 1815 माइक्रोस्कोपों के बारे में शिकायत मिली थी। केन्द्रीय सर्तकता आयोग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई थी और इसने पाया था कि निविदाएं मांगना और प्राप्त करना और बोली मंजूर करना नियमों के अनुसार था। उन्होंने यह भी बताया कि अनुचित दरों पर माइक्रोस्कोपों के प्रापण के संबंध में कोई मामला नहीं था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खरीद के लिए उचित प्रक्रियाएं अपनाई जाएं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों हेतु पृथक प्रबंध

18. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में अस्थिरोग, हृदयरोग और अन्य विभागों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की जांच करने के लिए कोई पृथक प्रबंध किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन लाभार्थियों को अन्य रोगियों के साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अस्पताल में लाभार्थियों को वांछित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और सफाई की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए पृथक प्रबंध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या बहिरंग रोगी विभाग और वार्डों में गंदगी फैली रहती है तथा विशेष रूप से नए बहिरंग रोगी विभाग के शौचालय ब्लाक गंदे रहते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष की तुलना में पिछले एक वर्ष के दौरान डाक्टरों की लापरवाही के कारण दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल है, में कितने रोगी मरे; और

(ज) उक्त अस्पतालों में ऐसे लापरवाह डाक्टरों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सफदरजंग अस्पातल के विकलांग शल्य चिकित्सा, हृदय रोग विज्ञान और कुछ अन्य विभागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की जांच करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की निम्नलिखित विशिष्टताओं के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विशेषज्ञ स्कंध में अलग से जांच की जाती है।

काय चिकित्सा

शल्य चिकित्सा

नेत्र

प्रसूति एवं स्त्री रोग

ई०एन०टी०

दंत चिकित्सा

बाल चिकित्सा

चर्म रोग

तंत्रिका विज्ञान

(ग) जी, हां।

(घ) वित्तीय दबावों को देखते हुए, जहां तक विकलांग शल्य चिकित्सा, हृदय रोग विज्ञान तथा अन्य विभागों का संबंध है, इनमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था हेतु सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) से (ज) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में उपचार में लापरवाही, जिसके कारण मौतें होती है, के आरोप वाली प्राप्त शिकायतें जांच पड़ताल के लिए संबंधित अस्पतालों को भेजी जाती हैं। लापरवाही के कारण होने वाली मौतों को पुष्ट करने वाली कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक स्वच्छता की स्थितियों आदि में सुधार का संबंध है, यह एक सतत् प्रक्रिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय अस्पतालों को उचित स्वच्छता स्थितियां बनाए रखने के निर्देश देता रहता है।

मेडिकल स्टोर्स डिपो, मुम्बई द्वारा औषधियों की खरीद

19. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल स्टोर्स डिपो, मुम्बई द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खरीद की गई औषधियों का उपयोग इनके उपयोग किए जाने की अंतिम तिथि के पूर्व कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई/नहीं की गई औषधियों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें नहीं उपयोग किए जाने के मामले में इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन खरीदों के संबंध में कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी चिकित्सा भण्डार सामग्री डिपो, मुम्बई द्वारा खरीदी गई सभी औषधों का इस्तेमाल एक औषध को छोड़कर उन औषधों के इस्तेमाल की तारीख के समाप्त होने से पहले कर लिया गया है।

(ख) इस्तेमाल की गई अवधि समाप्त हुई अप्रयुक्त औषधों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

औषध का नाम	अप्रयुक्त मात्रा	मूल्य (रुपये)
1. अमाक्सिसिलीन (सस्पेंशन)	643 बोतलें	6018.00

(उपर्युक्त औषधों का उपयोग मुख्य रूप से मांग में कमी हो जाने के कारण नहीं हुआ)

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस्तेमाल की अवधि समाप्त हुई औषधों को कम से कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(क) स्वामित्व वाली औषधों को भण्डारित करने पर प्रतिबंध लगाना।

(ख) दो से तीन महीनों की अवधि के लिए फास्टमूविंग जेनेरिक औषधों को भंडारित करने की अनुमति दी जाती है।

महाराष्ट्र में नागर विमानन का आधारभूत सेवा नेटवर्क

20. **श्री अनंत गुढे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में नागर विमानन के आधारभूत सेवा नेटवर्क का विस्तार करने और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए मंजूर और शुरू की गई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए योजना आवंटन का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त किए गए नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं तथा योजना आवंटन के निष्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

(1) 5 लाख रुपए की योजना आवंटन के साथ नागपुर विमानपत्तन पर तकनीकी ब्लाक व नियंत्रण टावर के निर्माण के लिए स्थल सर्वेक्षण किया जा रहा है। दिसम्बर, 2000 में पूरा होने की संभावित तारीख की प्रत्याशा से 47 लाख रुपए की लागत से एप्रन के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(2) 2000-2001 के दौरान, पुणे में सिविल एन्कलेव में एप्रन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है तथा भारतीय वायु सेना से 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने का अनुरोध किया गया है।

(3) औरंगाबाद में टर्मिनल भवन के सामने की लिफ्ट के लिए कार्य प्रगति पर है। चरण-2 में परियोजना अर्थात धावनपथ, एप्रन का विस्तार, 67.11 करोड़ रुपए की लागत से नये टर्मिनल भवन के निर्माण तथा कार पार्किंग क्षेत्र का कार्य ओवरसीज इकानोमिक कारपोरेशन फंड, जापान से प्राप्त अनुमोदन की प्राप्ति के बाद हाथ में लिया जाएगा। 2000-2001 के दौरान 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

(4) 20 करोड़ रुपए की लागत पर मुम्बई विमानपत्तन के टर्मिनल चरण-2 के निर्माण के लिए परियोजना के संबंध में 10.7.2000 को प्री-पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की एक बैठक हुई थी।

(घ) मुम्बई में एक दूसरे विमानपत्तन के विकास का एक प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए गठित की गई समिति की रिपोर्ट की छानबीन की जा रही है। सिंधुदुर्ग पर एक विमानपत्तन के निर्माण का भी एक प्रस्ताव है जिसके लिए गोवा विमानपत्तन के चौबीसों घंटे प्रचालन की परियोजना की साध्यता पर पुन: कार्य करने के लिए कहा गया है।

"लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति देना"

21. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आज की तारीख के अनुसार पर्यावरण संबंधी हेतु लंबित हैं; और

(ख) उन्हें स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) आज की तारीख तक पर्यावरण मंजूरी के लिए केरल की लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इसके कारण नीचे दिए अनुसार हैं।

क्रम सं०	परियोजना	मंजूरी प्रदान न करने के कारण
1.	मैसर्स कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड की शोअॅर क्रूड आयल टैंक फार्म-एर्नाकुलम में कच्चा तेल लेने की सुविधाएं	5.4.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण हाल ही में (3.7.2000 को) प्राप्त हुआ है।
2.	मैसर्स जॉयस दी बीच रिसॉर्ट द्वारा त्रिवेन्द्रम जिले में नेयट्टीनकारा तालुका, ग्राम कोट्टुकल, चावड़ा में बीच रिसॉर्ट की स्थापना	7.3.2000 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुई
3.	मैसर्स अगरतया आर्युवेद गार्डन द्वारा जिला त्रिवेन्द्रम तालुका नेयट्टीनकारा ग्राम कोट्टुकल के सर्वेक्षण संख्या 355/8, 352/3 और 352/5 में बीच रिसॉर्ट स्थापित करना।	नया प्रस्ताव हाल ही में 12.6.2000 को प्राप्त हुआ है।

महाराष्ट्र को राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए धनराशि

22. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र द्वारा विशेषकर नासिक के लिए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि की मांग की गयी और कितनी राशि जारी की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) महाराष्ट्र सरकार को 1999-2000 में दी गई राशि इस प्रकार है :–

	(रुपए लाख में)
स्पूटम निगेटिव औषधों की खरीद के लिए नगद अनुदान	284.26 रुपये
क्षयरोग रोधी औषधों की वस्तुगत सहायता	573.17 रुपये
महाराष्ट्र राज्य/जिला क्षयरोग सोसाइटियों को सहायता अनुदान	102.71 रुपये
	960.14 रुपये

नासिक जिला सोसाइटी को दी गई सहायता अनुदान की राशि 55,57,000/- रुपए है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हवाई पट्टियों की लम्बाई और चौड़ाई

23. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार विमानपत्तनों के हवाई पट्टियों की कुल कितनी लम्बाई और चौड़ाई है;

(ख) सेसना 152 और सेसना 172 विमानों से विमान प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कितनी लम्बी और चौड़ी हवाई पट्टी की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस समय सभी उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र इस मानदंड का अनुपालन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हवाई पट्टियों के निर्माण हेतु क्या मानदंड हैं तथा इस उद्देश्य हेतु किस विभाग से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विमानों की उपयोगिता के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य की हवाई पट्टियों की लम्बाई और चौड़ाई भिन्न-भिन्न होती है। न्यूनतम और अधिकतम लम्बाई तथा चौड़ाई राज्यों में इस प्रकार भिन्न है :–

आन्ध्र प्रदेश – 3000' × 100' से 9080' × 150'; अरुणाचल प्रदेश – 3000' × 90' से 4500' × 100'; आसाम – 3000' × 100' से 9000' × 150'; बिहार – 3600' × 100' से 8900' × 150'; गोवा – 11250' × 150'; गुजरात – 3290' × 100' से 9000' × 150'; हिमाचल प्रदेश – 3700' × 100' से 3900' × 100'; जम्मू और कश्मीर – 6000' × 150' से 12000' × 150'; कर्नाटक – 4420' × 100' से 10850' × 200'; केरल – 7500' × 150' से 11500' × 150'; मध्य प्रदेश – 3500' × 100' से 9000' × 150'; महाराष्ट्र – 3450' × 400' से 11450' × 150'; मणिपुर – 9000' × 150'; मेघालय – 6000' × 150'; मिजोरम – 3900' × 100'; नागालैंड – 7500' × 150'; उड़ीसा – 6300' × 150' से 9000' × 150'; पंजाब – 4800' × 100' से 9150'

× 150'; राजस्थान – 7500' × 150' से 9000' × 150'; तमिलनाडु – 2600' × 500' से 12000' × 200'; त्रिपुरा – 3000' × 100' से 6000' × 150'; उत्तर प्रदेश – 3600' × 100' से 9000' × 150'; पश्चिम बंगाल – 2800' × 100' से 11900' × 150'; दिल्ली – 3870' × 100' से 12500' × 200'; अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह – 6000' × 150' ; चंडीगढ़ – 9000' × 150' ; लक्षद्वीप – 3944' × 100' ; पांडिचेरी – 4000' × 100'।

(ख) सेशना 152 और सेशना 172 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए अपेक्षित धावनपथ की न्यूनतम लम्बाई और चौड़ाई 2600' × 60' है।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी 44 अनुमोदित फ्लाइंग क्लब/संस्थान/स्कूल विमानपत्तनों पर प्रचालन कर रहे हैं, जहां यह मापदण्ड पूरा होता है।

(ङ) हवाई पट्टियां अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन मानक के अनुरूप होनी चाहिए। नई हवाई पट्टी के निर्माण के लिए नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से मुख्यत: संघ सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। (1) रक्षा मंत्रालय (2) पर्यावरण और वन मंत्रालय (3) भूमि के मालिक; और (4) राज्य के स्थानीय प्राधिकारी से भी विशिष्ट स्वीकृति/आज्ञा अपेक्षित है।

[अनुवाद]

स्थानीय टेलीफोन दर सुविधा

24. **श्री पोन राधाकृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के उन लोगों के लिए केवल स्थानीय दरें प्रभावित की है जो राज्य में कहीं भी टेलीफोन सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं, स्थानीय कॉलें (एसटीडी कोड के बिना इंटर डायलिंग) निम्नलिखित स्थितियों में प्रदान की जाती है :–

(I) जब दो कम पूरी के प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) पास-पास स्थित हों।

(II) समान अथवा समीपस्थ लंबी दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) में आने वाले दो एसडीसीए के दो कम दूरी के प्रभारण केन्द्रों (एसडीसीसी) के बीच की अरीय दूरी 50 किलोमीटर तक हो।

(III) दो दूर स्थित एलडीसीए के दो लंबी दूरी के प्रभारण केन्द्रों (एलडीसीसी) के बीच की अरीय दूरी 50 किलोमीटर तक की हो।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिंसा और दुर्घटना संभावित राष्ट्रीय राजमार्ग

25. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हिंसा और दुर्घटना संभावित राष्ट्रीय राजमार्गों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का हिंसा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित आधार पर दुर्घटना वाले विशेष स्थानों की पहचान की जाती है और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय सड़क सुरक्षा पहलूओं पर ध्यान रखा जाता है। सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें चौड़ा करके चार लेन बनाने, दो लेन के विद्यमान खंडों को मजबूत बनाने, कमजोर और संकरे पुलों का पुन: निर्माण, बाइपासों का निर्माण, इकहरी लेन वाले खंडों को दो लेन का बनाना, ज्यामितीय सुधार करना, पार्किंग सुविधाओं की व्यवस्था, चौराहा सुधार, यात्री प्रधान मार्गस्थ सुविधाएं, प्रति परावर्तक सड़क संकेत, थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नांकन आदि जैसे सुधार कार्य कर रही है ताकि बढ़ते यातायात की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

कानून व्यवस्था से संबंधित हिंसा राज्य का विषय है जल भूतल परिवहन मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

टेलीफोन कनैक्शन

26. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक पश्चिम बंगाल में उत्तरी बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन लक्ष्यों की तुलना में क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) वर्ष 2000-2001 की अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा मौजूदा वर्ष में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र के पिछड़े हुए क्षेत्रों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

वर्ष	पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य	उपलब्धियां
1997-98	13,000	13,156
1998-99	15,000	15,891
1999-2000	20,000	20,739
2000-01	30,000	1,917 (16.7.2000 तक)

[हिन्दी]

घरेलू यात्रियों की संख्या में गिरावट

27. **श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में घरेलू यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। यात्री संवृद्धि के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 के दौरान वाहित अंतर्देशीय यात्रियों की संख्या क्रमशः 119.26 लाख तथा 125.36 लाख थी जिससे 5.11% वृद्धि का पता चलता है।

(ग) भविष्य में इंडियन एयरलाइन्स/निजी अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा अधिक क्षमता के लगाए जाने के साथ, ऐसी आशा है कि अंतर्देशीय सैक्टर में यात्रियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर स्वचालित सीढ़ियां

28. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों पर स्वचालित सीढ़िया अभी भी लोगों और यात्रियों के लिये खतरा बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तनों पर बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) विमानपत्तनों पर प्रयोग में आने वाले उपकरणों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। टर्मिनल भवनों में व्यवस्थित स्वचालित सीढ़ियों में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, संसाधनों की आवश्यकताओं और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता बढ़ाने को सुनिश्चित करना एक सतत् प्रक्रिया है।

"मोरों की मृत्यु"

29. **श्री चन्द्रकांत खैरे** :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के महाराजपुर में हाल ही में कुछ मोरों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मौतों के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को दंडित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के महाराजपुरा गांव में कुल 14 मोरों की मृत्यु हुई है। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के अनुसार इनकी मृत्यु कीटनाशक दवाइयों से उपचारित बाजरे के बीच खाने की वजह से हुए आन्तरिक रक्तस्राव (इन्टरनल हैमरेज) के कारण हुई है।

(ग) जी, हां। सी०एफ० (वन्यजीव) भोपाल, की अध्यक्षता वाली एक समिति ने मामले की जांच की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) समिति द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि मोरों को जान-बूझकर जहर नहीं दिया गया था तथा इनके अवैध शिकार का कोई प्रमाण नहीं है। मोरों की मृत्यु कीटनाशक दवाईयों से उपचारित बाजरे के बीच, जिन्हें खेतों में बोया गया था, खाने से हुई है। मॉनसून में देरी की वजह से बीच अंकुरित नहीं हो पाए थे तथा कीटनाशकों का मिट्टी में विलय भी नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

बिहार में पी०सी०ओ०/एस०टी०डी०/आई०एस०डी० बूथ

30. **श्री राजो सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कार्यरत एस०टी०डी०/आई०एस० डी०/पी०सी०ओ० बूथों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिला-वार कितने बूथ आवंटित किए गए; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में स्थलवार कितने बूथों को स्थापित करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दूरसंचार जिले-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार में 7250 एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। पी०सी०ओ० के लिए स्थान संबंधी निर्णय लेने का कार्य फ्रेंचाइज़ियों पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

दूरसंचार जिले का नाम	कार्य कर रहे मौजूदा एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० की संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० की संख्या
1	2	3
1. आरा	214	132
2. भागलपुर	436	313
3. छपरा	1085	1506 @
4. धनबाद	1066	1075 @
5. दरभंगा	2725	2221
6. दुमका	392	165
7. गया	918	622
8. हजारीबाग	603	295
9. जमशेदपुर	860	212
10. कटिहार	840	991 @
11. मोतीझरी	562	542
12. मुजफ्फरपुर	966	937
13. मुंगेर	293	293
14. पटना	1686	617
15. रांची	1396	651
16. ससाराम	300	81
17. सहरसा	434	314
18. डाल्टनगंज	271	197
19. हाजीपुर	**	
20. खगरिया	**	**

@ आबंटित किए गए पी०सी०ओ० के आंकड़े, कार्य कर रहे पीसीओ से अधिक हैं, इसका कारण आबंटन के पश्चात, उपभोक्ता द्वारा डिमाण्ड नोट का भुगतान न करना हो सकता है।

* मुजफ्फरपुर एस०एस०ए० में शामिल कर लिया गया है।

* दरभंगा एस०एस०ए० में शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

सी०जी०एच०एस० के यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करना

31. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली ने दिल्ली/नई दिल्ली के सी०जी०एच०एस० यूनानी औषधालयों में काम कर रहे यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) इस विभाग को यूनानी चिकित्सकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें संघ लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए थे।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुसार नियमितीकरण के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु 4 यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के सेवा रिकार्ड संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में खनन उद्योग का विकास

32. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में खनन उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) राज्य सरकार को इसके परिणामस्वरूप कितनी आय हुई है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार से निर्यात किए गए खनिजों का ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह दिंडसा) : (क) भारत सरकार ने, बिहार सहित, देश भर में खनन उद्योग के तीव्र विकास के लिए, पहले ही, कई कदम उठाए हैं। भारत में खनन क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा की गई थी। हाल ही में, विधिक फ्रेमवर्क को निवेशक अनुकूल और बाधा मुक्त बनाने के लिए खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में, दिसम्बर, 1999 में संशोधन किया गया और उसके बाद इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन किया था। इसी प्रकार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए, नीति को पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक उदार बना दिया गया है।

(ख) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में रायल्टी से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :–

वर्ष	राजस्व
	(करोड़ रुपए में)
1997-98	807.97
1998-99	737.34
1999-2000	755.44

(ग) खनिजों के आयात और निर्यात की, राज्यवार, सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

सेवा संबंधी अनुबंध

33. श्री सुरेश चंदेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलायंस एयरलाइन्स के पायलटों, चालक दल और ग्राउंड स्टाफ के सेवा अनुबंधों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एलायंस एयरलाइन्स के कर्मचारी सेवा अनुबंधों के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या एलायंस एयरलाइन्स के विमान बहुत ही पुराने हैं और यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालने से बचाने के लिये और इस एयरलाइन्स को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिये इन विमानों की मरम्मत करना/उनका सुधार करना आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो पुराने विमानों को बदलने और इस एयरलाइन्स को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एलायंस एयर की जन क्षमता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रथमत: इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर तथा इंडियन एयरलाइन्स से अनुपलब्धता के मामले में इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति ठेके के आधार पर खुली मार्किट के माध्यम से विशिष्ट अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी कर्मियों से की जाती है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर में बी 737-200 विमान का औसत सेवाकाल 18.9 वर्ष है। इन विमानों का अनुरक्षण विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार तथा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। केवल उन्हीं विमानों को प्रचालन में लगाया जाता है जिनकी उड़ान योग्यता का प्रमाणन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

(ङ) पुराने पड़ गए बी-737 तथा ए-300 विमान बेड़े को बदलने तथा इंडियन एयरलाइन्स की विमान बेड़ा क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस समय एक तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन चल रहा है।

राष्ट्रीय खेलों के लिए कार्यक्रम

34. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम की तारीखों को अंतिम रूप देते समय तकनीकी विलम्ब और धन की कमी संबंधी पहलुओं पर विचार किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, हां। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बात की पुष्टि की है कि इन खेलों का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राज्य ओलंपिक संघों को राष्ट्रीय खेलों का आबंटन किया जाता है। तत्पश्चात, राज्य ओलंपिक संघों से, खेलों के लिए दावेदारी करने से पूर्व, संबंधित राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने और खेलों के आयोजन के लिए सभी विवक्षाओं को ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"प्राणी उद्यानों की बिगड़ती स्थिति"

35. श्री पी०सी० थामस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 2000 के "द एशियन एज" में "12 टाइगर्स डाइड इन डैथ ट्रैप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें केन्द्रीय मंत्री महोदय ने भारतीय प्राणी उद्यानों को "वधशालाए" कहकर निंदा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के विभिन्न प्राणी-उद्यान्नों की हालत पशुओं के लिए समुचित सुविधाएं न होने के कारण दयनीय है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 8.7.2000 को एशियन एज में छपे समाचार "12 टाइगर्स डाइड इन नन्दनकानन डैथ ट्रैप" में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में वास्तविक स्थिति निम्नलिखित है :–

(i) प्राणी उद्यानों की दशा वहां के प्राणियों के अनुकूल नहीं – प्राणी उद्यानों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य वन विभाग, नगर निगम, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और इंडस्ट्रियल हाउसिस के हाथों में है। प्राणियों के मालिकाना हक की पद्धति बिल्कुल भिन्न होने के कारण प्राणियों को रखने उनकी देखभाल करने और उनके स्वास्थ्य की देख-रेख के संबंध में समान मापदंड लागू करना आसान काम नहीं है। तथापि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यप्रणणियों के रख-रखाव और उनके स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी मानकों में सुधार के लिए पर्याप्त अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ii) प्राणियों के इलाज के लिए बोर्न फ्री फाउण्डेशन से चिकित्सक बुलाने का अनुरोध – ट्राइपेनोसामियासिस कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित रोग है और इसके निदान के लिए यू०के० चिड़ियाघरों में विशेषज्ञता सुविधाएं बहुत कम है, बोर्न फ्री फाउण्डेशन कोई ऐसा संगठन नहीं है जो वन्यप्राणियों की देखरेख और उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल में लगा हो बल्कि यह संगठन तो चिड़ियाघर की अवधारणा के ही खिलाफ है। 19 और 20 जुलाई, 2000 को चेन्नई में विशेषज्ञों के साथ हुए विचार-विमर्श के पश्चात् इस बात की पुष्टि हुई है कि नन्दनकानन प्राणी उद्यान के पशु चिकित्सकों द्वारा इलाज संबंधी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, वह सही थी।

(iii) भारतीय प्राणी उद्यानों में वन्यप्राणियों की मृत्यु दर बहुत अधिक है और कुल मिलाकर भारत प्राणी उद्यानों के प्रबंधन में असफल रहा है – भारतीय प्राणी उद्यानों में वन्यप्राणियों की मृत्यु दर की तुलना विश्व के विकसित देशों में किसी भी प्राणी उद्यान में मृत्युदर से की जा सकती है। 6-7 प्रतिशत अन्य प्राणी केवल अधिक आयु के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में शिशु अवस्था सहित यह मृत्युदर 15.20 प्रतिशत है।

(iv) प्राणी उद्यान में मरने वाले प्राणियों की जगह वन प्राणियों को प्रतिस्थापित किया जाता है – प्राणी उद्यानों में प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके विपरीत, प्राणी उद्यान पशु उठाकर ले जाने वाले, मानव का भक्षण करने वाले तथा परित्यक्त जंगली जानवरों के बोझ से दबे पड़े हैं। कभी-कभी इस तरह के जानवरों के कारण प्राणी उद्यानों में प्राणियों की संख्या उसकी वहन क्षमता से अधिक हो जाती है।

(v) पशु चिकित्सक वन्यजीवों के संबंध में प्रशिक्षित नहीं हैं और वे केवल पशुधन का इलाज करने में ही प्रशिक्षित हैं – यह सही है कि प्राणी उद्यानों में कार्यरत पशु चिकित्सकों के लिए कोई विशेषज्ञता आधारित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर द्वारा वन्यजीव और प्राणी उद्यान के पशुचिकित्सकों के लिए 9 माह का एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। चेन्नई में वन्यजीव क्षेत्र में एक एम०वी०एस०सी० पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। प्राणी उद्यान के पशु चिकित्सकों को जर्सी वन्यजीव अनुरक्षण ट्रस्ट यू०के० में सेवारत प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(vi) और (vii) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण केवल वित्तपोषक और सलाहकारी निकाय है और केन्द्रीय चिड़ियाघर को आवंटित धनराशि वापस पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को लौटा दी जाती है – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को ऐसी अनिवार्य शर्तें लगाने की शक्तियां प्राप्त हैं जिनका अनुपालन करना प्राणी उद्यानों के लिए जरूरी होता है और ऐसा विगत में भी किया गया है। इस तरह की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रेरणा पद्धति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार के साथ कानूनी प्रक्रिया से केन्द्र और राज्य संबंधों में व्यापक प्रभाव होगा।

(viii) प्राणी उद्यानों के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता काडर बनाना – प्राणी उद्यानों के प्रबंधन के लिए पृथक काडर बनाने हेतु राज्य सरकारों की मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य सरकार की मौजूदा वित्तीय हालत सरकारी कर्मचारियों के वेतन घटक में वृद्धि करने की मंजूरी देने के अनुकूल नहीं है।

(ix) बन्दीगृह प्रजनन के लिए शंघाई हरिणों को प्राणी उद्यानों में स्थानांतरित करना और वन्यजीवन में इन्हें दोबारा शामिल करना – प्रजनन के लिए छः से अधिक संख्या में शंघाई हरिण प्राणी उद्यानों में नहीं लाए गए। इस सीमित प्रजनन संख्या से भारतीय प्राणी उद्यानों में शंघाई हरिणों की संख्या घटकर लगभग 200 से भी कम रह गई है।

प्राणी उद्यानों में पाले-पोसे गए प्राणियों को दोबारा प्राकृतिक माहौल में डालने का कार्य केवल आई०यू०सी०एन० के दिशा-निर्देशों तथा सख्त प्रोटोकोल के अधीन किया जा सकता है। लेकिन मुख्य आवश्यकता वासस्थल की है, जो प्राणियों की अतिरिक्त संख्या को वहन कर सकते हैं। शंघाई हरिणों का वासस्थल लोकतक झील तक ही सीमित है, इसलिए प्राणी उद्यानों में पले बड़े प्राणियों को वन्यजीवन में छोड़ने की संभावना नहीं है।

(x) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने शंघाई हरिणों के क्षयरोग के इलाज के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं – क्षयरोग प्राणी उद्यानों के प्राणियों में लगने वाला आम रोग है और इससे शंघाई हरिण भी प्रभावित हुए है लेकिन अधिकांश हरिण इस रोग से मुक्त हैं। क्षयरोग का इलाज काफी गहनता से करना होता है और यह काफी लम्बा भी होता है। झुंडों में रहने वाले प्राणियों में इस तरह के रोग का इलाज न केवल खर्चीला होता है बल्कि इसका कोई फायदा भी नहीं होता क्योंकि इलाज किए प्राणी को यह रोग दोबारा भी हो सकता है। दिन-प्रतिदिन के लिए प्राणियों को पकड़कर रखना घातक भी हो सकता है। समस्त विश्व में प्रोटोकोल द्वारा प्राणी उद्यानों के क्षयरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए टीकाकरण की आवश्यकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राणी उद्यानों में प्राणियों के क्षयरोग का इलाज संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं और प्राणी उद्यानों को निम्नलिखित समस्याओं से ग्रस्त पाया गया है :–

(क) सामान्य प्रजातियों की बहुतायतता।

(ख) तंग व छेटे-छेटे बाड़े।

(ग) स्वास्थ्य संबंधी प्रभावी मॉनीटरी और निदान सुविधाओं की कमी।

(घ) अपर्याप्त तनकीकी स्टाफ।

[हिन्दी]

केबलों की चोरी

36. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और 30 जून, 2000 तक दिल्ली में केबल और अन्य उपकरणों की चोरी के कितने मामले प्रकाश में आये;

(ख) इनके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 30 जून, 2000 तक केबल तथा अन्य उपकरणों की चोरी की संख्या तथा एम०टी०एन०एल० को उससे हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	चोरी के मामलों की संख्या	हानि (रुपये)
1997	244	4642934
1998	183	2229187
1999	196	3356415
2000 (जून, 2000 तक)	67	1048727

(ग) अति संवदेनशील (जहां अक्सर चोरी की घटनाएं होती हैं) केबल रूट पर पुलिस प्राधिकारियों के समन्वयन से गश्त बढ़ा दी गई हैं केबल-चोरी के सभी मामलों की जांच करने हेतु संबंधित पुलिस थानों में रिपोर्ट की जा रही हैं। इन केबल-चारियों को रोकने के लिए पुलिस प्राधिकारियों, यहां तक कि वरिष्ठ स्तर के प्राधिकारियों के साथ भी समन्वय बैठकें की जा रही हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर से अवैध कब्जों को हटाना

37. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर से अवैध कब्जों को हटाने और दुर्घटना रहित यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के मूलभूत ढांचें में सुधार कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में राट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए 94.75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (अप्रैल, 97 से मार्च, 2000) के दौरान 135.00 करोड़ रु० लागत की 100 सड़क और पुल सुधार परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 1999 से मार्च, 2000 तक कुल 517 कि०मी० की लम्बाई के लिए 95.55 करोड़ रु० की लागत विशेष नवीकरण कार्यक्रम/सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम कार्य भी अनुमोदित किए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा भा०रा०रा०प्रा० ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के एक भाग के तार पर आंध्र प्रदेश में यातायात की मात्रा और संसाधनों के

उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में रा०रा० 5 और रा०रा० 7 को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया है।

[हिन्दी]

"डल झील की सुरक्षा"

38. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर स्थित प्रसिद्ध डल झील को बचाने के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) डल झील सहित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, जिसमें 10 शहरी झीलें शामिल हैं, 637 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसम्बर, 1997 में प्रतिपादित की गई थी। हालांकि सरकार ने पूरी स्कीम को स्वीकृत नहीं किया और केवल डल झील संघटक का ही सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया है सरकार ने भूमि अधिग्रहण सहित अग्रिम तैयारी उपायों के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1997-98 के दौरान 25 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की डल झील संरक्षण योजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य रूड़की विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। यह रिपोर्ट अगस्त 2000 तक पूरी हो जाएगी।

एअर इंडिया द्वारा विमानों का विक्रय

39. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का विचार अपने सात विमानों को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विमानों को बेचने से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है;

(घ) क्या एअर इंडिया के लिए नए विमान खरीदने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(छ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां से इन विमानों को खरीदा जा रहा है और खरीद की शर्तें तथा इन विमानों की लागत क्या है?

नागर विमान मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एअर इंडिया ने अपने तीन बी 747-200 विमानों को बेचने का प्रस्ताव किया है जिनकी पंजीकरण संख्या वीटी-ईबीई, वीटी-ईबीएन तथा वीटी-ईडीयू है जिसके लिए अग्रणी विमानन पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए गए थे। इन तीन विमानों के लिए प्राप्त राशि लगभग 3.7 मिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) से (छ) एअर इंडिया कुछ विमानों को ट्राई लीज पर लेने की योजना बना रही है।

खनन कार्य

40. **श्री उत्तमराव पाटील** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत खानों का ब्यौरा क्या है और उनसे प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी मात्रा में सोना, अभ्रक, लौह अयस्क, इत्यादि निकाला जाता है;

(ख) सरकार द्वारा इन खानों में खनन कार्य तथा कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाता है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 में शामिल धात्विक एवं गैर धात्विक खनिजों के निष्कर्षण के लिए, वर्ष 1999-2000 के दौरान, 2534 खानों में कार्य किया गया। इन खानों का खनिजवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार स्वर्ण, अभ्रक तथा लौह अयस्क के निष्कर्षण की मात्रा विवरण-II में दी गई है।

(ख) निजी खान मालिकों सहित, सार्वजनिक तथा प्राइवेट, दोनों क्षेत्रों द्वारा खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। वेतन सहित खानों पर किये गए खर्च के रिकार्ड के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्यरत खानों की संख्या
(खनिजवार)

खनिज	1999-2000
1	2
सभी खनिज	**2534**
धात्विक खनिज	**561**
बाक्साइट	166
क्रोमाइट	20
ताम्र अयस्क	10

1	2
स्वर्ण	8
लौह अयस्क	213
सीसा एवं जस्ता सांद्र	8
मैंग्नीज अयस्क	135
टिन सान्द्र	1
गैर-धात्विक खनिज	**1973**
अगेट	1
एपेटाइट	2
फास्फोराइट	9
एस्बेस्टस	34
बाल क्ले	52
बेराइटस	18
कैलसाइट	14
[illegible]	113
क्ले अन्य	10
कोरंडम	2
कोरंडम (नीलम)	1
हीरा	2
डायस्पोर	*
डोलामाइट	117
फैल्स्पर	61
गैर-धात्विक खनिज (समाप्ति)	
फायरक्ले	91
फैलसाइट	4
क्लोराइट	6
गारनेट	24
ग्रेफाइट	40
जिप्सम	44
जैस्पर	19
काओलिन	159
कायनाइट	3
सिलिमैनाइट	4
चूना पत्थर	510
चूना कंकड़	3
लाइमसैल	13
कैल्थेरियस सैंड	–
मैग्नेसाइट	16
अभ्रक	45
ओकर	32
पाइराइटस	1
पाइरोफिलाइट	40
क्वार्टज	119
क्वार्टजाइट	14
फच क्वार्टजाइट	1
सिलिका सैंड	151
सैंड (अन्य)	7
नमक (चट्टान)	1
स्लेट	7
स्टीयाइट	150
वर्मिक्यूलाइट	6
वोलास्टोनाइट	3
शैल	2
लैटेराइट	21
डयूनाइट	*
पैरलाइट	1

*संबद्ध खनिज

विवरण-II

1999-2000 के दौरान निष्कर्षित स्वर्ण अभ्रक तथा लौह अयस्क की राज्यवार मात्रा

स्वर्ण अयस्क (टन में)	
आंध्र प्रदेश	55999
कर्नाटक	518054
अभ्रक (कच्चा) (टन में)	
आंध्र प्रदेश	902
बिहार	320
राजस्थान	51

लौह-अयस्क (हजार टन में)

आंध्र प्रदेश	340
बिहार	11913
गोवा	15002
कर्नाटक	15681
मध्य प्रदेश	18582
उड़ीसा	11921
महाराष्ट्र	25
राजस्थान	10
हरियाणा	1

"वन भूमि पर अतिक्रमण"

41. **श्री मोहन रावले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव वन भूमि पर अतिक्रमण को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए बनी कार्य योजना को क्रियान्वित करने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बनाए गए विभिन्न दिशा निर्देशों एवं नियमों के अनुसार 1980 के पूर्व के उन अवैध कब्जों के नियमित करने का प्रावधान मौजूद है, जहां राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम बनने के पूर्व स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कुछ मानदंडों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाले कब्जों को नियमित करने का निर्णय तो लिया हो, परन्तु वह इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अपने निर्णय को लागू न कर सकी हों। तब तक आठ विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से वन भूमि के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए ऐसे 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर अवैध कब्जा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 25/10/1980 से पूर्व हुआ था। इन मामलों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) अगले 20 वर्षों में वन क्षेत्र के वांछित 33% में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वनिकी कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया है। अनुमान है कि राष्ट्रीय वनिकी कार्यवाही कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अगले 20 वर्षों में भारी वित्तीय निवेश अर्थात् 1339.00 बिलियन रुपए की आवश्यकता पड़ेगी तदनुसार राज्य सरकारों से वानिकी सेक्टर में निधि आबंटन बढ़ाने तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि नौवीं और दसवीं योजना, के शेष वर्षों में बढ़ा हुआ परिव्यय मांगा जा सके। इसके अलावा, विश्व बैंक, जापान अन्तरर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक तथा यूरोपियन इकानामिक कमीशन बाह्य दाता एजेंसियों से भी निधियां मांगी जा रही है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जिला	क्षेत्र	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान	1,367	अगस्त 1988 में अनुमोदित
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान	89	20.11.1998 को आवश्यक ब्यौरा केन्द्र शासित राज्य प्रशासन से मांगा गया।
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अंडमान	735	05.9.1989 को आवश्यक ब्यौरा केन्द्र शासित राज्य प्रशासन से मांगा गया
4.	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	10,160	राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरा मांगा गया। 07.10.99 को अनुस्मारक भेजा गया।
		दिबांग	13,419,29	23.10.1992 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
6.	गुजरात	डांग, पंचमहल, सबरकान्था इत्यादि	10,900	10.11.1994 को अनुमोदित

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	बड़ौदा, डांग, सूरत इत्यादि	39,750.59	17.11.1994 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
8.	कर्नाटक	चिकमंगलूर दक्षिण कन्नड़, मैसूर और उत्तर कन्नड़	732	08.4.1996 को गुणदोष के आधार पर नामंजूर
9.	कर्नाटक	19 विभिन्न जिले	14,848.83	प्रस्तावित वन भूमि में से 14848.83 हैक्टेयर वन भूमि के वनेत्तर प्रयोग हेतु अनुमोदित
10.	केरल	इडुक्की, अरुणाकुलम, किल्लों, त्रिचूर आदि	28,588.15	31.01.1995 को अनुमोदित
11.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1.03 लाख	प्रस्तावित 2.73 लाख हैक्टेयर में से जुलाई 1990 में 1.03 लाख हैक्टेयर अनुमोदित
12.	मध्य प्रदेश	सभी जिले	1,82,889.7	30.3.2000 को सलाहकार समिति में चर्चा की गई और 05.7.2000 को राज्य से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
13.	महाराष्ट्र	धुले	10,185.32	19.8.1988 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरा मांगा गया है।
14.	महाराष्ट्र	गादचिरोली	28,886.4	30.6.1992 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरा मांगा गया है।
15.	राजस्थान	10 जिले	3171.4	18.11.1998 को सलाहकार समिति में चर्चा की गई और 02.12.1998 को राज्य से अतिरिक्त सूचना मांगी गई। 30.7.1999 को अनुस्मारक भेजा गया था।

[अनुवाद]

"वन्य जीवों का समाप्त होना"

42. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सुरक्षा संगठनों अथवा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बाघ और अन्य जंगली बिल्लियों सहित जंगली जानवरों की पकड़ी गई खालों और हड्डियों और अन्य अंगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की सांठगांठ में कार्य कर रहे अवैध शिकारियों, तस्करों और व्यापारियों के किसी गिरोह का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके और अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और वन्यजीवों की संख्या को समाप्त होने से रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा वन्य जीवों की कौन-कौन सी प्रजातियां अब तक लुप्त हो चुकी हैं और किन-किन प्रजातियों का लुप्त होने का खतरा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) भारत सरकार के क्षेत्रीय वन्यजीव संरक्षण कार्यालयों और अन्य द्वारा 1996 और 2000 के बीच की गई वन्यजीवों की महत्वपूर्ण जब्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जिस तरीके से वन्यजीवों की वस्तुओं को संसाधित, पैक किया गया और उनका परिवहन किया गया, उससे ज्ञात होता है कि वन्यजीवों के व्यापार में संगठित माफिया का हाथ है। वन अधकारियों की सांठगांठ होने का कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश में पता लगाए गए तेंदुए, बाघ और ऊदबिलाव की खालों की जब्ती संबंधी महत्वपूर्ण मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं। वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। जिन वन्यजीवों के लुप्त होने की संभावना है या लुप्त होने का खतरा है उनकी सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

क्षेत्रीय कार्यालयों और बाघ परियोजना कार्यालय द्वारा सूचित की गई महत्वपूर्ण जब्ती का ब्यौरा

क्रम सं०	तारीख	माह	वर्ष	प्रजातियां	भाग	संख्या	वजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5	2	1996	नेवला	ब्रुश	244	0
2.	5	2	1996	आईडोल	हाथी दांत	2	0
3.	5	2	1996	कछुआ		6000	0
4.	11	7	1996	गीदड़	सिर	142	0
5.	11	7	1996	गीदड़	पैर	4	0
6.	11	7	1996	पैंगोलिन	खाल	1	0
7.	11	7	1996	बड़ी गिलहरी	खाल	1	0
8.	11	7	1996	चीतल	खाल	7	0
9.	11	7	1996	गीदड़	खाल	6	0
10.	11	7	1996	गीदड़	खाल	14	0
11.	11	7	1996	गीदड़	पूंछ	148	0
12	11	7	1996	नेवला	पूंछ	1	0
13	11	7	1996	पतला लोरिस		3	0
14	18	3	1997	गवल	सींग	0	9.5
15.	18	3	1997	जंगली भैंसा	सींग	0	2.2
16.	18	4	1997	तेंदुआ	खाल	3	0
17.	18	4	1997	तेंदुआ	खाल	1	0
18.	18	4	1997	चीनी पैंगोलिन	खाल	2	0
19.	25	4	1997	गंधबिलाव	खाल	4	0
20.	25	4	1997	पाढ़ा	खाल	1	0
21.	25	4	1997	हुलक गिबन	खाल	3	0
22.	25	4	1997	हुलक गिबन	खाल	1	0
23.	25	4	1997	तेंदुआ	खाल	2	0
24.	25	4	1997	तेंदुआ	खाल	1	0
25.	25	4	1997	रीछ	खाल	2	0
26.	27	5	1997	उड़न गिलहरी	खाल	9	0
27.	27	5	1997	उड़न गिलहरी	खाल	2	0
28.	27	5	1997	तेंदुआ	खाल	2	0
29.	27	5	1997	नेवला	खाल	1	0
30.	27	5	1997	काला भालू	खाल	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	28	5	1997	नदी कछुआ	जीवित	9	0
32.	28	5	1997	सितारा कछुआ	जीवित	39	0
33.		5	1997	तेंदुआ	खाल	3	0
34.	5	6	1997	तेंदुआ	खाल	1	0
35.	14	7	1997	गंध बिलाव	खाल	1	0
36.	14	7	1997	पाढ़	खाल	3	0
37.	14	7	1997	तेंदुआ	खाल	1	0
38.	14	7	1997	काला भालू	खाल	2	0
39.	14	7	1997	जंगली जानवर	खाल	4	0
40.	25	7	1997	सितारा कछुआ	जीवित	222	0
41.	28	7	1997	धनेश	चोंच	1	0
42.	28	7	1997	चमरघेंघ	चोंच	2	0
43.	28	7	1997	चमरघेंघ	चोंच	1	0
	30	7	1997	सांही	पंख	28000	0
	25/26	7	1997	लोमड़ी	खाल	1	0
46.	25/26	7	1997	तेंदुआ	खाल	2	0
47.	6	8	1997	काला कोबरा	जीवित	113	0
48.	6	8	1997	अजगर		10	0
49.	6	8	1997	तमाशा कोबरा		5	0
50.	8	8	1997	काला कोबरा	जीवित	60	0
51.	9	8	1997	बाघ	खाल	1	0
52.	22	9	1997	धनेश	चोंच	1	0
53.	22	9	1997	चीनी पैंगोलिन	खाल	1	0
54.	22	9	1997	हरिण	खाल	1	0
55.	8	1	1998	सांप	खाल	1	0
56.	15	1	1998	ससुरिया लापा अड्डे का तेल		0	2
57.	9	2	1998	ससुरिया लापा वाला च्यवनप्राश		1512	0
58.	25	3	1998	कछुआ	पृष्ठ वर्म	1	0
59.	25	3	1998	हरिण	सींग	1	0
60.	25	3	1998	पक्षी	कंकाल	2	0
61.	25	3	1998	पक्षी	खोपड़ी	1	0
62.	25	3	1998	हरिण	खोपड़ी	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	25	3	1998	रासी स्जेक		0	20
64.	1	4	1998	पी सायना सिफाला		50	0
65.	3	4	1998	स्लप्पा सीरपयुक्त सीरप		0	1
66.	3	4	1998	लिव 52		0	1
67.	13	7	1998	वारानस	खाल	5	0
68.	14	7	1998	हरिणा	सींग	0	7.2
69.	13	8	1998	अलेक्जेंड्राइन और गुलाब रिंग काकातुआ		150	0
70.	13	8	1998	रूस्तक करैल		1	0
71.	13	8	1998	काले सिर वाली मुनिया		1575	0
72.	13	8	1998	मगरपूंछ बंदर		2	0
73.	13	8	1998	जंगली मैना		20	0
74.	13	8	1998	पराकीट		2	0
75.	13	8	1998	लाल मुनिया		1500	0
76.	13	8	1998	चित्तीदार मैना		875	0
77.	13	8	1998	कछुआ		10	0
78.	13	8	1998	जुलाहा चिड़िया		50	0
79.	13	8	1998	सफेद पीठ मुनिया		50	0
80.	17	8	1998	पी० क्रीमेरी		30	0
81.	17	8	1998	मुनिया		50	0
82.	17	8	1998	प्रिसिटाकुला क्रामेरी		30	0
83.	10	9	1998	तेंदुआ	खाल	2	0
84.	10	9	1998	बाघ	खाल	3	0
85.	24	9	1998	बाघ	खाल	1	0
86.	26	9	1998	हरिण	खाल	5	0
87.	15	10	1998	काला हरिण	जीवित	1	0
88.	15	10	1998	मोरनी		2	0
89.	15	10	1998	चीतल		2	0
90.	17	10	1998	वस्तुएं	हाथीदांत	61	6.9
91.	26	10	1998	तेंदुए	जीवित	4	0
92.	26	10	1998	पराकीट		3	0
93.	29	10	1998	गेंडा	सींग	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	1	11	1998	तेंदुए	खाल	1	0
95.	1	11	1998	बाघ	खाल	1	0
96.	21	11	1998	बाज		1	0
97.	30	11	1998	बाज	जीवित	2	0
98.	7	12	1998	मोर	पंख	73730	0
99.	8	12	1998	ससुरिया लापा	अड्डे	0	4
100.	25	2	1999	शिकारी पक्षी	टांगें	3	0
101.	25	2	1999	सांही	पंख	100	0
102.	25	2	1999	मगरमच्छ	खाल	1	0
103.	25	2	1999	हरिण	खाल	6	0
104.	25	2	1999	मॉनीटर छिपकली	खाल	1	0
105.	25	2	1999	पैंगोलिन	खाल	3	0
6.	25	2	1999	अजगर	खाल	2	0
107.	25	2	1999	हरिण	खोपड़ी	1	0
108.	26	2	1999	शहतूश	खालें	9	0
109.	14	3	1999	शहतूश	शाले	13	0
110.	15	3	1999	शहतूश	शाले	13	0
111.	17	3	1999	सांभी चीतल	बटन	650	0
112.	31	3	1999	कथ	अड्डे	0	2.1
113.	1	4	1999	जीवित पक्षी		13	0
114.	1.	4	1999	कोबरा	खाल	45	0
115.	12	4	1999	मोर	पंख	0	4.75
116.	12	4	1999	तितलियां		0	1.97
117.	17	5	1999	धूसर मुर्गी	पंख	0	0.89
118.	27	7	1999	छिपकली	खाल	11000	0
119.	23	8	1999	नेवला	बाल	0	4.5
120.	2	9	1999	हरिण	सींग	3	0
121.	24	9	1999	बाघ	खाल	1	0
122.	23	10	1999	एसार्ट मुनिया		125	0
123.	23	10	1999	पी० साइनो सेफाला		4	0
124.	23	10	1999	सिटाकुला क्यूपाट्रिया		5	0
125.	23	10	1999	सिटाकुला क्रामेरी		25	0

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	19	12	1999	लोमड़ी		5	0
127.	19	12	1999	तेंदुआ		50	0
128.	19	12	1999	बाघ		3	0
129.	2	1	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
130.	7	1	2000	बाघ	खाल	1	0
131.	8	1	2000	तेंदुआ शावक	पूरा शरीर	1	0
132.	12	1	2000	तेंदुआ	खाल	70	0
133.	12	1	2000	बाघ	खाल	4	0
134.	12	1	2000	तेंदुआ	रदनक	2	0
135.	12	1	2000	तेंदुआ	नाखून	18000	0
136.	12	1	2000	बाघ	नाखून	137	0
137.	12	1	2000	तेंदुआ	शिश्न	1	0
138.	12	1	2000	काला हरिण	खाल	221	0
139.	13	1	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
140.	14	1	2000	बाघ और तेंदुआ	हड्डियां	0	175
141.	16	1	2000	तेंदुआ	शरीर	1	0
142.	21	1	2000	बाघ	खाल	1	0
143.	22	1	2000	तेंदुआ	खाल	2	0
144.	19	1	2000	तेंदुआ	पंजे	80	0
145.	20	1	2000	बाघ	शरीर	1	0
146.	2	2	2000	तेंदुआ	खाल	4	0
147.	10	2	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
148.	10	2	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
149.	10	2	2000	सांप	खाल	80	0
150.	12	22	2000	तेंदुआ	पूरा शरीर	1	0
151.	13	2	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
152.	13	2	2000	सांप	खाल	80	0
153.	21	2	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
154.	22	2	2000	बाघ	खाल	1	0
155.	22	2	2000	बाघ	खाल	2	0
156.	23	2	2000	तेंदुआ	हड्डियां	0	1किलो
157.	24	2	2000	तेंदुआ	खाल	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
158.	15	3	2000	बाघ	पूरा शरीर	1	0
159.	31	3	2000	तेंदुआ	खाल	2	0
160.	31	3	2000	तेंदुआ	पूरा शरीर	1	0
161.	1	4	2000	तेंदुआ	खाल	6	0
162.	1	4	2000	बाघ	खाल	1	0
163.	4	4	2000	बाघ	पूरा शरीर	1	0
164.	10	4	2000	बाघ	पूरा शरीर	1	0
165.	20	4	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
166.	2	5	2000	ऊदबिलाव	खाल	81	0
167.	6	5	2000	ऊदबिलाव	खाल	15	0
168.	6	5	2000	तेंदुआ	खाल	50	0
169.	8	5	2000	तेंदुआ	खाल	3	0
170.	15	5	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
171.	19	5	2000	तेंदुआ	खाल	7	0
172.	19	5	2000	चीतल	खाल	5	0
173.	21	5	2000	तेंदुआ	खाल	30	0
174.	21	5	2000	तेंदुआ	खाल	8	0
175.	21	5	2000	बाघ	खाल	1	0
176.	21	5	2000	तेंदुआ	खाल	1	0
177.	13	6	2000	सांप	खाल	2000	0
178.	20	6	2000	तेंदुआ	खाल	4	0
179.	25	6	2000	बाघ	पूरा शरीर	1	0
180.	29	6	2000	बाघ	पूरा शरीर	1	0

विवरण-II

भारत सरकार ने देश में वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

– वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत वन्य प्राणियों के शिकार और वाणिज्यिक दोहन के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।

– वन्यजीवों के अवैध शिकार और गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में विशेष समन्वय एवं प्रवर्तन समिति की स्थापना करना। विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर और जिला स्तर पर इसी प्रकार की समीतियां स्थापित की गई हैं।

– वन्यजीव अपराधों में शामिल अपराधियों को पकड़ने और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्राधिकृत करना।

– परासैन्य बलों और राज्य सशस्त्र पुलिस टुकड़ी से लिए गए सशस्त्र दलों और मारक बलों को शामिल करके अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना।

– किए गए सुरक्षा उपायों की प्रभावी मानीटरी के लिए राज्य सरकार के साथ आवधिक बैठकें करना।

– केन्द्र सरकार के तहत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

– संरक्षी कार्यों के लिए राज्य सरकारों को निधियां मुहैया करना।

विवरण-III

लुप्त होने वाली अथवा जिनके लुप्त होने का खतरा है उन प्रजातियों की सूची :

क्र०सं०	वन्यजीव
1.	शिकार करने योग्य तेंदुआ
2.	छोटे एक सींग वाले गैंडे
3.	गुलाबी सिर वाली बतख
4.	पहाड़ी बटेर
5.	वन्य उल्लूकफ
6.	हिमालयन न्यूट
7.	मालाबार ट्री टोड
8.	गारो हिल्स ट्री टोड

भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा धन का दुरुपयोग

43. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर धन के दुरुपयोग के संबंध में किसी रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार उक्त बोर्ड को भंग करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) जी, नहीं। तथापि, समाचारों/मुद्रित सामग्री में प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने क्रिकेट में मैच-फिक्सिंग के मुद्दे तथा अन्य सम्बद्ध मामलों को समुचित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) को सौंप दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सांख्य वाहिनी परियोजना

44. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री जे०एस० बराड़ :
श्री अजय चकवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्य वाहिनी परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम समझौते तथा आर्टिकल आफ एशोसिएशन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस परियोजना के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है; और

(ग) पूरी परियोजना में कुल पूंजी में से विदेशी निवेश की हिस्सेदारी कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) 10 वर्ष से अधिक की परियोजना की पूंजी लागत का 1534.05 करोड़ रु० (सीमा शुल्क सहित) का अनुमान लगाया गया है।

(ग) प्रस्ताव रखा गया है कि सांख्य वाहिनी इंडिया लि० की 49% इक्विटी विदेशी संयुक्त उद्यम के भागीदारों, आईयूनेट इंक० के पास रहेगी।

सहायक स्वास्थ्य प्रणाली

45. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्रीमती जसकौर मीणा :
श्री राम सिंह कस्वां :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्राथमिक सहायक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा उन पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में प्राथमिक/सहायक स्वास्थ्य प्रणाली के पुनर्गठन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) योजना आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 1,44,33.85 करोड़ रुपयए आबंटित किए हैं। इसमें बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम सम्मिलित हैं जिसके अन्तर्गत राज्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या समेत सात बुनियादी सेवाओं में से अपनी प्राथमिकता का चुनाव करने की छूट प्राप्त है।

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित करने के लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण-II संलग्न है। संबंधित राज्य सरकारें बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित निधियों और इस प्रयोजनार्थ प्रदत्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से इन केन्द्रों को स्थापित और अनुरक्षित करती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के अनुरोध विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् विश्व बैंक के वित्तपोषण से कुछेक राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्यों में चलाए जा रहे है जो औषधियों, उपस्करों, सिविल संकर्मों, प्रशिक्षण तथा सहायक स्टाफ आदि के प्रावधान के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने की व्यवस्था करते हैं।

(च) 9वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दिए अनुसार हैं :–

	1997-98		1998-99	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
सी०एच०सी०एस०	–	75	729	222
प्रा० स्वा० केन्द्र	–	397	381	402

विवरण-I

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीएचसीएस	पीएचसीएस
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	220	372
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	76	107
4.	बिहार	511	428
5.	गोआ	1	5
6.	गुजरात	71	68
7.	हरियाणा	39	16
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	4	–
10.	कर्नाटक	26	–
11.	केरल	100	–
12.	मध्य प्रदेश	307	206
13.	महाराष्ट्र	135	61
14.	मणिपुर	–	–
15.	मेघालय	6	–
16.	मिजोरम	–	–
17.	नागालैण्ड	9	21
18.	उड़ीसा	108	–
19.	पंजाब	14	–
20.	राजस्थान	51	–
21.	सिक्किम	2	–
22.	तमिलनाडु	237	–
23.	त्रिपुरा	13	40
24.	उत्तर प्रदेश	621	–
25.	पश्चिम बंगाल	342	170
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–
27.	चंडीगढ़	–	2

1	2	3	4
28.	दादर और नगर हवेली	2	1
29.	दमण और दीव	—	—
30.	दिल्ली	7	24
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—
	अखिल भारत	2903	1521

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	301	85
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोआ	—	—	—
6.	गुजरात	—	7	17
7.	हरियाणा	1	1	—
8.	हिमाचल प्रदेश	52	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	2	—	—
10.	कर्नाटक	—	75	—
11.	केरल	4	2	—
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	4	—	63
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	4	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	250	—	—
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	30	16	12
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	1
23.	त्रिपुरा	3	—	1
24.	उत्तर प्रदेश	47	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
29.	दमण और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—
	अखिल भारत	397	402	179

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

46. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों से परामर्श, करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रत्येक वर्ष खर्च की जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जून-जुलाई, 2000 के दौरान राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिवों, व्यावसायिक चिकित्सा संघों और चिकित्सा विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक सम्पादकों और मीडिया प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति, औद्योगिक और निगमित सेक्टर और केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ अनेक परामर्श/सम्मेलन आयोजित किए गए।

(ग) सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए है :–

(i) प्रजनक और बाल स्वास्थ्य के एकीकृत और समग्रतावादी कार्यक्रम, जिसमें मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन विषय शामिल हैं, को अक्तूबर, 1997 में शुरू किया गया था।

(ii) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम चल रहे हैं।

(iii) परिवार कल्याण आधारभूत संरचना के रखरखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता।

(iv) परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता।

इसके अतिरिक्त सरकार ने फरवरी, 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपना ली है जिसमें देश में जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने समग्रतावादी एप्रोच की व्यवस्था है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि और वर्तमान वर्ष का आबंटन नीचे दिया गया है :–

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	प्लान व्यय
1997-98	1820.06
1998-99	2342.57
1999-2000	3118.91
2000-2001 (परिव्यय)	3520.00

एन०सी०सी०पी० हेतु आबंटित निधि का दुरुपयोग

47. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित निधि का दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निकले परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नकली मिनरल वाटर की बिक्री

48. **श्री दिनेश चन्द्र यादव**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेईमान व्यापारियों और वितरकों द्वारा देश में नकली मिनरल वाटर की भारी पैमाने पर बिक्री की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नकली मिनरल वाटर के व्यापार में लिप्त व्यापारियों और वितरकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) खनिज युक्त जल (मिनरल वाटर) की गुणता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य अपमिश्रण नियमावली 1955 में इस जल के लिए मानक निर्धारित किए गए है। मानकों की शर्तों के अनुसार इस उत्पाद की गुणता का अनुवीक्षण राज्य खाद्य प्राधिकारियों के जरिए किया जाता है जिसको खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों और इसके अन्तर्गत बने नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। खनिज युक्त जल के नकली व्यापार में लगे हुए व्यापारियों और वितरकों का पता लगाने की दृष्टि से कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, विभिन्न राज्यों में खनिज युक्त जल के लिए गए और अपमिश्रित पाए गए नमूनों का उनके द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस उत्पाद की गुणता का और अनुवीक्षण करने के लिए सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत एक प्रारूप अधिसूचना हाल ही में निर्गत की है ताकि खनिज युक्त जल के विनिर्माण, बिक्री अथवा बिक्री हेतु प्रदर्शनी को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन योजना के अन्तर्गत लाया जा सके।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम		उठाए गए नमूने	अपमिश्रित पाए गए
1	2	3	4	5
1.	एन०सी०टी० दिल्ली	1996	8	6
		1997	6	3
		1998	7	3
2.	लक्षद्वीप	खनिजयुक्त जल का विनिर्माण अथवा विपणन नहीं किया जाता।		
3.	अरुणाचल प्रदेश	यादृच्छिक प्रतिचयन किया गया। राज्य में अपमिश्रित/घटिया खनिजयुक्त जल का पता नहीं चला।		
4.	गोवा		29	2
5.	चंडीगढ़ प्रशासन	1996	6	शून्य
		1997	6	शून्य
		1998	9	शून्य
6.	राजस्थान		16	शून्य
7.	केरल	1996-97	7	—
		1997-98	70	3
		1998-99	72	8
8.	दमन एवं द्वीव		8	शून्य
9.	मेघालय		4	शून्य
10.	महाराष्ट्र		104	12
11.	मिजोरम		निल	
12.	पांडिचेरी	नमूने बारंबार उठाए गए, कोई नमूना अपमिश्रित नहीं पाया गया।		
13.	उड़ीसा	1996	2	—
		1997	20	2 अपमिश्रण। गलत ब्राण्ड का था
		1998	34	14
14.	कर्नाटक	1997-98	8	शून्य
		1998-99	20	3
15.	नागालैण्ड	कुछ नमूने उठाए गए, ये सभी खाद्य अपमिश्रण निवारण यूनिटों के अंतर्गत थे।		
16.	पंजाब		1	1
17.	त्रिपुरा	यादृच्छिक प्रतिचयन किया गया। खनिज युक्त जल में अपमिश्रण का पता नहीं चला।		
18.	गुजरात		206	24
19.	पश्चिम बंगाल		22	3 में अपमिश्रण था। 4 में गलत ब्रांड था।
20.	आंध्र प्रदेश	1997	38	5
		1998	209	51
		1999 (अगस्त '99 तक)	431	103
21.	अंडमान और निकोबार	1999	9	शून्य
22.	असम	1998	शून्य	शून्य
		1999 (नवम्बर तक)	13	शून्य

विजयवाड़ा और तिरूपति के लिये विमान सेवा

49. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा और तिरूपति के लिए विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) ये सेवाएं कब तक शुरू कर दी जायेंगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय तिरूपति इंडियन एयरलाइन्स की प्रति सप्ताह 4 दिन तथा जेट एयरवेज की दैनिक उड़ानों से विमान सेवा से जुड़ा हुआ है। कोई भी अनुसूचित प्रचालक विजयवाड़ा के लिए/से प्रचालन नहीं कर रहा है।

(ग) एयरलाइनें, मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर, जिनमें मार्गों को कुछ विशिष्ट श्रेणियों में न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

50. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
डा० रमेश चंद तोमर :
श्री आर०एल० भाटिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अनंत गुढे :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के राष्ट्रीयकरण की रूप रेखा तैयार करने के लिए राज्य स्वास्थ्य सचिवों और परिवार कल्याण के प्रभारी निदेशकों की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस बैठक में क्या सुझाव दिए गए और क्या निर्णय लिए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने में गैर-सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी आमंत्रित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार कल्याण के प्रभारी राज्य सचिवों की एक बैठक पहली और दूसरी जून, 2000 को आयोजित की गई।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 पर विचार-विमर्श करते हुए इस नीति में निहित उद्देश्यों और लक्ष्यों का खुलासा किया गया।

इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से अन्तरक्षेत्रीय समन्वय की जरूरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में सूचीबद्ध विभिन्न कार्यनीतिक विषयों के साथ-साथ प्रचालनात्मक कार्यनीतियों पर तत्काल कार्रवाई आरंभ करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया।

(घ) और (ङ) विशेष रूप से कवरेज तथा आउटरीच सेवाएं बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयत्नों को संपूरित करने में गैर सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट निगमित क्षेत्र की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की दृष्टि से भारत सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सी०आई०आई०) और यू०एन०एफ०पी०ए० द्वारा संयुक्त रूप से "जनसंख्या और विकास : गैर सरकारी-सरकारी साझेदारी के लिए संभावना" पर एक सेमिनार 11वीं जुलाई, 2000 को विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित किया गया।

(च) सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) एक समेकित और समग्रतावादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्तूबर, 1997 में शुरू किया गया जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन के मामले सम्मिलित हैं।

(ii) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।

(iii) परिवार कल्याण के कुछ बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता।

(iv) परिवार कल्याण कार्यक्रम की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऐच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को सहायता।

(v) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में उल्लिखित कार्ययोजना पर अमल करना।

एयरलाइनों द्वारा पायलटों के आचार संबंधी दिशा-निर्देश

51. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मई, 2000 और 29 अप्रैल 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में क्रमश: "थिक स्कीन्ड एअर इंडिया पायलट्स नाव ऑफलोड कारगो टू ब्लैकमेल" और "ए वूमैन पैसेन्जर स्टैन्ड्स अप टू रूड पायलट" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों एयरलाइनों के पायलटों के आचार के संबंध में कोई दिशा-निर्देश विद्यमान हैं;

(ग) यदि हां, तो पायलटों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन घटनाओं के संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और दोषी पायलटों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी अथवा किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) प्रबन्धन ने विमानचालकों से एक ठोस वार्ता की है।

टायफॉयड, पीलिया और अतिसार के मामलों में वृद्धि

52. डा० रमेश चन्द तोमर :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी के निकट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में टायफॉयड, पीलिया और अतिसार के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में कोई केन्द्रीय दल भेजने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन रोगों के फैलने से राजधानी में रहने वाले नागरिकों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) आन्त्र ज्वर (टाइफायड), पीलिया, अतिसार और पानी से पैदा होने वाली अन्य बीमारियां अपनी व्याप्तता के तरीकों में मौसमी विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के एक दल ने जून, 2000 को राजधानी के निकट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों के कुछ क्षेत्रों नामत: गाजियाबाद जिले के विजय नगर, गोविन्दपुरी, और राजनगर का दौरा किया है और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की घटना का जायजा लिया है। जांच दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि गाजियाबाद जिले के गोविन्दपुरी के 'एफ' ब्लॉक में पीलिया का कोई प्रकोप नहीं था जैसा कि प्रेस द्वारा बताया गया था, जबकि अप्रैल के अंत व मई के शुरू में राजनगर के सेक्टर 23 में पीलिया का प्रकोप और विजयनगर क्षेत्र में अतिसार के कुछ कदाचनिक (स्पोर्डिक) मामले थे।

(ग) इस वर्ष दिल्ली में आन्त्र ज्वर (टाइफाइड), पीलिया तथा जठरान्त्र शोथ रोगों के बढ़े हुए मामलों की कोई सूचना नहीं है।

(घ) स्थानीय निकायों/राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा ऐसे रोगों के नियंत्रण के लिए अन्य कदमों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. जांच हेतु जल – नमूने उठाना।
2. प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है।
3. क्लोरिन की गोलियों का वितरण।
4. ओ०आर०एस० पैकेटों का वितरण।
5. इश्तहारों, पोस्टरों, सामूहिक चर्चाओं, मीडिया इत्यादि के माध्यम से समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना।
6. अल्प सेवित क्षेत्रों में गरीबों के उपचार हेतु चलती-फिरती क्लीनिकें।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

53. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों की परिवार नियोजन कार्यक्रमों में रूचि समाप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जनसंख्या को स्थिर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(घ) जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त कर लिया जाएगा; और

(ङ) जनसंख्या विस्फोट पर काबू पाने के लिए कौन-कौन से विप्रेरक या प्रोत्साहन देने/लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश की जनसंख्या के स्थिरीकरण की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की उद्घोषणा की है। एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है जिसमें, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के अलावा केन्द्रीय मंत्रीगण, विख्यात जनसांख्यिकोविद, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य सदस्य हैं।

सेवा प्रदाय में विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्यों और जिलों में एक कार्य योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया जाएगा।

जनसंख्या नीति में निम्नलिखित की व्यवस्था है :–

(i) एक समेकित और समग्रतावादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्टूबर, 1997 में शुरू किया गया जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन के मामले सम्मिलित हैं।

(ii) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।

(iii) परिवार कल्याण के बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता।

(iv) परिवार कल्याण कार्यक्रम की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऐच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को सहायता।

(घ) जनसंख्या नीति में 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का उल्लेख है।

(ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्युदर में कमी लाने और गर्भनिरोधक सेवाओं की कवरेज तथा आउटरीच सेवाएं बढ़ाने के लिए अनेक संवर्धक तथा अभिप्रेरक उपाय करने की व्यवस्था है। समुदाय के लिए कतिपय प्रोत्साहन भी सोचे गए हैं :–

- पंचायतों तथा जिला परिषदों को पुरस्कार देना,
- बालिका समृद्धि योजना को चलाए रखना,
- मातृत्व लाभ योजना,
- स्वास्थ्य बीमा योजना,

पर्याप्त 'बैंड विड्थ' सुविधा

54. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीघ्र और भरोसेमंद इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त 'बैंडविड्थ' की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जर्मनी आदि विभिन्न देशों में अनुकूल बैंडविड्थ की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विश्वसनीय इंटरनेट सुविधाओं के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ एक पूर्व आवश्यकता है।

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है :–

1. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई०एस०पी०) को सुरक्षा क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ प्रदान करने हेतु उपग्रह माध्यम के प्रयोग का संबंध है, आई०एस०पी० को यह अनुमति दी गई है कि वे उन उपग्रहों से बैंडविड्थ प्राप्त करें जो पूरे भारत के ऊपर अवस्थित हैं। जहां तक इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ प्रदान करने हेतु समुद्री केबल माध्यम के प्रयोग का संबंध है, सरकार ने यह घोषणा की है कि आई०एस०पी० अंतर्राष्ट्रीय अंडर सी० बैंडविड्थ कैरियरों के सहयोग से, भारत में कहीं भी अकेले या संयुक्त रूप से अपने लैंडिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं।

2. वी०एस०एन०एल० ने इंटरनेट के लिए लगभग 310 मेगाबिट्स प्रति सैकेण्ड (एम०बी०पी०एस०) की अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ प्राप्त कर ली है और अब शीघ्र ही 500 एम०बी०पी०एस० प्राप्त करने के लिए कार्यरत है।

3 दूरसंचार सेवा विभाग (डी०टी०एस०), मार्च 2001 तक जिला मुख्यालय स्तर तक मांग पर बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए एक योजना बना रहा है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। दूरसंचार सेवा विभाग ने 28 प्रमुख शहरों को कवर करने वाली संचार सागर चरण-1 परियोजना के एक भाग के रूप में 2.5 जेगाबिट्स प्रति सैकेण्ड (जी०बी० पी०एस०) क्षमता का 14000 रूट किमी सिन्क्रोनस डिजिटल हायरकी (एस०डी०एच०) औप्टिकल फाइबर नेटवर्क चालू कर दिया है। इसके अलावा, कम क्षमता के एसडीएच औप्टिकल फाइबर नेटवर्कों से जुड़ा 3000 कि०मी० का समान नेटवर्क भी अगस्त 2000 तक चालू किए जाने की संभावना है। मार्च 2001 तक, संचार सागर चरण-II के एक भाग के रूप में 2.5 जैगाबिट्स प्रति सैकेण्ड (जी०बी० पी०एस०) के 32 और रिंग चालू किए जाने की योजना बनाई गई है। इससे देश में इंटरनेट आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4. दूरसंचार आयोग ने पट्टे पर सर्किट प्रदान करने और उद्योग की बैंडविड्थ आवश्यकताओं की निगरानी करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित की है।

5. इंटरनेट ट्रैफिक वहन करने के लिए डीटीएस एक राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एन०आई०बी०) स्थापित करने की योजना बना रहा है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सहित अन्य देशों को निम्नलिखित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ उपलब्ध है :–

देश	उपलब्ध बैंडविड्थ
1	2
यू०एस०ए०	200 जी०बी०पी०एस०
यू०के०	120 जी०बी०पी०एस०

1	2
जापान	160 जी०बी०पी०एस०
चीन	55 जी०बी०पी०एस०
भारत	13 जी०बी०पी०एस०

[हिन्दी]

राज्यों में नए स्टेडियमों का निर्माण

55. **डा० बलिराम :**
श्री तिरूनावकरसू :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में नये स्टेडियमों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को खेलकूद गतिविधियों में सुधार हेतु विभिन्न राज्यों से नये स्टेडियमों के निर्माण हेतु विशेष अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अब तक निर्मित या निर्माणाधीन स्टेडियमों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) "खेल" राज्य का विषय है। नये स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का सृजन करना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए, यह मंत्रालय राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, "*खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों*" की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय में स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्राप्त नये प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा तथा केन्द्रीय सहायता के लिए व्यवहार्य पाए गए प्रस्तावों की संख्या विवरण-I में दर्शायी गयी है।

(च) निरंतर रूप से चल रही नौवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, निर्मित/निर्माणाधीन स्टेडियमों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान स्टेडियमों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	कुल अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	5	—	—
2.	असम	11	1	31.41
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	—
4.	गुजरात	1	1	60.00
5.	गोवा	3	—	—
6.	हरियाणा	3	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	5	—	—
8.	जम्मू व कश्मीर	9	—	—
9.	कर्नाटक	10	2	108.00
10.	केरल	7	4	135.25
11.	मध्य प्रदेश	9	1	48.215
12.	महाराष्ट्र	9	—	—
13.	मिजोरम	16	6	162.00
14.	मणिपुर	10	2	179.87
15.	नागालैण्ड	25	4	420.00
16.	उड़ीसा	5	—	—
17.	पंजाब	12	3	180.00
18.	राजस्थान	12	—	
19.	सिक्किम	2	—	
20.	त्रिपुरा	5	—	
21.	तमिलनाडु	4	1	
22.	पश्चिम बंगाल	3	—	—
23.	दिल्ली	1	1	17.80
24.	चण्डीगढ़	1	—	—

विवरण-II

(रकम लाख रु० में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्र० सं०	परियोजना का स्थान	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
असम	1.	जोरहाट में इण्डोर स्टेडियम	20.00	20.00	पूरी की गयी परियोजना
	2.	नौगांव में इण्डोर स्टेडियम	12.20	12.20	-वही-
गुजरात	1.	जदेश्वर, भड़ौच में आऊटडोर स्टेडियम	5.50	5.50	-वही-
	2.	राजपीपला, भड़ौच में आऊटडोर स्टेडियम	11.80	10.62	कार्य प्रगति पर है।
	3.	राजकोट में इण्डोर स्टेडियम	60.00	40.00	परियोजना पूरी की।
हरियाणा	1.	सिरसा में इंडोर स्टेडियम	14.08	14.08	परियोजना पूरी की।
	2.	झज्जर, रोहतक में कुश्ती का इंडौर हॉल	4.26	4.26	-वही-
हिमाचल प्रदेश	1.	बिलासपुर में इंडोर स्टेडियम	52.50	47.25	कार्य प्रगति पर है।
	2.	कोटली, मंडी में मिनी स्टेडियम	2.24	2.016	-वही-
	3.	शिमला में राज्य स्तरीय खेल परिसर	181.00	181.00	परियोजना पूरी कर दी गई।
जम्मू कश्मीर	1.	लेह, लद्दाख में इंडोर स्टेडियम	37.50	33.75	कार्य प्रगति पर है।
कर्नाटक	1.	बेल्लारी में बहुउद्देशीय खेल इंडोर हॉल	5.00	5.00	परियोजना पूरी कर दी गई।
	2.	आदिचुंछनगिरि इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, बेल्लूर, मांड्या में स्टेडियम	1.75	1.75	-वही-
	3.	मांड्या में इंडोर स्टेडियम	35.00	35.00	-वही-
	4.	चिंतामणि कोलार में स्टेडियम	8.63	7.767	कार्य प्रगति पर है।
	5.	गुलबर्गा में इंडोर स्टेडियम	20.00	18.00	-वही-
	6.	महिला विद्यापीठ, हुबली, धारवाड़ में स्टेडियम	2.36	2.124	-वही-
	7.	आसिकेरा, हासन में तालुक स्टेडियम	10.495	9.445	-वही-
	8.	के०एम० करियप्पा मल्टीपर्पस ट्रस्ट, मेदीकेरी, कोडागू में इंडोर स्टेडियम	52.50	47.25	-वही-
	9.	एस०पी०डी०ए० केन्द्र, मेदीकेरी, जिला कोडागू	40.00	35.00	-वही-
	10.	संकेश्वर, हुक्केरी बेलगाम में तालुक स्टेडियम	8.51	4.25	-वही-
	11.	कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन बंगलौर में इंडोर स्टेडियम	35.00	35.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
	12.	हरपनहाल्ली, बेलारी में तालुक स्टेडियम	12.00	10.80	कार्य प्रगति पर है।
	13.	राजकीय बाल उच्च विद्यालय, टीपतुर, जिला तुमकुर में तालुक स्टेडियम	1.98	1.782	-वही-

1	2	3	4	5	6
केरल	1.	सेकरेड हार्ट हाई स्कूल तिरूरामबोडी, कोझीकोडे में स्टेडियम	6.10	6.10	परियोजना पूरी हो चुकी है।
	2.	कोसारगोड्डू में ओपन स्टेडियम	6.60	6.60	-वही-
	3.	मित्रामकितान, वेलानन्द, त्रिवेन्द्रम में इंडोर स्टेडियम	16.60	14.937	कार्य प्रगति पर है।
	4.	ए०के०एम०यू०पी० स्कूल कोछरा, इड्डुकी में स्टेडियम	5.00	5.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
मध्य प्रदेश	1.	जिला पिछौर, शिवपुरी में स्टेडियम	6.00	5.40	कार्य प्रगति पर है।
	2.	बालौड़, दुर्ग में मिनी स्टेडियम	18.00	16.20	-वही-
	3.	मुरैना में स्टेडियम	12.00	9.00	-वही-
	4.	बुरहानपुर में इंडोर स्टेडियम	19.975	17.97	-वही-
	5.	सिवनी में आऊटडोर स्टेडियम	5.00	4.50	-वही-
	6.	भोपाल में राज्य स्तरीय खेल परिसर	200.00	190.00	-वही-
महाराष्ट्र	1.	हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल, अमरावती द्वारा इंडोर स्टेडियम	20.00	20.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
	2.	पुणे में इंडोर स्टेडियम	10.00	10.00	-वही-
	3.	छिपलू, रत्नागिरि में जिमनेजियम हॉल	30.00	15.00	कार्य प्रगति पर है।
	4.	न्यू इंग्लिश स्कूल व जू० कालेज चिपलुम, रत्नागिरि में जिम्नेजियम हॉल	6.72	6.048	-वही-
	5.	नागपुर युवक शिक्षण संस्था, नागपुर में इंडोर स्टेडियम	20.00	20.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
	6.	नागपुर युवक शिक्षण संस्थान, नागपुर में इंडोर स्टेडियम	20.00	20.00	-वही-
मिजोरम	1.	चम्फाई में आउटडोर स्टेडियम	8.95	8.95	-वही-
	2.	तुंगवेल में इंडोर स्टेडियम	34.00	34.00	-वही-
	3.	सैतुआल में आउटडोर स्टेडियम	8.25	8.25	-वही-
	4.	एम०सी० डोनाल्ड हिल, ऐजवाल में आउटडोर स्टेडियम	17.50	17.50	-वही-
	5.	लुंगदई में इंडोर स्टेडियम	29.80	29.80	-वही-
	6.	कार्तीथॉवेंग में आउटडोर स्टेडियम	17.25	17.25	-वही-
	7.	साइहा में इंडोर स्टेडियम	29.90	29.90	-वही-
	8.	साइहा में आउडोर स्टेडियम	8.25	8.25	-वही-

1	2	3	4	5	6
नागालैण्ड	1.	लैरी, नागालैण्ड में इंडोर स्टेडियम	90.00	30.00	कार्य प्रगति पर है।
	2.	फुटसेरो में इंडोर स्टेडियम	30.00	20.00	-वही-
	3.	मोन में जिला स्तरीय खेल परिसर	150.00	30.00	-वही-
	4.	झुनसैंग में जिला स्तरीय खेल परिसर	150.00	30.00	-वही-
पंजाब	1.	बादल में इंडोर स्टेडियम	60.00	48.00	-वही-
	2.	जालन्धर में जिम्नेजियम	60.00	50.00	-वही-
राजस्थान	1.	युवक संघ, राजलदेसर, चुरू में स्टेडियम	12.00	12.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
	2.	जवाहर जैन शिक्षण समिति, उदयपुर में बहुउद्देशीय हॉल	5.50	5.50	-वही-
	3.	झुन्झुनू में इंडोर जिम्नेजियम हॉल	5.00	4.50	कार्य प्रगति पर है।
	4.	नाथवाड़ा टेम्पल बोर्ड, उदयपुर में इंडोर व ओपन स्टेडियम	10.00	9.00	-वही-
सिक्किम	1.	मांगन में स्टेडियम	9.00	8.10	-वही-
त्रिपुरा	1.	कालेज टीला, अगरतला में क्रिकेट स्टेडियम	16.30	16.30	परियोजना पूरी हो चुकी है।
	2.	भाद्रघाट, अगरतला में राज्य स्तरीय खेल परिसर	199.58	199.58	परियोजना समाप्त होने वाली है।
तमिलनाडु	1.	धारापुरम, जिला पेरियार में इंडोर स्टेडियम	52.50	47.25	कार्य प्रगति पर है।
	2.	डींडीगुल में जिला स्तरीय खेल परिसर	53.00	15.00	-वही-

[अनुवाद]

"वन विकास निगमों की स्थापना"

56. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में वन विकास निगमों की स्थापना हो चुकी है;

(ख) क्या गत दस वर्षों से इन वन विकास निगमों का काम-काज केन्द्र सरकार और विश्व बैंक से निधियां न मिलने के कारण रुका पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन राज्यों के नाम जिनमें वन विकास निगमों की स्थापना की गई हैं

क्र०सं०	राज्य का नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	हरियाणा
6.	हिमाचल प्रदेश
7.	जम्मू और कश्मीर
8.	कर्नाटक

1	2
9.	केरल
10.	मध्य प्रदेश
11.	महाराष्ट्र
12.	मेघालय
13.	उड़ीसा
14.	पंजाब
15.	तमिलनाडु
16.	त्रिपुरा
17.	उत्तर प्रदेश
18.	पश्चिमी बंगाल
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

आयुर्वेदिक कालेजों में आयुर्वेदिक डाक्टरों के स्थानों में कमी

57. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक राज्यवार आयुर्वेदिक कॉलेजों में आयुर्वेदिक डाक्टरों के कितने स्थान कम किये गए हैं;

(ख) क्या इस मामले में गुजरात सबसे ऊपर है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात में कई स्थान कम किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार राज्यों में विशेषकर गुजरात में कम किये स्थानों को पुन: बहाल करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

असंतोषजनक संचार सेवाएं

58. **श्रीमती जसकौर मीणा :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं सामान्यत: संतोषप्रद हैं। तथापि, कुछ मामलों में सेवाएं निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हैं :

(I) अपर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति और वोल्टेज का बहुत अधिक कम ज्यादा होना।

(II) प्राकृतिक आपदाएं।

(III) खराब अवसंचरना।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के सुधार के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :–

(I) अधिक भूमिगत केबल बिछाकर बाह्य संयंत्र का उन्नयन।

(II) ओवर हेड लाइनों को स्थायी मीडिया से बदलकर लम्बी दूरी की संयोजकता में सुधार।

(III) सभी ग्रामीण एक्सचेंजों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में इंजिन आल्टरनेटरों की व्यवस्था करना।

(IV) डब्ल्यू०एल०एल० और सी-डॉट टी०डी०एम० पी० एम०पी०ए० आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों का समावेश

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए वर्षवार आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :–

क्र० सं०	वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में) राजस्थान	उत्तर प्रदेश
1.	1997-98	12.07 रु०	113.68 रु०
2.	1998-99	54.71 रु०	152.42 रु०
3.	1999-2000	133.18 रु०	128.96 रु०
4.	2000-2001	106.87 रु०	374.31 रु०

उत्तर प्रदेश के विमान सेवाओं से जुड़े महानगर

59. **योगी आदित्यनाथ :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से महानगर विमान सेवाओं से जुड़े हुए हैं; और

(ख) निकट भविष्य में किन-किन मझनगरों को विमान सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय, उत्तर प्रदेश, में आगरा, देहरादून, लखनऊ तथा वाराणसी अनुसूचित प्रचालकों द्वारा विमान सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

(ख) एयरलाइनें, मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर, जिनमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथ

60. **श्री दिलीप संघाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद रेल जंक्शन पर पीसीओ/आईएसडी/एसटीडी बूथ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बूथों के वहां कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) अहमदाबाद रेलवे जंक्शन में मुख्य प्रवेश द्वार के समीप प्रतीक्षा हाल तथा मैनुअल रेलवे बुकिंग कार्यालय में दो विभागीय एसटीडी/पीसीओ, एक निजी एसटीडी/पीसीओ तथा दस विभागीय स्थानीय पीसीओ कार्य कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निःशुल्क टेलीफोन कनैक्शन

61. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने उच्च अधिकारियों के लिए टेलीफोन कॉलों को निःशुल्क कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इनके लिए निःशुल्क फोन कॉलों का कोई कोटा निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दूरसंचार क्षेत्र में एनटीपी 99 के अनुसार नीतिगत परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार विभाग के जो कर्मचारी निजी कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं, उन्हें पंजीकरण प्रभारों, संस्थापना प्रभारों और द्विमासिक किराए (वर्तमान) स्तर पर) की माफी जैसी कतिपय रियायती सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) दूरसंचार विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के निवास पर उपलब्ध कराए गए सभी विभागीय आवासीय सेवा टेलीफोन कनेक्शनों पर प्रति द्विमासिक बिलिंग चक्र 1150 कॉलें निःशुल्क स्वीकार्य हैं। दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा ऊपर (क) में बताए गए अनुसार लिए जाने वाले अन्य कनैक्शनों के लिए निःशुल्क कॉल की सीमा वही है, जो अन्य प्राइवेट प्रयोक्ताओं के लिए निर्धारित है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ केबल और पानी की पाइपें बिछाना

62. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों या राजमार्गों के आर-पार दूरसंचार विभाग, निगम और नगर पालिका जैसे विभिन्न विभागों द्वारा केबल और पानी की पाइपें या ऐसी ही अन्य गतिविधियों के लिए कोई राशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों या राजमार्गों के साथ-साथ ऐसे कार्य करने हेतु दूर संचार विभाग से प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी राशि ली गई;

(घ) क्या राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति और मरम्मत प्रभार निर्धारित करने और इन्हें दूरसंचार विभाग से वसूल करने का कोई अधिकार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दूर संचार विभाग के लिए केबल डालने के लिए नालियां खोदने के कारण यदि सड़कों को कोई क्षति होती है तो अपनी लागत से सड़क को उसकी मूल स्थिति में लाना और सड़क प्राधिकारियों को क्षतिपूर्ति करना अनिवार्य है।

कम वसा वाले अधिक रेशेदार आहार (एच०एफ०एल०एफ०) को बढ़ावा देना

63. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 2000 के "टाइम्स ऑफ इंडिया में" 30 मिलियन हेव कार्डिऐक रिस्क" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या मांस खाने से हृदय, धमनी रोग, कैंसर और अन्य रोग हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो हृदय रोग, कैंसर और अन्य रोगों के कारण प्रतिवर्ष कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है;

(घ) क्या ये रोग उन लोगों में अधिक पाए जाते हैं जो अधिक वसा वाला मांसाहारी भोजन लेते हैं;

(ङ) यदि हां, तो शाकाहारी लोगों की तुलना में इनका अनुपात कितना है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(छ) क्या कम वसा वाले अधिक रेशेदार आहार जो हृदय रोग की समस्या को रोकता है, को बढ़ावा देने के लिए एहतियात के तौर पर कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों के आहार कार्यक्रम में कम वसा वाले अधिक रेशेदार आहार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) आहार से संबद्ध चिरकारी रोग अर्थात् कोरोनरी हृदय रोग, कैंसर, मोटापा के होने के बहुत से कारण हैं। इन रोगों के जोखिम के कारणों को परिवर्त्य और गैर-परिवर्त्य जोखिम कारणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आहार संबंधी आदतों सहित जीवन-शैली के कारक महत्वपूर्ण परिवर्त्य जोखिम वाले कारण हैं। आहार संबंधी कारणों के बीच अत्यधिक कैलोरी लेने, जिससे वजन बढ़ जाता है (पॉजिटिव ऊर्जा संतुलन), अधिक मात्रा में वसा लेने (विशेष रूप से सैंचुरेटिड वसा और कोलेस्ट्राल), कम मात्रा में रेशे और सूक्ष्म पोषक लेने (फॉलिक एसिड, एंटिआक्सीडेंट्स) से इन लोगों के खतरे में वृद्धि होने के प्रमाण मिले हैं।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसार, इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु भारत में किए गए अध्ययनों पता चलता है कि भारतीय जनता में उपर्युक्त रोगों के कारण मृत्युदर और रुग्णतादर बढ़ती गई है।

(घ) अधिक वसा वाले आहार तथा अधिक मात्रा में मांसल खाद्य पदार्थ लेने से इन चिकरकारी रोगों के जोखिमों में वृद्धि होना विदित है।

(ङ) मंत्रालय में ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) जी, हां।

(छ) से (झ) भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा जारी किए गए आहार विषयक दिशानिर्देश हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान में किए गए अनुसंधान कार्यों के आधार पर कई लेख तथा कुछ किताबें प्रकाशित करके जनता को जानकारी देने की दृष्टि से विविध मंचों पर प्रस्तुत की गई हैं। स्वस्थ्य जीवन शैलियों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए व्याख्यान और खुली चर्चाएं (ओपन हाऊस डिस्कशन) भी आयोजित की जाती है।

तमिलनाडु में अस्पताल सह अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

64. **डा० ए०डी०के० जयशीलन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में मदुरै में एक अस्पताल सह अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य में चिकित्सा अस्पताल-सह-अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

विमानपत्तन परामर्शदात्री समितियां

65. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में विमानपत्तन परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं अथवा काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन समितियों को सौंपे गए कार्यों तथा इनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बड़े विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करने की दृष्टि से विमानपत्तन सलाहकर समितियों का गठन किया है जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों सहित मुप्रसिद्ध नागरिकों को शामिल किया गया है। सुविधाओं तथा सेवाओं में

सुधार करने की दृष्टि से सुझाव प्राप्त करने के लिए इन समितियों की आवधिक बैठकें की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में पीसीओ की स्थापना

66. **श्री बृजलाल खाबरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिला-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) क्या 2000-2001 के दौरान राज्य में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की स्थापना के लिए सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दूरसंचार जिले-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान उत्तर-प्रदेश में कुल 15000 पीसीओ स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

क्रम सं०	दूरसंचार जिले का नाम	कार्य कर रहे पीसीओ की सं०
1	2	3
1.	इलाहाबाद	3165
2.	आजमगढ़	1574
3.	बहराइच	639
4.	बलिया	1023
5.	बांदा	387
6.	बाराबंकी	751
7.	बस्ती	952
8.	एटावा	716
9.	फैजाबाद	1074
10.	फरुखाबाद	783
11.	फतेहपुर	309
12.	गाजीपुर	673
13.	गोंडा	725
14.	गोरखपुर	1837
15.	हमीरपुर	294
16.	हरदोई	295
17.	जौनपुर	903
18.	झांसी	1414
19.	कानपुर	5271
20.	लखीमपुर	600
21.	लखनऊ	5543
22.	मैनपुरी	471
23.	मऊ	1445
24.	मिर्जापुर	862
25.	उरई	391
26.	प्रतापगढ़	520
27.	रायबरेली	603
28.	शाहजहांपुर	623
29.	सीतापुर	522
30.	सुल्तानपुर	968
31.	उन्नाव	475
32.	वाराणसी	2816
33.	आगरा	2887
34.	अलीगढ़	1963
35.	अल्मोड़ा	699
36.	बदायूं	433
37.	बरेली	1080
38.	बिजनौर	1074
39.	देहरादून	1565
40.	एटा	445
41.	गाजियाबाद	3763
42.	मथुरा	1068
43.	मेरठ	2976
44.	मुरादाबाद	1143
45.	मुजफ्फरनगर	1716
46.	नैनीताल	868
47.	पीलीभीत	176
48.	रामपुर	390

1	2	3
49.	सहारनपुर	1827
50.	श्रीनगर गढ़वाल	602
51.	उत्तरकाशी	312
	कुल	63620

[अनुवाद]

तिरूअनंतपुरम, कोचीन और कालीकट विमानपत्तनों का विकास

67. **श्री वी०एम० सुधीरन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के तिरूअनंतपुरम, कोचीन और कालीकट विमानपत्तनों का विकास किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

हैदराबाद से कतर तक इंडियन एयरलाइंस की उड़ान

68. **डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार कतर की राजधानी दोहा से हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य किन-किन शहरों का संपर्क दोहरा से किया जायेगा; और

(ग) इन उड़ानों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद/कोचीन को दोहा के साथ जल्दी ही विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

वी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० में विनिवेश

69. **श्री वी० पुट्टास्वामी गौड़ा**
श्री अजयसिंह चौटाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० के शेयरों का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग (डी०ओ०टी०) ने एम०टी०एन०एल० के शेयरों के विनिवेश का सख्त विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या एम०टी०एन०एल० के लिए विनिवेश योजना घोषित करने से पहले विभाग से परामर्श नहीं किया गया था; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (च) विदेश संचार निगम लि० तथा महानगर टेलीफोन निगम लि० के शेयरों का और विनिवेश करने के संबंध में फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, समय-समय पर मामले की पुनरीक्षा की जाती है और ऐसे मामलों में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा प्रशासनिक विभाग से परामर्श लिया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में डाक और तारघर

70. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव**
श्री प्रभुनाथ सिंह
प्रो० दुखा भगत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के विभिन्न जिलों में विशेषत: लोहरदगा जिले की कितनी ग्राम पंचायतों में डाकतार कार्यालय की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ऐसी सुविधा कराने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या गांवों में डाक वितरण में अत्याधिक विलंब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त गांवों में डाक के वितरण में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार में 11965 डाकघर काम कर रहे हैं। इनमें से 11220 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। बिहार में एक ग्रामीण डाकघर द्वारा 15.16 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक डाकघर औसतन 6587 लोगों को सेवा प्रदान करता है।

(ख) 8579 ग्राम पंचायत गांव ऐसे हैं जिनमें डाकघर हैं। लोहरडगा जिले में 27 ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर हैं। जिन ग्राम पंचायत

गांवों में डाकघर हैं, उन्हें विवरण-I में दर्शाया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में तार सुविधा है, उनकी जिलावार संख्या विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) डाकघर योजना अनुमानों के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंडों के आधार पर औचित्य बनता हो, संसाधन उपलब्ध हों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा नये डाकघरों के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पद मंजूर किए जायें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दूरसंचार तार सुविधायें प्रदान करने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। विभाग की नीति के अनुसार प्रत्येक ग्राम में मार्च, 2002 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। डाकघरों में जो सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं, उनका फोनोकॉम पर तार सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। बिहार के गांवों में डाक का वितरण इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार है। 1999 में किये गये पिछले अखिल भारतीय ग्रामीण लाइव मेल सर्वे के अनुसार 84% डाक निर्धारित मानदंडों के भीतर वितरित की जाती है।

(ङ) हालांकि गांवों में डाक का वितरण मानदंडों के अनुसार है, फिर भी डाक और वितरण व्यवस्थाओं की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है तथा जहां कहीं अपेक्षित होता है सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

विवरण-I

बिहार राज्य में ऐसी ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या जिनमें डाकघर हैं

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर वाले ग्राम पंचायत गांवों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	246
2.	नालंदा	221
3.	भोजपुर	242
4.	बक्सर	139
5.	गया	196
6.	नवादा	112
7.	जहानाबाद	128
8.	भागलपुर	178
9.	बांका	108
10.	सारण	239
11.	वैशाली	245
12.	औरंगाबाद	170
13.	रोहतास	162
14.	झबुआ	73
15.	पलामू	231
16.	गढ़वा	84
17.	रांची	265
18.	गुमला	168
19.	लोहारडगा	27
20.	पूर्वी सिंहभूम	116
21.	पश्चिमी सिंहभूम	167
22.	धनबाद	86
23.	बोकारो	113
24.	गिरिडीह	173
25.	हजारीबाग	120
26.	छतरा	54
27.	कोडरमा	49
28.	दुमका	174
29.	साहिबगंज	48
30.	गोडा	94
31.	देवघर	68
32.	पाकुर	47
33.	मुंगेर	91
34.	जामुई	109
35.	लखीसराय	72
36.	सिखपुरा	41
37.	बेगूसराय	205
38.	खगड़िया	114
39.	मधुबनी	331
40.	पूर्णिया	171
41.	दरभंगा	233
42.	अररिया	155
43	कटिहार	172
44.	किशनगंज	85
45.	सहरसा	148

1	2	3
46.	सुपौल	158
47.	मधेपुरा	161
48.	सिवान	251
49.	गोपालगंज	184
50.	समस्तीपुर	291
51.	मुजफ्फरपुर	289
52.	सीतामढ़ी	239
53.	शिवहर	13
54.	पूर्वी चम्पारण	310
55.	पश्चिमी चम्पारण	213
	कुल	8579

विवरण-II

तार सुविधा वाली ग्राम पंचायतों का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	तार सुविधा वाली ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	98
2.	नालंदा	65
3.	भोजपुर	56
4.	बक्सर	40
5.	गया	84
6.	नवादा	45
7.	जहानाबाद	25
8.	भागलपुर	98
9.	बांका	36
10.	सारण	71
11.	वैशाली	148
12.	औरंगाबाद	64
13.	रोहतास	69
14.	कैमूर	37
15.	अरवल	73
16.	मधुबनी	32

1	2	3
17.	रांची	98
18.	गुमला	56
19.	लोहारडगा	25
20.	पूर्वी सिंहभूम	26
21.	पश्चिमी सिंहभूम	28
22.	धनबाद	45
23	बोकारो	33
24.	गिरिडीह	70
25.	हजारीबाग	65
26.	छतरा	23
27.	कोडरमा	23
28.	दुमका	49
29.	साहिबगंज	28
30.	गोडा	27
31.	देवघर	25
32.	पाकुर	32
33.	मुंगेर	96
34.	जामुई	35
35.	लखीसराय	25
36.	सिखपुरा	28
37.	बेगूसराय	125
38.	खगड़िया	74
39.	मधुबनी	64
40.	पूर्णिया	48
41.	दरभंगा	117
42.	अररिया	64
43	कटिहार	67
44.	किशनगंज	45
45.	सहरसा	52
46.	सुपौल	72
47.	मधेपुरा	79
48.	सिवान	108
49.	गोपालगंज	95

1	2	3
50.	समस्तीपुर	116
51.	मुजफ्फरपुर	62
52.	सीतामढ़ी	122
53.	शिवहर	33
54.	पूर्वी चम्पारण	101
55.	पश्चिमी चम्पारण	72
	कुल	3394

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

71. **श्री सुरेश पासी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या पर नियंत्रण करने और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 मई, 2000 को किया गया है।

इस आयोग के सदस्यों में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रभारी केन्द्रीय मंत्रिगण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में सदस्य, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेता, ख्याति प्राप्त जनांकिकीविद् एवं जन स्वास्थ्य व्यावसायी, मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण और विविध संबंधित क्षेत्रों के ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में निर्धारित दिखाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन के लिए इसकी समीक्षा करेगा, मॉनिटरिंग करेगा और दिशानिर्देश देगा। इस आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :–

(I) नीति में दिखाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन के लिए इसकी समीक्षा करना, मॉनिटरिंग करना और दिशानिदेश देना।

(II) नीति में दिखाए गए लक्ष्यों के समर्थन में केन्द्र और सब राज्य सरकारों की सरकारी एजेन्सियों के साथ योजना बनाना और कार्यान्वयन में अन्तरक्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना, नागरिक सोसायटी तथा निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना और अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय की संभावनाओं का पता लगाना।

(III) इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में सशक्त जन आन्दोलन के विकास में सहायता करना।

[अनुवाद]

दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण

72. **श्री राशिद अलवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**

(क) दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण द्वारा अभी तक निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शेष सभी मामलों का निपटान कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टी०डी० एस०टी०) का गठन 29.05.2000 को अधिसूचित किया गया है। टी०आर०ए०आई० अधिनियम (संशोधन 2000) की धारा 14 ख (I) के अनुसार दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो से अनधिक सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी। टी०डी०एम० ए०टी० के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एस०सी० सेन (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति 29.05.2000 को अधिसूचित की गई है। तथापि, टी०डी०एस०ए०टी० के सदस्यों की नियुक्ति अभी अधिसूचित नहीं की गई है। अत: टी०डी०एस०ए०टी० ने अभी मामलों के समाधान का काम शुरू नहीं किया है।

[हिन्दी]

"लंबित परियोजनाओं को मंजूरी"

73. **श्री मोहम्मद अनवारूल हक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उनके मंत्रालय के पास बिहार में अजय बराज परियोजना और 'पुनासी जलाशय परियोजना' सहित कितनी परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) अजय बराज परियोजना प्राधिकरण को 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना तथा परवर्ती संशोधनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 3.3.2000 को सलाह दी गई है। पूरी सूचना प्राप्त होने के नब्बे दिन के अन्दर इस प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जायेगा। पुनासी जलाशय परियोजना को 28.6.1982 को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में बिहार की कोई परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

बकाया राशि का भुगतान न करना

74. **श्री आर०एल० भाटिया :**
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 11 निजी दूरसंचार कम्पनियों पर सरकार की विभिन्न बकाया राशियों का भुगतान न करने का आरोप लगाया है और दूरसंचार विभाग (डी०ओ०टी०) से इस मामले की जांच करने को कहा है;

(ख) इस मामले की जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की समीक्षा करने पर यह पता चला कि दूरसंचार निदेशालय द्वारा फील्ड यूनिटों को जारी अनुदेशों में सेल्यूलर और पेजिंग सेवाओं के प्रचालकों से पट्टाशुदा सर्किटों का किराया, इंटरकनेक्शन प्रभार आदि की वसूलियां शामिल हैं। इन वसूलियों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटरफेस तुलनात्मक रूप से हाल ही में शुरू हुआ है। वस्तुत: ये अनुदेश पूरे देश में फैले लगभग 325 फील्ड यूनिटों में पहुंचने थे लेकिन हो सकता है कि कई फील्ड यूनिटों में यह अनुदेश प्राप्त नहीं हुए होंगे अत: इन कारकों के परिणामस्वरूप जनवरी, 1997 से विभिन्न अवधियों की बिलिंग में विलंब हुआ।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह निर्दिष्ट किया कि 6 दूरसंचार सर्किलों में 11 प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों की ओर से जनवरी, 1997 से अलग-अलग अवधियों के प्रभारों के संबंध में कम राशि के बिल बनाए गए हैं जो 122.29 लाख रु० बैठता है। विभाग ने मामला-दर-मामला जांच करने के बाद 129.29 लाख रु० के बिल जारी किए हैं। और अब तक 103.41 लाख रु० वसूल कर लिए हैं। आगे और वसूली करने के लिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अस्पतालों को भेंट की गई मशीनों का उपयोग में न लाया जाना

75. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पताल विभिन्न परीक्षणों के लिए निजी अस्पतालों की तुलना में आधुनिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं या नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास भी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजधानी के इन अस्पतालों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भेंट की गई नवीनतम मशीनें उपयोग में नहीं लाई जा रहीं और हाथ से काम किए जाने वाले पुराने तरीकों को ही पसन्द किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो राजधानी के इन अस्पतालों में बेकार पड़ी ऐसी मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पताल नामत: डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबद्ध अस्पताल विभिन्न जांचे करने के लिए आधुनिक उपकरण जैसे एटोमेटिक एनलाइजर, सी०टी० स्कैन एवं आल्ट्रा साउन्ड का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सप्लाई किए गए सभी उपकरणों को पूरी तरह से उपयोग में लाया जा रहा है और ये क्रियाशील हैं।

(ङ) दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में कोई भी मशीन निष्क्रिय नहीं पड़ी है।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति

76. **श्री रतनलाल कटारिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वास्थ्य की देख-रेख के लिये कितने लोग पौध आधारित (आयुर्वेदिक) चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करते हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में आयुर्वेद प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-से कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को जड़ी बूटियों के व्यवसायीकरण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य (प्रो० रीता वर्मा) : (क) कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, कुछ रिपोर्टों के अनुसार काफी तादाद में लोग विशेष रूप से सामान्य बीमारियों

का उपचार करने के लिए पादप आधारित औषधों को तरजीह देते हैं।

(ख) इनमें ये शामिल हैं :—

× शैक्षिक स्तरों में सुधार करने के लिए कालेजों का दर्जा बढ़ाना।

× औषधें बनाने के लिए अच्छी किस्म की कच्ची सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उपाय करना।

× आयुर्वेदिक औषधों के मानकीकरण में सुधार करने के लिए भेषज कोशीय मानक विकसित करना।

× आयुर्वेदिक औषधों में अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना।

× आयुर्वेदिक चिकित्सा लाभदायक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(ग) और (घ) यह अनुमान लगया गया है कि औषधीय पादपों खेती और उनसे प्राप्त किए गए जड़ी-बूटी उत्पादों के विपणन जरिए अच्छी-खासी आय पैदा करने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सकता है। औषधीय पादपों के संरक्षण और सतत उपयोग संबंधी एक टास्क फोर्स ने इस क्षेत्र पर बल देने के लिए कार्यनीतियां सुझाई हैं और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों को निर्धारित किया है।

पत्तनों का निगमीकरण/निजीकरण

77. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पत्तनों का निगमीकरण और निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तनों की कोई प्राथमिकता सूची तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निबन्धन व शर्तें क्या हैं;

(घ) ऐसी भागेदारी से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है;

(ङ) क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। सरकार ने महापत्तनों का निगमीकरण करने के लिए सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है और महापत्तनों में विशिष्ट पत्तन सुविधाओं का निजीकरण करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित कर दिए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) धन राशि बताना संभव नहीं है क्योंकि यह विशिष्ट प्रस्तावों के लिए निजी क्षेत्र के उत्तर पर निर्भर होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एमटीएनएल के क्षेत्राधिकार में वृद्धि

78. **श्री तिरुनावकरसू : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चेन्नई दूरसंचार विभाग ने कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चेन्नई में दूरसंचार-सेवाओं के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार चेन्नई दूरसंचार विभाग को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के क्षेत्राधिकार में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान चेन्नई दूरसंचार सर्किल द्वारा अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :—

वर्ष	रु० (करोड़ में)
1997-98	838.62
1998-99	940.31
1999-00	982.69

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चेन्नई में दूरसंचार-सेवाओं के विकास पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	रु० (करोड़ में)
1997-98	223.85
1998-99	259.35
1999-00	403.72

(ग) चेन्नई दूरसंचार-जिले की एमटीएनएल का भाग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण

79. **डा० वी० सरोजा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों के पुनरोद्धार और उनके आधुनिकीकरण के लिये पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अन्तर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अस्पतालों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सहायता प्रदान करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग-15 को चौड़ा किया जाना

80. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-15 को कांडला-अहमदाबाद-बाड़मेर से चौड़ा करने, रखरखाव/मरम्मत करने का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, क्या बाड़मेर-जैसलमेर-बिकानेर सैक्टर में अनेक खण्डों को चौड़ा करने का कार्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार चौड़े किए जा रहे खंडों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(घ) इन खंडों को चौड़ा किए जाने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुम्मदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान में बाड़मेर को गुजरात में सामाखियाला से जोड़ता है। यह अहमदाबाद और कांडला तक नहीं जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के बाड़मेर सामाखियाला खंड पर सड़क चौड़ा करने का कोई कार्य नहीं चल रहा है। रखरखाव और मरम्मत कार्य सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए उपलब्ध निधियों द्वारा एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बाड़मेर-जैसलमेर-बीकानेर खंड में सड़क चौड़ी करने के लिए स्वीकृत कार्य उनके पूरा करने के लक्ष्य की तारीख के साथ नीचे दिए गए हैं :–

(1)	रा०रा० 15 के 100/0-151/0 कि०मी० के लिए 5.5 मी० से चौड़ा करके 7.0 मी० करना (जैसलेर-बाड़मेर खंड)	31.12.2000
(2)	रा०रा० 15 के 24/0-90/0 कि०मी० को चौड़ा करके दो लेन बनाना (बीकानेर-जैसलेर खंड)	30.9.2001

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर अग्निशमन संबंधी उपकरण

81. **श्री शिवराजसिंह चौहान :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर स्थापित अग्निशमन संबंधी उपकरणों का निरीक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, पर ऐसे उपकरणों की कमी है और उपलब्ध उपकरण कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली और अन्य विमानपत्तनों पर अग्निशमन संबंधी उपकरणों की कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) विभिन्न विमानपत्तनों पर व्यवस्थित सभी अग्निशमन संबंधी उपकरणों की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रशिक्षित कर्मिकों द्वारा नियमित जांच की जाती है। दैनिक अनुरक्षण और वास्तविक जांच, साप्ताहिक और महीनेवार जांच तथा सभी उपकरणों का परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकिरण ज़ोन में कार्य कर रहे रेडियोग्राफर

82. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेडियोग्राफर हमेशा विकिरण ज़ोन में कार्य करते हैं जिससे उनको कैंसर होने का खतरा हमेशा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो एक रेडियोग्राफर के लिए एक माह में कितनी मात्रा में विकिरण अनुमत्य है; और

(ग) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अस्पताल-वार रेडियोग्राफरों द्वारा प्रतिमाह कितनी मात्रा में एक्स-रे किए जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) एक्सरे विभाग में कार्य कर रहे रेडियोग्राफर विकिरण जोन में कार्य करते हैं। तथापि उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दूरस्थ और रक्षात्मक (डिस्टेंस एवं प्रोटेक्टिव) यन्त्रों के कारण विकिरण प्रभाव नगण्य हैं। रेडियोग्राफरों पर विकिरण प्रभाव की सतत मॉनटरिंग भाभा परमाणविक अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई (त्रैमासिक आधार पर) द्वारा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि भाभा परमाणविक अनुसंधान केन्द्र के मार्गदर्शी सिद्धांतों की अनुमत्य सीमाओं का अतिक्रमण न किया जाए।

(ग) तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक में प्रति माह रेडियोग्राफरों द्वारा किए जाने वाले एक्सरों की संख्या नीचे दी गई है :—

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	—	600-700 (लगभग)
सफदरजंग अस्पताल	—	1200-1500 (लगभग)
डा० आर०एम०एल० अस्पताल	—	800-1000 (लगभग)

विकिरण स्तर की मॉनटरिंग भाभा परमाणिविक अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई द्वारा सप्लाई किए गए टीएलडी बैजों के माध्यम से की जाती है। आज तक किसी भी वर्कर को वांछित विकिरणता की अधिकता के कारण विकिरण जोन से दूर रहने की सलाह भाभा परमाणविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा नहीं दी गई है।

जनसंख्या वृद्धि

83. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान चीन द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में प्राप्त सफलता पर और भारत द्वारा तत्संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अंगीकार किए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीन के अनुभव के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाने हेतु अन्य किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) चीन के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत का दौरा नहीं किया है।

(ग) सरकार ने देश में जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनायी है।

[हिन्दी]

"हर्बल मेडिसिन बोर्ड"

84. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "हर्बल मेडिसिन बोर्ड" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) औषधीय पादप क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां और कार्यनीतियां तैयार करने के लिए एक औषधीय पादप बोर्ड गठित करने हेतु प्रस्ताव प्रारम्भ किया गया है लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आयोडीन युक्त नमक की कमी

85. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयोडीन युक्त नमक की कमी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में आयोडीन युक्त नमक की कमी के कारण वर्षवार और राज्यवार कितनी मौतें हुईं; और

(ग) देश में मृत्यु दर में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। देश में खाद्य आयोडीकृत नमक न खाने से मृत्यु की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उपभोक्ता सेवा विभाग में सुधार

86. **श्री बी०के० पार्थसारथी (?)** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दूरसंचार परामर्शदात्री समिति की पहली संयुक्त बैठक किस तारीख को हुई थी;

(ख) उपरोक्त बैठक में चर्चा किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह उपभोक्ता सेवा विभागों के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति तथा राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति की पहली संयुक्त बैठक 7 जून, 2000 को आयोजित की गई थी। हालांकि यह एक संयुक्त बैठक थी परन्तु राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति चर्चा का मुद्दा रहा।

(ख) पहली आरंभिक बैठक होने की वजह से माननीय संचार मंत्री ने विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के स्थान पर राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों को समिति के गठन की आवश्यकता तथा उसकी पृष्टभूमि से अवगत कराया। उन्होंने विभाग और प्राइवेट सेवा प्रदाताओं की उपलब्धियों और कमियों के बारे में विस्तारपूर्वक निरूपण किया और "स्टेट ऑफ द आर्ट" दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सदस्यों को सूचित किया।

(ग) "उपभोक्ता विभाग सेवाएं" एक मिथ्या नाम है क्योंकि संचार मंत्रालय में कोई उपभोक्ता विभाग सेवा उपलब्ध नहीं है। बैठक के विचार विमर्शों में इस सुझाव की आवश्यकता नहीं है, कि माननीय संचार मंत्री दूरसंचार सेवा विभाग के कार्यकरण पर संतुष्ट नहीं है। तथापि, माननीय संचार मंत्री ने वी०पी०टी० में प्रयुक्त एम०ए० आर०आर उपस्कर के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन की बात की तथा दोषों को शीघ्र सुधारने तथा जन-शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा।

(घ) (I) वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रणाली लगाकर 1,11,000 एम०ए०आर०आर० प्रणालियों को बदलने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें 1,00,000 और गांवों को चालू वर्ष में डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली में कवर किया जाएगा।

(II) जन-शिकायतों को दूर करने तथा दोषों का शीघ्र निपटान करने के लिए एक शिकायत सेल स्थापित किया गया है जिसने पहले से ही वांछित परिणाम देने शुरू कर दिए हैं।

(III) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की मॉनिटरिंग करने के लिए वरिष्ठ उपमहानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(IV) दोषों का शीघ्र निपटान करने के लिए सभी राज्यों में लाइन स्टाफ को पेजर प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों की आय और व्यय

87. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के प्रमुख पत्तनों की आय में लगातार कमी आ रही है और उनका खर्च बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) महापत्तन न्यासों की आय में कोई कमी नहीं हुई है परन्तु उनका व्यय लगातार बढ़ रहा है।

(ख) व्यय में वृद्धि का कारण वेतन एवं मजदूरी, ईंधन लागत और अन्य इनपुट लागतों में हुई बढ़ोतरी है। आय में उचित अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिसका प्रमुख कारण बहुत से मामलों में टैरिफ में संशोधन न किया जाना है।

(ग) पत्तन न्यासों की प्रबंध समितियों को यह सलाह दी गई है कि वे परिहार्य व्यय को समाप्त करें, प्रचालनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाएं तथा जहां कहीं भी उपयुक्त हो, टैरिफ में संशोधन करें।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपहार भत्ता

88. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :**
श्री राम प्रसाद सिंह :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने कर्मचारियों को उपहार भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके आरंभ किए जाने से अब तक प्रत्येक वर्ष कितनी राशि शामिल है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई इजाजत/स्वीकृत प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना के उपयोग में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या उनके मंत्रालय के अधीन किसी और संगठन में यह योजना उपलब्ध है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसको रोकने हेतु तथा वितरित राशि की वसूली के लिए कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन वरिष्ठ कार्यपालकों के ऐसे व्यक्तियों को अल्प उपहार के वितरण के लिए वाउचरों के प्रति निम्नानुसार वेतनमान के अनुसार यथोचित राशि की प्रतिपूर्ति करती है जिनके साथ विशेष अवसरों पर पारस्परिक क्रिया के सद्भाव कार्य को बढ़ावा देने के रूप में उनके साथ शासकीय कार्रवाई की जाती है।

सदस्य	—	14000/- रुपए
एग्जिक्यूटिव निदेशक	—	12000/- रुपए
महाप्रबंधक	—	9500/- रुपए

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) इस मंत्रालय के अधीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र भी ऐसे महत्वपूर्ण संगठकों को अल्प उपहार देने की औद्योगिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं जो विशेष अवसरों पर संगठन के लिए संभाव्य सद्भावना रखते हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ट्रंक और स्थानीय लाइनों का खराब होना

89. **श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ दिनों से देश के सभी दूरभाष केन्द्रों में ट्रंक और स्थानीय लाइनें समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा जून, 2000 में कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं;

(घ) इन शिकायतों को निपटाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित है; और

(ङ) शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एम०टी०एन०एल० में जून, 2000 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली	मुम्बई
7,78,546	4,73,624

(घ) केबल ब्रेक डाउन तथा बड़ी खराबियों को छोड़कर शिकायतें 48 घंटे के भीतर ठीक की जानी होती है।

(ङ) शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) अधिकाधिक एक्सचेंजों में दोष-मरम्मत-सेवाएं कंप्यूटरीकृत की जा रही है।

(ii) खराबियों को तत्काल ठीक करने के लिए राज्यों की राजधानियों के लाइन स्टाफ को पेजर दिए गए हैं।

(iii) केबल की खराबियों तथा वर्षा-काल में तत्काल दोषनिवारण की मानीटरिंग हेतु कन्ट्रोल रूम खोले गए हैं।

(iv) उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु अधिकाधिक उपभोक्ता सेवा-केन्द्र खोले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

धन की अनुपलब्धता

90. **श्री अनिल बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धन की अनुपलब्धता के कारण अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो उसमें अंतर्ग्रस्त लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन धनराशि की अनुपलब्धता के कारण नहीं रोका गया था।

सी०जी०एच०एस० औषधालयों में औषधियों की उपलब्धता

91. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सी०जी०एच०एस० औषधालयों में वांछित मात्रा के अनुसार उपलब्ध औषधियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन औषधालयों में केवल 30 से 40 प्रतिशत औषधियां उपलब्ध हैं तथा लाभभोगियों को अन्य औषधियां तीन अथवा चार दिन के बाद स्थानीय खरीद के माध्यम से दी जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधालयों में सूचित सूची के अनुसार औषधियों का शतप्रतिशत भंडार रखने तथा लाभभोगियों को अन्य औषधियों की स्थानीय बाजार से उसी दिन खरीद करने तथा उन्हें धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) औषधों की उपलब्धता अलग-अलग शहरों में भिन्न-भिन्न रहती है। तथापि दिल्ली शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोगियों की दिनानुदिन परिचर्या के लिए आम प्रयोग की 86 फार्मूलेरी औषधियां उपलब्ध हैं। यदि कोई औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है और विशेषज्ञ द्वारा लिखी जाती है तो उस औषध को व्यक्तिगत नुस्खे पर प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से खरीदा जाता है और लाभार्थी को 2-3 दिनों में सप्लाई कर दिया जाता है। यदि औषध की तत्काल आवश्यकता होती है तो उस औषध को लाभार्थी आपाती प्राधिकृत पर्ची पर उसी दिन प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से प्राप्त कर सकता है।

(ग) से (ङ) चिकित्सा भंडार संगठन से औषधों को प्राप्त करके औषधियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि इस समय लाभार्थियों को स्थानीय कैमिस्ट से सीधे गैर फार्मूलेरी औषधें खरीदने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

चेन्नई पत्तन में पृथक सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सृजन

92. **श्री पी०एच० पांडियन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई पत्तन न्यास ने चेन्नई पत्तन में एक पृथक सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सृजन करने का कोई प्रस्ताव वर्ष 1993 में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को उसके अनुमोदन के लिए भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव अनुमोदित कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) चेन्नै पत्तन न्यास द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पत्तन न्यास द्वारा स्थापित विद्यमान इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ई०डी०पी०) का पुनर्गठन करके एक अलग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना के लिए था। इस प्रस्ताव में (i) निदेशक (सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी) के एक पद का सृजन और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 27(क) के तहत उस पद को विभागाध्यक्ष घोषित करना, (ii) उप निदेशक (कम्प्यूटर प्रचालन) के एक पद और सहायक निदेशक (योजना और अनुसंधान) के दो पदों का सृजन तथा कुछ विद्यमान पदों को समाप्त करना, (iii) लेखा विभाग तथा अन्य विभागों के इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट के अधिकारियों और स्टाफ के पदों को प्रस्तावित नए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित करना (iv) अधीक्षक (कंप्यूटर प्रचालन) के पद की नाम पद्धति/पदनाम को उसी वेतनमान में परिवर्तित करके एनेलिस्ट प्रोग्रामर करना।

बाद में मई, 1994 में चेन्नै पत्तन न्यास ने पत्तन के इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग पक्ष और योजना एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ का पुनर्गठन करके योजना एवं अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा था।

(ग) से (च) सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार किया था और उसे स्वीकार नहीं किया गया था तथा अक्तूबर, 1998 में इस मंत्रालय ने इसकी सूचना चेन्नै पत्तन न्यास को दे दी थी। नए पदों के सृजन और नए विभाग की स्थापना का प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से उचित होना चाहिए। यह प्रस्ताव इसलिए अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि नए विभाग की स्थापना का पर्याप्त व्यावहारिक औचित्य नहीं है। चूंकि यह प्रस्ताव पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की संभावित तारीख का प्रश्न ही नहीं उठता।

अवसाद रोग का उन्मूलन

93. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलीया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में "डिप्रेशन का कहर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या डाक्टरों ने एक सेमिनार में चेतावनी दी है कि हृदयाघात के बाद डिप्रेशन देश की दूसरी घातक बीमारी है;

(ग) यदि हां, तो डाक्टरों द्वारा इस रोग के दुष्टप्रभावों के क्या कारण बताए गए हैं; और

(घ) डिप्रेशन पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अवसाद विश्व की साधारण समस्याओं में से एक है और विश्व की 3-4% जनसंख्या को प्रभावित करता है।

(ग) अवसाद मनोविज्ञानिक सामाजिक कारकों जैसे तनाव और अभिघात तथा जीवविज्ञानी कारकों जैसे मस्तिष्क में तंत्रिका प्रसारियों के स्तरों और मानव शरीर के हारमोनों में हुए असंतुलनों से भी उत्पन्न होती है। अवसाद मस्तिष्कीय संरचना में हुए परिवर्तनों और औषध प्रयोग से भी उत्पन्न हो सकता है।

(घ) अवसाद मानसिक बीमारी का एक रूप है और इसके उपचार की सुविधाएं सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के अनेक तृतीयक अस्पतालों में उपलब्ध है। मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के साथ समेकित समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करते हुए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर इंतजाम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को 1996-97 में चलाया है और यह देश के 20 राज्यों में फैले हुए 22 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मेडिकल कालेजों के विशिष्ट/अति-विशिष्ट पाठ्यक्रमों में अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों को प्रवेश

94. **श्रीमती रीना चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने 1993 के दौरान अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के समुदाय के छात्रों को उनके लिए आरक्षित सभी सीटों पर उनका ही प्रवेश सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार से विशिष्ट और अति-विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान सहायता प्राप्त कर रहे सभी मेडिकल कालेजों के विभिन्न संकायों/विभागों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी सीटें इस समुदाय के छात्रों को प्रदान की गईं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न संकायों/विभागों में उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमों के लिए अनु० जाति/अनु० जनजाति समुदाय के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा कुल सीटों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था; और

(ङ) यदि उपरोक्त सिफारिश का क्रियान्वयन संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सभी मेडिकल कालेजों में स्नातकपूर्व/स्नाकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए कुल सीटों का क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षित होता है और इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) चिकित्सा संस्थाओं से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

लीलाबाड़ी विमानपत्तन का निर्माण

95. **श्रीमती रानी नरह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के उत्तरी लखीमपुर में लीलाबाड़ी विमानपत्तन की धावन-पट्टी के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) लीलाबाड़ी में विमान यातायात नियंत्रण भवन (ए०टी०सी० बिल्डिंग) के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) लीलाबाड़ी विमानपत्तन से और वहां के लिए कब तक विमानों की उड़ानें शुरू होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर 7500 फुट तक धावनपथ का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण तथा तकनीकी ब्लाक व नियंत्रण टावर (ए०टी०सी० भवन) के निर्माण का कार्य क्रमशः दिसम्बर, 2000 तथा अक्तूबर, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) वाणिज्यिक विवेक तथा विमानों की उपलब्धता के आधार पर, एयरलाइनें इस प्रकार की उड़ानें प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन-कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

96. **श्री हरिभाई चौधरी**
श्री पोन राधाकृष्णन् :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बनासकांठा और तमिलनाडु के कन्या-कुमारी क्षेत्र के विभिन्न टेलीफोन-एक्सचेंजों में बड़ी संख्या में लोग टेलीफोन-कनैक्शन पाने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षा-सूची में प्रतीक्षारत आवेदकों को तुरंत टेलीफोन उपलब्ध कराने और बनासकांठा क्षेत्र के टेलीफोन-एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन-कनेक्शन के लिए प्रतीक्षासूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 11,027 है तथा तमिलनाडु के कन्या कुमारी जिले में 14902 है। 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, एक्सचेंजवार प्रतीक्षासूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नए टेलीफोन-एक्सचेंज खोले जा रहे हैं तथा जहां-कहीं आवश्यकता है मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 30.6.2000 की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को मार्च, 2001 तक कनैक्शन दिए जाने की संभावना है।

विवरण

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा-सूची

गुजरात का बनासकांठा क्षेत्र

क्र० सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	30.6.200 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	अम्बाजी	69
2.	अमीरगढ़	53
3.	अर्जनसर	03
4.	असीदा	10
5.	बापला	39
6.	भाभर	297
7.	भाछर	35
8.	भादत	16
9.	भलसारा	04
10.	भरदावा	16
11.	भतराम	39
12.	भवीसाना	52
13.	भेमाल	27
14.	भिलदी	218
15.	भिलोड़	45
16.	भुराल	12
17.	भोरेडु	51
18.	भुटेडी	131
19.	बुकोली	23
20.	चंदोतर	53
21.	चमनपुरा	45
22.	चांदीसर	97
23.	छापी	205
24.	चित्रासनी	95
25.	दहीसर	73
26.	दिलवाड़ा	20
27.	दंता	283
28.	दंतीवाड़ा	420
29.	दीसा	682
30.	देवदार	311
31.	देव	44
32.	धंधा	30
33.	धनेरा	111
34.	धीमा	35
35.	दोदगाम	46
36.	डुंगरासन	84
37.	दुआ	113
38.	दुधवा	15
39.	गढ़	80
40.	गंगोल	109
41.	घाना	49
42.	घोध	50
43.	घोला	25
44.	गुराड़	01
45.	गुदारी	11
46.	हड़ाड़	15
47.	हसनपुर	97
48.	इकबालगढ़	118
49.	जदिया	51
50.	जखेल	37
51.	जलोधा	26
52.	जलोतरा	131
53.	जगोल	85
54.	जेकड़ा	0
55.	जेतदा	167
56.	जीतपुर	28
57.	जूना सिघानी	38
58.	कबीरपुरा	15
59.	कम्बोल	58
60.	कनोदर	43

1	2	3
61.	कटरावा	43
62.	खिमाना	139
63.	खीमत	11
64.	खोदा	122
65.	कुरदा	22
66.	कोटदा	65
67.	कुंभरवाडा	73
68.	कूचावाडा	58
69.	कुवाला	112
70.	कुवराला	19
71.	लखानी	117
	लवाना (देवदार)	235
73.	लवाना (कलश)	56
74.	मादल	51
75.	मादका	25
76.	मालन	29
77.	मांडली	17
78.	मंकादी	05
79.	मेटा	119
80.	मुरिया	87
81.	नानेमेड़ा	55
82.	नंदोत्रा	41
83.	नानी	96
84.	नेनवा	29
85.	पालनपुर	879
86.	पालदी	218
87.	पनोहड़ा	43
88.	पंथवाड़ा	192
89.	पेथदल	40
90.	पीपलू	161
91.	पिलूचा	188
92.	पिल्लूदा	11
93.	राधनपुर	205
94.	राह	20
95.	रैया	0
96.	रामपुरा	82
97.	रमसान	58
98.	रणपुर (पी०एन०पी०)	22
99.	रसना	16
100.	ऊनी	19
101.	रुपला (पी०एन०पी०)	20
102.	समाधी	48
103.	सामौमोटा	185
104.	संतलपुर	03
105.	सरोत्रा	26
106.	सासम	0
107.	सेजलपुर	52
108.	सिहोरी	198
109.	सोनी	79
110.	सुइगम	17
111.	सुधा	0
112.	सुधरनंसदी	49
113.	टाडव	22
114.	टकरवाड़ा (पी०एन०पी०)	59
115.	टरवाड़ा	47
116.	थारा	291
117.	थारड़	198
118.	ऊन	70
119.	वड़ावल	150
120.	वड़गाम	145
121.	वेलार	52
122.	वराही	17
123.	वसाड़ा	47
124.	वसाना (पी०एन०पी०)	45
125.	वौवा	0
126.	वीरमपुर	19

1	2	3
127.	विरूना	19
128.	वाव	12
129.	यावरपुरा	125
130.	ज़ेलमोर	91
131.	ज़रदा	117

तमिलनाडु का कन्या कुमारी ज़िला

क्र० सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	30.6.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	एलूर	0175
2.	आरामबोली	0
3.	अरूमनै	425
4.	अज़गप्पपुरम्	0
5.	बूत्रपांडी	452
6.	चेरुवेल्लूर	339
7.	कोलाचल	905
8.	ईत्रमोज़ी	0
9.	कडयालुमूंडु	136
10.	कन्याकुमार I	0
11.	कन्याकुमार II	0
12.	करिंगल	1270
13.	कट्टथुरै	462
14.	कीरिपारै	0
15.	कोल्लनकोडु	1425
16.	कोट्टार – आर०एस०यू०	386
17.	कुलशेकरम्	978
18.	कुज़ीथुरै	400
19.	लोवर कुडयार	2
20.	मनक्का विल्लै	269
21.	मारगथांडम्	482
22.	मोडवट्टुकोनम्	323
23.	मुट्टम्	365
24.	नागरकोइल	1357
25.	नेय्यूर	1074
26.	पैनकुलम्	891
27.	पथुकानी	17
28.	राम पुरम्	142
29.	स्वामीथोप्पू	222
30.	थाड़ीकरंकोणम्	0
31.	थेंगमपुतूर	0
32.	थकले	2156
33.	वड़सेरी	249

खराब पड़े ग्रामीण टेलीफोन-एक्सचेंज

97. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री मान सिंह पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार रांची तथा मांडवी क्षेत्रों में अलग-अलग ब्लाक-वार कितने टेलीफोन-एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे कितने एक्सचेंज पिछले एक महीने से खराब पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आज की तारीख तक रांची और मांडवी-क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण टेलीफोन-एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 52 और 27 है। ब्यौरो विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एक माह से खराब पड़े एक्सचेंजों की संख्या शून्य है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रांची-क्षेत्र

जिला	ब्लाक	ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
रांची	मंदार	1
	चानहो	1
	बरमू	7
	नामकम	2

1	2	3
	राटू	2
	बेरो	2
	अंगारा	2
	ओरमांझी	1
	सिल्ली	1
	कांके	2
	टोरपा	2
	कारा	1
	सोनाहाटू	2
	तमार	1
	खुंटी	1
	बुंडू	1
	मुरहू	1
	अरकी	1
	रानिया	—
	लपुंग	—
गुमला	बोलवा	1
	सिंडेगा	2
	भारनो	1
	चैनपुर	1
	कामदार	1
	बानो	—
	कोलेबीरा	2
	पालकोट	1
	घाघरा	1
	बसिया	1
	सिसाई	1
	विष्णुपुर	1
	दी थाई टंगर	1
	गुमला	2
	डुमरी	—
	जलडेगा	—
	रायडीह	—
	कुरडेग	—
लोहारडागा	लोहारडागा	1
	भांद्रा	1
	सेन्हा	1
	किसको	1
	कुरू	1
	कुल	52

क्रम सं०	तालूका	एक्सचेंज का नाम
1	2	3
1.	मांडवी	अरेथ
2.	-वही-	बोधन
3.	-वही-	घाटा
4.	-वही-	गोदावरी
5.	वालोड	वालोड
6.	-वही-	वांकनेर
7.	-वही-	बाजीपुरा
8.	-वही-	बुहारी
9.	बरडोली	माधी
10.	-वही-	सरभोन
11.	-वही-	वराड
12.	व्यारा	घटवा
13.	-वही-	डोलरा
14.	-वही-	डोलवां
15.	फोर्ट सोनगढ़	उकाई
16.	महुवा	महुवा
17.	-वही-	करचेलिया
18.	-वही-	तलसाड
19.	पलसाना	बडोदरा
20.	-वही-	बंगाधर
21.	-वही-	पलसाना
22.	कामरेज	कामरेज
23.	-वही-	करजन
24.	-वही-	कटहौर

1	2	3
25.	कमरेज	सावनी
26.	-वही-	सामपुरा
27.	निज़ार	निज़ार

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर अग्निशमन और एम्बुलैन्स सेवाएं

98. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के हवाई अड्डों पर विमानों के उतरते समय दुर्घटना सम्भाव्य क्षेत्र में अग्निशमन और एम्बुलैन्स सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अल्प सूचना आपात मामले में राहत सुविधाओं में सुधार लाने हेतु अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा क्रैश फायर टैंडरों (सी०एफ०टी०) जैसे बचाव तथा सहायता वाहनों के लिए लगने वाला निर्धारित समय "दो मिनट के अंदर तथा तीन मिनट से अधिक नहीं" है। फायर टैंडरों के साथ एम्बुलैंसों को लगाया जाता है तथा वे दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए क्रैश फायर टैंडरों के पीछे-पीछे चलती है।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों पर सभी प्रकार के राहत तथा अग्निमशन वाहन इकाओ मानदण्ड के अनुरूप हैं। हवाई अड्डों पर इन सुविधाओं के सुधार तथा उन्नयन के प्रयास निरन्तर जारी हैं। वास्तविक आपात के दौरान निर्धारित समय के प्रतिवाद को सुनिश्चित करने के लिए इन उपस्करों को हैंडल करने वाले कार्मिकों को आवधिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"औषधीय पौधों का व्यापार"

99. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 2000 के 'द आबजर्वर' में, 'प्रोटेक्ट और पेन्श' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो औषधीय पौधों को उगाने और अच्छी फसल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वनों से औषधीय पौधों का अनियमित व्यापार बड़े पैमाने पर नाटकीय रूप से जारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्य को रोकने हेतु कोई विशेष कार्रवाई की है अथवा कदम उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद के संरक्षण तथा इसके उत्पादन में सुधार के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से एक स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के तहत औषधीय पौधों की रोपाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) स्थानीय लोगों और व्यापारियों द्वारा वन क्षेत्रों से औषधीय पौधों सहित वनोत्पाद के संग्रहण संबंधी मंजूरी राज्य वन विभाग द्वारा दी जाती है। स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार संबंधी ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता तथापि, बड़े पैमाने पर अनियमित व्यापार संबंधी कोई विशेष मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) औषधीय पौधों सहित पौधों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची vi के अंतर्गत शामिल की गई जंगली पौधों की प्रजातियों का किसी भी वन भूमि या विनिर्दिष्ट क्षेत्र से संग्रहण किए जाने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
- जंगल से प्राप्त पौधों या पौधों के भागों और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की 29 प्रजातियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- उपरोक्त 29 प्रजातियों के अलावा अन्य पौधों के निर्यात के लिए इन पौधों को जिस राज्य से प्राप्त किया जाता है, उस राज्य के मुख्य वन संरक्षक या जिला वन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।
- प्रतिबन्धित की गई 29 प्रजातियों के पौधों/पौधा भागों की कृष्ट किस्म के निर्यात की अनुमति जहां कहीं भी लागू हो, कृषि संबंधी प्रमाण-पत्र और एक साइटस परमिट प्रस्तुत करने की शर्त पर दी जा सकती है।

– भारत में साइटस के परिशिष्ट-1 के अंतर्गत शामिल की गई प्रजातियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मनाही है तथा साइटस के परिशिष्ट-2 के अन्तर्गत शामिल की गई 17 प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को साइटस के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

– जब कभी भी जंगली पौधों के अवैध व्यापार संबंधी सूचना मिलती है, वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा बराबर जांच की जाती है।

– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मई, 2000 में जैव-विविधता पर एक विधेयक लाया गया है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध जैव-विविधता और इससे जुड़े हुए ज्ञान को विदेशी व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रयोग किए जाने से बचाना है। इसका उद्देश्य औषधीय पौधों सहित जैवीय संसाधनों का वाणिज्यिक दृष्टि से प्रयोग किए जाने से सुरक्षा प्रदान करना भी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कार्गो विमानपत्तन

100. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का नौवीं योजना के दौरान कितने कार्गो विमानपत्तनों के निर्माण का विचार है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये किन स्थानों का चयन किया गया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में विशुद्ध रूप से कार्गो विमानपत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहभागिता

101. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बहु राष्ट्रीय कंपनियों को देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों को अपने नियंत्रण में लेने और उन्हें संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके साथ क्या समझौता किया गया है तथा ऐसे निर्णय का औचित्य क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर नीति के अनुसार विमानपत्तनों के स्वामित्व तथा प्रबंधन में विदेशी ईक्विटी भागदारी की अनुमति है। यह निर्णय किया गया है कि जब और जैसे ही उपयुक्त पाया जाता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों को दीर्घावधिक आधार पर पट्टे पर दे दिया जाए। इस समय, इस प्रयोजन के लिए मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई तथा कलकत्ता को चुना जा रहा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन तथा डाक व तार सुविधाओं में सुधार

102. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन, डाक व तार सुविधाओं में सुधार लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) **टेलीफोन के लिए** : जनजाति क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में मार्च 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की योजनाएं बनाई गई हैं। यह भी योजना बनाई गई है कि 2002 तक सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान किया जाए।

डाक के लिए : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

तार के लिए : सामान्यत: महाराष्ट्र में स्टोर एवं फोरवार्ड मेसेज स्विचिंग प्रणालियों (एस०एफ०एम०एस०एस०) और इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसेंट्रेटर (ई०के०बी०सी०) जैसे इलैक्ट्रॉनिक मैसज स्विचों पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर प्रदान करके तार सेवाओं को आधुनिक बनाया गया है। तारों के शीघ्र पारेषण के लिए नेटवर्क तार-घरों में संपर्कता के लिए दो एस०एफ०एम०एस०एस० 128 लाइनें, दो एस०एफ० एम०एस०एस० 64 लाइनें, तीन एस०एफ०एम०एस०एस० 32 लाइनें और 42 ई०के०बी०सी० प्रदान किए गए हैं। इसके साथ-साथ तारों के शीघ्र वितरण हेतु तार वाहकों की प्रोत्साहन राशि की दर भी बढ़ा दी गई है। तथापि महाराष्ट्र के जनजाति क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं बनाई गई हैं।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए डाक-घरों की संख्या :—

वर्ष	जनजाति क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
1997-98	10	24
1998-99	13	56
1999-2000	9	41

2. नवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों (पी०एस०एस० के०) की संख्या

वर्ष	पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या
1997-98	शून्य
1998-99	10
1999-2000	62

3. महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 2000-01 के लक्ष्य

डाकघर : 60 अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय (जनजातीय क्षेत्रों में 12 और अन्य क्षेत्रों में 48)

पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी०एस०एस०के०) 85

नए डाक घरों को खोला जाना निधियों की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। डाक घर, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पंचवर्षीय योजना प्रक्षेपणों के आधार पर खोले जाते हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता

103. **श्री होलखोमांग हैकिप :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मणिपुर के लिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुल कितनी सहायता प्राप्त की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : विश्व स्वास्थ्य संगठन की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को भारत सरकार के सहयोग से देशभर के लिए स्वीकृत कार्य-योजना के तहत कार्यान्वित किया जाता है। कतिपय प्राथमिकता-प्राप्त कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि : एड्स नियंत्रण; मलेरिया रोग दोबारा होने; क्षयरोग व कुष्ठरोग नियंत्रण; पोलियो उन्मूलन; प्रौढ़ महिलाओं तथा किशोरों की स्वास्थ्य परिचर्या; बैठकें/कार्यशालाएं; प्रशिक्षण संचालित करने के लिए निगरानी रखने इत्यादि; कम लागत के उपकरण तथा उपभोज्यों की खरीद; अध्ययन तथा सर्वेक्षण आदि संचालित करना। ऐसी सहायता का रिकार्ड राज्यवार नहीं रखा जाता।

मनीआर्डर

104. **श्री अनन्त नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान विभिन्न डाकघरों से नयी दिल्ली को कितने मनीआर्डर भेजे गए;

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों के गफलतभरे तथा लापरवाही पूर्ण रवैय के कारण कुछ मनीआर्डर देरी से पहुंच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के विलंब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन माह के दौरान अर्थात् 1.4.2000 से 30.6.2000 तक विभिन्न डाकघरों से नई दिल्ली को 4,13,520 मनीआर्डर भेजे गए।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान मनीआर्डर अत्यंत विलंब से पहुंचने की कोई विनिर्दिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तथापि, मनीआर्डरों के पारेषण एवं भुगतान की सूक्ष्म मानीटरिंग की जाती है और वी-सेट नेटवर्क के लिए अब प्रयोग में लाया गया नया उन्नत सॉफ्टवेयर बुकिंग के स्थान से भुगतान तक मनीआर्डरों की मॉनीटरिंग में सहायता प्रदान कर रहा है। सर्किल अध्यक्षों को मनीआर्डरों के पारेषण तथा भुगतान में विलंब अथवा मनीआर्डर खोने के लिए दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने के निदेश भी दिए गए हैं।

राष्ट्रीय बचत पत्रों की अनुपलब्धता

105. **श्री कोलूर बसवनगौड :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित डाकघरों में 100 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनता को 100 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महोदय, फिलहाल कोई कमी नहीं है। तथापि, भारी संख्या में जारी होने के कारण जुलाई, 2000 के पहले सप्ताह में म्यूजियम रोड डाकघर में इस मूल्यवर्ग के राष्ट्रीय बचत पत्रों की कमी रही।

(ख) बेंगलूर जी०पी०ओ० से नई सप्लाई प्राप्त कर इस कमी को पूरा कर दिया गया है।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय परिवहन नीति

106. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों और ट्रकों के लिए कोई अंतर्राज्यीय परिवहन नीति तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पथ कर से एकत्र राशि से सड़क विकास कोष गठित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नेशनल परमिट जारी करने संबंधी नीति का सरलीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार ने यात्री और माल ... का अन्तर्राज्यीय आवाजाही के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, ... के तहत कुछ नियम पहले ही बना दिए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे पत्थरों पर अंग्रेजी/हिंदी भाषा का प्रयोग

107. **श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर किलोमीटर में दूरी बताने वाले पत्थरों पर तमिल/कन्नड/मलयालम भाषा का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी और उत्तर भारत के यात्रियों को किलोमीटर में दूरी बताने वाले दक्षिण भाषा में लिखे पत्थरों को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे पत्थरों पर अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे पत्थरों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुसार किलोमीटर के पत्थरों पर अंतर्राष्ट्रीय अंक चिन्हित किए जाते हैं और स्थानों के नाम निम्नलिखित क्रम में विभिन्न लिपियों में खोदे जाते हैं। किसी एक कि०मी० पत्थर पर केवल एक लिपि का प्रयोग किया जा रहा है और उसकी उसी क्रम में पुनरावृत्ति की जाती है।

कि०मी० सं०	स्थानों के नाम के लिए लिपि
0	रोमन
1	हिन्दी (देवनागरी लिपि)
2	स्थानीय भाषा
3	हिन्दी (देवनागरी लिपि)
4	स्थानीय भाषा
5	रोमन

विदेशी और उत्तर भारतीय यात्रियों को दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में प्रत्येक पांचवें कि०मी० पत्थर पर अंग्रेजी भाषा तथा तमिल भी खुदी हुई हैं। इसी प्रकार पांडिचेरी में कि०मी० पत्थरों पर तमिल और अंग्रेजी खुदी हुई हैं। जल भूतल परिवहन मंत्रालय अपनी वर्तमान नीति का पालन कराने के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से कार्यवाही करता रहता है।

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के बूथ

108. **डा० गिरिजा व्यास : क्या संचार मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान के सभी जिलों में पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी के बूथ लगाए जाने के संबंध में राज्यवार कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ख) उक्त आवेदनों को निपटाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का रख-रखाव"

109. **श्री प्रभात सामंतराय ; क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रख-रखाव के लिए निधियां उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक उद्यान के रख-रखाव, विशेषत: सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) तत्संबंधी राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" तथा "बाघ परियोजना" नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबधन हेतु विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता संबंधी ब्यौरा विवरण-III और IV में दिया गया है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के रख-रखाव पर खर्च की गई धनराशि संबंधी ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.39	50.72	87.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.953	57.91	50.983
3.	असम	54.62	58.05	53.44
4.	बिहार	6.00	शून्य	27.85
5.	गोवा	शून्य	11.07	21.305
6.	गुजरात	17.005	13.80	22.105
7.	हरियाणा	14.57	37.20	21.55
8.	हिमाचल प्रदेश	61.50	49.80	47.46
9.	जम्मू और कश्मीर	124.70	7.00	5.55
10.	कर्नाटक	78.17	84.12	100.319
11.	केरल	49.29	49.35	59.975
12.	मध्य प्रदेश	95.67	35.93	152.203
13.	महाराष्ट्र	48.845	27.783	123.43
14.	मणिपुर	13.50	19.64	13.28
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	13.48	8.45	12.30
17.	नागालैण्ड	15.29	9.00	9.70
18.	उड़ीसा	34.22	68.73	94.74
19.	पंजाब	14.03	8.65	11.57
20.	राजस्थान	82.34	89.52	66.54
21.	सिक्किम	12.51	11.00	12.00
22.	तमिलनाडु	61.284	74.63	61.18
23.	त्रिपुरा	29.81	शून्य	19.97
24.	उत्तर प्रदेश	112.11	89.57	117.81
25.	पश्चिम बंगाल	69.69	72.96	55.20
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.56	शून्य	22.00
27.	चंडीगढ़	12.00	शून्य	28.00
	कुल	1212.533	934.883	1298.00

विवरण-II

"बाघ परियोजना" स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.70	18.01	18.495
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	47.68	305.90
3.	असम	45.08	35	87.29
4.	बिहार	36.75	153.99	165.952
5.	कर्नाटक	25.00	69.34	167.079
6.	केरल	34.95	39.19	43.665
7.	मध्य प्रदेश	137.778	225.125	332.160
8.	महाराष्ट्र	60.53	110.74	134.765
9.	मिजोरम	12.45	9.65	21.43
10.	उड़ीसा	49.30	67.65	84.45
11.	राजस्थान	149.885	472.265	222.595
12.	तमिलनाडु	45.60	32.50	58.78
13.	उत्तर प्रदेश	125.012	199.75	234.23
14.	पश्चिम बंगाल	58.95	179.985	137.14
	कुल	807.985	1660.875	1749.162

विवरण-III

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	कंबुल लामजाओ	9.00	15.34	9.44
2.	साइलैंट वैल्ली	8.12	—	14.05
3.	सिंगालीला	3.59	4.53	4.90
4.	पिन वैल्ली	11.46	11.50	8.00
5.	डाचीगाम	23.00	—	—
6.	इंदिरा गांधी	11.12	6.55	—
	ग्रेट हिमालय	11.545	13.00	7.85
8.	कंचनजंगा	12.51	—	12.00
9.	काजीरंगा	50.89	58.05	0.44
10.	गोरूमारा	17.90	5.80	10.30
11.	कंगेर वैल्ली	9.75	—	2.69
12.	संजय	3.75	—	8.49
13.	मरूगावनी	1.70	2.75	10.40
14.	सुल्तानपुर	5.65	22.95	21.55
15.	श्री वेंकटेश्वर	6.85	10.00	10.00
16.	महावीर हरिना	3.70	2.40	9.43
17.	के०बी०आर०	4.40	2.25	10.70
18.	अंशी	3.77	7.89	4.75
19.	कुदेमुख	4.00	—	11.53
20.	नेवरावैल्ली	8.90	8.52	1.08
21.	पेच	16.92	5.44	—
22.	मुरलेन	4.00	4.45	1.75
23.	बैपरघाटा	12.61	7.00	11.29
24.	इटांकी	2.62	9.00	9.70
25.	मुदुमलाई	3.45	9.70	—
26.	केवलदेव	14.00	20.00	—
27.	नागरहोल	4.27	10.00	9.40
28.	गुइन्डी	2.55	3.00	9.00
29.	गोबिन्द पशुविहार	15.51	10.81	32.96
30.	मुकुरथी	5.45	6.07	2.70
31.	ब्लू माउंटेन	1.99	2.40	4.75
32.	मौलिंग	5.00	—	10.45
33.	माधव	3.58	—	—
34.	वेलवदार	0.35	—	—
35.	डैजर्ट	4.15	9.30	—
36.	एराविकुलम	—	2.90	3.00
37.	सतपुड़ा	—	3.00	6.00
38.	मैरीन	—	4.40	—
39.	मैरीन	—	3.35	—
40.	भगवान महावीर	—	1.00	—
41.	भीतर कनिका	—	—	22.35
42.	संजय गांधी	—	—	90.00
43.	ओरंग	—	—	5.65
44.	मैरीन	—	—	10.00
	कुल	308.055	283.35	386.60

विवरण-IV

केन्द्रीय रूप से प्रायोजित "बाघ परियोजना" स्कीम के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

क्र० सं०	बाघ आरक्षित क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	बांधवगढ़	19.52	32.50	37.025
2.	बान्दीपुर	25.00	22.29	91.37
3.	भद्रा	—	121.09	75.709
4.	बक्सा	20.00	26.935	56.37
5.	कार्बेट	73.87	18.01	162.95
6.	डाम्पा	12.45	67.65	21.43
7.	दुधवा	51.142	39.19	71.28
8.	इन्द्रावती	23.70	67.34	46.205
9.	कालाकाड मुन्डनथुराई	45.60	113.85	58.78
10.	कान्हा	40.00	84.55	164.895

1	2	3	4	5
11.	मानस	45.08	61.87	87.29
12.	मेलघाट	48.83	69.44	52.00
13.	नागार्जुनसागर	10.70	24.51	29.036
14.	नामदाफा	20.00	47.68	30.59
15.	पालामाऊ	22.00	68.28	78.912
16.	पन्ना	14.00	25.31	42.235
17.	पेंछ	36.558	137.88	41.80
18.	पेंछ	—	47.68	43.80
19.	पेरियार	34.95	88.265	43.665
20.	रणथम्भौर	71.80	384.00	110.655
21.	सरिस्का	78.085	58.895	111.94
22.	सिमलीपाल	49.30	67.65	84.45
23.	सुन्दरबन	38.95	35.00	80.77
24.	ताबोडा अंधेरी	11.70	17.15	38.965
25.	वाल्मीकि	14.75	2.00	87.04
	कुल	807.985	1660.875	1749.162

विवरण-V

भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र के रख-रखाव के लिए उपयोग में लाई गई धनराशि

वर्ष	जारी की गई धनराशि	उपयोग में लाई गई धनराशि
1997-98	49.30	40.44
1998-99	67.65	39.75
1999-2000	84.45	57.14

[हिन्दी]

एजेन्टों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि

110. श्री रामशकल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने टिकट एजेन्टों से करोड़ों रुपयों की बकाया राशि लेनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दोषी एजेन्टों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन एजेंसियों को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आवंटित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलांस ने 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता एजेंसियों से लगभग 3.54 करोड़ रुपए की उगाही करनी है।

(ग) से (ङ) सभी मामलों में देयताओं की वूसली के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है तथा यह कानूनी/वसूली कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर चल रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के प्रति कर्मचारी पर होने वाला औसत व्यय

111. **श्री दिन्शा पटेल :**
श्री ए० कृष्णास्वामी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया में विश्व की सभी विमान कंपनियों की तुलना में सबसे अधिक अतिरिक्त स्टाफ है;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया के प्रति कर्मचारी पर प्रति वर्ष औसतन 5 लाख रुपए से अधिक व्यय होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में एअर इंडिया के प्रति कर्मचारी पर होने वाला औसत व्यय कितना है; और

(ङ) एअर इंडिया को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एअर इंडिया के विमान-बेड़े में 23 विमान की क्षमता के आधार पर, प्रति विमान कर्मचारियों की संख्या 763 है। एअर इंडिया में विमानों की संख्या की तुलना में कर्मचारियों की संख्या अधिक है क्योंकि विदेशी एयरलाइनों की तरह एअर इंडिया का कोई बाहरी स्रोत या सहायक सेवा नहीं है तथा विमान बेड़े में वृद्धि भी नहीं हुई है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, कर्मीदल भत्तों को छोड़कर प्रति कर्मचारी औसत लागत 5,02,035 रुपए थी तथा कर्मीदल भत्ता सहित 6,04,279 रुपए थी।

(ङ) एअर इंडिया ने इसे व्यवहार्य बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) गैर प्रचालनात्मक श्रेणी में बाहरी भर्ती पर रोक; (ii) विदेश में भारत आधारित अधिकारियों के कई पद समाप्त कर दिए गए है; (iii) सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष कर दी गई है; (iv) गैर-प्रचालनात्मक क्षेत्र से प्रचालनात्मक क्षेत्र में कर्मचारियों की पुन: तैनाती; (v) दो स्वैच्छिक योजनाएं अधिसूचित की गई हैं, यथा दो वर्ष की अवधि के लिए कम अवधि वाला कार्य सप्ताह जिसका पांच वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की समीक्षा

112. **श्री जय प्रकाश :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के निहितार्थों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार, सरकार द्वारा निजी कंपनियों/अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 तथा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत खनिज भंडारों के गवेषण और दोहन हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, हां। वर्ष 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति (एन०एम०पी०) के निहितार्थों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें राज्य सरकारों, विदेशी निवेशकों सहित निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ पारस्परिक क्रिया निहित होती है।

(ख) से (घ) सरकार, राष्ट्रीय खनिज नीति के निहितार्थों की समीक्षा कर रही है और इन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित, खनन और खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु नीति तथा खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) (एम०एम०डी०आर०) अधिनियम, 1957 तथा उसके तहत निर्धारित नियमों में संशोधन के माध्यम से सरल बना रही है। तद्नुसार, खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1994 तथा 1999 में संशोधन किये गए। सरकार ने, हाल ही में, सभी खनिजों (हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरों को छोड़कर) के बारे में, स्वचालित् रूट के माध्यम से, 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता (होल्डिंग) की एक नीति को मंजूर किया है। इसमें गवेषण, खनन, खनिज संसाधन तथा धातुकर्म शामिल है। हीरे तथा बहुमूल्य पत्थरों के मामलों में गवेषण तथा खनन प्रचालनों, दोनों, के लिए स्वत: रूट माध्यम से, 74% तक विदेशी इक्विटी मंजूर की जाएगी। हीरे तथा बहुमूल्य पत्थरों हेतु 74% से अधिक के विदेशी इक्विटी प्रस्तावों पर, मामला दर मामला आधार पर, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ०आई०पी०बी०) द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, पूर्वेक्षण तथा खनन अधिकार दिये जाते है। इस अधिनियम के अनुसार भारत में पंजीकृत किसी कंपनी या किसी भारतीय नागरिक को ही पूर्वक्षण तथा खनन अधिकार, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, दिये जा सकते हैं। तथापि, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शामिल खनिजों के बारे में राज्य सरकार द्वारा टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसैंस तथा खनन पट्टे देने के लिए केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पिछले दो वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	वर्ष के शुरू में लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निपटाए गए	वर्ष के अंत में शेष
1998-99	219	290	354	155
1999-2000	155	219	295	79
2000-2001 (15.6.2000 तक)	79	67	20	126

कलकत्ता से उड़ानों को बंद किया जाना

113. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे से कुछ भारतीय और विदेशी उड़ानों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय को बदलने का कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नयी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आरंभ करने अथवा कलकत्ता से उड़ान भरने के लिए विदेशी एयरलाइनों को राजी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एअर इंडिया ने अपनी मार्ग युक्तिकरण योजना के अंतर्गत मार्च, 2000 से कलकत्ता और टोकियो के बीच अपनी सेवाएं बन्द कर दी हैं। तथापि, इंडियन एयरलाइंस ने कलकत्ता से बैंकांक के लिए अपनी आवृत्तियों में वृद्धि कर दी है तथा इसमें टोकियो के लिए सुविधाजनक सम्पर्क प्रदान किए हैं।

(ङ) और (च) सरकार कलकत्ता को विदेशी एयरलाइनों को अवतरण स्थल के रूप में ऑफर करके एक उदारीकरण नीति अपना रही है। तथापि, वास्तविक प्रचालन एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक पर हैं।

ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल टेलीफोन

114. **श्री वाई०एस० विवेकानंद रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश दूरसंचार-सर्किल सेवा-क्षेत्र में, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन-सेवा के प्रचालन के लिए मै० टाटा सेल्यूलर लिमिटेड तथा मै० भारतीय मोबाइल्स लिमिटेड को लाइसेंस दिए गए हैं। दूरसंचार-सेवा विभाग (डी०टी०एस०) के महाराष्ट्र दूरसंचार-सर्किल को भी सेल्यूलर सेवा की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस मंजूर किया गया है। लाइसेंस-करार के अनुसार, सेल्यूलर-ऑपरेटरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करना डी०टी०एस० सहित स्थिर सेवा-प्रदाताओं का दायित्व है। सेल्यूर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण पंचायत-टेलीफोनों (वी०पी०टी०) की व्यवस्था हेतु खोज-बीन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रयोजन के लिए प्राइवेट सेल्यूलर-ऑपरेटरों तथा स्थिर सेवा-प्रदाताओं के बीच संभव व्यवस्था का सुझाव देगी।

आंध्र प्रदेश दूरसंचार-सर्किल में प्राइवेट-ऑपरेटरों ने इस आशय का संकेत दिया है कि आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ की गई व्यवस्था के अंतर्गत, उनके द्वारा ग्रामीण महिलाओं के वाणिज्यिक उपयोग के लिए मोबाइल टेलीफोन प्रदान करने की संभावना है। तथापि, कोई ऐसी व्यवस्था, लाइसेंस करार की शर्तों के भीतर होगी।

बद्रीनाथ में खराब दूरसंचार सेवाएं

115. **डा० जसवंत सिंह यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खराब दूर संचार और टेलीफोन सेवाओं के पूर्ण रूप से ठप्प होने के कारण बद्रीनाथ के तीर्थयात्रियों के समक्ष अनेक कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) बद्रीनाथ में संचार व्यवस्था सामान्यत: संतोषजनक है। तथापि, कभी-कभी ट्रैफिक संकुलन हो जाता है। इस संकुलन से बचने के लिए बद्रीनाथ को ओ०एफ०सी० संपर्कता प्रदान करने की योजना बनाई गई है और यह कार्य 31.10.2001 तक समाप्त हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं

116. **श्री राजो सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार इनके लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या राज्य में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ अन्य देशों से प्राप्त सहायता का भी उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष-वार और देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) जिला प्रजनन बाल स्वास्थ्य

यू०एन०एफ०पी०ए० की सहायता से पटना, बिहार में 16 जुलाई, 1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 232.81 लाख रुपए की लागत से जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना चलाई जा रही थी। इस परियोजना का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना था। इस परियोजना में 36.23 लाख की कुल आवादी को कवर किया गया था।

परियोजना में 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जीर्णोद्धार और पटना में एक जिला स्वास्थ्य कार्यालय में मरम्मत किए जाने का प्रस्ताव था। परियोजना के अन्य घटक प्रशिक्षण एवं सूचना शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन कार्यकलाप, सेवा सहायता कार्यकलाप, फर्नीचर आपूर्ति, उपस्कर और वाहन थे।

प्रमुख कार्यकलाप किए गए :–

1. 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार/मरम्मत
2. चिकित्सीय गर्भ समापन में 28, परिचर्या, गुणवत्ता में 453 चिकित्सा अधिकारियों, आर०टी०आई०/एस०टी०आई० के 24 कोर चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा 1536 डिपोहोल्डर्स को प्रशिक्षण।
3. पटना ज़िला में सुविधा सर्वेक्षण।
4. सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों के लिए कार्यशाला तथा एन०एस०वी० कैम्प आयोजित किए गए।
5. चार नए वाहन खरीदे गए तथा अन्य वाहनों की मरम्मत की गई।
6. कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकापीअर आदि खरीदे गए।

राज्य ने अब तक 46 लाख रुपए का व्यय सूचित किया है जबकि 1 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान रिलीज किया गया था।

इस मंत्रालय ने यू०एन०एफ०पी०ए० से परियोजना को 16 जुलाई, 2000 से आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया। लेकिन यू०एन०एफ० पी०ए० निर्धारित तारीख से परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ। तद्नुसार राज्य सरकार से सभी अनुमोदित कार्यकलाप 16 जुलाई, 2000 तक पूरे करने का अनुरोध किया गया है।

वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना

एक वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना, विश्व बैंक की सहायता से बिहार राज्य में 30.9.1997 से कार्यान्वित की जा रही है। मलेरिया रोग की उच्च व्यापित सूचित करने वाले 10 जनजाति बहुल जिले तथा चाईवासा की कस्बे इस परियोजना के अंतर्गत कवर किये गये हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से अतिरिक्त निवेश द्वारा मलेरिया नियंत्रण गतिविधियों को तेज करना है।

परियोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	नकद अनुदान	वस्तुगत अनुदान (लाख रु० में)
98	—	6.81
1998-99	55.00	50.80
1999-2000	40.00	41.01

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से बिहार में कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार राज्य के गत 3-4 वर्षों के दौरान स्वीकृत धनराशि नीचे दी गई है :–

वर्ष	नकद	वस्तुगत	वितरित	योग
1997-98	119.93	341.45	335.28	826.66
1998-99	200.70	511.45	293.00	1005.15
1999-2000	222.05	500.38	622.39	1344.82

कोई अन्य देश सहायता प्रदान नहीं कर रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन सहायता प्रदान कर रहे है।

विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त सहायता इस प्रकार है

स्वैच्छिक संगठन का नाम	पहले से कवर जिलों की संख्या	कवर किए जाने वाले जिलों की संख्या	योग
1. डेमियन फाउन्डेशन	24	4	28
2. लिप्रोसी मिशन	4	शून्य	4
3. लेप्रा इंडिमा	शून्य	9	9
4. नीदरलैंड लिप्रोसी रिलीफ	8	6	14
योग	36	19	55

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य

नौवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1997-98 में शुरू की गई विश्व बैंक की सहायता प्राप्त प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना को बिहार सहित देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है।

विश्व बैंक ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना के प्रथम चरण के लिए 24 करोड़ 80 लाख अमरीकी डालर की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई०डी०ए०) की सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। इस कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता केन्द्र द्वारा प्राप्त की जाती है तथा किसी राज्य विशेष के लिए नहीं।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बिहार को पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रदान की गई वस्तुगत तथा नकद सहायता निम्नानुसार है जिसमें विश्व बैंक से प्राप्त सहायता भी शामिल है :–

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बिहार को प्रदत्त नकद एवं वस्तुगत सहायता
1997-98	35.72**
1998-99	46.22
1999-2000	58.84

अनंतिम आंकड़े

**इसमें बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता शामिल है जिससे प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

इस कार्यक्रम को विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग, यू०एन०एफ०पी०ए०, यूनिसेफ तथा कुछ अन्य द्विपक्षीय दाताओं द्वारा संयुक्त रूप से धन दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न दाताओं से (विश्व बैंक से प्राप्त सहायता सहित)लगभग 985.17 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एड्स रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बिहार सहित देशभर में लागू एक शत प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। एड्स रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु बिहार को दिए गए धन तथा इसके द्वारा किया गया व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(लाख रु० में)

वर्ष	रिलीज किया गया अनुदान	सूचित व्यय
1997-98	50.00	1.21
1998-99	110.00	60.37
1999-2000	55.00	124.03

विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता के अलावा बिहार में अन्य किसी देश से प्राप्त सहायता प्रयुक्त नहीं होती।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम :

क्षयरोग की समस्या पर काबू पाने तथा थूक जांच द्वारा रोगी पाए गए कम से कम 85 प्रतिशत नए रोगियों का उपचार करने तथा कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के शुरू में प्रायोगिक परीक्षण 2035 मिलियन जनसंख्या को कवर करते हुए वर्ष 1993 की चौथी तिमाही में किया गया। संशोधित कार्यनीति की तकनीकी तथा कार्यात्मक संभाव्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए 13.85 मिलियन की जनसंख्या को कवर करते हुए 17 परियोजना स्थलों तक इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया जिसमें वैशाली जिला भी शामिल था। विश्व बैंक की सहायता से यह कार्यक्रम 271 मिलियन जनसंख्या को चरणबद्ध रूप में कवर करने के लिए 26 मार्च, 1997 को आरंभ किया गया था। संशोधित कार्यनीति के तहत 200 मिलियन से अधिक जनसंख्या को कवर किया गया। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 2000 तक 500 मिलियन जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर कर लिया जाए।

इस संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार जिला पटना तक वर्ष 1998 की चौथी तिमाही में किया गया। चालू वर्ष के दौरान यह कार्यक्रम हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, पलामू, रांची तथा समस्तीपुर जिलों में लागू किया जाएगा।

विश्व बैंक की सहायता से बिहार के 6 जिलों सहित 203 अल्पावधि रसाय चिकित्सा वाले जिलों को, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को बाद में अपनाने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है।

वर्षवार रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(रुपए लाख में)

	1998-99	1999-2000
क्षयरोग सोसाइटियां	245.197	92.958
जी०सी० से प्राप्त नकद अनुदान	298.790	369.57
औषधियां एवं एक्स-रे फिल्मों का वस्तुगत अनुदान	61.483	220.36
कुल	605.47	682.88

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अन्य देशों से प्राप्त सहायता का प्रयोग बिहार राज्य में नहीं किया जा रहा है।

विवरण

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – प्राप्त की गई विदेशी सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	अभिकरण	के दौरान प्राप्त सहायता 1997-98	1998-99	1999-2000
1.	विश्व बैंक	शून्य	22.89	168.15
2.	यूरोपीय आयोग		74.00	99.00
3.	डी०एफ०आई०डी०	74.90	78.00	136.59
4.	के०एफ०डब्ल्यू०		97.00	61.64
5.	जे०आई०सी०ए०	17.26		
6.	डानिडा	32.00	70.00	30.00*
7.	यूनिसेफ	23.74		
	योग	147.90	341.89	495.38

* दिखाई गई धनराशि बजट की धनराशि है। शेष को बजट से अतिरिक्त विमुक्त की गई धनराशि के रूप में जारी किया गया है।

[अनुवाद]

केरल में कन्नूर विमानपत्तन

117. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रस्तावित कन्नूर विमानपत्तन के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कुल कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोई तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कन्नूर विमानपत्तन को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) सरकार ने कानपुर विमानपत्तन की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है चूंकि एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर वर्तमान नीति के अनुसार वर्तमान विमानपत्तन की 150 किलोमीटर की परिधि में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन

के निर्माण की अनुमति नहीं है। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की न तो विमानपत्तन के निर्माण की योजनाएं हैं और न ही इसने इस प्रयोजन के लिए कोई भूमि प्राप्त की है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

जिला दूरसंचार परमर्श-दात्री समितियां

118. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए० वैंकटेश नायक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में जिला दूरसंचार परामर्शदात्री समितियां गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समितियों की भूमिका क्या है;

(ग) क्या संसद-सदस्यों को भी इन समितियों में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो समितियों में नामांकन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है;

(ङ) क्या संसद-सदस्यों द्वारा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 25 जिलों को छोड़कर सभी टेलीफोन-जिलों के लिए जिला- टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित हो चुकी हैं। इन 25 जिलों की समितियों का गठन किया जाना है। इन समितियों का गठन टेलीफोन-सेवाओं के प्रयोक्ताओं और दूरसंचार विभाग के बीच सार्थक संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया है। टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति के कार्यो की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सभी माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा/अथवा विकल्प के अनुसार किसी न किसी टी०ए०सी० में नामांकन के लिए पात्र हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। माननीय संसद सदस्यों से अपने पुर्ननामांकन, विकल्प, एक टी०ए०सी० से दूसरे में नामांकन अथवा अन्य किसी शिकायत के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है और माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव, स्वीकृत अथवा अन्य शिकायत पर दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाई की जाती हैं।

विवरण

दूरसंचार/दूरभाष सलाहकार समितियों के कार्य

(क) दूरसंचार-सेवाओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना तथा विभाग को उसके सुधार हेतु सलाह देना।

(ख) दूरभाष को प्रयोग करने वाली जनता तथा दूरसंचार-विभाग के बीच निकट संबंध स्थापित करना।

(ग) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों को अच्छी तरह सुना जाता है और उन्हें दूर किया जाता है।

(घ) विभाग द्वारा दूरभाष-सेवाओं के सुधार तथा विकास-संबंधी कार्यवाही के बारे में प्रचार करना।

(ङ) जनता के सहयोग तथा धैर्य के माध्यम से दूरभाषा-उपस्करों तथा लाइनों की कमी की समस्या के समापन में विभाग की सहायता करना, और;

(च) ओ०वाई०टी० (जी) तथा नॉन ओ०वाई०टी० की विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्रतीक्षारत आवेदकों को नियमों के अधीन निष्पक्ष रूप से संयुक्त तुलनात्मक आधार पर बिना बारी के कनेक्शनों को प्रदान करने में विभाग की मदद करना।

"असम में कछुओं की हत्या"

119. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछुओं को निरंकुश रूप से मारने और संबंधित प्राधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण असम के सिल्चर और कोचर जिलों में गंगा नदी के नरम खाल वाले कछुए लुप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कछुओं की निरंकुश हत्या को रोकने के लिए क्या तत्काल कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कछुओं को गैर-कानूनी रूप से पकड़ने और बेचने के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) असम राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"कार्बेट पार्क"

120. **श्री मोहम्मद शाहबुद्दीन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 2000 के "जनसत्ता" में 'कॉर्बेट पार्क में बाघों की जगह गाडियां दौड़ाने की तैयारी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगी मुख्य वन भूमि देने से पहले उनके मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति के सदस्यों को विश्वास में लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त पहल के परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र की परिस्थिति की और वन्य जीव पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से वर्ष 1996 के दौरान वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत जिला पौढ़ी, उत्तर प्रदेश में कोटद्वार से रामनगर तक सड़क निर्माण के लिए 63.894 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह उल्लेख किया गया कि सड़क किसी राष्ट्रीय उद्योग अथवा अभयारण का हिस्सा नहीं है। स्थल निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ने आशंका व्यक्त की थी कि शायद सड़क का कुछ भाग सोननदी अभयारण के बफर जोन में पड़ता है। तदनुसार, राज्य सरकार से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था। राज्य सरकार ने बताया कि संबंधित सड़क कार्बेट बाघ रिजर्व की बाहरी सीमा पर स्थित है और इस समय अच्छे मौसम में प्रयोग वाली सड़क के रूप में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए गश्त लगने के लिए उपयोग किया जा रहा है तथा इसके निर्माण से अर्थात् इसे सभी मौसमों में प्रयोग वाली सड़क बना देने से कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा भी ऐसी ही रिपोर्ट/सिफारिश की गई थी।

प्रस्ताव पर 28 सितम्बर, 1999 को हुई वन सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा की गई थी जहां मुख्य वन्य-जीव वार्डन के स्पष्ट प्रमाण पत्र और राज्य सरकार की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बैठक में उपस्थिति समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए यह सिफारिश की गई थी कि इस परियोजना से उस क्षेत्र में वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। वन सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को 10 मई 2000 को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) वनेतर प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर समकक्ष गैर-वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण, सड़क के दोनों और क्षेत्र विशिष्ट वृक्ष प्रजातियों की पौध लगाना और सड़क के निर्माण के दौरान विस्फोटक का प्रयोग न करने जैसे पर्याप्त उपशमन उपाय निर्धारित किए। राज्य सरकार को पार्क के वन्यजीवों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति सीमा निर्धारित करके और नियमित दूरी पर गतिरोधकों का निर्माण करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 फरवरी 2000 के आदेश जिसमें किसी राष्ट्रीय पार्क अथवा अभयारण में किसी मृत, रोगग्रस्त, मरणासन्न अथवा हवा से गिरे हुए वृक्षों, बहकर आई लकड़ी को हटाने पर प्रतिबंध है, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

121. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रत्येक वर्ष मानसून के आरंभ होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति खराब हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए पिछले तीन वर्षों में केरल को आबंटित की गई राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	आबंटन (लाख रु०)
1997-98	2268.11
1998-99	2090.63
1999-2000	5309.00

अंतरराष्ट्रीय वायु मार्गों पर निजी विमान सेवायें

122. **श्री विजय गोयल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्त वायुक्षेत्र नीति के परिणामस्वरूप देश में अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर विभिन्न कंपनियों द्वारा कितनी निजी विमान सेवायें चलाई जा रही हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों और कार्गो में कितने प्रतिशत की कमी आई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इंडियन एयरलइंस द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मौजूदा नीति के अंतर्गत, अंतर्देशीय निजी प्रचालकों को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्रियों के लिए अनुसूचित सेवाओं के प्रचालन की अनुमति नहीं है। मैसर्स लुफ्थांसा कार्गो इंडिया 29 अगस्त, 1997 को जारी अनुसूचित विमान परिवहन परमिट से, जो 8 मई, 2000 तक वैध थी विदेशी गंतव्य स्थानों को कार्गो उड़ानों का प्रचालन करती थी। इसके बाद परमिट के नवीकरण के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस के अंतर्देशीय यात्री और कार्गो में वृद्धि/(कमी) का प्रतिशत इस प्रकार हैं :–

	यात्री	कार्गो
1997-98	1.0	1.6
1998-99	(5.4)	4.2
1999-2000 (अनंतिम)	(4.8)	5.5

(घ) इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस ने हाल ही में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं अर्थात्, एग्जिक्यूटिव क्लास का दर्जा बढ़ा दिया गया है; प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली (चैक इन) में सुधार; उड़ान सूचना का प्रचार; होटल उद्यमियों के साथ संबंध स्थापित करना; पर्यटन विकास निगम का आकर्षक होलीडे पैकेज देना और दी गई सुविधाओं में सुधार तथा फ्रीक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राम।

अर्जुन पुरस्कार

123. श्री अनादि साहू : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिये जाने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है कि इस पुरस्कार के लिये पात्र कुछ महान खिलाड़ियों के नाम पर विचार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार अर्जुन पुरस्कार हेतु पात्र खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए खेल नियामक-आयोग के गठन पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) अर्जुन पुरस्कारों की योजना में यह व्यवस्था की गई है कि अर्जुन पुरस्कार ऐसे खिलाड़ियों को दिया जा सकता है जिन्होंने पुरस्कार वाले वर्ष में तथा उससे पूर्व के तीन वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। खेलों में जीवन पर्यन्त योगदान देने के लिए भी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अर्जुन पुरस्कार के लिए नियम तैयार न किये जाने, खेलों में मादक औषध के उपयोग के विरुद्ध परीक्षणों और मैच-फिक्सिंग के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में "फिटनैस हैल्थ ट्रस्ट" द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई है। चूंकि यह मामला विचाराधीन है, अत: न्यायालय में दर्ज किए जाने वाले उत्तर में, याचिका में उठाए गए मुद्दों के बारे में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं। अर्जुन पुरस्कार-प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय चयन समिति है जिसकी अध्यक्षता युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री द्वारा की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों की निविदा के संबंध में जांच

124. श्री सुबोध मोहिते :
श्री ए० कृष्णास्वामी :
श्री शीराम सिंह रवि :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों की निविदाओं के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सड़क दुर्घटना

125. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या थल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उनमें से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों की राष्ट्रीय राजमार्गों पर मृत्यु हुई; और

(ख) सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए देश में सड़कों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

थल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल नारायण यादव) : (क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमश: 71943, 61,000 और 62721 है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(i) दो लेन खंडों को चार लेन खंडों में चौड़ा करना।

(ii) एक लेन को दो लेन में बनाना।

(iii) ऊंचे शोल्डर्स उपलब्ध कराना।

(iv) कमजोर पेवमेंट को सुदृढ़ करना।

(v) कमजोर और संकरे पुलों तथा पुलियों का पुनर्निर्माण।

(vi) रेल फाटकों के स्थान पर सड़कोपरि पुल बनाना।

(vii) पूर्व-परावर्तक सड़क संकेतों का प्रावधान।

(viii) थर्मोप्लास्टिक सड़क चिन्ह।

(ix) लैबाई और

(x) अत्यधिक यातायात वाले कॉरिडोरों पर मार्गस्थ सुविधाएं इत्यादि।

विवरण

वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए व्यक्तियों की संख्या		
	1996	1997	1998
	1	2	3
आंध्र प्रदेश	2580	2228	3102
अरुणाचल प्रदेश	13	13	28
असम	760	866	787
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	96	111	107
गुजरात	1121	1590	1380
हरियाणा	1211	1110	1270
हिमाचल प्रदेश	216	181	292
जम्मू एवं कश्मीर	173	131	अनुपलब्ध
कर्नाटक	1974	1896	1947
केरल	859	851	826
मध्य प्रदेश	1355	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	3043	3197	3156
मणिपुर	32	43	40
मेघालय	58	100	87
मिजोरम	31	12	39
नागालैंड	50	15	10
उड़ीसा	763	673	803
पंजाब	561	938	910
राजस्थान	2058	2078	2118
सिक्किम	11	10	10
तमिलनाडु	2787	2775	3106
त्रिपुरा	45	59	46
उत्तर प्रदेश	3098	3165	3318
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	26	25	14
दादर एवं नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	280	415	305
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	27	32	34
जोड़	23228	22514	23735

नोट : 1999 के ब्यौरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूरी तरह प्राप्त नहीं हुए हैं।

डिब्बाबंद फलों के रस में कृत्रिम रंग का प्रयोग

126. **श्री रघुनाथ झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बाबंद फलों के रस में अनुमोदित मात्रा से अधिक कृत्रिम रंग होता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार से प्रतिवर्ष कितने नमूने लिए गए और इनमें से कितनों के सकारात्मक परिणाम पाये गये; और

(ग) इस प्रकार के उत्पादन को रोकने हेतु ऐसे उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कार्मशियल पायलट पाठ्यक्रम हेतु योग्यता

127. **श्री अशोक अर्गल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामर्शियल पायलट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए 12वीं कक्षा में भौतिकी और गणित अनिवार्य विषय होने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान उड़ा रहे सभी कामर्शियल पायलट इस अर्हता को पूरा करते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे पायलटों द्वारा परिचालित किए जा रहे विमान असुरक्षित हैं;

(घ) क्या विश्व के किसी भी देश में यह अर्हता आवश्यक नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो हमारे देश में इसे अनिवार्य अर्हता बनाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घ) और (ङ) शैक्षिक अर्हता संबंधी आवश्यकताएं विश्व भर म एक देश से दूसरे देश के लिए अलग-अलग हैं।

[अनुवाद]

छोटे हवाई अड्डों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

128. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को छोटे हवाई अड्डों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराती रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नौवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक में कितने छोटे हवाई अड्डों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) इन राज्यों को इस कार्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है या जारी की जा चुकी है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पारादीप पत्तन की मरम्मत और जीर्णोद्धार

129. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त पारादीप पत्तन की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) पारादीप पत्तन पर माल रखने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) चक्रवात द्वारा हुई क्षति की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए पारादीप पत्तन न्यास को अनुदान - सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार के बजट में चालू वर्ष के लिए 68.5 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

(ख) पत्तन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तात्कलिक मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं।

(ग) पारादीप पत्तन में क्लीन कार्गो के लिए पर्याप्त संख्या में बर्थ पहले ही उपलब्ध है।

सी०जी०एच०एस० आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, आर०के० पुरम, नई दिल्ली में फार्मासिस्ट पदों का भरा जाना

130. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 2000 की तिथि के अनुसार सी०जी० एच०एस० आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी आर०के० पुरम, सेक्टर-12 में फार्मासिस्ट के खाली पद भर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 34 स्वीकृत पदों में से 8 पद रिक्त पड़े हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत फार्मासिस्टों के रिक्त पद सामूहिक स्वीकृत पदों के अंतर्गत भरे जाते हैं न कि औषधालय-वार स्वीकृत पदों के आधार पर। इस समय आर०के०पुरम, सेक्टर 12 के आयुर्वेदिक औषधालय में दो फार्मासिस्ट कार्यरत हैं।

(घ) रिक्त पदों को भरने के बारे में सक्रिय कार्रवाई की जा रही है।

एअर इंडिया के कामकाज में सुधार

131. **श्री रामजी मांझी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के सभी प्रबंधकों को चेतावनीपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है जिसमें उनको एयरलाइंस के जहाजों की सीटों के अप्रयुक्त रह जाने की स्थिति में तत्संबंधी उत्तरदायित्व निर्धारित करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया के जहाजों में यात्रियों की संख्या कम होने के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो एअर इंडिया को एक अर्थक्षम एयरलाइंस बनाने के लिए उसके कामकाज में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सीटों की बेहतर उपयोगिता पर निगरानी तथा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों/प्रबंधकों को परिपत्र और टेलेक्स भेजे जाते है। प्रबंधकों को पूर्व उड़ान चैक, पहले से बुक किए गए सामान की जांच, टिकट संख्या सहित एजेंटों की बुकिंग पर निगरानी उनके स्टेशनों से अधिकतम सामान को उठाने के लिए सामान सूची को अंतिम रूप देने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई से पालन करने के निदेश दिए जाते हैं। भारत में भी नो शो चार्ज तथा कैंसेलेशन चार्ज शुरू किया है। बशर्ते कि बुकिंग 24 घंटों के भीतर रद्द की जाए।

(ग) मार्किट में प्रतियोगी क्षमता/उत्पाद/किराया स्तरों और मौसम के अनुसार सीटों की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। एयरलाइनें पूरे वर्ष पूरी क्षमता का प्रचालन नहीं करती है और इसलिए यह कदम ठीक नहीं है कि यात्रियों की कमी के कारण एअर इंडिया को घाटा हो रहा है।

(घ) इसे व्यवहार्य बनाने के लिए एअर इंडिया ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) विदेशों में भारत आधारित अधिकारियों के कई पदों को समाप्त करना (ii) दो स्वैच्छिक योजनाओं में सुधार किया गया है अर्थात् कम कार्य सप्ताह योजना और दो वर्षों की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के बिना छुट्टी जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। (iii) सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष तक करना (iv) गैर प्रचालनात्मक से प्रचालनात्मक क्षेत्रों में कर्मचारियों को पुन: लगाना (v) गैर प्रचालनात्मक श्रेणियों में बाहर से भर्ती बन्द करना।

अस्पतालों में खराब उपकरण

132. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अस्पतालों में कई उपकरण काफी समय से बेकार और खराब पड़े हैं और इस कारण करोड़ों रुपये बरबाद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सभी उपकरणों का ब्यौरा क्या है और ये इन अस्पतालों में कब से इस हालत में पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने और लापरवाही की जिम्मेदारी निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन उपकरणों की मरम्मत कराके इनका तुरंत उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"वन रक्षा समिति"

133. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन रक्षा समितियों ने पिछले दिनों अच्छा काम किया है;

(ख) यदि हां, तो वन रक्षा समितियों की भूमिका बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने वाले हैं;

(ग) कौन से राज्य इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने अवक्रमित वन भूमियों की सुरक्षा और पुनरुद्धार हेतु ग्रामीण समितियों और स्वैच्छिक अभिकरणों को शामिल करने के लिए 1 जून, 1990 को राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बाइस राज्यों ने संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की संकल्पनाओं को स्वीकार किया है तथा उनके द्वारा इसे (कार्यक्रम को) कार्यान्वित किया जा रहा है। जिन राज्यों ने संकल्प जारी किए हैं उनके नाम हैं – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राज्य सरकारों द्वारा इन समितियों के माध्यम से विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं और भारत सरकार की सभी वनीकरण स्कीमों में जन-भागीदारी अनिवार्य है।

महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

134. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ग्रामीण मलिन बस्तियों में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों/औषधालयों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक केन्द्र द्वारा कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण तथा मलिन बस्तियों में और

अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों/औषधालयों के स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जिलेवार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और ग्रामीण तथा मलिन बस्तियों सहित सभी क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय और अस्पताल स्थापित किए जाते हैं।

सरकार को यह जानकारी है कि 1991 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या मानकों के अनुसार महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

योजना आयोग ने राज्य सरकार के लिए नौवीं योजनावधि के दौरान 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 135 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ऐसे केन्द्रों/अस्पतालों के लिए स्थान का निर्धारण भी राज्य सरकार ही करेगी।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघर

135. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार में, विशेष रूप से पलामू और गढ़वा जिलों में डाकघरों/उप-डाकघरों की कितनी नई शाखाओं को खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) राज्य में डाक/मेल सेवाओं के आधुनिकीकरण सहित डाक सेवाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वार्षिक योजना 2000-2001 के दौरान बिहार राज्य के लिए 75 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 7 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डाकघर मानदंडों पर आधारित औचित्य होने, संसाधनों की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पदों की मंजूरी देने पर खोले जाते हैं। पलामू और गढ़वा जिलों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) ग्यारह डाक कार्यालयों अर्थात् पटना आर०एम०एस०, गया आर०एम०एस०, रांची आर०एम०एस०, दरभंगा आर०एम०एस०, पटना सी०एस०ओ०, छपरा आर०एम०एस० समस्तीपुर आर०एम०एस०, टाटा नगर आर०एम०एस०, मोतीहारी आर०एम०एस०, बोकारो स्टील सिटी आर०एम०एस० तथा डाल्टनगंज आर०एम०एस० को 31.3.2000 तक आधुनिक बनाया गया है। चालू वार्षिक योजना 2000-2001 के दौरान बिहार में 600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में इन्फ्रास्ट्रक्चरल उपस्कर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चार (4) प्रधान डाकघरों अर्थात छपरा प्रधान डाकघर, कटिहार प्रधान डाकघर, मोतीहारी प्रधान डाकघर तथा सीतामढ़ी प्रधान डाकघर और तीन डाक कार्यालयों अर्थात कटिहार आर०एम०एस०, धनबाद आर०एम०एस० तथा सोनपुर आर०एम०एस० को चालू वार्षिक योजना 2000-2001 के दौरान आधुनिक बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, पटना आर०एम०एस० में 1 ट्रांजिट डाक कार्यालय का भी चालू वार्षिक योजना के दौरान कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

जालंधर-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग-I को चार लेनों वाला बनाया जाना

136. **श्रीमती प्रेनीत कौर** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-एक के जालंधर-अमृतसर खंड को चार लेनों वाला बनाने का कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) इस समय पंजाब में रा०रा०-I के जालंधर-अमृतसर खंड के सुदृढ़ीकरण/4 लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन और परियोजना तैयार करने का कार्य चल रहा है। निवेश का निर्णय अध्ययन और परियोजना तैयार करने का कार्य पूरा होने पर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

हरियाणा में सुधार

137. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा में नए डाकघरों और उप-डाकघरों की स्थापना किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राज्य में वर्ष 2000-2001 के दौरान जिलेवार कितने नए डाकघरों की स्थापना करने और कितने वर्तमान डाकघरों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्य में डाकघरों के लिए नए भवनों के निर्माण और रखरखाव हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या चरखी दादरी, डाकघर के लिए भवन निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 में 23 उप डाकघर तथा 46 शाखा डाकघर खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। चालू वित्त वर्ष में, 3 उप डाकघर तथा 8 शाखा डाकघर खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनका परिणामसहित ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में 2 उप डाकघर तथा 15 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वित्त मंत्रालय से पदों की मंजूरी मिल जाए। जिलेवार आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। यमुना नगर उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भवनों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	नए भवनों के निर्माण के लिए आबंटित धनराशि	भवनों के रख-रखाव के लिए आबंटित धनराशि
1999-2000	67.35 लाख रुपये	60.0 लाख रुपये
2000-2001	22.00 लाख रुपये	50.0 लाख रुपये

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1.4.1999 से 31.03.2000 तक डाकघर खोलने के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र० सं०	गांव का नाम	जिला	डिवीजन	बी०ओ०	एस०ओ०	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	भागेश्वरी	भिवानी	भिवानी	बी०ओ०	शून्य	28.12.99 को खोला
2.	बानीपुर	गुड़गांव	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	30.3.2000 को खोला
3.	जुनथनकलां	पानीपत	करनाल	बी०ओ०	शून्य	1.2.2000 को खोला
4.	कांवला	अम्बाला	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	28.3.2000 को खोला
5.	मुरादगढ़	करनाल	करनाल	बी०ओ०	शून्य	1.3.2000 को खोला
6.	सुलीखारा	हिसार	हिसार	बी०ओ०	शून्य	8.11.99 को खोला
7.	कोटखुर्द	हिसार	हिसार	बी०ओ०	शून्य	28.3.2000 को खोला
8.	मण्डी आदमपुर	हिसार	हिसार	—	डी०एस०ओ०	औचित्य नहीं
9.	घुराबाली	फरीदाबाद	फरीदाबाद	बी०ओ०	शून्य	-वही-
10.	एम०एम० इंजीनियरिंग कालेज मुलाना	अम्बाला	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	-वही-
11.	सेक्टर-6, पंचकुला	पंचकुला	अम्बाला	शून्य	डी०एस०ओ०	-वही-
12.	आजाद नगर	हिसार	हिसार	शून्य	डी०एस०ओ०	-वही-
13.	इंदिरा गांधी मेमोरियल कालेज लदवे	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र	बी०ओ०	शून्य	-वही-
14.	घोतादू	फतेहबाद	हिसार	बी०ओ०	शून्य	-वही-
15.	एलनाबाद	सिरसा	हिसार	बी०ओ०	डी०एस०ओ०	-वही-
16.	अलीपुर शिकारगढ़	फतेहबाद	हिसार	बी०ओ०	शून्य	-वही-
17.	लोहारी टिब्बा	सोनीपत	सोनीपत	बी०ओ०	शून्य	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
18.	लोहारू	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र	बी०ओ०	शून्य	1.2.2000 को खोला
19.	शहसादपुर	सोनीपत	सोनीपत	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
20.	सेक्टर-21 गुडगांव	गुड़गांव	गुड़गांव	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
21.	अरबन एस्टेट	जीन्दाजीन्द	करनाल	शून्य	डी०एस०ओ०	औचित्य नहीं
22.	जेठरी	सोनीपत	सोनीपत	बी०ओ०	शून्य	27.2.2000 को खोला
23.	सरसा	सोनीपत	सोनीपत	बी०ओ०	शून्य	7.3.2000 को खोला
24.	भैरों	हिसार	हिसार	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
25.	बादशाहपुर	फरीदाबाद	फरीदाबाद	बी०ओ०	शून्य	-वही-
26.	जी०टी० रोड पानीपत	पानीपत	करनाल	शून्य	डी०एस०ओ०	-वही-
27.	नायन	करनाल	करनाल	बी०ओ०	शून्य	-वही-
28.	ओबेरा	भिवानी	भिवानी	बी०ओ०	शून्य	23.3.2000 को खोला
29.	कमान्ड हास्पिटल चण्डी मंदिर	अम्बाला	अम्बाला	शून्य	डी०एस०ओ०	11.12.99 को खोला
30.	सेक्टर-14 फरीदाबाद	फरीदाबाद	फरीदाबाद	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
31.	हाईतियां	सिरसा	हिसार	बी०ओ०	शून्य	-वही-
32.	मण्डी सोनीपत	सोनीपत	सोनीपत	शून्य	डी०एस०ओ०	औचित्य नहीं
33.	सेक्टर-21 पंचकुला	पंचकुला	अम्बाला	शून्य	डी०एस०ओ०	-वही-
34.	डांगखुर्द	भिवानी	भिवानी	बी०ओ०	शून्य	-वही-
35.	देसराज कालोनी पानीपत	पानीपत	करनाल	शून्य	डी०एस०ओ०	-वही-
36.	सलीमपुर संगेर	अम्बाला	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	29.3.2000 को खोला
37.	होडल	फरीदाबाद	फरीदाबाद	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
38.	सिहराम	हिसार	हिसार	बी०ओ०	शून्य	-वही-
39.	कुरूक्षेत्र सेक्टर-13, 7, 5, 3, 2	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र	शून्य	डी०एस०ओ०	औचित्य नहीं
40.	औद्योगिक क्षेत्र राजकमाओ	गुड़गांव	गुड़गांव	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
41.	खुर्दी	यमुनानगर	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
42.	सरोला	झज्जर	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	-वही-
43.	सेक्टर-11, 12 पानीपत	पानीपत	करनाल	शून्य	डी०एस०ओ०	-वही-
44.	बी०आर०सी०एम० पब्लिक स्कूल एण्ड बी०आर०सी०एम० बहल	भिवानी	भिवानी	बी०ओ०	शून्य	-वही-
45.	सेक्ट-21 फरीदाबाद	फरीदाबाद	फरीदाबाद	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
46.	सिहा	फरीदाबाद	फरीदाबाद	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
47.	सेक्टर-20 पंचकुला	पंचकुला	अम्बाला	शून्य	डी०एस०ओ०	औचित्य नहीं
48.	सेक्टर-16 पंचकुला	पंचकुला	अम्बाला	शून्य	डी०एस०ओ०	-वही-
49.	अली मोहम्मद	सिरसा	हिसार	बी०ओ०	शून्य	-वही-
50.	ग्रोताडू	फतेहाबाद	हिसार	बी०ओ०	शून्य	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
51.	न्यू बस स्टैंड अम्बाला कैंट	अम्बाला	अम्बाला	शून्य	डी०एस०ओ०	औचित्य नहीं
52.	रमना-रमानी	कैथल	करनाल	बी०ओ०	शून्य	-वही-
53.	सिवाह	पानीपत	करनाल	बी०ओ०	शून्य	-वही-
54.	सुरकपुर	रोहतक	रोहतक	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
55.	जैतपुर	रोहतक	रोहतक	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
56.	कालियावास	रोहतक	रोहतक	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
57.	सियाबा	यमुनानगर	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	-वही-
58.	गहाली	महेन्द्रगढ़	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
59.	धानीबिजानलांवा	फतेहबाद	हिसार	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
60.	करीरा	महेन्द्रगढ़	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
61.	सराय औरंगाबाद	झज्जर	रोहतक	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
62.	बुरियाचौक जगाधरी	यमुनानगर	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
63.	बसाना	पानीपत	करनाल	बी०ओ०	शून्य	-वही-
64.	एन०टी०पी०सी० फरीदाबाद	फरीदाबाद	फरीदाबाद	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
65.	नन्दीखेरा	करनाल	करनाल	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
66.	अकेरा	रिवाड़ी	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
67.	जट्टीसाना चौकी नं०-2	रिवाड़ी	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
68.	नयान	महेन्द्रगढ़	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
69.	सेक्टर-37 फरीदाबाद	फरीदाबाद	फरीदाबाद	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन

विवरण-II

1.4.2000 से 30.6.2000 तक डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र० सं०	गांव का नाम	जिला	डिवीजन	बी०ओ०	डी०एस०ओ०	टिप्पणी
1.	शिवदुर्गा बिहार सूरज कुण्ड	फरीदाबाद	फरीदाबाद	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
2.	वधवा राम कालोनी पानीपत	पानीपत	करनाल	पी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
3.	संथाली	यमुनानगर	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	औचित्य नहीं
4.	एयरफोर्स कैंप गुड़गांव	गुड़गांव	गुड़गांव	शून्य	डी०एस०ओ०	जांचाधीन
5.	नयनसुखपुर	रिवाड़ी	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
6.	केहरावाल	सिरसा	हिसार	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
7.	सेक्टर-15 सोनीपत	सोनीपत	सोनीपत	शून्य	डी०एस०ओ०	औचित्य नहीं
8.	कलावलवास	हिसार	हिसार	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
9.	नादासाहिब	पंचकुला	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
10.	याकूबपुर	यमुनानगर	अम्बाला	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन
11.	साउथ सिटी गुड़गांव	गुड़गांव	गुड़गांव	बी०ओ०	शून्य	जांचाधीन

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर रेल फाटकों पर उपरिपुल

138. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1998-99 के लिए रेलवे के कार्यक्रम में विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर स्थित रेल फाटकों पर दो सड़क उपरिपुलों के निर्माण को शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो सड़क उपरिपुलों के निर्माण का मामला उनके मंत्रालय के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 का यह हिस्सा चूंकि "स्वर्णिम चतुर्भुज" का भाग है, अतः इसे चार-लेन में चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इसमें मौजूदा रेलवे फाटकों को सड़कोपरि पुलों द्वारा प्रतिस्थापित करना भी शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डिजाइन और परियोजना तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता पहले ही इस काम में लगा लिया है। परियोजना तैयार करने का कार्य पूरा होने के बाद परियोजना को निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परिदृश्य के संबंध में अधिकारियों की बैठक

139. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज तक कितनी बैठकें की हैं;

(ख) बैठक में राज्यवार की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) योजनाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विभिन्न संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई की केन्द्र और राज्य स्तर दोनों पर नियमित रूप से समीक्षा और मॉनीटरिंग की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कतिपय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में विशिष्ट रूप से विचार-विमर्श करने के लिए राज्यों के विभिन्न कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है। अतः पिछले 3 वर्षों के दौरान की गई बैठकों की संख्या, की गई संस्तुतियों और इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना कठिन है।

[अनुवाद]

न्यू मुम्बई विमानपत्तन का विकास

140. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री के० येरननायडु :
डा० बी०बी० रमैया :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मुम्बई के सहार-सांताक्रूज कॉम्प्लेक्स के लिए एक वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन विकसित करने और शिरडी स्थित लोकप्रिय तीर्थयात्री केन्द्र तथा समुद्र के किनारे पर स्थित सिन्धुदुर्ग पर्यटक स्थल पर दो नये विमानपत्तन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटकों के भारी आवागमन के मद्दे नजर नागपुर विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन और अंतरराष्ट्रीय नौभार केन्द्र के रूप में विकसित करने और औरंगाबाद विमानपत्तन का उन्नयन करने के बारे में भी अपनी स्वीकृति की सूचना राज्य सरकार को दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मुम्बई में एक वैकल्पिक विमानपत्तन की आवश्यकता और स्थल की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरबस 320 विमान के प्रचालन के लिए औरंगाबाद विमानपत्तन का उन्नयन किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ओवरसीज इकानामिक कारपोरेशन जापान से सहायता प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को एयरबस 300 विमान के प्रचालन हेतु विमानपत्तन के उन्नयन का प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंटरनेट-सुविधा

141. श्री रामपाल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थलों को इंटरनेट-सुविधा से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे प्रत्येक वर्ष कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन-एक्सचेंज

142. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के पुणे और सेड़-जिलों के लिए स्वीकृत कुछ टेलीफोन-एक्सचेंजों ने सामग्री की अनुपलब्धता के कारण काम करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों को सामग्री उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है; और

(घ) यह एक्सचेंज कब तक काम करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

143. श्री के० मुरलीधरन :
श्री वी०एम० सुधीरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में जिलेवार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में वर्ष 2000-2001 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) बाकी टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता कब तक बढ़ा दी जाएगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार केरल के अलेप्पी जिले के टेलीफोन एक्सचेंज की आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई गई है उनकी संख्या का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान विस्तृत किए जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों का जिलावार और स्थान-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) केरल के शेष एक्सचेंजों की क्षमता वर्ष 2001-2002 तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) एलेप्पी जिलें में कार्य कर रहे 48 एक्सचेंजों में से 23 एक्सचेंज विभागीय भवनों में हैं। 23 केन्द्रों के संबंध में भूमि अधिग्रहण/तत्संबंधी बातचीत, पट्टानाक्कड और वल्लीकुन्नाम में दो नए विभागीय भवनों का निर्माण, अरूर, कायमकुलम, अम्बालापुजा और कोल्लाकादावु में चार मौजूदा विभागीय भवनों का विस्तार कार्य चल रहा है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार किया गया है उनकी संख्या का जिले-वार ब्यौरा

जिले का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
	संख्या	जोड़ी गई क्षमता	संख्या	जोड़ी गई क्षमता	संख्या	जोड़ी गई क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
एलेप्पी	23	8888	18	14400	37	33436
कालीकट	37	25754	28	24124	31	28520
मलप्पुरम	31	8478	33	63984	34	7710
पलक्कड	20	3882	12	3322	10	2750
कन्नूर	39	16160	32	31152	50	33104

1	2	3	4	5	6	7
कासरागढ़	20	9864	18	10536	38	29612
एर्नाकुलम	42	28336	45	44092	59	61392
इडुक्की	34	6120	44	16004	42	15002
कट्टयाम	39	22619	33	33610	50	42019
पालघाट	38	10146	33	16882	54	36312
पथनामथिट्टा	32	21055	42	15474	45	31000
क्विलोन	41	16768	35	32771	44	40668
त्रिचूर	36	30694	41	38558	52	64302
त्रिवेन्द्रम	28	32808	37	51132	49	71420
केरल का जोड़	460	241572	451	396041	595	497247

विवरण-II

चालू करने का अंनतिम कार्यक्रम 2000-2001

अल्लेप्पी जिला

स्टेशन	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
केनेकेरी	632
थोट्टापल्ली	964
वेलियानाड	464
नोडुमुडी	656
तिरूवानवन्दूर	1000
महेवेलीकाराटाउन	2000
चेननीथल्ला	1500
अम्बालापुजहा	1000
पथीरापल्लि	1000
श्रीपुरम	1000
थाकाजही	500
कोल्लाकादबू	2000
मट्टाम	1000
मैनर	1000
हरीपाद	2000
तिट्टिरूक्कन्नापुजहा	116
पुल्लुकलंगारा	2500
पानावल्लि	848
पल्लीपुरम	480
अरट्टापुइवा	296
पेराम्बलम	296
अरथुगल	896
चंपाकुलम	896
करक्काड़	896
क्वालम	896
थन्नीरमुक्कम	896
कुल जोड़	25732

कालीकट जिला

स्टेशन	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
बदगारा	1032
अथोली	1032
कुट्टेड़ी	2000
मेलदी	2500
मुददी	2000
मेप्पूयूर	2116
क्विलेडी	2842
बेलापुर	1356

1	2
पंचीरंकवू	1980
नरीकुन्नी	836
मुक्काम	1988
बेपोर	1000
रनमुट्टाकांग	1000
आवला	1308
चक्कीहपाड़ा	1052
चेम्बनोड़	488
कूटालिंदा	1148
पलेरी	1140
पुदुपाड़ी	1424
अरूर	1064
भूमिवतुक्कल	1064
कूराचन्दू	704
मवूर	1032
पालयादुनाड़ा	1032
पुल्लरमपाड़ा	952
चेरूवड़ी	512
कट्टिप्पाड़ा	568
कीजहाट्टूर	1000
कूमपाड़ा	728
नांमिदा	400
चिकोलोड़े	208
कुल जोड़	36474

कन्नूर जिला

स्टेशन	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
तलीप्रम्बा	3000
आरंगाम	1000
मनक्कादेव	1000
मेय्यील	1796
श्रीकंदापुरम	2500
मंगट्टूप्रम्बा	2000

1	2
धर्मादम	2000
कुडियेरी	2000
आरालम	1032
कन्नड़ीप्रम्बा	1400
कुडीयनमलै	880
येरथली	880
थिलनकेरि	1032
अथीकनम	800
चन्दनक्कमपरू	664
कालीचन्दूक्कम	480
पलूर	632
नदविल	480
पारप्पू	480
पेरिंगोम	480
पेरूपपट्टा	632
पुडुकुन्नू	664
वालाक्कन	296
विजापारंबा	400
केलाकम	400
कल्याणथाणा	400
पटुयूच्चु	400
रमनयाली	400
लिहीकुलम	184
कुल जोड़	28312

एर्नाकुलम जिला

स्टेशन	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
कोचीन यूनिवर्सिटी	2000
पल्लूर	1000
पलेखिट्टम	2000
यूंडी (एली)	2000
पट्टीभट्टम (के०एक्स०एम०)	2000
एडडापल्लि (पविम)	2500

1	2
त्रिवकाकाड़ा	2000
अभ्याप्पेकचूं	2000
एस आरसारोड	1500
फोर्टेचां	4000
एडाकोची	2000
कंदकादेवू	1116
कंबालंबी	1432
अंबलामुंगम	500
नाराक्कल	2500
परूर	868
मूत्ताकुन्नम	300
पुतेनवेलिक्कारा	872
मुल्लक्कुक्कड़ू	1000
पेराम्बावूर	3000
वलयनाचिरंगारा	1000
कोजीपल्लि	3000
कील्डील्लम	1050
तिरीपूनीहूरा	2000
एर्नाकुलम 36 एंड 38	4000
गांधीनगर (पी० नगर)	4000
एराकुन्नम	1100
चोटटनीकारा	1000
कीचोरी	920
तिरूवंकुलम (आई०पी०एन०)	2000
विलिंगटन आईलैंड	1000
कुटटापड़ी	832
अभ्यामपुजझ	664
चझमपटटम	480
नेरिगमंगलम	664
कूटटमपुजझ	664
चेल्लानम	640
कन्नूर	640
इनाप्पाड़ा	400
चेकवल्लूर	400
एडावनाकोड	400
कोम्बानाड़	400
लेल्लिमटटम	400
एलापल्लि	336
कुल जोड़	62578

इड्डुकी जिला

स्टेशन	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
एनाविलाएम	664
अंचिरी	480
अरिकुजा	640
एवाना	500
नेडीमेधू	336
चेलाचुवाड़ू	604
चेमामन्नार	664
चेरूवल्लीलूत	336
कुन्नूमेटटू	640
देवीकुलम	144
इलामदेसम	1000
एलाप्पू	650
इरट्यार	640
एजालूर	480
एजीकारा	1000
एजुकुनवयाल	664
इड्डुकी	1360
इरम्पूपलम	664
इरूटुकानम	664
कंगरापडडी	1000
कंथलूर	152
करडीकुजी	336
करीमन्नूर	1600
करीमवेन	664

1	2
करीमकुन्नम	600
कायीपारा	664
कोचेरा	152
कुमिटी	600
कुंजीयन्नी	664
मट्टूपेटी	152
म्लामाला	664
मुंल्लारीकुडी	336
मुल्लारिंगड़	632
मुन्नार	600
मुरिक्कसेरी	500
मटटम	1000
पल्लूरकवू	152
पारापुजहा	640
पसुमपाड़ा	664
पेरूवमयनम	1000
पुलियान्नराला	152
संतनपाड़ा	664
सेनापाथी	664
सुम्यिानेहीसुनियानेल्लि	184
थंकनियनी	1216
थेाड़ूपुजहा	4000
थेापरंकुडी	400
उदुवंचोला	664
उदमवेन्नूर	1500
अप्पूथाड़ा	1048
वालाकोडी	336
ंदनमोड्	1040
ंदीपेरियाम	400
नापोरम	1500
ाजायोप	400
ोड़	39136

कासरगोड़े जिला

स्टेशन	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
अदवकायोड़े	184
बंदादका	632
बेदादका	632
चीमेनी	880
इचीलनगोड	816
कनियाला	184
कट्टाथुडकु	400
मेप्पाड़ी	632
मालापट्टनम	1000
मैपादेवू	184
नेकराजे	664
पनाथूर	184
पेरिया	400
पेरला	400
पेरूवम्बा	648
तिरूमोणि	632
कुल जोड़	8472

कोट्टायम् जिला

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
चेम्पू	1350
चेनापडी	400
चेमड	632
किडंगूर	1000
कोरूथोडे	512
कोजूवनल	1548
कुडाविहूर	712
कुमारकम्	1000

1	2
कुमारनल्लूर (के०टी०एम०)	2000
कुनौनी	632
कुरूमान्नू	400
कुट्टीकल	912
मोलूकावूमट्टम	400
मेवाल्लूर	200
मूलेडर (केटीएम)	2000
मुकूट्थारा	880
नीनडूर	400
पम्पा	688
पथमपुझा	632
पेरिन्गालम्	320
पेरूवा	400
पोन्कुन्नम्	2000
सबरीमला	664
तिरूवथुकल	1000
वेलूर	472
वेलिचीयम्	400
वेलियान्नूर	2000
कुल जोड़	23554

मलप्पुरम् जिला

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
ऊनामंगड	656
अरिकुलम्	1000
चंगारमकुलम्	2440
चप्पानंगडी	900
चेंगारा	1000
इडूक्का	2750
इडवन्ना	2000
इलमकुलम्	656
इलन्कुर	1000
इरूयामुंडा	648
किज़हीसेरी	1500
कुट्टीपुरम्	1250
मरन्चेरी	2500
मूरकनाड	208
पंडालूर	840
रन्डन्थानी	1372
थोट्टमुकम्	648
वज़हयूर	1048
वेंगारा	4472
वंडूर	2500
कुल जोड़	29388

जिला पालघाट

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
अडीपेरंडा	184
अकामालवरम्	184
अलनालोरे	400
छलीसेरी	1116
चिटीलेन्चेरी	816
इडप्पानूटकारा	1032
इलुम्पूलसेरी	664
कडम्पझीपुरम्	400
कलकांडी	848
कंजीरापुझा	696
कोल्लूकूर	1732
कोटनचिरा	632
[illegible]	600
कुझलमन्नूर	400
कुमारन्नूर	1164

1	2
कुथानूर	664
मंगलम् डैम	896
मीनाक्षीपुरम्	664
मुलापनकावू	664
मुंडाकोट्टूकुरिसी	656
मुथालामडा	264
नल्लेपुल्ली	1056
नेभारा	216
पडागिरी	184
पडिजफारंगडी	1116
पट्टूर	808
पालकायम	816
पालक्कुवाडी	184
पारली	500
पेरिन्गोट्टूकर	832
पुलापेट्टा	816
पुलास्सेरी	1616
पुथुर (पी०जी०टी०)	1000
आर०वी० पुथुर	656
शोरनूर	500
थटचामपारा	500
थाथार्मंगलम्	912
थेनकुरीसी	664
थिरथ्याला	1000
थिरुवेगपुरा	1132
वालपुजहा	632
वेडायाडी	664
वंडीथावलम्	400
वनीयामकुलम्	1092
व्रेलम्थावलम्	512
	10000
	648
कुल जोड़	34132

पटनामथिट्टा जिला [illegible]

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
अलहीकायम्	750
अयरूर	500
चिट्टार	500
चुंकापारा	250
फटईचवाडा	1000
इजहमटूर	400
काईपटोर	2000
कलांजूर	2000
किडन्गनूर	1000
किलीवयाल	950
कोडूमोन	1250
कोन्नर	2000
कुलनाडा	1150
कुम्बनाड	2000
लाह	184
मलयापुजहा	1250
मूजहीयार	184
मुरिनजकाल	500
ओमालूर	1000
पाल्लीकल	750
पथनामथिट्टा	3000
पेरिनाड	950
पेरिंगनाड	1000
पुन्नावली	250
कन्नी पुडामीन	250
सीतायोडे	750
थानीयोडे	250
थेकुथोडे	650
तिरुवल्ला	2000
वी० कोट्टायम्	250
वायपुर	250
वेचूचिरा	750
कुल जोड़	29968

क्विलोन जिला

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
अलापाड	480
अंचल	2000
अरयांकुवू	632
अयूर	438
भारतीपुरम्	664
चेन्नाकामोन	184
चेनापेट्टा	1032
चथानूर	7000
चवारा साउथ	880
चेपरा	1232
चिथिरा	480
कोजहीकोडे	664
चूंडा	632
इडाकाड	480
इडामोन	624
ईलीकटोन	360
करूनगापल्ली	3000
कुलायुपुज़हा	600
कुम्मोल	816
कुन्नाथूर	1032
मानालिल	632
मनापल्ली	1000
मनकोडे	632
मुखथाला	1000
मुकडा	2000
मुनोरे-आइलैंड	664
माइनागपाली	600
नेडूमनकावू	880
नीलामेल	632
पारवूर	2500
पथनापुरम्	1253
पट्टाज़ही	500
पनालूर	3000
पुनालूर आर०एस०यू०	2000
पुनमाला	952
संस्थानकोट्टा	2000
सूरानाडू	1600
सराईकाड	1000
थाडीक्काड	632
थेमंनाला	656
थोडीपूर	2000
उलियाकोइल	3000
कुल जोड़	47413

त्रिचुर जिला

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
अलगप्पानगर	2000
अन्नमनाडा	1872
अरन्गोटूकारा	1000
अरिमपुर	1000
अय्यानथोले	1000
चलकुडी	1000
चेमपुकावू	2000
चियाराम्	3000
चोवघाट	2500
इडाकाज़हीयूर	1000
गुरूवायूर	3000
कडापुरम्	672
कडुकट्टी	1000
कोम्बोलिज़म्कल	1000
कोंडाज़िही	648
कुरिचिकारा	800
कुज़हूर	872
माला	1500
मानमंगलम्	552

1	2
मुन्नोथी	1000
मूलारकारा	1466
परियाराम्	1500
पेरिन्नानाम्	4000
पुंकुनाम्	2000
त्रिचुर	1000
वडाकान्चेरी सी०एन०	1500
वलापाड	3500
वालकावू	2000
वालकुन्नू	1000
वाणियामपारा	184
वेटिलपारा	848
कुल जोड़	46414

त्रिवेन्द्रम जिला

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
केन्आम्बालमुकु	2000
अन्मयार (एमसी क्षेत्र)	2000
अरूवीकारा	216
अरयानाड	1000
बलरामपुरम्	2000
चेंगोटूकोनम्	1000
चिरायिंकिल	2000
कालीकडू	400
कोट्टाकाडा	1500
कोट्टूर	1000
मडावूर पालीकल	1800
मालायिन्किल	500
मनूरकोनम्	400
नागरूर	2000
नेडूमंगड	432
पचा पलोडे	1000
पोटीम	3000

1	2
पालामूटीकाडा	1616
पोंगेमूडु	2000
पुवार	1272
पुडुकलगार	1000
पुलमपारा	1000
थोनक्कल	1500
उडियान्कुलन्यार	2000
वकीम	600
वरकाल	3000
वेल्लानाड	1100
वेलागडा	600
वेन्जारमुडू	2000
कुल जोड़	39936

वयनाड जिला

केन्द्र	जोड़ी गई निवल क्षमता
1	2
अम्बालवायाल	616
कलपेटाह	1000
करटीकुलम्	632
कोरेम	816
मीनान्गडी	1500
पडीचिरा	616
पडिजूरिथारा	640
पालीकुन्नू	480
पयाम्पल्ली	1000
सुल्तान बैटरी	1000
थारीओडे	616
वारडूर	176
कुल जोड़	9092

एयर इंडिया में विनिवेश

144. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के कर्मचारियों और संघों ने एअर इंडिया द्वारा शुरू की गई विनिवेश प्रक्रिया पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में एअर इंडिया के कर्मचारियों के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया के कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का अश्वासन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एअर इंडिया के कर्मचारियों के लिए कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की गई है; और

(च) यदि हां, तो दूसरी अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों की तुलना में एअर इंडिया के विमानों की प्रचालन लागत, अनुरक्षण लागत, हानि व लाभ तथा उठाए गए नुकसान के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विनिवेश की प्रक्रिया से गुजरते हुए एयरलाइनों के कर्मचारियों के न्यायोचित हितों की रक्षा की जाएगी।

(ङ) और (च) एअर इंडिया में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए हीरक उत्खनन क्षेत्र का खोला जाना

145. श्री रामजीवन सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीरक उत्खनन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्यम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिशतता क्या है तथा इसमें सरकारी भागीदारी क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) हीरे और कीमती पत्थरों के गवेषण और खनन के लिए स्वचालित मार्ग से 74% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी को अनुमति है। 74% से अधिक के विदेशी इक्विटी वाले प्रस्तावों से संबंधित मामलों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होता है।

(ग) और (घ) फिलहाल, केन्द्र सरकार का किसी संयुक्त उद्यम हीरा परियोजना में भागीदारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

146. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री वे०एस० वराड् :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों के अंत तक संचार प्रणाली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनुमानत: 38 बिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या मंत्री द्वारा हाल ही में किए गए अमरीकी दौरे के दौरान कुछ संस्थानों ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव किया था; और

(घ) यदि हां, तो उनके देश-वार नाम क्या हैं और उनके द्वारा प्रस्तावित निवेश की धनराशि कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) इस समय देश में लगभग 27 मिलियन टेलीफोन कार्यरत हैं जो कि 27% के टेलीघनत्व का सूचक है। नई दूरसंचार नीति, 99 में वर्ष 2005 तक 7 का टेलीघनत्व प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2005 तक लगभग 75 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने अपेक्षित होंगे। इसका अर्थ यह है कि मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2005 तक लगभग 38 बिलियन यू०एस० डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) फैडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एफ०आई०सी०सी०आई०) के नियंत्रण पर संचार मंत्री (एम०ओ०सी०) ने 12-13 जून, 2000 को सैन फ्रैंसिस्को यू०एस०ए० में इंडो-यू०एस० जॉएन्ट बिजनेस काउंसिल की 25वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। यू०एस० के अपने दौरे का लाभ उठाते हुए, संचार मंत्री ने इस दौरान यू०एस०ए० तथा लंदन में भी कुछ अन्य बैठकों को संबोधित किया, जिनमें बड़ी संख्या में निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों (एन०आर०आई०) ने भाग लिया। संचार मंत्री ने उन्हें दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सरकार द्वारा उठाए गए नए दायित्वों के बारे में अवगत कराया। विदेशी निवेश भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। आशा की जाती है कि जब लंबी दूरी और नए सर्किलों इत्यादि में नए निवेश के अवसरों की घोषणा की जाएगी और प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे तो इसके लिए अच्छी प्रतिक्रिया होगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या पर रैडक्रास की रिपोर्ट

147. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री राममोहन गाड्डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्वास्थ्य परिचर्या पर रैडक्रास की हाल में दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से दवाइयों और औषधियों की कीमतों में कई गुणा वृद्धि हुई है जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए इलाज पहुंच के बाहर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विषय पर वर्ल्ड डिजास्टर्स रिपोर्ट 2000, द इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ रैडक्रास सोसाइटी और रेड-क्रिसेंट सोसाइटीज की रिपोर्टों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इन सोसाइटियों द्वारा भारत में स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) आम जनता को उचित मूल्य पर औषधियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) 2 अलग-अलग 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक (ओ०आर०जी०एम०ए०आर०जी० के अनुसार) की वार्षिक बिक्री वाले 1615 चिकित्सीय दवाइयों के अध्ययन से पता चला है कि दिसंबर 1994 और दिसंबर, 1999 की अवधि के दौरान 318 दवाइयों (1615 का 23 प्रतिशत) के मूल्यों में कमी आई है। 522 दवाइयों (कुल का 30.54 प्रतिशत) की कीमतों में 5 प्रतिशत (वार्षिक) से कम और 404 दवाइयों (कुल का 25.51 प्रतिशत) की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत (वार्षिक) के बीच, 284 दवाइयों (कुल का 16.80 प्रतिशत) के मूल्य में 10 से 20 प्रतिशत (वार्षिक) और 87 दवाइयों (कुल का 4.15 प्रतिशत) की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण थोक औषधों, एक्सीपिएन्ट (लेक्टोज, स्टार्च, शुगर, ग्लिसरीन सोलवेन्ट, जिलेटाइन कैप्सूल आदि) के मूल्यों में वृद्धि, परिवहन, माल-भाड़े, उपयोगी वस्तुओं जैसे ईंधन, बिजली, डीजल आदि की लागत में वृद्धि, करों और शुल्कों में परिवर्तन सी०आई०एफ० की कीमत में वृद्धि और रुपए का अवमूल्यन (आयातित दवाइयों के लिए) हैं।

(ग) से (ङ) वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट – 2000 के अनुसार भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 1999 – विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित "मेकिंग ए डिफरेंस" के अनुसार वर्ष 1995 की अवधि के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत था जिसमें से 1.2 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से था। द वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट 2000 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या का तीन चौथाई निजी हाथों में होने के कारण गरीबी रेखा के नीचे रह रहे 400 मिलियन भारतीयों के लिए निजी स्वास्थ्य परिचर्या पहुंच से बाहर है। तथापि स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लोगों की बढ़ती स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्वास्थ्य परिचर्या की कवरेज और गुणवत्ता को इष्टतम करने का विचार किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में चिंताजनक अंतर को पाटने के लिए सरकार कुष्ठ रोग, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, मलेरिया और एड्स जैसे रोगों के नियंत्रण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेन्सियों से बाह्य सहायता प्राप्त करके स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधन बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती रही है। विश्व बैंक की सहायता से चुनिंदा राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं को समुन्नत किया जा रहा है।

विश्व डिजास्टर रिपोर्ट – 2000 के अनुसार बाजार की शक्तियां आयुर्वेद जैसी पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों को समाप्त कर रही हैं। तथापि, सरकार स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, के विकास और उन्नयन के लिए विभिन्न कार्यनीतियां अपना रही हैं।

(च) उचित दर पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सितम्बर, 1984 में संशोधित औषध नीति, 1986 के उद्देश्यों में से एक है। सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 घोषित किया है जो 6 जनवरी, 1995 से प्रभावी है। दवाइयों के मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार संचालित होते हैं। व्यापार में औषध-बाजार का लगभग 39 प्रतिशत (ओ०आर०जी०एम०ए० आर०जी० के अनुसार) मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है। शेष औषधियां नियंत्रण से बाहर की श्रेणी में हैं। राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य प्राधिकरण (ए०पी० पी०ए०) द्वारा नियंत्रण से बाहर की औषधियों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

सरकार ने मौजूदा औषध मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करने और अन्य चीजों में वैकल्पिक माडलों का सुझाव देने के लिए 18 मार्च, 1999 को औषध मूल्य समीक्षा समिति का गठन किया। सरकार द्वारा इसी तारीख को देश में औषध उद्योग में अनुसंधान और विकास क्षमता को सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव देने और देश में अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय औषध कम्पनियों को अपेक्षित सहायता का पता लगाने के लिए दूसरी समिति अर्थात् औषध अनुसंधान और विकास समिति का भी गठन किया। इन समितियों ने सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों पर सरकार विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में दो सेतुओं का निर्माण

148. **श्री के० येरननायडू :**
श्री जी० गंगा रेड्डी :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेन वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गों में दोहरी लेन बनाने के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से संसाधन जारी किए जाने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) निधियों में से एक लेन से 2 लेन तक चौडा किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से संसाधन जारी करने का इस समय कोई प्रसताव नहीं है।

"पर्यावरण संरक्षण हेतु सहायता"

149. श्री पी० कुमारासामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु 45000 डालर की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तमिलनाडु के पालानी, ओड्डनचटरम बेल्लाकोहल और कंगायम क्षेत्र के वृक्षारोपण अभियान पर जोर देकर इसे पेश करने का लाभ उठाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) अमरीका के राष्ट्रपति ने 22 मार्च, 2000 को आगरा में अपने भाषण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की, कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेंसी भारत में और अधिक सक्षम ऊर्जा उत्पादन और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 45 मिलियन अरमीकी डालर प्रदान करेगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में इंटरनेट के माध्यम से रक्तदान की सुविधा

150. डॉ० अशोक पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इंटरनेट के जरिए रक्तदान की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने इस संबंध में वेब-साइट पर अपने नाम और पते दर्ज कराये हैं;

(ग) क्या इस तरह की योजना देश के अन्य भागों में भी शुरू करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। दिल्ली में इस समय ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं। तथापि एक वेब साइट डब्ल्यु०डब्ल्यू०डब्ल्यू०लाइफ सेवर्स० फ्रीसर्वर्स० कॉम है जिसका एक रक्त दाता निर्देशिका बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) यह निर्देशिका अभी शुरू नहीं हुई है।

(ग) और (घ) यह गैर-सरकारी संगठन द्वारा आरंभ की गई एक प्रायोगिक परियोजना है और दूसरे शहरों में इसे आरंभ करने से पहले इसके कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी।

लंबी दूरी की दूरसंचार-सेवाओं का निजीकरण

151. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लंबी दूरी की दूरसंचार-सेवाओं के क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति देने हेतु कोई नई नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नई दूरसंचार नीति "1999 (एन०टी०पी० " 99) में, लंबी दूरी की दूरसंचार-सेवाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की परिकल्पना की गई है। ऐसा देश में लंबी दूरी की बैंडविड्थ-क्षमता के संस्थापन को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराने तथा प्रति-स्पर्धा को बढ़ावा देने के विचार से किया गया था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के आशय से सभी संपर्क प्रदाताओं से लंबी दूरी के ऑपरेटरों की इंटरकनैक्शन उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा, जिसके परिणाम-स्वरूप उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेगा।

[अनुवाद]

जनसंख्या में शून्य वृद्धि

152. श्री माधवराव सिंधिया
श्री सुशील कुमार शिंदे
श्रीमती रेणुका चौधरी
श्रीमती प्रेनीत कौर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की दर के आधार पर भारत विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन को भी वर्ष 2025 तक पीछे छोड़ देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग गठित करने के अलावा शून्य वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत शून्य वृद्धि का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों (1998) के अनुसार भारत की जनसंख्या के 2045 में चीन की जनसंख्या को पार कर जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुकूल स्तर पर 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए परिवार कल्याण सेवाओं की अपूरित आवश्यकताओं, ग्राम स्तर पर सेवा प्रदानगी का एक ही स्थान शुरू करने, गर्भनिरोधन प्राद्योगिकी आदि को शामिल करते हुए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।

हीरे पर रायल्टी

153. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीरे पर रॉयल्टी 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश ने केन्द्र सरकार से रॉयल्टी की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 214 (ई) दिनांक 11.4.1997, जिसकी प्रति 8.5.1997 को सदन के पटल पर रखी गई थी, द्वारा हीरे की रायल्टी दर को खान मुख (पिट्स माउथ) मूल्य पर विक्रय मूल्य के 20% से घटाकर, यथामूल्य आधार पर, विक्रय मूल्य का 10% कर दिया गया था। यह प्रमुख खनिजों (कोयला एवं लिग्नाइट को छोड़कर) की रायल्टी संशोधन के बारे में भारत सरकार द्वारा 1995 में गठित अध्ययनदल की सिफारिशों पर आधारित था।

वर्ष 1995 में गठित अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने से पहले, मध्य प्रदेश सरकार सहित, राज्य सरकारों से विस्तृत विचार-विमर्श किया। अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हीरे की रायल्टी दरों घटाने का निर्णय लिया :–

(i) अनेक प्रमुख हीरा उत्पादक देशों में हीरे की रायल्टी दरें 10% या कम हैं; (ii) मूल्य के संदर्भ में, हीरा दूसरा सबसे बड़ा आयातित खनिज होने के कारण, देश में नये हीरा संसाधन तलाश करने की तत्काल आवश्यकता है; (iii) पूंजी की अपर्याप्तता के कारण भारत में हीरे के संभावित संसाधनों का समग्र रूप में, अल्प गन्वेषण होता है; तथा (iv) समुचित उच्च प्रौद्योगिकी इनपुट तथा रायल्टी दर कम होने से बृहदतर पूंजी निवेश के प्रोत्साहित होने तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी के आने की आशा है।

मध्य प्रदेश सरकार हीरों पर रायल्टी दरों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है लेकिन केन्द्र सरकार ने उसके अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं पाया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

154. **श्री रामजीलाल सुमन** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या इस लम्बाई को 66,000 कि०मी तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) उन सड़कों की लम्बाई कितनी है जिनका चयन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है तथा वे किन-किन राज्यों में स्थित हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) आज की तारीख में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 52010 कि०मी० है।

(ख) और (ग) इस समय चल रही बीस वर्षीय सड़क विकास योजना (1981-2001) में 66,000 कि०मी० की कुल लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की परिकल्पना की गई है।

(घ) इस समय कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते क्योंकि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर यातायात की आवश्यकता उनकी पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विचार किया जाता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्यकरण की समीक्षा

155. **श्री जयभान सिंह पवैया** :
श्री शिवराजसिंह चौहान :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्यकरण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को अधिक वाणिज्यिक बनाने के लिए कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। इस संस्थान की स्थापना इसकी सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण नैदानिक कार्य और अनुसंधान के पैटर्नों का विकास करने तथा भारत में सभी चिकित्सा कालेजों, अस्पतालों और अन्य सहायक संस्थाओं को चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक कार्य और अनुसंधान के उच्च मानकों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय महत्ता के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में की गई थी। यह संस्थान देश के विभिन्न भागों से आने वाले रोगियों के उपचार के लिए एक रेफरल अस्पताल भी चलाता है।

(ग) और (घ) इस संस्थान का प्रबंध मंडल और सरकार भी समय-समय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकलापों की समीक्षा करती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल प्रबंध मंडल में सुधार करने और उसे कारगर बनाने के दृष्टि से एक अस्पताल प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है।

यद्यपि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संसाधन गतिशीलता के प्रयासों के पीछे दर्शन कभी भी अनियंत्रित वाणिज्यीकरण नहीं रहा है तथापि इस अस्पताल ने अपने कई शल्य-चिकित्सीय, रोग नैदानिक और चिकित्सीय क्रियाविधियों के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों को शुरू किया है। वैसे, इस संस्थान के वास्तविक रूप से गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के बुनियादी आदेश के अनुरूप बहिरंग रोगी विभाग के पंजीकरण प्रभारों को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

बिहार में बाधित टेलीफोन सेवाएं

156. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने जिलों में जनवरी से जून, 2000 तक एस०टी०डी० और स्थानीय टेलीफोन सेवाएं खराब पड़ी रहीं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बिहार के धनबाद, हजारीबाग और गिरडीह जिलों के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन सेवाएं निर्बाध रूप से कार्य करती रहीं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में टेलीफोन सेवाओं के बाधित होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा राज्य में बेहतर टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार के सभी जिलों में जनवरी से जून, 2000 के दौरान एस०टी०डी० तथा स्थानीय टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उपर्युक्त "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों को निजी कंपनियों को सौंपना

157. श्री सुरेश चन्देल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) उनमें से कितने अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन हैं और कितने लाभ कमा रहे हैं

(ग) देश में स्थानवार कौन से विमानपत्तन घाटे में चल रहे हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रहे विमानपत्तनों को राज्यों और निजी कंपनियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 122 विमानपत्तनों तथा सिविल एन्क्लवों का प्रबन्ध करता है। कोचीन विमानपत्तन का प्रबन्ध कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

(ख) देश में बारह अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं। इन बारह विमानपत्तनों में से केवल कुछ विमानपत्तनों पर लाभ हो रहा है।

(ग) देश में हानि में चल रहे विमानपत्तनों के नाम स्थानवार निम्न प्रकार हैं।

1. **अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन** :— तिरूवनंतपुरम, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, (सिविल एन्क्लेव) अमृतसर और गुवाहाटी।

2. **अंतर्देशीय विमानपत्तन** :— देहरादून, गग्गल, जयपुर, कानपुर, कोटा, कुल्लू, लखनऊ, लुधियाना, पन्तनगर, सफदरजंग, शिमला, उदयपुर, वाराणसी, ललितपुर, सतना, झांसी, औरंगाबाद, बड़ौदा, बेलगांव, भावनगर, भोपाल, जबलपुर, काण्डला, कैशोद, नागपुर, पोरबन्दर, रायपुर, राजकोट, सूरत, (राज्य सरकार) इन्दौर, बिलासपुर, दीसा, कोल्हापुर, शोलापुर, अकोला, पन्ना, बेहाला, बेलूरघाट, बैंगलूर, भुवनेश्वर, गया, झारसुगुडा, मास्दा, पटना, रांची, जोगबनी, मुजफ्फरपुर, रकसौल, चक्कुलिया, बेराचम्पा, अगत्ती, हुबली, मदुरै, मंगलौर,

पांडिचेरी, राजामुन्दरी, सलेम, तिरूपति, तिरूचिरापल्ली, विजयवाड़ा, दोनाकोंडा, तूतिकोरिन, त्रेल्लौर, कुड्डपाह, कोयम्बतूर, मैसूर, ववारंगल, हसन, अगरतल्ला, ऐजोल, कूचविहार, डिब्रुगढ़, दीमापुर, इम्फाल, कैलाशहर, खोवाई, कमालपुर, उत्तरी लखिमपुर, पासीघाट, रूपसी शेल्पा तथा शिलांग।

3. **सिविल एन्क्लेव** :– आगरा, चण्डीगढ़, गोरखपुर, ग्वालियर, जम्मू, जोधपुर, लेह, श्रीनगर, जैसलमेर, बीकानेर, चर्खी दादरी, इलाहाबाद, जामनगर, भुज, पोर्टब्लेयर, विशाखापत्तनम्, बागडोगरा, जोरहाट, सिल्चर, तेजु, जेरो, तेजपुर, एलोंग तथा डपारिजो।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उनमें से 33 विमानपत्तनों को स्तरोन्नयन लाभ प्रचालनों के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरण के लिए चुना है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 15 वर्ष के पट्टा आधार पर विकासात्मक प्रयोजनों के लिए कोल्हापुर तथा शोलापुर विमानपत्तनों को अपने हाथ में ले लिया है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम पत्तन पर कंटेनरों का आवागमन

158. **डा० मन्दा जगन्नाथ** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन पर कंटेनरों में आवागमन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पत्तन में कंटेनरों के लिए अत्याधुनिक कार्गो ट्रांसफर सिस्टम को आधुनिक बनाने और लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुम्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन के जरिए हैंडल किए गए ट्रैफिक का ब्यौरा और प्राप्त हुई वृद्धि दर इस प्रकार है :–

वर्ष	हैंडल की गई टी० ई०यू०	वृद्धि दर	हैंडल किया गया टनभार	वृद्धि दर
1995-96	8446	–	93693	–
1996-97	13117	(+) 55%	166294	(+) 77%
1997-98	12608	(-) 38%	146005	(-) 12%
1998-99	14307	(+) 3.48%	172081	(+) 18%
1999-00	20427	(+) 42.80%	262356	(+) 52%

(ग) कंटेनरों के लिए अलग बर्थ 3.7.2000 को चालू की गई है। बर्थ की लम्बाई को बढ़ाकर 449 मीटर किया जा रहा है और डुबाव को भी बढ़ाकर 16 मीटर करने का प्रस्ताव है। इस बर्थ पर निजी क्षेत्र के माध्यम से आधुनिक उपकरण स्थापित किए जाने हैं। एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन और भंडारण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाना है। बर्थ को सड़क और रेल संपर्क से जोड़ने की योजना भविष्य के लिए बनाई गई है। अन्य अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और उपकरणों तथा कंटेनर भरने और खाली करने की भी योजना तैयार की गई है।

राजमार्ग परियोजनाओं में सह-आयोजक

159. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफ०आई०सी०सी०आई०) ने सरकार से अधिक राजमार्ग परियोजनाओं में सह-आयोजक बनने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफ०आई०सी०सी०आई०) ने प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कौन-कौन सी सिफारिशें/सुझाव/कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(घ) क्या सरकार फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफ०आई०सी०सी०आई०) द्वारा सुझाए गए कदमों पर विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो राजमार्गों के समग्र कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुम्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बांध पर यातायात का दबाव

160. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फरक्का बांध पर भारी यातायात और रख-रखाव को नियंत्रित करने हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बांध से संबंधित समस्याओं की गंभीरता का पता लगाने के लिए किसी अध्ययन दल का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय जो प्रशासनिक रूप से फरक्का बराज के लिए जिम्मेदार है, फरक्का बराज में पुल पर यातायात भार नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय करने पर विचार नहीं कर रहा है। वार्षिक मरम्मत के लिए संसाधन आबंटित किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसने बराज में यातायात भार नियंत्रित करने हेतु समस्या की गंभीरता की जांच के लिए भी किसी अध्ययन दल का गठन नहीं किया है।

निजी कंपनी द्वारा टेलीफोन-लाइन बिछाया जाना

161. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री ज़ोरा सिंह मान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार-क्षेत्र में निजी कंपनियों को पिछले वर्ष लाइसेंस जारी करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-लाइन बिछाने-संबंधी समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते के अनुरूप कार्य करने वाली निजी कंपनियों के नाम क्या है; और

(ग) वे राज्य कौन-कौन से हैं, जहां कार्य किया गया है तथा कितना कार्य किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 1997-98 में निजी कम्पनियों द्वारा लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किये जाने थे, जिससे उनका संविदागत दायित्व बनता है कि वे अपनी लाइसेंस-अवधि को प्रथम तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण-सार्वजनिक-टेलीफोनों (वीपीटी) का प्रावधान करने हेतु स्वेच्छा से दी गयी कार्यनिष्पादन सम्बन्धी अपनी वचनबद्धता का अनुपालन करें।

(ख) छः प्राइवेट लाइसेंसधारक कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी ने इन करारों के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान नहीं किया।

(ग) पांच प्राइवेट लाइसेंसधारक कम्पनियों-मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान प्रत्येक में एक कम्पनी द्वारा टेलीफोन-सेवा शुरू की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट कम्पनी द्वारा 12 (बारह) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान किये गये हैं।

"इंटरनेट टेलीफोनी"

162. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री भेरू लाल मीणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति देने तथा और अधिक साइबर सूचना केन्द्र खोलने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) एन०टी०पी०, 99 के अनुसार इंटरनेट टेलीफोन की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। तथापि, सरकार प्रौद्योगिक नवीनताओं और राष्ट्रीय विकास पर उनके प्रभाव की लगातार निगरानी रखेगी और उचित समय पर इसकी समीक्षा करेगी।

सरकार न्यायोचित होने पर पी०सी०ओ० को सार्वजनिक "टेलीइन्फो" केंद्रों में परिवर्तित करने की योजना बना चुकी है, ये केंद्र आई०एस०डी०एन० सेवाओं, रिमोट डाटा बेस अक्सेस, सरकारी तथा सामुदायिक सूचना प्रणालियों जैसी मल्टीमीडिया क्षमताओं से युक्त होंगी। ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर इंटरनेट ढाबा खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

(ग) वर्तमान में इंटरनेट टेलीफोनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता वर्तमान दूरसंचार नेटवर्क से प्राप्त होने वाली सेवा की गुणवत्ता के स्तर की नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस समय ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों में टेलीफोन की व्यवस्था की लंबी दूरी के नेटवर्क से प्राप्त होने वाले राजस्व से सब्सिडी दी जा रही है। इंटरनेट टेलीफोनी से ये राजस्व कम होने की संभावना है। इसलिए इस समय इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति देने से देश में अपेक्षित टेलीफोन घनत्व प्राप्त करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिन देशों ने इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति दी है, वहां आमतौर पर पर्याप्त स्तर पर टेलीफोन घनत्व उपलब्ध है।

उपसमूह द्वारा रिपोर्ट

163. **श्री रूपचन्द पाल :**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या संचार मंत्री समूह द्वारा रिपोर्ट के बारे में 15 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7517 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम 1885 के स्थान पर नये कानून हेतु सुझाव देने के लिए गठित उपसमूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2000 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निरीक्षण भवन

164. डॉ० बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी जिले में निरीक्षण-भवनों के निर्माण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां निरीक्षण-भवनों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निरीक्षण-भवनों के निर्माण का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसका निर्माण करा दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दूरसंचार सेवा विभाग में निरीक्षण-क्वार्टर आवश्यकता के आधार को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। नए भवनों के निर्माण के समय सभी मुख्य महाप्रबंधकों को पर्याप्त संख्या में निरीक्षण-क्वार्टरों की व्यवस्था करनी होती है। पर्याप्त संख्या में निरीक्षण-क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए विभाग के दिनांक 29.7.94 के पत्र में विस्तृत मार्गनिर्देश दिए गए हैं, जिसकी एक प्रति विवरण-I पर दी गई है।

निरीक्षण-क्वार्टर प्रदान करने के लिए डाक विभाग में निर्धारित किए गए मानदण्ड विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के उन स्थानों के नाम, जहां पर निरीक्षण-क्वार्टरों का निर्माण किया गया है, विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) डाक विभाग तथा दूरसंचार-सेवा डाक विभाग का एक-एक निरीक्षण-क्वार्टर आजमगढ़ में उपलब्ध है। दो और क्वार्टरों का निर्माण दूरसंचार-सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा इनके मार्च 2001 तक पूरे होने की संभावना हैं।

(घ) उपर्युक्त "ग" के अनुसार।

(ङ) उपर्युक्त "घ" को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण-I

भारत सरकार
दूरसंचार विभाग
संचार मंत्रालय
20 अशोक रोड़, संचार भवन
नई दिल्ली-110001

सं० 472-12/91-बी०जी० दिनांक : 29.7.94

विषय : नए भवनों में पर्याप्त संख्या में इंस्पैक्शन क्वार्टर उपलब्ध कराना

भविष्य के लिए योजित नए भवनों में पर्याप्त इंस्पैक्शन क्वार्टर उपलब्ध कराए जाने के दूरसंचार आयोग के, निर्णय को दूरसंचार विभाग के दिनांक 23.10.91 के कार्यालय आदेश 5-7/6/91-डब्ल्यू०(टी०) 249 के तहत संप्रेषित कर दिया गया है। इंस्पैक्शन क्वार्टरों में इस्पैक्शन कमरों की सं० संबंधी दिशानिर्देश और आवास अनुसूची को भी इस कार्यालय द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है।

2. इंस्पैक्शन क्वार्टरों के सिंगल सूट तथा डबल सूट के लिए काफी पहले, अर्थात दिनांक 7.10.64 और 18.3.69 के सं० 21-17/60-एन०बी० के तहत परिचालित एस०ओ०ए० के अधिक्रमण में इंस्पैक्शन क्वार्टरों की संशोधित अनुसूची को निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है :–

(I)	बैड रूम विद् अटैच्ड बाथ	250 वर्ग फुट
(II)	किचन और पैन्टरी	160 "
(III)	डायनिंग रूम/ड्राइंग रूम/लॉज	400 "
(IV)	स्टोर	100 "
(V)	इंस्पैक्शन क्वार्टर स्टाफ के लिए कमरे (केयरटेकर, सुपरिन्टैंडेंट, हाउस कीपिंग और मैसिंग स्टाफ	200 "
(VI)	कॉमन बाथ रूम/डब्ल्यू०सी०	60 "
	कुल	1160

दूरसंचार सर्किलों के प्रमुख द्वारा जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, वहां 250 वर्ग फीट का एक बी०आई०पी० कमरा (अटैच्ड बाथ और टॉयलैट सहित) उपलब्ध कराने के एस०ओ०ए० को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

3. बनाए जाने वाले इंस्पैक्शन कमरों की संख्या (सिंगल सूट) और इंस्पैक्शन क्वार्टरों में दिया जाने वाला केटरिंग स्टाफ, चूंकि प्रशासनिक मामला है, इसलिए इन आयामों पर आवश्यकता के आधार पर कड़ाई से दूरसंचार सर्किलों के प्रमुखों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

4. उक्त संशोधित एस०ओ०ए० का प्रयोग करते हुए यह नोट किया जाए कि :–

(I) "सिंगल सूट" का अर्थ है अटैच्ड बाथ और टॉयलेट सहित "एक बैड रूम"

(II) इंस्पैक्शन क्वार्टर में 1160 वर्ग फीट का संशोधित एस०ओ०ए०, एक बैड रूम और 6 बैड रूम्स तक के लिए जन सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में है। अतिरिक्त बैड रूम बनाकर (अटैच्ड बाथ और टॉलेट सहित) 250 वर्ग फीट के क्षेत्रफल के भीतर अतिरिक्त सिंगल सूट उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(III) प्रत्येक 5 बैड रुमों (सिंगल सूट) के लिए केवल 1 वी०आई०पी० रूम बनाया जाएगा।

(IV) संशोधित एस०ओ०ए० के अनुसार इंस्पैक्शन क्वार्टर में आम सुविधाओं जैसे किचन और पैण्टरी, लॉज/ड्राइंग/डायनिंग रूम, स्टोर तथा केयर टेकर/सुपरवाइजर के लिए स्थान आदि 6 सिंगल सूटों के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। इंस्पैक्शन क्वार्टर में 6 से अधिक और अधिक से अधिक 12 सूटों में इन मदों का क्षेत्रफल 50% तक बढ़ा दिया जाए और,

(V) नए दूरसंचार भवन में इंस्पैक्शन रूम्स प्रदान किए जाने के लिए संशोधित एस०ओ०ए० का प्रयोग किया जाएगा।

इसे दिनांक 19.7.94 के अ०शा०सं० 437-एफए-11/94 के तहत वित्तीय वित्त की सहमति से जारी किया जाता है।

ह०/-
(डी०आर० सेन)
निदेशक (आर०)

विवरण-II

डाक विभाग में इन्स्पैक्शन क्वार्टर उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश

जुलाई, 1990 में जारी आदेशों के अनुसार चीफ पोस्टमोस्टर जनरल, रीजनल पोस्टमास्टर जनरल के मुख्यालय तथा डिविजन में निम्नलिखत पैरामीटरों के भीतर इनसपैक्शन क्वार्टर स्थापित किए जा सकते हैं :-

(i)	श्रेणी "क" शहर	– कानपुर और पुणे के लिए 4 सिंगल रूम सूट पर्याप्त हैं। इनके अतिरिक्त स्थानों पर छह सिंगल रूम सूट
(ii)	श्रेणी "ख" शहर	– चार सिंगल रूप सूट
(iii)	"क" अथवा "ख" श्रेणी से छोटे शहर/ नगर, जो डिविजनल मुख्यालय हैं	– दो सिंगल रूम सूट

जहां तक संभव हो इंस्पैक्शन क्वार्टर अधिकारियों को कॉलोनी अथवा अलग स्थान पर स्थित होने चाहिए, ऑपरेटिव कार्यालयों में कदापि स्थित नहीं होने चाहिए। स्थान का निर्णय करने में सर्किलों के अध्यक्षयों/क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल शहरी केंद्र इत्यादि से समीपता को ध्यान में रखें ताकि आने वाले अधिकारी होटल/बाजार आदि तक आसानी से पहुंच सकें।

नए इन्स्पैक्शन क्वार्टरों की स्थापना के समय ये मापदण्ड लागू होंगे तथा मौजूदा इन्स्पैक्शन क्वार्टरों में सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु इनके कारण पुराने मापदण्डों पर बने मौजूदा इन्स्पैक्शन क्वार्टरों को बंद नहीं करना चाहिए।

इन मापदण्डों से परे इन्स्पैक्शन क्वार्टर बनाने के लिए निदेशालय, डाक विभाग का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

विवरण-III

जिन स्थानों पर इन्स्पैक्शन क्वार्टर उपलब्ध हैं, उनकी सूची

क. दूरसंचार सेवा विभाग

(I) उत्तर प्रदेश (पूर्व)

इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, घोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, महोबा, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर तथा वाराणसी।

(II) उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

आगरा, अलीगढ़, बरेली, देहरादून, एटा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हल्दवानी, हरिद्वार, जोशीमठ, कैराना, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, न्यू टिहरी, रिशिकेश, शामली तथा वृंदावन।

ख. डाक विभाग

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बद्रीनाथ, बलिया, बरेली, बुलंदशहर, चमोली, देहरादून, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, हरिद्वार, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मंसूरी, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, न्यू टिहरी, प्रतापगढ़, रानीखेत, रिशिकेश, सहारनपुर, श्रीनगर, उत्तर काशी, और वाराणसी।

[अनुवाद]

मोबाइल टेलीफोन-प्रणाली

165. श्री नरेश पुगलिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के गढ़चिरोली और चन्द्रपुर ज़िलों को मोबाइल टेलीफोन-प्रणाली से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या है; और

(ग) उक्त जिलों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन-सेवा के प्रचालन के लिए मै० बी०पी०एल० सेल्यूलर लिमिटेड (लाइसेंस की प्रभावी तिथि 19.12.95 है) को तथा मै० बिड़ला ए०टी० एण्ड टी० कम्यूनिकेशन लि० (लाइसेंस की प्रभावी तिथि 12.12.1995 है) को लाइसेंस दे दिये गये हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली तथा चन्द्रपुर जिलों में अभी तक किसी ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदान नहीं की गयी है। दूरसंचार-सेवा विभाग (डी०टी०एस०) को भी महाराष्ट्र-सर्किल में सेल्यूलर-सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। हालांकि, डी०टी०एस० ने महाराष्ट्र में सेल्यूर-सेवा के प्रचालन की अपनी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है। प्राइवेट सेल्यूलर-आपरेटरों को दिये गये लाइसेंस करार के अनुसार लाइसेंस की प्रभावी तिथि से प्रथम वर्ष में जिला-मुख्यालयों के न्यूनतम 10% भाग कवर किये जाएंगे तथा तीन वर्ष के भीतर जिला-मुख्यालयों के 50% भाग कवर किये जाने होंगे। लाइसेंस-धारकों को जिला मुख्यालयों के बदले में जिले के किसी अन्य कस्बे को कवर करने की अनुमति भी दी गयी है। कवर किये जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों के चयन का विकल्प तथा जिला-मुख्यालयों/कस्बों के 50% भाग से अधिक हिस्से तक और विस्तार करना लाइसेंसधारक कम्पनियों पर उनके कार्य-व्यापार-संबंधी निर्णय पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं

166. **श्रीमती जस कौर मीणा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान बाल सुरक्षा और रक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

शाखा डाकघर

167. **श्री आदित्यनाथ योगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कितने शाखा डाकघर स्वीकृत किए गए; और

(ख) जिले-वार स्थान-वार इनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मांगी गई जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) मांगा गया ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में 1998 से 2000 तक खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1998-99	82	82
1999-2000	42	10

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में खोले गए डाकघर

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्रम सं०	डाकघर का नाम	जिले का नाम
1	2	3
	वर्ष	**1999-2000**
1.	इतौरा	प्रतापगढ़
2.	मीरपुर गरहिया	कन्नौज
3.	लुत्था	रायबरेली
4.	भीकमपुर	सुल्तानपुर
5.	धनौरा	बाराबंकी
6.	कंडोली	देहरादून
7.	शिनी	उत्तरकाशी
8.	क्यार्क बरसुडी	चमोली
9.	लोहादा	बागवत
10.	कांडाकनीसात्त	पौड़ी
	वर्ष	**1998-99**
1.	बारगाधा सोहना	बलरामपुर
2.	धबोलिया	-वही-
3.	कटैयाभारी	-वही-
4.	कुंडवा	-वही-
5.	मनोहरपुर	-वही-
6.	मानपुर	-वही-
7.	माझगवन	-वही-

1	2	3
8.	परसरामपुर	बलरामपुर
9.	परसरामपुर राजेहना	-वही-
10.	पैपराई अमुनी	-वही-
11.	शुगरनगर डुमरी	-वही-
12.	त्रिलोकपौर	-वही-
13.	हसनपुर	इलाहाबाद
14.	प्रेमनगर चौराहा	-वही-
15.	बबहनीपोन रायपुर	चंदौली
16.	लालपुर	जौनपुर
17.	आमी	प्रतापगढ़
18.	अखहारा	-वही-
19.	बच्छरा	-वही-
20.	कोषियार	-वही-
21.	रामनगर	-वही-
	नारेपार सीतामढ़ी	संत रवि दास नगर
23.	बाल्टा	अल्मोड़ा
24.	चौवीसाली	-वही-
25.	नौरा	-वही-
26.	कोटयादा	भागेश्वर
27.	पैग्रा	बरेली
28.	फतेहपुर	बदायूं
29.	खंडेसा	-वही-
30.	मानिकपुर कौर	-वही-
31.	पसिया पुख्ता	-वही-
32.	भड़िया महासिंह	हरदोई
33.	बेलुवा	खीरी
34.	लकराइट	ज्योतिबाफूले नगर
35.	सूपी	नैनीताल
36.	बाटमपुर	पीलीभीत
37.	गुफारी	पिथौरागढ़
38.	कोटावारी	शाहजहांपुर
39.	कुससान्दा	-वही-

1	2	3
40.	आलेहदापुर	बिजनौर
41.	मुन्सवारपुर सैद	-वही-
42.	जल तल्ला	रुद्रप्रयाग
43.	खोरागांव	जी०बी० नगर
44.	भटगांव	टिहरी
45.	मल्याकोट	-वही-
46.	मीसापुंग	-वही-
47.	कोटबलगांव	-वही-
48.	कन्डियालगांव	-वही-
49.	उन्नियानगांव	-वही-
50.	मावी कलां	सहारनपुर
51.	जयौला	मेरठ
52.	दियेरापट्टी	आजमगढ़
53.	सेनपुर	-वही-
54.	अरियासो	मऊ
55.	खान्डवा कुंवर	बस्ती
56.	अथराह	कुशीनगर
57.	फरदाह	-वही-
58.	बनौली	सिद्धार्थनगर
59.	भुलाईपुर	देवरिया
60.	बुंगले अयोध्या प्रसाद	गोरखपुर
61.	असलामपुर	(कानपुर (एम)
62.	रूपनगर	-वही-
63.	हरदौली	कानपुर (सिटी)
64.	भनौली	बाराबंकी
65.	दसवपुर	-वही-
66.	ईसुन्धा	-वही-
67.	जनापुर	-वही-
68.	महमूदपुर	-वही-
69.	निवौली	-वही-
70.	मनोहरपुर	-वही-
71.	पुरे चन्दन	-वही-

1	2	3
72.	सेमरेन	बाराबंकी
73.	भवन्थपुर	फैजाबाद
74.	चुरूवा	रायबरेली
75.	बंजारिया	सीतापुर
76.	भादेबहर	-वही-
77.	ईतौरी	-वही-
78.	मोहम्मदपुर कदीम	सुल्तानपुर
79.	गडेरी	-वही-
80.	मगरसंद कलां	-वही-
81.	सतनपुर	सुल्तानपुर
82.	पाहरपुर	-वही-

निजी फर्मों को विमानों की बिक्री

168. **श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा निजी फर्मों को बेचे गए विमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त विमानों की बिक्री में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी फर्मों को बेचे गए विमानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं।

वर्ष	विमान की किस्म	पार्टी का नाम	मात्रा	मूल्य
1997-98	–	–	शून्य	–
1998-99	–	–	शून्य	–
1999-00	बीवर ए/सी वीटी डीआरपी वीटी डी आरक्यू तथा वीटी डीबीआर (रोटेबल तथा अतिरिक्त पुर्जों सहित, जो पुराने/असेवायोग्य तथा खराब स्थिति में।	ला रेंज एविएशन कनाडा	03	2,85,000 अमेरिकी डालर
	पाइपर पानी विमान	क्लासिक विंटेज ऐ/सी सर्विसेज यू०के०	02	12,500 अमेरिकी डालर

(ख) इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा गठित एयरक्राफ्ट डिस्पोजल कमेटी ने इंडियन एयरलाइंस के भंडार विभाग द्वारा दी गई निविदाओं का मूल्यांकन किया। समिति की सिफारिसें अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक तथा फिर इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव भारत सरकार को इसके विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिए भेजा गया है। ऐसा करते समय, एयरलाइनें एअर-इंडिया से *अनापत्ति प्रमाण* पत्र भी प्राप्त करती हैं।

"तमिलनाडु में वृक्ष उगाना"

169. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार के पास वृक्ष उगाने और विशेषत: औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने वाले ठीक, रोजवुड, बांस और अन्य वृक्षों का कोई आंकड़ा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के धरमपुरी, सालेम, नार्थ आरकॉट, एरोड, कोयम्बटूर और मदुरै जिलों में चन्दन और टीक के वृक्ष उगाने को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) वृक्षों के उगते स्टाक संबंधी आंकड़ों का रखरखाव वन प्रभागीय स्तर पर वन क्षेत्रों की कार्य योजना तैयार करते समय वन में लगे वृक्षों की गणना करके रखा जाता है। तथापि, संलग्न विवरण में भारत के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षों की जानकारी दी गई है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु राज्य में चन्दन और सागौन के वृक्ष उगाने की कोई विशेष योजना भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तमिलनाडु में कांचीपुरम, सालेम और वेल्लुपुरम जिलों सहित सारे देश में क्रियान्वित की जा रही है। जिसके लिए नौवी पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु के लिए 118.88 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रजातियों को वनीकरण और पुनरूद्धार क्रियाकलापों के दौरान अन्य वानिकी प्रजातियों के साथ भी उगाया जाता है।

विवरण

भारत के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उगते वनों का स्तरवार अनुमानित स्टाक

वनों का स्तर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कानिफर के साथ मिश्रित सख्त लकड़ी	उच्चभूमियों वाली सख्त लकड़ी	सागौन	साल	बांस (बांस की वृक्ष उपज)	डिप्टेरो कार्पस	खासी पाइन
आन्ध्र प्रदेश	–	–	19603	–	652	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	42105	–	–	2167	–	–
असम	–	–	–	17848	6558	–	–
बिहार	–	–	–	68970	1621	–	–
गोवा, दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	–	–	36174	–	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	699	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	14673	20340	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	2096	8851	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	22810	–	49	–	–
केरल	–	–	1000	–	–	–	–
प्रदेश	–	–	122644	141706	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	110308	520	5156	–	–
मणिपुर	723	10874	–	260	3081	683	1855
मेघालय	306	58	640	6148	11795	–	5416
मिजोरम	–	–	–	–	2452	–	–
नागालैण्ड	114	–	–	–	1077	–	–
उड़ीसा	–	–	902	149509	674	–	–
पंजाब	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	–	–	337	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	413	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	315	–	–	–	–
त्रिपुरा	–	–	1402	832	510	–	–
उत्तर प्रदेश	27343	29482	2561	124383	579	–	–
पश्चिम बंगाल	1763	–	1302	4171	–	–	–
अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	–	–	–
दादर और नगर हवेली	–	–	549	–	–	–	–

भारत सरकार

[अनुवाद]

हाथी दांत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

170. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 में हाथी दांत व्यापार शुरू होने के बाद अवैध शिकार में व्यापक वृद्धि के कारण हाथियों की घटती संख्या के आधार पर भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी ने हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फिर से खोलने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्व की वनस्पतिजात और प्राणिजात की लुप्तप्राय: प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समागम में भाग लेने वालों के नैरोबी में हुए/होने वाले 11वें सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया है अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गिगिरी, केन्या में 10-20 अप्रैल, 2000 तक आयोजित पक्षकारों के ग्यारहवें सम्मेलन में भारत और केन्या द्वारा किए गए संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारों का अगला सम्मेलन होने तक हाथी दांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

तमिलनाडु में योग केन्द्र की स्थापना

171. **डा० ए०डी०के० जयशीलन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कन्याकुमारी में एक योग केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण ऐसे संस्थान खोलना राज्य सरकार का काम है। तथापि, इस मंत्रालय के स्वायत्त निकाय केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पास योग केन्द्रों को सहायता अनुदान प्रदान करने की स्कीमें हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वनों का विकास

172. **श्री पी०आर० खुंटे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वन क्षेत्र में कमी को रोकने हेतु वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई नया कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को वनों के संरक्षण और विकास हेतु कितनी वार्षिक धनराशि दी गयी और प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वनों के संरक्षण और विकास हेतु वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई राशि

क्र० सं०	राज्य	वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित राशि लाख रु०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	706.382
2.	अरुणाचल प्रदेश	285.81
3.	असम	363.89
4.	बिहार	409.142
5.	गोवा	62.05
6.	गुजरात	646.59
7.	हरियाणा	394.43
8.	हिमाचल प्रदेश	362.22
9.	जम्मू और कश्मीर	909.581
10.	कर्नाटक	593.298
11.	केरल	460.88
12.	मध्य प्रदेश	1560.662
13.	महाराष्ट्र	1009.098
14.	मणिपुर	890.98
15.	मेघालय	116.57
16.	मिजोरम	536.02
17.	नागालैण्ड	253.02

1	2	3
18.	उड़ीसा	1236.46
19.	पंजाब	409.96
20.	राजस्थान	1090.06
21.	सिक्किम	454.59
22.	तमिलनाडु	273.3
23.	त्रिपुरा	322.79
24.	उत्तर प्रदेश	970.08
25.	पश्चिम बंगाल	594.66
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20
	कुल	14932.523

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये बजटीय प्रावधान

173. **श्री वी०एम० सुधीरन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले कार्यों हेतु अपर्याप्त बजटीय प्रावधान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को अलेप्पी बाइपास के निर्माण में हो रही देरी की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केरल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए हाल में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया गया है और अपर्याप्त धनराशि के बारे में केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। बाइपास को दो चरणों में बनाने का प्रस्ताव है। कार्य के पहले चरण में 0/0 से 2/300 तथा 6/150 से 7/580 तक की 3.73 कि०मी० लम्बाई का कार्य ठीक ढंग से चल रहा है और दिसंबर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

चरण-II के कार्य (3.85 कि०मी० लम्बाई में) को परियोजना की कार्यक्षमता के अनुसार निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) स्कीम के अंतर्गत शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जिसका परामर्शदाता द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

सी०बी०एच०एस० लाभार्थियों को सी०पी० ए०पी० उपकरण उपलब्ध कराना

174. **श्री बी० पुट्टा स्वामी गौड़ा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नासल सी०पी०ए०पी०" निद्रा विकार से पीड़ित रोगियों के लिए आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपकरण को सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों की प्रतिपूर्ति सूची में शामिल कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उक्त बीमारी के विभागाध्यक्ष ने कई सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों को इस उपकरण की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों को इस आवश्यक उपकरण की सलाह विशेषज्ञों द्वारा दिए जाने के बावजूद उन्हें उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस उपकरण को प्रतिपूर्ति सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) विशेषज्ञों द्वारा "नासल सी०पी०ए०पी०" मशीन की सलाह ऐसे रोगियों को दी जा रही है, जिन्हें नींद श्वासरोध संलक्षण से पीड़ित बताया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) "नासल सी०पी०ए०पी०" मशीन के आवासीय प्रयोग की सिफारिश इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा नहीं की गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

175. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पूयादव** :
प्रो० दुखा भगत :
डा० मदनप्रसाद जायसवाल :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री राजो सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों विशेषकर बिहार और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों की बदतर स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर राज्य-वार कहां-कहां कुल कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई जांच करायी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

थल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की पूरी जानकारी है और समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए निधियां राज्यवार आबंटित की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग/अवस्थिति-वार। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए निधियों का आबंटन (लाख रु०) दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	1999-2000 (एस०आर०पी०)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3898.00	4568.40	3440.260	3657.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.000	0.00
3.	असम	1162.55	2815.51	3199.440	2500.00
4.	बिहार	3410.77	3336.97	5367.640	6100.00
5.	चंडीगढ़	71.00	48.04	66.000	50.00
6.	दिल्ली	330.20	210.00	139.840	160.00
7.	गोवा	450.39	617.08	627.690	700.00
8.	गुजरात	3758.96	3296.94	2103.170	2068.00
9.	हरियाणा	772.34	1239.42	1611.700	400.00
10.	हिमाचल प्रदेश	3034.32	2256.01	1692.250	664.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	87.40	129.65	290.000	100.00
12.	कर्नाटक	3002.90	3111.75	34110.900	4850.00
13.	केरल	2268.11	2090.63	1984.000	1500.00
14.	मध्य प्रदेश	3313.78	3945.04	5254.493	3000.00
15.	महाराष्ट्र	5157.68	4957.67	3844.630	4000.00
16.	मणिपुर	277.03	365.59	826.080	0.00
17.	मेघालय	584.54	625.80	805.890	400.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	355.000	500.00
19.	नागालैंड	37.11	382.90	426.630	423.00
20.	उड़ीसा	2522.00	2761.15	2922.240	2516.00

1	2	3	4	5	6
21.	पांडिचेरी	29.96	64.18	87.000	164.00
22.	पंजाब	1357.75	1538.81	1883.860	400.00
23.	राजस्थान	3841.71	3718.19	3520.000	4967.00
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.000	0.00
25.	तमिलनाडु	2981.37	3740.00	4179.660	8000.00
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	185.000	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	4949.19	6128.44	5575.490	4793.62
28.	पश्चिम बंगाल	3264.94	2757.83	3000.000	1530.00
29.	एन०एच०ए०आई०	375.00	274.00	0.000	0.00
30.	बी०आर०डी०बी०	0.00	0.00	0.000	93.72
31.	अन्य संस्थान	13.00	0.00	0.000	0.00
	जोड़	49750.00	54980.00	56798.863	53536.34

नोट : निधियों का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

[अनुवाद]

सी०जी०एच०एस० योजना का असंतोषजनक कार्यकरण

176. **श्री राशिद अलवी :**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०जी०एच०एस० योजना के कार्यकरण के संबंध में व्यापक असंतोष है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को विकेन्द्रित करने या पुनः तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सामूहिक बीमा योजना शुरू करने या निजी अस्पतालों को औषधियां जारी करने/मरीजों को अस्पतालों में दाखिल करने सहित सभी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस स्कीम को विकेंद्रीकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इस स्कीम के नवीकरण हेतु समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं।

(घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की लागत

177. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मोस्ट प्रपोज इनडेक्सिंग सेस आन पेट्रोल एण्ड डीजल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्य सूचकांक के अनुसार उपकर वृद्धि के लिये सरकार के पास क्या विकल्प हैं;

(घ) वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया कुल कितना उपकर केन्द्रीय सड़क निधि के लिये आवंटित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) मूल्य सूचकांक के अनुपात में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगे उपकर में वृद्धि करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 1999 के मूल्य पर 54,000 करोड़ रु०।

(ङ) अभी तक केन्द्रीय सड़क कोष में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

नागर विमानन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास

178. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नागर विमानन को प्रोत्साहन के मद्देनजर नागर विमानन संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास और हवाई यात्रियों को सब सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या नीति और कार्य योजना है;

(ख) सरकार निजी नागर विमानन क्रंपनियों के प्रवेश और विमान यातायात पर किस तरीके से रोक लगाने का विचार कर रही है;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इस संबंध में क्या अधिकार है;

(घ) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश में विमानन को प्रोत्साहन देने और बड़े तथा महत्वपूर्ण छेटे स्थानों को जोड़ने के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में राजस्थान की ओर अधिक ध्यान देने हेतु क्या कार्यवाई की जा रही है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1997 में प्रतिपादित हवाई अड्डा आधारभूत-संरचना से संबंधित नीति का उद्देश्य हवाई अड्डा का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, विमान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना तथा नागर विमानन को प्रोत्साहन देना है। निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार हवाई-यातायात तथा अंतरिक्ष प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन ही रहेंगे।

(घ) विमानन को प्रोत्साहन देने के लिए हवाई अड्डों पर सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए लगभग 2421.87 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त छेटे महत्वपूर्ण स्थानों को भी विमान सेवा से जोड़ने के लिए टर्बो-प्रॉप विमान के प्रचालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ङ) राजस्थान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निम्न योजनाएं हैं (i) जयपुर हवाई अड्डे का एयरबस 300 विमान के लिए उन्नयन (ii) उदयपुर हवाईअड्डे पर एक साथ 400 यात्रियों को हैंडल करने के लिए एक नए टर्मिनल परिसर का निर्माण, (iii) जोधपुर हवाईअड्डे पर एयरबस-320 विमान के लिए एप्रन का विस्तार तथा लिंक-टेक्सी पथ को चौड़ा करना, तथा (iv) जैसलमेर हवाईअड्डे पर एक नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण बशर्ते कि राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

अस्पतालों में दाहित्रों की स्थापना

179. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में सरकारी अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों की पर्यावरण को प्रदूषित करने और नागरिकों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पतालों में दाहित्र नहीं लगाए गए हैं जिसकी वजह से आम जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो राजधानी में सरकारी अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में दाहित्र लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है; और

(घ) जिन निजी अस्पतालों में अब तक दाहित्र नहीं लगाए गए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल ने सूचित किया है। कि उन्हें इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त केन्द्रीय सरकार, अस्पताल इन्सिनिरेटर से सुसज्जित हैं जो काम कर रहे हैं।

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से कहा है कि वे स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के मामले में पाए गए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

डाकघरों और टेलीफोन का अभाव

180. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के अम्बाला क्षेत्र के कुछ ब्लाकों में डाकघरों और टेलीफोन सुविधा का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्लाक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में नये डाकघर स्थापित करने और टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) अम्बाला डाक डिवीजन में, जिसमें अम्बाला, यमुना नगर और पंचकुला जिले शामिल हैं, डाकघरों की कोई कमी नहीं है। अम्बाला रीजन में सभी ब्लॉक मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1999 से जून, 2000 तक अम्बाला डिवीजन में नए डाकघर खोलने के लिए जनता से 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित प्रस्तावों में से, 3 डाकघर खोल दिए गए हैं, 9 प्रस्ताव विभागीय मानदंडों के अनुसार उचित नहीं पाए गए तथा 3 प्रस्तावों की अभी जांच की जानी है।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्राह्मणी नदी में प्रदूषण

181. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत ब्राह्मणी नदी में जल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गंगा कार्य योजना जैसी कोई कार्य योजना तैयार की है, जिसमें विभिन्न उद्योगों के बहिस्राव के कारण प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक बन जाने की संभावना है और इस पर कितनी लागत आएगी;

(घ) प्रदूषक इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत ब्राहमणी नदी के प्रदूषण निवारण की योजना का अनुमोदन किया है। यह योजना 7.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगस्त, 95 में अनुमोदित की गई थी। योजना का निष्पादन 10 वर्षों की अवधि में किया जाना है। योजना में 3 शहरों नामत: तालचेर, धर्मशाला और चांदबाली में प्रदूषण उपशमन के कार्य शामिल हैं। कार्यों में सीवेज का अवरोधन, दिशा-परिवर्तन और उपचार, अल्प लागत शौचालय, घाटों का विकास, जन जागरूकता और वनीकरण शामिल हैं। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण वर्तमान पर्यावरणीय कानून के अंतर्गत किया जाएगा।

(घ) और (ङ) औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए कुल 10 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है। ये उद्योग औद्योगिक बाहिस्राव से नदी प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार हैं। इनमें से निम्नलिखित चार उद्योग निस्सारण मानकों का उल्लंघन करते हुए पाए गए :–

(i) राउरकेला स्टील प्लांट

(ii) फर्टिलायजर प्लांट (राउरकेला स्टील प्लांट)

(iii) राउरकेला स्टील टाउनशिप .

(iv) एन०ए०एल०सी०ओ० स्मेल्टर (प्रगालक) अगुंल

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 के लिए इन उद्योगों को स्वीकृति देने से इंकार किया है और वर्ष 2000-01 के लिए स्वीकृति लंबित पड़ी है। सभी उद्योगों को निस्सारण मानकों के अनुरूप उपयुक्त उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

मोटर वाहनों हेतु हाइड्रोजन गैस

182. **श्री तिरूनावक्करसू** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मोटर वाहनों को हाइड्रोजन गैस से चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोधदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ईंधन की बेहतर किस्मों अथवा ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लोक सभा में मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

छोटे विमानों का प्रचालन

183. **डा० वी० सरोजा** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण शहरों के बीच सस्ती दरों पर कम क्षमता वाले विमानों को चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार देश में छोटे तथा गैर महानगरीय शहरों को जोड़ने के लिए छोटे विमानों (टर्बो प्रॉप) के प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। इस प्रकार के प्रचालनों को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए, इस प्रकार के विमानों को अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों पर विमानन टरबाईन ईंधन मुहैया कराने तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के

अधीन घोषित सामान के रूप में विमानन टरबाईन ईंधन को अधिसूचित करने का भी निर्णय लिया गया है।

अस्पताल के अपशिष्ट और कचरे का प्रबंधन

184. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अस्पतालों के कचरे और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के बारे में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपाय संतोषजनक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रभावी उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 20.07.1998 को जैव-चिकित्सीय अपशेष (प्रबंधन और निपटान) नियम, 1998 को अधिसूचित किया है, जिसमें जैव-चिकित्सीय अपशेष की उत्पत्ति, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान के विनियमन का प्रावधान है। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो किसी भी प्रकार के जैव-चिकित्सीय अपशेष की उत्परित, संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, उपचार, निपटान करते हैं। इन नियमों के अनुसार जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रत्येक सम्बन्धित को अपशेष के उपचार के लिए नियम की अनुसूची में दी गई समय-तालिका के अनुसार भस्मक, मापसह पात्र, माइक्रोवेव सिस्टम जैसी अपेक्षित जैव-चिकित्सीय अपशेष उपचार सुविधाएं स्थापित करना होता है, या एक सामान्य अपशेष उपचार सुविधा या किसी अन्य अपशेष उपचार सुविधा में अपशेष उपचार को सुनिश्चित करना है। इन नियमों की प्रतियां सितम्बर, 1998 में सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को परिचालित की गई थी और उसके विस्तृत प्रावधान अक्टूबर, 1998 में सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को परिचालित किए गए थे।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सूचित किया है कि जैव-चिकित्सीय अपशेष (प्रबंधन और निपटान) नियम, 1998 के समुचित कार्यान्वयन के लिए 21 राज्यों/संघ क्षेत्रों ने परामर्शदात्री समिति गठित की है। चूंकि 30 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले तथा दूसरे 500 और उससे अधिक बिस्तरों के अस्पताल वाले शहरों के लिए जैव-चिकित्सीय अपशेष का उपचार और निपटान शुरू करने की बढ़ाई गई अंतिम तारीख 30 जून, 2000 पहले ही समाप्त हो चुकी है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों/संघ क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि उपर्युक्त नियम कठोरतापूर्वक लागू किए जाएं।

मई, 2000 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों से जैव-चिकित्सीय अवशेष (प्रबंधन और निपटान) नियम, 1998 को पूरी तरह से कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निपटाने योग्य पदार्थों का निपटान से पूर्व उपयुक्त तरीके से पृथक्करण और उपचार सुनिश्चित करने हेतु जांच, प्रक्रिया लागू करने का अनुरोध किया है ताकि वे उपयोग के योग्य न रहे।

पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएं

185. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए आबंटित की गयी धनराशि के बड़े भाग का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आज की तिथि तक लंबित पड़ी परियोजनाओं सहित उक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 610 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 551 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की है। बकाया राशि को वित्त मंत्रालय द्वारा पुनर्विनियोजन के अनुमोदन में बिलम्ब सहित विभिन्न कारणों से खर्च नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया का प्रचालन व्यय

186. श्री जी०जे० जावीया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया का वर्ष 1999 में प्रचालन व्यय कितना रहा;

(ख) कुल राजस्व की तुलना में प्रचालन व्यय का प्रतिशत कितना है; और

(ग) वर्ष 1998 के प्रतिशत की तुलना में प्रचालन व्यय में कितनी कमी हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) प्रचालन व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

एअर इंडिया	1998-99
प्रचालन खर्चे	4139.84 करोड़
कुल राजस्व के प्रचालन खर्चों का प्रतिशत	97.7%
वर्ष 1997-98 के प्रतिशत की तुलना में प्रचालन खर्चों में गिरावट	वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 में 2.72% तक प्रचालन खर्चे में वृद्धि आई।

इंडियन एयरलाइंस	1998-99
प्रचालन खर्चे	3129.33 करोड़
कुल राजस्व और प्रचालन खर्चों का प्रतिशत	90.8%
वर्ष 1997-98 के प्रतिशत की तुलना में प्रचालन खर्चों में गिरावट	वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 में 0.5% तक कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रचालन खर्चे में कमी आई थी।

[हिन्दी]

"एम्स" और सफदरजंग अस्पतालों में आने वाले दिल्ली से बाहर के मरीज

187. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और सफदरजंग अस्पताल में रोज दिल्ली से बाहर के अनेक मरीज आते हैं;

(ख) क्या इनके परिचरों के ठहरने हेतु नजदीकी इलाकों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल के पास रोगियों और उनके परिचारियों को आवास प्रदान करने के लिए क्रमशः राजगढ़िया विश्राम सदन तथा एक धर्मशाल हैं।

[अनुवाद]

सड़क क्षेत्र का निजीकरण

188. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :**
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क क्षेत्र के निजीकरण हेतु एक समान राष्ट्रीय मापदण्ड तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को "एसोचेम" की ओर से राजमार्गों हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने संबंधी कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बी०ओ०टी० आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए तथा 100 करोड़ रु० से कम लागत की सड़क परियोजनाओं तथा साथ ही साथ 100 करोड़ रु० से अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए आदर्श रियायत करार हेतु विस्तृत और बृहत् मार्गनिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संचार और इंटरनेट-क्षेत्र का विस्तार

189. **श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा संचार और इंटरनेट-क्षेत्रों के विस्तार के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए विदेशी निवेशकों को नियंत्रित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी-निवेश किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) नीति के अनुसार, एफ०डी०आई/अनिवासी भारतीय (एन०आर०आई०)/ओवरसीज निगमित निकायों (ओ०सी०बी०) के निवेश की दूरसंचार-सेवा क्षेत्र में 49% तक की तथा दूरसंचार विनिर्माणकारी क्षेत्र में 100% तक की अनुमति दी गई है।

विवरण

2000-2001 के लिए बनाई गई स्कीमें

संचार
(दूरसंचार-सेवा विभाग तथा एम०टी०एन०एल०)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	
1	2	
क.	स्थानीय टेलीफोन-प्रणालियां	
(i)	स्विचन-क्षमता	: 72.35 लाख लाइनें
(ii)	सीधी एक्सचेंज लाइनें	: 57.90 लाख लाइनें
(iii)	आई०एम०पी०सी०एस० (मोबाइल सेवा)	: 0.10 लाख लाइनें

1	2
ब. लंबी दूरी की स्विचन-प्रणालियां	
(i) टी०ए० एक्स क्षमता	5.15 लाख लाइनें
ग. लंबी दूरी की पारेषण-प्रणालियां	
(i) माइक्रोवेव-प्रणालियां	: 10,000 मार्ग कि०मी०
(ii) ऑप्टिकल फाइबर-केबल	: 100,000 मार्ग कि०मी०
घ. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	: 100,000 अदद

इंटरनेट

राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एन०आई०बी०) – दूरसंचार-सेवा विभाग की इंटरनेट परिपात को ले जाने के लिए एक 'राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन' स्थापित करने की योजना है। इसका उद्देश्य किसी इंटरनेट सेवा-प्रदाता के रूप में दूरसंचार-सेवा विभाग के लिए पाइंट्स ऑफ प्रेज़ेंस स्थापित करने के साथ-साथ, आई०एस०पी० के लिए सरल 'इंटरकनैक्ट प्वाइंट' प्रदान करना है। प्रत्येक गौण स्विचन-क्षेत्र में कम से क्रम एक इंटरनेट नोड स्थापित करने का प्रस्ताव है। एस०एस०ए०/डी०एच०क्यू० के लिए योजना बनाए गए नोडों की संख्या 425 है, जिनमें से 178 नोड जून, 2000 तक चालू किए गए हैं। एन०आई०बी० परियोजना के लिए किस्म ए के 14 नोडों तथा किस्म बी के 36 नोडों की योजना बनाई गई है।

नवंबर '98 में सरकार द्वारा "प्राइवेट ऑपरेटर" के लिए 'इंटरनेट सेवा-प्रदाता (आई०एस०पी०) नीति' की घोषणा की गई थी। यह एक उदार नीति है, जिसने देश के भीतर इंटरनेट के व्यापक प्रसार को प्रोत्साहित किया है। आज की तारीख तक 368 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 80 आई०एस०पी० ने प्रचालन आरंभ कर दिया है।

'सुरक्षा क्लियरेंस' प्राप्त करने के पश्चात्, आई०एस०पी० को अन्तरराष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है। आज की तारीख तक उपग्रह माध्यम का इस्तेमाल करते हुए 102 अन्तरराष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने के लिए सिद्धांततः 27 इंटरनेट सेवा-प्रदाताओं को अनुमति दे दी गई है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

190. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राजभाषा की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया तथा अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रगामी को नहीं बढ़ाया गया है, हिन्दी सलाहकार समिति का भी समय पर गठन नहीं किया गया है इसकी नियमित रूप से बैठक नहीं होती है, विमानों में हिन्दी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं हैं, मुख्य स्थानों पर केवल अंग्रेजी में साईन बोर्ड लगाए गए हैं तथा आरक्षण संबंधी समस्त कार्य अंग्रेजी में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों द्वारा हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है तथा देवनागरी लिपि वाले कम्प्यूटरों और अन्य मशीनों की भी यही स्थिति है; और

(ग) यदि हां, तो इसके विभिन्न विभागों में हिन्दी के प्रयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राजभाषा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूरे वर्ष अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रति जागरूकता तथा अभिरूचि बनाये रखने के लिए नागर विमानन मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों द्वारा विशेष रूप से विविध कार्य योजनाएं बनाई गई हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति का गठन संबंधी संकल्प हाल ही में जारी किया गया है और नियमानुसार बैठकें आयोजित करने के प्रयास किये जाएंगे। सभी सरकारी एयरलाइनों द्वारा विमानों में हिन्दी के समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी मुख्य स्थानों पर नामपट्ट/सूचनापट्ट नियमानुसार द्विभाषी/त्रिभाषी लगाये जायें। आरक्षण हेतु यात्री टिकट तथा उड़ान संबंधी सुविधाओं सहित सभी प्रकार की लेखन सामग्री द्विभाषी रूप में तैयारी की जाती है।

(ख) अधिकारियों द्वारा हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग किये जाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, द्विभाषी कम्प्यूटरों, इलैक्ट्रानिक तथा मैनुअल टाइपराटरों का भी हिन्दी में कार्य करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

191. **श्री राम मोहन गाड्डे** :
श्री के० येरननायडू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और गरीबों में दहशत फैलाने वाले रोगों जैसे तपेदिक, मलेरिया, एड्स पर काबू पाने के लिये नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) यह नीति कब तक घोषित कर दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) 1983 से, जब प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गयी थी, देश में आए महत्वपूर्ण जनपदिक और जनांकिकीय परिवर्तनों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के संशोधन का कार्य प्रारंभ किया है।

विदेशों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों का नामांकन

192. **श्रीमती रीना चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शैक्षणिक, प्रबंधकीय, प्रशासकीय और तकनीकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए राजकोषीय खर्चे पर उन्हें प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजती है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय और उसके अधीन स्वायत्तशासी सांविधिक, अधीनस्थ और उससे जुड़े विभागों से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने अधिकारियों कर्मचारियों को विदेशों में अल्पकालीन प्रशिक्षण और दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया;

(ग) उक्त प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए अधिकारियों में से कितने अधिकारी अनु० जाति/अनु० जनजाति श्रेणी के थे; और

(घ) क्या अनु० जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों का नामांकन उक्त प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में नहीं किया गया ?

भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हुक्मदेव नारायण**) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

एअर इंडिया के घाटे

193. **श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 2000 तक एअर इंडिया को अर्थवार कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या एअर इंडिया के पुनरूद्धार का मामला कभी भी बी०आई०एफ०आर० के पास नहीं भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (**श्री शरद यादव**) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई घाटे के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1997-98	181.01	करोड़ रुपये
1998-99	174.48	करोड़ रुपये
1999-2000 (अनंतिम)	75.30	करोड़ रुपये

(ख) और (ग) चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया की वास्तविक आमदनी सकारात्मक रही है तथा इसी अवधि के दौरान इसे कोई नकद हानि नहीं हुई है। यह रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन परिभाषा के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के अर्थ के अधीन नहीं आती है। इसलिए एअर इंडिया संबंधी मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के साथ नहीं उठाया गया है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग द्वारा पोतों का निर्यात

194. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोत निर्माण उद्योग अन्य देशों को पोत निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके टनभार का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन देशों को निर्यात किए गए;

(ग) क्या लैटिन अमरीकी देशों में निर्यात की व्यापक सम्भावना का पता लगाया गया और इनका दोहन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हुक्मदेव नारायण यादव**) : (क) जी, हां।

(ख) उन टनभारों और देशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जिन्हें जलयानों का निर्यात किया गया है।

(ग) से (ङ) शिपयार्ड लेटिन – अमरीकी देशों सहित विभिन्न देशों से निर्यात विकल्पों के लिए निरन्तर कार्यवाही करते रहे हैं।

विवरण

अन्य देशों को निर्यात किए गए जलयानों के ब्यौरे

क्रम सं०	शिपयार्ड का नाम	टनभार सहित जलयान की किस्म	सं०	देश जिसे निर्यात किया गया	निर्यात का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	मझगांव डाक लि० मुम्बई	स्लोप बार्ज, 965 टी	1	सऊदी अरब	1974
		बल्क कैरियर्स, 2500 टी	2	सिंगापुर	1976

1	2	3	4	5	6
		हैचिज के साथ लाइटर्स, 300 टी, 400 टी, 500 टी	76	इरान	1977
		लाइटर्स, 300 टी, 400 टी, 500 टी, 800 टी,	33	इरान	1977
		लाइटर्स, 300 टी,	8	यमन	1977
		सामान्य कार्गो बार्जिज, 150 टी	26	यमन	1978
		फ्लैप टॉप पंट्न 200 टी	3	यमन	1978
		वाटर बार्जिज 300 टी	4	यमन	1978
		फ्लैप टॉप पंट्न 200 टी	3	यमन	1978
		वाटर बार्जिज 300 टी	4	यमन	1979
		वाटर बार्जिज 18 टी	4	इरान	1979
		सामान्य कार्गो पोत, 3800 टी	6	यूनाइटेड किंगडम	1979
		वाटर कैरियर 9000 टी	4	इरान	1980
		कार्गो बार्जिज 150 टी	9	यमन	1981
		फ्लैपटाप पंट्न 300 टी	20	यमन	1981
		टग्स, 30 टी	3	यमन	1981
		लांचेज, 5 टी	3	यमन	1981
		फ्लैपटाप पंट्न, 200 टी	17	यमन	1982
		लांचेज, 5 टी	10	मोजांबिक	1984
		सक्शन हॉपर ड्रेजर, 1600 क्यूबिक मी०, 3200 टी	1	फ्रांस	जून, 2000
2.	गोवा शिपयार्ड लि० गोवा	टग, 5.5 टी बोलार्ड पुल, 121 जी०टी०	1	मालदीव	1997

नई नागर विमानन नीति

195. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री अनन्त नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नई नागर विमानन नीति को अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो नई नागर विमानन नीति की क्या-क्या मुख्य विशेषताएं हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रारूप नागर विमानन नीति के अंतर्गत विमान परिवहन की संवृद्धि के लिए कारगर मितव्ययी, तथा सुचारू तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा एक अच्छी प्रतियोगी प्रतिस्पर्द्धात्मक नागर विमानन वातावरण तैयार करने हेतु एक नीति संबंधी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहायक होगा। इस नीति दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी घोषणा निकट भविष्य में कर दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के यात्रियों को छूट

196. **श्री चिंतामन वनगा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को कई तरह की रियायतें तथा प्रोत्साहन दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इनका लाभ उठाने के लिए किन औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने देश के अन्दर हवाई यात्रा के लिए कुछ पैकेज टूर तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस के संबंध में ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एअर इंडिया में सभी अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर विभिन्न प्रोत्साहक एवं विशेष किराए हैं जो साधारण किराए से सस्ते हैं। एअर इंडिया में अंतरराष्ट्रीय तथा अंतर्देशीय यात्रा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक किराए हैं जो शारिरिक रूप से विकलांग/अंधे नागरिकों के लिए भी लागू हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने भारत में यात्रा के लिए अंतर्देशीय पैकेज प्रतिपादित किए हैं। विवरण निम्न प्रकार हैं :–

केरल पैकेज – केरल पर्यटन विकास निगम से ताल-मेल जिसमें कुमाराकोम, मुन्नार, कोचीन और ठेक्कडि शामिल हैं। कैसिनो ग्रुप से तालमेल जिसमें होटल कैसिनो कोचीन, कोकोनट लैगून तथा मरारी बीच शामिल हैं। सरोवर पार्क प्लाजा ग्रुप से तालमेल जिसमें पूवार बीच शामिल है। सरोवर पार्क प्लाजा ग्रुप से तालमेल जिसमें पूवार आईलैण्ड रिसॉर्ट तथा त्रिवेन्द्रम के निकट एक्वासेरीन पैकेज शामिल है। उपरोक्त ताल-मेल 30 दिसम्बर, 2000 तक वैध है।

जंगल लॉजेज पैकेज – इंडियन एयरलाइंस ने जंगल लौजेज, कर्नाटक के साथ एक ताल-मेल स्थापित किया है जिसमें विमान किराया, स्थानान्तरण, रूकना, दर्शनीय स्थलों का दर्शन, भोजन इत्यादि शामिल हैं। यह पैकेज 15 अक्तूबर, 99 से 31 दिसम्बर, 2000 तक उपलब्ध है।

गोवा पैकेज – इंडियन एयरलाइंस गोवा में मजरूदा बीच रिसॉर्ट ह्वीसपरिंग पाम्ब, सिडाडे-डी-गोवा तथा लीला पैलेस होटल के साथ उचित दरों पर तीन रात/चार दिन रुकने की पेशकश करने हेतु एक ताल-मेल स्थापित किया है। पैकेज में विमान-किराया, दर्शनीय स्थलों का दर्शन शामिल हैं – लीला पैलेस गोवा जिसकी वैधता 30 सितम्बर, 2000 है, के अतिरिक्त इसकी वैधता 31 अक्तूबर, 2000 तक है।

विवरण

रियायतें

1.	सशस्त्र सेना छूट (एमआईएल-50)	: 50 प्रतिशत छूट, भारतीय सशस्त्र सेना (स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना) के सदस्य जो सक्रिय रूप से सेवा में हैं तथा उनके परिवार के सदस्य जो अपने खर्चे पर यात्रा कर रहे हैं। सशस्त्र सेना कार्मिक के यूनिट कमांडेंट द्वारा अधिप्रमाणित सशस्त्र सेना रियायत फॉर्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। टिकट जारी करते समय टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान पत्र की जांच करनी होती है। इस छूट पर यात्रा कर रहे यात्री के पहचान पत्र की जांच किसी भी समय की जा सकती है।
2.	जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल कार्मिक (जीएमएल-50)	: 50 प्रतिशत छूट, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल के सदस्य तथा उनके परिवार के सदस्य जो अपने खर्चे पर यात्रा कर रहे हैं। सशस्त्र सेना कार्मिक के यूनिट कमांडेंट द्वारा अधिप्रमाणित सशस्त्र सेना रियायत फॉर्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। टिकट जारी करते समय टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान पत्र की जांच की जानी होती है। इस छूट पर यात्रा कर रहे यात्री के पहचान पत्र की जांच किसी भी समय की जा सकती है।
3.	युद्ध में विकलांग हुए व्यक्ति (वाईएमएल-50)	: युद्ध में विकलांग हुए व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए 50 प्रतिशत छुट। यात्रा पात्र व्यक्ति के स्थायी पते से/निवास से निकटतम हवाईअड्डे पर आरंभ या समाप्त होना चाहिए। आधार – सेना मुख्यालय द्वारा भेजे गए विक्लांग कर्मचारियों की सूची।
4.	युद्ध में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं को छूट (डब्ल्यूएम एल-50)	: 50 प्रतिशत छूट। आधार – सेना मुख्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र।
5.	पूर्व सशस्त्र सेना कार्मिक जो वीरता पुरस्कार के विजेता हैं (स्तर 1 तथा 2, अर्थात परमवीर चक्र, अशोक चक्र तथा महावीर चक्र) (एक्सएमएल-50)	: 50 प्रतिशत छूट। आधार – सेना मुख्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र।

6.	शौर्य पुरस्कार के विजेता – सिविलियन (दिनांक 17.10.96) से आरंभ (जीए-50)	: 50 प्रतिशत छूट ("अशोक चक्र तथा "कीर्ति चक्र" के विजेताओं को)। गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूची या गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर।
7.	विद्यार्थी छूट (एसडी-50)	: सामान्य सेक्टर तथा प्वाइंट-टू-प्वाइंट किराए में 50 प्रतिशत छूट। दिनांक 7 दिसम्बर, 1998 से गृह नगर तथा अध्ययन-स्थल के बीच बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करने के लिए उपलब्ध। उच्च सीट गुणक वाले उड़ानों में एम्बार्गो लगाई जा सकती है। इन उड़ानों पर विद्यार्थियों को : (क) अध्ययन-स्थल तथा गृह नगर के बीच यात्रा करने (ख) अध्ययन-स्थल तथा गृह नगर के बीच आंशिक यात्रा करने जिसमें यात्रा अध्ययन-स्थल या गृह नगर में आरंभ या समाप्त होती हो, की अनुमति दी जाती है। शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित विद्यार्थी छूट फॉर्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
8.	वरिष्ठ नागरिक छूट (1.8.94 से आरंभ) (एससीडी)	उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत छूट जिन्होंने यात्रा आरंभ होने की तारीख को 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हों। उम्र, निवास तथा वरिष्ठ नागरिक होने का सबूत – दो फोटोग्राफ या आवश्यक पहचान पत्र सहित रियायत फॉर्म।
9.	चेन्नई-पोर्टब्लेयर तथा कलकत्ता पोर्टब्लेयर के बीच यात्रा के लिए पारिवारिक छूट (वाई-10)	: दिनांक 15 जुलाई, 1999 से प्रभावी। यदि एक ही परिवार के कम-से-कम दो सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो किराए पर 250/-रुपए की छूट। परिवार के अध्यक्ष द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
10.	अंधे व्यक्तियों के लिए छूट (बीपी-50)	सामान्य सेक्टर किराए तथा प्वाइंट-टू-प्वाइंट किराए पर 50 प्रतिशत छूट। (आईएटीटी से छूट। पीएसएफ पूर्ण)। आंख के अस्पताल, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चक्षु प्रतिष्ठान या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एमबीबीएस से कम न हो, द्वारा यह प्रमाण-पत्र कि यात्री पूरी तरह दृष्टिहीन है, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
11.	कैंसर रोगी छूट (सीपी-50)	सामान्य सेक्टर किराए तथ प्वाइंट-टू-प्वाइंट किराए पर 50 प्रतिशत छूट। केवल निवास तथा उपचार-स्थल के बीच यात्रा के लिए। (आईएटीटी से छूट। पीएसएफ पूर्ण) केवल उपचार के लिए यात्रा कर रहे रोगियों के लिए। कैंसर संस्थान/अस्पताल द्वारा प्रमाणित फॉर्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि कोई रोगी ऐसे स्थान जहां कैंसर अस्पताल/ संस्थान नहीं है, से पहली बार कैंसर के इलाज के लिए जा रहा है तो स्थानीय अस्पताल से प्रामण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
12.	लोकोमोटर विकलांगता छूट (भारतीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर दिनांक 30.1.99 से प्रभावी (एलडी-50)	: 80 प्रतिशत या उससे अधिक लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेक्टर किराए तथा प्वाइंट-टू-प्वाइंट किराए पर 50 प्रतिशत छूट। सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड या जहां व्यक्ति सामान्य रूप से निवास करता है उस जगह के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र कि व्यक्ति 80 प्रतिशत लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
13.	स्ट्रैचर किराया स्टैचर पर विकलांग यात्री के लिए विशेष किराए की पेशकश की जाती है) (26 नवम्बर, 1999 से प्रभावी) एसएफ-4)	: डोर्नियर विमान के अतिरिक्त सभी प्रकार के विमानों पर स्ट्रैचर के वहन के लिए प्रकाशित सामान्य वयस्क किराए (आईएनआर/यूएसडी में) का चार गुना। डोर्नियर विमान पर स्ट्रैचर के वहन के लिए प्रकाशित सामान्य वयस्क किराए (आईएनआर/यूएसडी में) का तीन गुना। आईएटीटी से छूट तथा एक पीएसएफ प्रभारित। मान्यता प्राप्त चिकित्सक से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि व्यक्ति विमान द्वारा यात्रा करने के योग्य है तथा अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा।

[हिन्दी]

पश्चिमी देशों में जड़ी-बूटी संबंधी अनुसंधान कार्य

197. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जड़ी-बूटी औषधियों में लगा घरेलू उद्योग चिकित्सीय उत्पादों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय की प्रतीक्षा करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी देश भारत में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों के संबंध में व्यापक अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और आयुर्वेद एवं सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा में केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों के अनुसार विकसित देश-भारत में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों पर व्यापक अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसके पश्चात उनको प्रत्येक देश की भेषज संहिता कोषों में शामिल किया जाता है और प्राकृतिक मूल की नई औषधों का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की जाती है।

[हिन्दी]

पोत भंजन उद्योग

198. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पोतभंजन उद्योग के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान के संबंध में गुजरात पारिस्थितिकी आयोग और ग्रीन पीस की एशिया पैसिफिक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पोतभंजन उद्योग के पर्यावरण जिससे अनुदेशों में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय स्थिति को हानि पहुंच रही है, के बारे में कोई मार्ग-निर्देश अधिसूचित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) ग्रीनपीस की "एशिया कैम्पेन रिपोर्ट" नामक कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। यद्यपि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने पोतभंजन कार्यकलापों के पर्यावरण पर प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए गुजरात इकोलाजी कमीशन (जी०ई०सी०) की मार्फत एक अध्ययन करवाया है। जी०ई०सी० रिपोर्ट की सिफारिशें पोतभंजक एसोसिएशन को इसके कार्यान्वयन हेतु मार्च, 1997 में परिचालित कर दी गई। जी०ई०सी० रिपोर्ट में पोतभंजन कार्यों के कारण पर्यावरण पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाया गया है। जी०ई०सी० रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जी०एम०बी० द्वारा निगरानी की जाती है।

(ग) से (च) सरकार ने पोतभंजन उद्योग के लिए कोई पर्यावरणीय मार्गनिर्देश अधिसूचित नहीं किए हैं। यद्यपि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पोतभंजन उद्योग के लिए पर्यावरणीय मार्ग निर्देश तैयार किए हैं और इन्हें दिसम्बर, 1997 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परिचालित किया था। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने, व्यावसायिक बचाव और स्वास्थ्य योजना, आपदा प्रबंध योजना और ठोस अपशेष, तेल और तेल स्लज एवं अन्य अपशेष के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निपटान की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन को स्थिति की निगरानी करता है और स्थिति को अत्यन्त संतोषजनक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

पोलियो कार्यक्रम

199. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जहां पोलियो कार्यक्रम की प्रगति असंतोषजनक है और इन राज्यों में पोलियो के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998 और 1999 के बीच देश में पोलियो के मामलों की संख्या में 88 प्रतिशत कमी हुई है। तथापि, यह कमी बिहार में 22 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 12 प्रतिशत, प० बंगाल में 19 प्रतिशत आई और दिल्ली में पोलियो की घटना दर में 55 प्रतिशत वृद्धि देखी गई।

(ग) सरकार देश में नेमी रोग प्रतिरक्षण और पल्स पोलियो कार्यक्रम दोनों, विशेषतौर से उन राज्यों, जिनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने की आवश्यकता है, में सुधार करने के लिए उपाय कर रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल और दिल्ली राज्य में पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण के अतिरिक्त उप-राष्ट्रीय दौर चलाए जाने का प्रस्ताव है। केवल कुछ ही पुष्ट रोगियों वाले राज्यों में जहां कहीं भी ऐसे रोगियों का पता

लगाया जाता है, बचे-खुचे रोगियों को पोलियो की दवा पिलाने के दौर चलाए जा रहे हैं।

मोतियाबिन्द नियंत्रण कार्यक्रम लागू करना

200. **श्री अनन्त नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां मोतियाबिन्द नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है; और

(ख) क्या इस कार्यक्रम को उड़ीसा, विशेषकर क्योंझर और मयूरभंज जिलों में लागू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलों में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है।

(ख) क्योंझर और मयूरभंज सहित उड़ीसा के सभी जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्योंझर और मयूरभंज में किए गए मोतियाबिन्द आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है –

जिले	97-98	98-99	99-00
क्योंझर	1423	1369	1355
मयूरभंज	1137	831	1596

[हिन्दी]

जनजातियों को पट्टे पर वन भूमि

201. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में जनजातियों को पट्टे पर वन भूमि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्देश्य के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बनाए गए विभिन्न दिशा निर्देशों एवं नियमों के अनुसार 1980 के पूर्व के उन अवैध कब्जों को नियमित करने का प्रावधान मौजूद है। जहां राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम बनने के पूर्व स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कुछ मानदंडों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाले कब्जों को नियमित करने का निर्णय तो लिया हो, परन्तु वह इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अपने निर्णय को लागू न कर सकी हो।

इस संबंध में एक प्रस्ताव जिसमें 31/12/1976 तक हुए अवैध कब्जों को नियमित करने तथा एक अन्य प्रस्ताव, जिसमें अवैध कब्जा 1/1/77 तथा 24/10/1980 के बीच हुआ था, को विनियमित करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया था।

[अनुवाद]

नहर नौका मार्ग का जोड़ा जाना

202. **श्री पोन राधाकृष्णन्** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे राष्ट्रीय जल मार्ग जिसे कोट्टापुरम (केरल) से क्विलोन होते हुये तमिलनाडु, में कन्याकुमारी तक नहर नौका मार्ग के रूप में जोड़ा जाना था, पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसे कन्याकुमारी जिले तक बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उक्त नहर नौका मार्ग से कब तक कोला चेक हार्बर और उसके बाद कन्याकुमारी तक जोड़ने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। कोटापुरम (केरल) और तमिलनाडु में कन्याकुमारी को तीसरे राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

फिर भी कोलम से कोवलम तक दक्षिण की ओर वर्तमान नहरों के जरिए राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के विस्तार के लिए तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। कोवलम के दक्षिण में कोलाचल तक पुराने नहर संपर्क को पुनः चालू करने की कार्यक्षमता का पता लगाने के लिए भी एक अध्ययन कार्य सौंपा गया है। कोलाचल-कन्याकुमारी खंड के लिए अभी अध्ययन शुरू नहीं किया गया है। इस स्तर पर कोई निश्चित समय तालिका नहीं बताई जा सकती।

तारकोल से गोवा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

203. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 से०मी० मोटे तारकोल हाट मिक्स से सड़कों का निर्माण किया गया है जबकि केन्द्र सरकार ने 7 से०मी० की मंजूरी दी हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों में सड़कों की मोटाई की जांच के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों को इस संबंध में सरकारी निर्देश क्रियान्वित करने के लिये कहा है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों के निर्माण में कम मोटी तारकोल हॉट मिक्स का प्रयोग करने वाले दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (च) गोवा सरकार की सूचना के अनुसार गोवा में 50 एम०एम०, बी०एम० और 25 एम०एम०, एस०डी०बी०सी० का कार्य मंत्रालय की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार किया जा रहा है। सभी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य मंत्रालय की विनिर्दिष्टताओं के अनुसार किए जा रहे हैं और विनिर्दिष्टताओं से हटकर कार्य करना स्वीकार्य नहीं है। मोटाई की जांच सहित गुणता नियंत्रण जांच अनिवार्य है और यह जांच नियमित समयान्तराल पर की जा रही है।

आयुर्वेदिक उपचार

204. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में आयुर्वेदिक अस्पताल/औषधालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक अस्पताल/औषधालयों के लिए भवन निर्माण और बुनियादी सुविधाओं हेतु प्रत्येक राज्य को धनराशि उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो आयुर्वेदिक उपचार के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है कि पर्याप्त नैदानिक ज्ञान रखने वाले चिकित्सकों का उपयुक्त प्रशिक्षण हो, भेषज संहिता संबंधी मानकों के अनुसार औषधों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता हो, औषधों का नैदानिक परीक्षण हो, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयुर्वेद शामिल हो तथा आधुनिक अस्पतालों में आयुर्वेद के विशिष्ट क्लीनिक खोले जाएं। ये बातें आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देने में सहायता करेंगी।

(ख) और (ग) आयुर्वेदिक अस्पतालों/औषधालयों को खोलने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों का है और वे क्षेत्र के लोगों के अनुभव की गई आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं।

(घ) से (च) ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, पूंजीगत कार्यों और उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के कालेजों की सहायता हेतु इस मंत्रालय की योजना है।

खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन

205. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में आधुनिक और निरंतर खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और विश्व बैंक से इस प्रयोजन के लिए अब तक प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) विश्व बैंक ने देश में आधुनिक और सतत परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु कोई सहायता नहीं दी है। तथापि, औद्योगिक सुरक्षा और विपदा निवारण पर विश्व बैंक को सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना तैयार करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन की श्रृंखला के एक भाग के रूप में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन पर दो अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए विश्व बैंक द्वारा जापानी अनुदान उपलब्ध कराया गया था। उपरोक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरे हो चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों के आन्तरिक रेल ढांचे का संचालन/स्वामित्व

206. श्री जय प्रकाश : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रमुख पत्तनों के आन्तरिक रेल ढांचे का संचालन और स्वामित्व रेलवे को सौंपने की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में रेल मंत्रालय से कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) रेल मंत्रालय का यह विचार है कि इस संबंध में अध्ययनों को मै० राइट्स को सौंप दिया जाएगा।

राज्यों में मरूस्थलीय वृद्धि

207. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों संबंधी अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न राज्यों विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में हो रही मरूस्थलीय वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के समन्वयन में काम करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या मरूस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि भारत के लिए चिन्ता का मुख्य कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अर्ध-शुष्क उष्णंबधीय क्षेत्रों संबंधी अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की संयुक्त नीति सलाहकार समिति की मई, 2000 में हुई बैठक में संयुक्त प्रयास के किसी प्रस्ताव पर कोई चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त चर्चा से क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय संबंधी अन्तरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था के साथ मिलकर पौध प्रजनन और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित परियोजनाओं को सहयोग दे रहा है। जलाशय प्रबंधन पर केन्द्रीय शुष्कभूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आई०डी०ए०), हैदराबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) की भी आई०सी०आर० आर०एस०ए०टी० के साथ परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं मरूस्थलीकरण का सामना करने में सहायक होंगी। आई०सी०आर० आई०एस०ए०टी० और आई०सी०ए०आर० के साथ मई 2000 में हुई बैठक में हुए विचारविमार्श में सी०आर०आई०डी०ए० के सहयोग से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने का विषय शामिल था।

[हिन्दी]

बिहार में एस०डी०सी०ए० टेलीफोन एक्सचेंज

208. **श्री राजो सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कितने कम दूरी भुगतान क्षेत्र (एस० डी०सी०ए०) टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह एक्सचेंज राज्य में विशेषकर शेखपुरा, लखीसराय, बेगुसराय तथा जामुई जिलों में ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय बिहार में कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस०डी०सी०ए०) के केन्द्र में 179 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) ये एक्सचेंज सामान्यत: ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से शेखपुरा, लखीसराय, बेगुसराय और जामुई जिले में इनका कार्य संतोषजनक है।

(ग) उपर्युक्त "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर नये टर्मिनल का निर्माण

209. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल को दूसरी ओर स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नये स्थान की पहचान कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नये टर्मिनल के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान है; और

(च) इस कार्य के लिए कितने हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है; और

(छ) अधिग्रहण प्रक्रिया कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) वर्तमान स्थान पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण चकई नहर की ओर तिरूवनन्तपुरम विमानपत्तन पर एक नये अन्तरराट्रीय टर्मिनल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी छानबीन चल रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रथम चरण में 91.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें 500 आगमन तथा 500 प्रस्थान की व्यस्ततम हैंडलिंग क्षमता के साथ 20,000 वर्गमीटर का क्षेत्र होगा।

(च) इसके लिए ली जाने वाली कुल चयनित भूमि 69.50 एकड़ है।

(छ) चूंकि परियोजना आरंभिक स्तर पर है, इस समय, कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

मुम्बई पत्तन न्यास में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

210. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन देश का सबसे पुराना पत्तन है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुम्बई पत्तन न्यास ने अपने मानवशक्ति में कमी करने का निर्णय किया है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दोरान और आज की तारीख तक कितने कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं;

(घ) क्या इन कर्मचारियों के सभी बकाये का भुगतान कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन कर्मचारियों के सभी बकाया धनराशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। कलकत्ता पत्तन देश का सबसे पुराना पत्तन है।

(ख) जी, नहीं। इस समय मुंबई पत्तन न्यास में कोई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम नहीं चल रही है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

चेन्नई पत्तन पर पोतों की बर्थिंग हेतु नये दिशा-निर्देश

211. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेन्नई पत्तन पर पोतों की बर्थिंग की नीति को सुचारू बनाने वाले नये दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये दिशा-निर्देशों को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार ने 10 जून, 2000 को चेन्नै पत्तन की जवाहर गोदी में सभी 6 बर्थों से संबंधित बर्थिंग नीति निर्धारित कर दी है। इस नीति के अनुसार तीन बर्थें फास्फोरिक एसिड और सीरा के लिए खिड़की सहित थर्मल कोयला के लिए नियत की जाएगी तथा एक बर्थ अन्य कार्गो के लिए नियत की जाएगी। दो बर्थें गैर सरकारी पक्षकारों के लिए पट्टे पर हैं। बर्थिंग व्यवस्था पहले ही लागू कर दी गई है।

सी०जी०एच०एस० के नए औषधालय

212. श्री टी० गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में राज्यवार खोले जाने वाले सी०जी०एच०एस० के नए औषधालयों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : यद्यपि नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के राजधानी वाले शहरों जैसे चण्डीगढ़, भोपाल, शिमला में 3 औषधालय और 4 प्रमुख शहरों जैसे विजयवाडा, जोधपुर, वाराणसी और विशाखापट्नम में 4 औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है तथापि धन की कमी और कर्मचारी निरीक्षण एकक रिपोर्ट के कार्यान्वयन न होने के कारण, चिकित्सा अधिकारियों और परा-चिकित्सा स्टाफ के पदों के सृजन न होने के कारण वर्ष 2000-2001 के दौरान उपर्युक्त औषधालय खोलना संभव नहीं हो सकेगा।

[हिन्दी]

यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रणाली

213. श्री विजय गोयल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आई०सी० 814 विमान अपहरण कांड के बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस संबंध में विदेशों से सहयोग मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में इस्राइल के साथ कोई बातचीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुरक्षा के वे प्रस्तावित क्षेत्र कौन से हैं जिनके लिए सहयोग की मांग की गई है; और

(ङ) नई सुरक्षा प्रणाली पर सरकार को कितना अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अपहरण की घटना के बाद, यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) चरणबद्ध रूप से प्रचालन हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) कार्मिकों की तैनाती।

सी०आई० एस०एफ० ने 19 हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाल ली हैं।

(ii) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच-पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(iii) हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(iv) अतिरिक्त सुरक्षा सावधनी के बतौर यादृच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(vi) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध है।

(vii) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन किया जाना।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सुरक्षा को सुदृढ़ करना एक सतत् प्रक्रिया है ताकि इस पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

सी०जी०एच०एस० मेडिकल स्टोर डिपो के सहायक डिपो प्रबंधक के विरुद्ध शिकायत

214. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०जी०एच०एस० मेडिकल स्टोर डिपो, नई दिल्ली में कार्यरत सहायक डिपो प्रबंधक के विरुद्ध 1 जनवरी 1998 से 31 दिसम्बर, 1999 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं और इसका गठन किस तारीख को किया गया और इसका क्या नतीजा निकला है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सहायक डिपो प्रबन्धक, के०स० स्वा० यो० चिकित्सा सामग्री भंडार नई दिल्ली के विरुद्ध केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच समिति फरवरी, 1999 में बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जी०टी० रोड़ पर फलाई ओवर/उपमार्ग

215. **श्री रघुनाथ झा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत से होकर गुजरने वाली जी०टी० रोड़ पर कोई फलाई ओवर/उपमार्ग बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने का लक्षित समय क्या है; और

(ग) जी०टी० रोड़ पर यातायात के निर्बाध आवागमन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पानीपत में जी०टी० रोड पर उत्थित राजमार्ग के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन किया जा रहा है। पानीपत में उचित राजमार्ग के निर्माण का निर्णय उक्त अध्ययन के परिणाम पर निर्भर होगा।

अस्पतालों में बिस्तरों की कमी

216. **श्री रामजी मांझी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अस्पतालों में कितनी अतिरिक्त बिस्तरों की आवश्यकता है; और

(ग) बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल तथा नई दिल्ली नगर पालिका अस्पतालों में पलंगों की भारी कमी नहीं है। चूंकि दाखिले पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कभी-कभार पलंगों की कमी हो जाती है जिस कारण पलंग/फर्श पर बिस्तर में एक से अधिक रोगियों को रखना पड़ता है। कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली में 150 पलंग चरणवार ढंग से बढ़ाने का प्रस्ताव है।

तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन अस्पतालों में पलंगों की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने पलंग क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अस्पताल का नाम	प्रस्तावित पलंग
1. लोकनायक अस्पताल	500
2. गोविन्दबल्लभ पंत अस्पताल	120
3. गुरू तेग बहादुर अस्पताल	150
4. गुरू नानक नेत्र विज्ञान केन्द्र	28
5. अरुणा आसफअली	60
6. ताहिरपुर में सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल	650
7. जनकपुरी में सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल	300
8. दीनदयाल अस्पताल हरीनगर में ट्रामा सैंटर	140
9. गीता कालोनी में पेडिएट्रिक सुपर स्पेसियलिटी हास्पिटल	150
10. शास्त्री पार्क में जरनल हास्पिटल	100
11. डा० हेगडेवार आरोग्य संस्थान कडकडडूमा	200
12. महर्षि बाल्मिकी अस्पताल पूथखुर्द	100
13. जनरल हास्पिटल नरेला	200
14. जनरल हास्पिटल पीतमपुरा	100
15. संजय गांधी मेमोरियल हास्पिटल मंगोलपुरी	75
16. डा० बी०आर० अम्बेडकर रोहिणी	500
17. द्वारका में 500 पलंगों वाला अस्पताल	500

वनों का संरक्षण

217. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय आधारहीन बातों पर औद्योगिक विकास में रूकावट डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को नए दिशानिर्देश किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, नहीं। इसके विपरीत क्षेत्रीय कार्यालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने का कार्य कर रहें हैं। पांच हैक्टेयर तक की वन भूमि वाली लघु विकास परियोजनाओं, जिनका क्षेत्र के वन और पारिस्थितिकी पर व्यापक प्रभाव नहीं है, पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को खनन और अवैध अतिक्रमण को नियमित करने के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर निर्णय लेने हेतु पूरे अधिकार दिए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी रूप से पूर्ण प्रस्तावों पर चार सप्ताह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश सुनिश्चित करें। इसके अलावा, क्षेत्रिय कार्यालयों की राज्य सलाहकार दल के परामर्श में 20 है० तक की वन भूमि वाले मामलों पर कार्यवाही करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए मंत्रालय को भेजने के भी अधिकार दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिला स्वास्थ्य संघ को सहायता

218. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए महिला स्वास्थ्य संघ को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान तथा आगामी वर्षों में महिला स्वास्थ्य संघ को महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी कार्य करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी निधियां उपलब्ध कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक महिला स्वास्थ्य संघ को उसके अस्तित्व के पहले वर्ष के लिए 1530 रु० की राशि प्रदान की जाती है। बाद के वर्षों में प्रत्येक एकक को बैठकें और अन्य कार्यकलाप आयोजित करने के लिए आकस्मिक व्यय के अन्तर्गत प्रति वर्ष 1200 रु० दिए जाते हैं। महिला स्वास्थ्य संघ के सदस्य स्वयंसेवी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई परिश्रमिक नहीं दिया जाता। महिला स्वास्थ्य संघ को गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में सभी महिला स्वास्थ्य संघ सहित निचले स्तर के सभी महिला संगठनों द्वारा देश भर में अपनी योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने की परिकल्पना है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 5533 महिला स्वास्थ्य संघों के रख रखाव हेतु 66.64 लाख रु० जारी करना प्रस्तावित है।

विवरण

महिला स्वास्थ्य संघ को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित धनराशि 1997-98	आवंटि धनराशि 1998-99	आवंटित धनराशि 1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31.74	28.22	34.74

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.76	2.31	4.38
3.	असम	26.52	45.53	26.52
4.	बिहार	46.52	46.42	46.49
5.	गोवा	1.55	2.06	2.05
6.	गुजरात	53.93	56.33	56.33
7.	हरियाणा	41.16	41.16	43.16
8.	हिमाचल प्रदेश	16.91	18.57	18.58
9.	जम्मू व कश्मीर	9.19	9.20	9.19
10.	कर्नाटक	65.86	65.86	65.86
11.	केरल	38.84	41.04	38.64
12.	मध्य प्रदेश	68.00	71.80	125.41
13.	महाराष्ट्र	55.54	55.54	55.54
14.	मणिपुर	1.67	1.67	1.67
15.	मेघालय	2.82	5.39	6.41
16.	मिजोरम	8.08	8.68	8.93
17.	नागालैंड	9.85	9.86	9.85
18.	उड़ीसा	57.58	59.84	60.34
19.	पंजाब	53.66	53.67	53.66
20.	राजस्थान	87.82	72.84	73.07
21.	सिक्कम	1.55	1.77	1.82
22.	तमिलनाडु	28.38	34.76	18.77
23.	त्रिपुरा	9.83	10.17	15.19
24.	उत्तर प्रदेश	42.62	42.63	42.62
25.	पश्चिम बंगाल	36.80	36.86	42.12
	योग	780.99	822.28	861.32
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.07	0.11	0.12
27.	चण्डीगढ़	0.23	0.23	0.23
28.	दादर व नगर हवेली	0.46	0.28	0.28
29.	दमन व द्वीव	0.46	0.28	0.28
30.	दिल्ली	1.18	1.26	0.24
31.	लक्षद्वीव	0.31	0.32	0.31
32.	पांडिचेरी	0.50	0.51	0.50
	योग	3.01	3.12	2.11
	कुल योग	784.00	825.40	863.43

सिचाई परियोजना को मंजूरी

219. श्री ब्रज मोहन राम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद कितनी सिंचाई परियोजनायें प्रभावित हुई है;

(ख) सरकार ने आज तक राज्यवार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है/रद्द किया है;

(ग) सरकार द्वारा कितनी परियोजनाओं को आपत्तियों के साथ राज्यों को लौटा दिया गया; और

(घ) कितनी परियोजनायें मंजूरी के लिये सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) वर्ष 1994 से 1999 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं की कुल संख्या 636 थी। जिनमें से 431 को अनुमोदित किया गया। 137 मामले गुण-दोष के आधार पर अपेक्षित सूचना के अभाव में अस्वीकृत किए गए, दो मामले राज्य सरकारों द्वारा वापस लिए गए, 60 मामले अतिरिक्त सूचना के लिए राज्यों के पास लंबित पड़े हैं और 6 परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। इस संबंध में राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृति	गुण-दोष/ अपेक्षित सूचना की कमी के कारण अस्वीकृत	वापस भेजी गई/ राज्यों द्वारा वापस ली गई	अपेक्षित सूचना न होने के कारण राज्यों के पास लंबित	मंत्रालय के विचाराधीन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	2	1	0	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	आन्ध्र प्रदेश	18	13	2	1	1	1
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2	2	0	0	0	0
5.	बिहार	5	5	0	0	0	0
6.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	57	45	10	0	2	0
8.	हरियाणा	2	2	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5	3	1	0	1	0
10.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
11.	मेघालय	1	1	0	0	0	0
12.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
13.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
14.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
15.	गोवा	1	1	0	0	0	0
16.	पंजाब	5	2	3	0	0	0
17.	उड़ीसा	42	36	4	0	1	1
18.	मध्य प्रदेश	57	27	22	0	8	0
19.	महाराष्ट्र	343	228	70	0	41	4
20.	राजस्थान	14	12	1	0	1	0
21.	कर्नाटक	21	11	7	0	3	0
22.	केरल	6	6	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	13	10	3	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	2	1	1	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	40	25	13	1	1	0
	जोड़	636	431	137	2	60	6

सबके लिए स्वास्थ्य

220. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 तक सरकार द्वारा सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने वर्ष 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में दिए गए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का एक विवरण संलग्न विवरण में

है। कुछ सूचकों के अन्तर्गत सफलता का अपेक्षित स्तर प्राप्त न किए जाने का कारण निर्धनता, कुपोषण, निरक्षरता, सुरक्षित जल के बारे में जागरूकता की कमी से लेकर स्वच्छता तथा महिलाओं का निम्न स्तर आदि हैं।

(घ) सन् 2000 तक "सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु देश भर में 137006 उपकेन्द्रों, 23,179 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2913 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

सरकार एड्स, मलेरिया क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय अभिकरणों से विदेशी सहायता जुटाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए संसाधन बढ़ाने का पूरा प्रयास करती रही है। चुने हुए राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों को समुन्नत करने के अतिरिक्त विश्व बैंक सहायता प्राप्त की गई है जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में और सुधार होगा।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य

क्र० सं०	सूचक		उपलब्धियों का वर्तमान स्तर	लक्ष्य, 2000
1	2		3	4
1.	शिशु मृत्यु दर	ग्रामीण	77 (1998)	
		शहरी	45 (1998)	
		कुल	72 (1998)	60 से कम
2.	प्रसवकालीन मृत्यु		44 (1996)	30-35
3.	अशोधित मृत्यु दर		9.0 (1998)	9
4.	स्कूल जाने से पूर्व आयु के बच्चों की मृत्यु (0.4 वर्ष)		23.9 (1996)	10
5.	मातृ मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर)		4 (1997)	2 से कम
6.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	पुरुष	62.4 (1996-2001)	64
		महिला	63.4 (1996-2001)	64
7.	2500 ग्राम से कम वजन के बच्चे (प्रतिशतता)		30	10
8.	अशोधित जन्म दर		26.4 (1998)	21
9.	कारगर दम्पति सुरक्षा दर (प्रतिशत)		44 (मार्च 99)	60
10.	कुल प्रजनन दर **		3.3 (1997)	
11.	वृद्धि दर (वार्षिक)		1.74% (1998)	1.20
12.	परिवार का आकार		3.5 (1993)	23
13.	प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती माताएं		40.50	100
14.	प्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव		53.7 (1996)	100
15.	टीकाकरण स्तर प्रतिशत कवरेज			
	टी०टी० (गर्भवती महिलाएं)		82.9 (1998-99)	
	टी०टी० (स्कूली बच्चे)			
	10 वर्ष		57.2 (1998-99)	
	16 वर्ष		54.1 (1998-99)	
	डी०पी०टी० (शिशु)		92.8 (1998-99)	
	पोलियो (शिशु)		94.3 (1998-99)	
	डी०टी० (स्कूल जाने वाले नए बच्चे 5-6 वर्ष)		61.4 (1998-99)	
	बी०सी०जी० (शिशु)		97.0 (1998-99)	100

1	2	3	4
16.	कुष्ठ व्यापतता दर — पता लगाए गए रोगियों में से रोग पर काबू पाए जाने की प्रतिशतता	5.19/10000 जनसंख्या 91% (1999)	1/10,000 जनसंख्या 80%
17.	दृष्टिहीनता व्यापतता (प्रतिशतता)	1.4@	0.3
18.	क्षय रोग-पता लगाए गए रोगियों में से रोग पर काबू पाए जाने की प्रतिशतता	84 (1999) आरएनटीसीपी	85 85 (आरएनटीसीपी)

* अनन्तिम ** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में शामिल नहीं।

@ आकलन की गई वार्षिक आवश्यकता की उपलब्धि प्रतिशतता 1986 से कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया। त्वरित सर्वेक्षण से लगभग 15 प्रतिशत की कमी का पता चलता है — उस आधार पर व्यापता 1.1 से 1.2 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है।

स्रोत — राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दस्तावेज, स्वास्थ्य और प०क० मंत्रालय स्वांस्थ्य सेवा महानिदेशालय और योजना आयोग।

[हिन्दी]

हरियाणा में दूरसंचार सुविधाएं

221. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में टेलीफोन सेवाओं और टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और विकास करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन-सेवाओं/टेलीफोन-एक्सचेजों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को टेलीफोन कनैक्शन देते समय करती जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान, हरियाणा दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन सेवाओं/टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार तथा विकास की योजनाएं निम्नानुसार बनाई गई हैं :—

	शहरी	ग्रामीण	जोड़
(I) क्षमता वृद्धि	1,43,000	72,700	2,15,700
(II) सीधी एक्सचेंज लाइनों की वृद्धि	1,10,000	40,000	1,50,000
(III) सभी एक्सचेंजों को मार्च, 2002 तक 'ओ०एफ०सी०' मीडिया से जोड़ दिया जाएगा।			

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

फ्लाइंग क्लब के लिए हैंगर

222. **श्री अशोक अर्गल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब को किन विषयों और शर्तों पर हैंगर उपलब्ध कराया गया है;

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब को इंदौर और भोपाल में उपलब्ध कराए गए हैंगर का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है और इसके लिए उससे कितना किराया लिया जा रहा है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब अन्य निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वसूले जा रहे शुल्क से अधिक शुल्क लेता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निजी संस्थानों के बराबर शुल्क वसूल कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अस्तित्व में आने से पूर्व, नागर विमानन महानिदेशक द्वारा क्रमशः 1955 तथा 1960 में मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब को इन्दौर और भोपाल विमानपत्तनों पर हैंगर तथा भूमि प्रदान की गयी थी।

(ख) मध्य प्रदेश फ्लांइग क्लब को इन्दौर विमानपत्तन पर ऑफिस तथा क्लास रूम प्रयोजनों के लिए 307.80 वर्गमीटर का एक हैंगर तथा 57.94 वर्गमीटर का एक खुला मैदान प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, भोपाल विमानपत्तन पर कार्यालय तथा ईंधन कक्ष के लिए 619.5 वर्गमीटर स्थान वाला हैंगर तथा 270.97 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराई गई है। यह आवंटन प्रति वर्ष एक रुपये की दर पर सार्वभौमिक पट्टा आधार पर किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) फ्लाइंग क्लब जो उड़ान प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, वे निजी उड़ान क्लबों की तुलना में कम शुल्क वसूलते हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

223. **श्री रामदास आठवले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कितना धन आवंटित किया गया; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकारें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका रख-रखाव योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र के बजट में उपलब्ध कराई गई धनराशि से करती हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया राज्यवार आवंटन, संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

बुनियादी न्यूनतम सेवा के अंतर्गत राज्यवार आबंटन

(लाख रुपए)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2923.60	3923.60	1197.00
अरुणाचल प्रदेश	1021.00	1072.00	998.00
असम	3120.00	4334.00	4534.00
बिहार	5059.00	7518.00	10800.00
गोवा	187.80	101.95	106.55
गुजरात	12177.00	12132.31	11342.82
हरियाणा	1425.00	2700.00	2700.00
हिमाचल प्रदेश	2659.10	3341.54	3319.83
जम्मू व कश्मीर	6460.00	6334.86	6312.79
कर्नाटक	12713.00	11785.00	17200.25
केरल	855.00	775.00	607.00
मध्य प्रदेश	5604.00	4357.78	4056.69
महाराष्ट्र	9882.00	7142.00	6856.93
मणिपुर	271.65	600.00	550.00
मेघालय	1306.50	2000.00	2329.00
मिजोरम	795.00	794.41	1830.00
नागालैंड	1017.00	950.00	1139.00
उड़ीसा	1907.89	3465.19	4127.72
पंजाब	3432.00	2579.60	2458.00
राजस्थान	7005.05	8830.00	9656.00
सिक्किम	267.15	275.05	540.05
तमिलनाडु	2440.86	3388.14	2442.99
त्रिपुरा	619.00	659.00	630.00
उत्तर प्रदेश	12836.00	27813.00	15413.57
प० बंगाल	1500.00	3103.00	3246.00
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	671.00	786.00	956.00
चण्डीगढ़	353.00	222.50	250.50
दादर नगर हेवली	207.50	91.45	121.45
दमन व द्वीव	97.00	153.80	128.00
दिल्ली	1800.00	3619.00	5525.00
लक्षद्वीप	151.77	71.00	141.09
पांडिचेरी	240.52	303.87	453.00
कुल योग	101005.39	125223.05	121969.23

[अनुवाद]

सी०बी०आई० द्वारा पूर्व-औषध नियंत्रक के परिसर में छापे

224. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० ने भारत के पूर्व-औषध नियंत्रक के परिसर में कोई छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डॉ० पी० दास गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (पूर्व-औषध महा-नियंत्रक, भारत) द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने से संबंधित आरोपों की जांच करते समय अप्रैल, 2000 में उनके कार्यालय तथा उनके परिवार के सदस्यों के नई दिल्ली, नौएडा, कलकत्ता और शिमला स्थित निवासों तथा बैंक लाकरों पर छापे मारे।

छापे के दौरान डॉ० दास गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित सम्पत्ति से संबंधित आपत्तिजनक कागजात और अन्य सामग्री जब्त की गई है जिनकी जांच की जा रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अभी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

वाहन यातयात संचलन

225. **श्री विल्लस मुत्तेमवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पड़ौसी देशों के साथ वाहन यातायात संचलन की व्यवस्था करने के अलावा सड़क विकास संबंधी कोई व्यापक नीतियां बना रही है:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पड़ौसी देशों के साथ यातायात संचलन के नियमन के संबंध में द्विपक्षीय समझौतों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन द्विपक्षीय समझौतों के लिए नेपाल और भूटान सरकारों के साथ भी वार्ता चल रही है:

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ङ) सड़क सम्पर्क के विकास हेतु विदेशों अथवा पड़ौसी देशों के साथ कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) चूंकि इनमें शामिल मुद्दे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित हैं जिनमें परस्पर आदान-प्रदान की आवश्यकता है, अत: कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, मलेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पोलिया उन्मूलन

226. **श्री अशोक ना० मोहोल** :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक संगठन ने भारत को पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक समय-सीमा को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या टीकाकरण अभियान के कई दौर के बावजूद पोलियो के नए मामलों के बारे में सरकार को पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 2005 तक पोलिया के पूर्ण उन्मूलन के लिए निर्धारित अपनी समय सीमा को बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार की नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है और राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों (विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ) द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकारों के साथ हर वर्ष उसकी समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों से प्राप्त सलाह के अनुसार 1999-2000 के दौरान पोलियो उन्मूलन की कार्यनीति को तेजी से कार्यान्वित किया गया। राज्य सरकारों और विशेषज्ञों की समिति जिसमें राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के प्रतिनिधि शामिल थे, से परामर्श करने के पश्चात 2000-2001 के लिए कार्यनीति को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में पहले पोलियो का संचरण काफी फैला करता था। 1998 में भारत में अकेले पोलियो की वैश्वीय घटना दर 68 प्रतिशत (1931) थी। 1999 के दौरान इसकी घटना दर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के अधिकतर लगभग 192 जिलों में 1126 मामलों तक कम हो गई। 2000 के दौरान 24.6.2000 को केवल 81 रोगियों (उत्तर प्रदेश में 41 और बिहार में 30) की पुष्टि हुई। इस प्रकार देश के बहुत बड़े भाग में पोलियो के संचरण को प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित कर लिया गया है जबकि कुछ राज्यों में इस तीव्रीकृत कार्यनीति को जारी रखने की आवयकता है।

(ङ) और (च) सरकार का लक्ष्य 2000-2001 के सर्दी के मौसम के अन्त तक पोलियो की संचरण दर शून्य करना है। तथापि पोलियो उन्मूलन के वैश्वीय प्रमाणन के लिए देश को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए शून्य पोलियो स्तर बनाये रखने की आवयकता होगी। अत: हालांकि शून्य घटना दर बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जायेगी लेकिन पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्वीय प्रमाणन 2000-2005 तक प्राप्त किया जा सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति

227. **श्री रामजीवन सिंह** :
श्री सुरेश रामराव चाचव :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पैनल द्वारा किन-किन क्षेत्रों पर विचार किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू करने हेतु कोई कार्ययोजना भी तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में सुरक्षित और आसान तरीके से गर्भपात और राज्य-सहायता प्राप्त परिवार कल्याणए संबंधी साधनों की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जैसा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में परिकल्पित है, इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 11 मई, 2000 को एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में देश में जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने के लिए परिकल्पिक प्रत्येक कार्यनीतिक विषय के लिए कार्ययोजना की सूची दी गई है। इन प्रचालनात्मक कार्यनीतियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :–

1. विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन।
2. ग्राम स्तरों पर सेवा प्रदानगी को एक जगह पर उपलब्ध करना।
3. बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाना।
4. बाल जीवन-रक्षा और बाल-स्वास्थ्य।
5. परिवार कल्याण सेवाओं के लिए अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करना।
6. अल्प सेवित जनसंख्या समूह :

   शहरी मलिन बस्तियों, आदिवासी समुदाय, पहाडी क्षेत्र की जनसंख्या और विस्थापित और प्रवासी जनसंख्या, किशोर नियोजित मातृ-पितृत्व में पुरुषों की बढ़ी हुई सह-भागिता।
7. विविध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक।
8. गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग और उनकी प्रतिवद्धताएं।
9. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को मुख्यधारा में लाना।
10. गर्भनिरोधक प्रौद्योगिकी और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर अनुसंधान।
11. वयोवृद्ध लोगों के लिए व्यवस्था।
12. सूचना, शिक्षा और संप्रेषण।

(ङ) सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए चिकित्सीय गर्भ-समापन हेतु सुविधाओं का विस्तार और उनमें सुधार जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ऑपरेशन कक्ष, प्रसव कक्ष के निर्माण, जल आपूर्ति और विद्युत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।

चिकित्सीय गर्भ समापान उपकरणों की प्राप्ति केन्द्रीय रूप से की जा रही है और उन्हें संबंधित मेडिकल स्टोर डिपो के जरिए जहां कहीं आवश्यकता है, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दिया जा रहा है।

एच०आई०वी०/एड्स पर "यू०एन० एड्स ग्लोबल रिपोर्ट"

228. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री वी०एम० सुधीरन :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री जी०जे० जावीया :
श्री शिवाजी माने :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "यू०एन० एड्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एच०आई०वी०/एड्स एपिडेमिक, 2000" की जानकारी है जिससे यह प्रकट हुआ है कि 1999 के दौरान भारत में 3.1 लाख लोग एड्स से मारे गए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और रिपोर्ट में अन्य क्या-क्या टिप्पणियां की गई हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट से सहमत है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में राज्यवार वास्तविक आंकडों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बीमारी के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, हां। एच०आई०वी० संक्रमणों के अनुमान सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर किए गए निगरानी रिपोर्टों के अनुसार हैं जबकि रिपोर्ट में उल्लिखित मौतों की संख्या महज अनुमान है।

अत: सरकार मौतों की संख्या के बारे में यू०एन० एड्स की रिपोर्ट से सहमत नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को सूचित राज्यवार मौतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(च) भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख घटकों के साथ व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है :–

- लक्षित जनसंख्या का पता लगाकर उच्च जोखिम वाले समूहों में एच०आई०वी० के फैलने में कमी लाना और पुरुष-महिला को परामर्श प्रदान करना, कण्डोम को बढ़ावा देना, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार आदि।
- सूचना शिक्षा एंव संचार के द्वारा आम लोगों के लिए निवारक उपाय और जागरुकता अभियान तथा स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श की व्यवस्था, सुरक्षित रक्ताधान सेवाएं और व्यावसायिक खतरे की रोकथाम।
- एच०आई०वी०/एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ रहने वाले लोगों को संयोगिक संक्रमणों, घर और समुदाय में परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय, राज्य और नगर निगम स्तरों पर कारगरता सुनिश्चित करना और तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा आर्थिक रूप से मदद देना।
- सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।

विवरण

एच०आई०वी०/एड्स से मौतें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	1	–	4	4	–	6	–
2. असम	1	–	6	–	–	1	–
3. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
4. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–
5. बिहार	30	–	–	–	–	–	–
6. चण्डीगढ़	–	–	30	40	–	12	5
7. पंजाब	–	–	–	–	–	–	–
8. दिल्ली	23	12	46	8	5	4	–
9. दमन व द्वीव	–	–	–	–	–	–	–
10. दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
11. गोवा	8	1	–	–	3	1	2
12. गुजरात	3	–	4	–	–	4	–
13. हरियाणा	3	–	4	–	–	–	–
14. हिमाचल प्रदेश	–	1	4	–	1	–	–
15. जम्मू व कश्मीर	1	–	–	–	–	–	–
16. कर्नाटक	9	2	–	–	29	34	6
17. केरल	40	–	10	–	13	4	–
18. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
19. मध्य प्रदेश	14	–	–	21	4	12	9
20. महाराष्ट्र	37	35	32	31	110	82	13

1	2	3	4	5	6	7	8
21. मणिपुर	6	13	7	39	71	—	4
22. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—
23. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
24. नागालैंड	—	1	2	4	7	—	2
25. उड़ीसा	—	1	1	—	2	—	—
26. पांडिचेरी	6	—	40	—	18	4	—
27. राजस्थान	—	—	—	1	—	1	—
28. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
29. तमिलनाडु	10	23	60	40		18	71
30. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
31. उत्तर प्रदेश	6	—	4	—	24	—	1
32. पश्चिम बंगाल	12	2	13	—	—	2	—
योग	210	91	263	188	287	217	114

राज्यों की राजधानियों के लिए एयरबस सेवा

229. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों की राजधानियां सीधी विमान सेवा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से नहीं जुड़ी हुई हैं;

(ख) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक विमान सेवा को राज्यवार कितनी लाभ-हानि हुई;

(ग) कौन-कौन से राज्यों की राजधानियां एयर बस सेवा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और वर्ष 1997-998, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रतिवर्ष इनको कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान उठना पड़ा;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कौन से राज्यों की राजधानियों के लिए एयर बस सेवाएं बन्द की गई; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एयरबस सेवाओं से दिल्ली को सीधी उड़ानों से राज्य राजधानियों के नामों और उनमें से विमान सेवा से जोड़े गए तथा वे जो दिल्ली से नहीं जोड़े गए स्थानों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

उड़ान संबंधी आर्थिक ढ़ांचे (लाभ/हानि) पर आधारित उड़ान वार तथा राज्यवार सूचना का अलग-अलग आंकलन करना संभव नहीं है चूंकि मार्ग नेटवर्क समेकित तरीके से विमान सेवा प्रदान करता है तथा इनमें से अधिकांश सेवाओं पर विभिन्न राज्यों के मार्ग में आने वाले एक से अधिक गंतव्य स्थानों को सेवित किया जाता है।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइंस ने मार्ग युक्तिकरण/नेटवर्क की पुन:संरचना के कारण, पिछले पांच वर्षों के दौरान जयपुर और चण्डीगढ़ के लिए एयरबस विमान से सेवाओं के प्रचालन को बन्द कर दिया है।

विवरण

दिल्ली से सीधे रूप से नहीं जुड़ी राज्य राजधानियों

	राज्य	राजधानी	होकर विमान सेवा से जुड़ी
1.	मिजोरम	एजवाल	कलकत्ता
2.	नागालैण्ड	कोहिमा (दीमापुर)	कलकत्ता
3.	त्रिपुरा	अगरतला	कलकत्ता/गुवाहाटी

वे राज्य राजधानियों जो विमान सेवा से नहीं जुड़ी है

	राज्य	राजधानी	नजदीकी एयरपोर्ट
1.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	तेजपुर
2.	मेघालय	शिलांग	गुवाहाटी
3.	सिक्किम	गंगटोक	बागडोगरा

वे राज्य राजधानियां जो एयरबस द्वारा दिल्ली से जुड़ी है

	राज्य	राजधानी
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	दिसपुर (गुवाहाटी)
3.	बिहार	पटना
4.	गोवा	पणजी (गोवा)
5.	गुजरात	गांधी नगर (अहमदाबाद)
6.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
7.	कर्नाटक	बंगलौर
8.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
9.	महाराष्ट्र	मुम्बई
10.	मणिपुर	इम्फाल
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
12.	तमिलनाडु	चेन्नई
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

प्रदूषण और पर्यावरण सुधार योजना

230. श्री पी० कुमारसामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रदूषण में कमी हेतु हरित पट्टी और पर्यावरण सुधार योजना के तहत हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु तमिलनाडु जिनमें चेन्नई और ईरोड, कुमारापलायम, भवानी पल्लीपलायम, पलानी और डिंडीगुल नगर शामिल हैं, में 4.56 करोड़ रुपय की लागत से एक योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने तमिलनाडु के पांच शहरों अर्थात् चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरै, सालेम और तिरूनेलवैल्ली में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने तथा पर्यावरणीय सुधार के लिए 4.557 करोड़ रुपए की लागत से हरित पट्टी (ग्रीन बैल्ट) पर एक स्कीम चालू की है। इसमें से 4.0 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में जल उपकर निधियों के केन्द्र के हिस्से के रूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराए गए हैं और 0.557 करोड़ रुपए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। यह स्कीम 1.02 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में 102 नगरपालिकाओं तक विस्तारित की गई है। इस राशि में से 0765 करोड़ रुपए वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और 0.225 करोड़ रुपए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। यह स्कीम तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन विभाग, तमिलनाडु सरकार तथा संबंधित निगमों और नगरपालिकाओं के माध्यम से कि यान्वित की जाती है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत, इरोड, कुमारापलायम, भवानी, पल्लीपलायम और त्रिची शहरों को मलजल शोधन संयंत्रों के परिसरों, पम्पिंग स्टेशनों, बहिःस्राव नालियों के किनारों, पगडंडियों और शवदाह गृहों के आस-पास के क्षेत्रों, स्नान घाटों के आस-पास के क्षेत्रों में वनीकरण गतिविधियां चलाने और अल्प लागत की सफाई सुविधाओं आदि के लिए शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा, मंगलवार, 25 जुलाई, 2000/3 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 24 जुलाई, 2000/2 श्रावण, 1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	2 व अन्यत्र	सदस्यों के वर्णानुक्रम सूची	सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची
(iii)	नीचे से 4	श्री थावर चन्द मेहलोल	श्री थावर चन्द गेहलोत
(vii)	1	(क्योहार)	(क्योंझर)
(xii)	2	(विवलोन)	(क्विलोन)
(xvi)	नीचे से 5	हमीद, श्री अब्बदुल (फूबरी)	हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)
1	नीचे से 5	अबर	अरब
1	नीचे से 11	अ्क	अथक
51	4	श्री बाई·एस·विवेकानन्द रेड्डी	श्री वाई·एस·विवेकानन्द रेड्डी
306	नीचे से 8	सी·वी·आई	सी· बी·आई

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।